राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या : 11

शुक्रवार;

5 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : प्रश्न संख्या-88. माननीय मंत्रीजी उत्तर देवें इसके पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसानों की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो राइडर लगाया कि सवाल 5-7 आने चाहिए, इस पर पूरा डिस्कस होना बहुत जरूरी है, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं...(व्यवधान)

श्री भंगराज चौधरी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण) : प्रश्न डिस्कस होता है क्या?

प्रस्तावित फसल बीमा योजना में विलम्ब

88. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देश के कई राज्यों में फसल बीमा योजना 50 प्रतिशत भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकारों के सम्मिलित योगदान से चल रही है? यदि हां, तो राज्य में उक्त योजना को लागू करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कोई नोडल एजेन्सी बनाई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? उक्त योजना को किस एजेन्सी के द्वारा चालू किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या देश के अन्य राज्यों में जहां पर फसल बीमा योजना गत वर्षों से प्रारम्भ की गई है, उसका अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने समिति गठित कर अध्ययन करवाया है? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे? यदि नहीं, तो उक्त पर सरकार क्या विचार कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए कोई प्रारूप तैयार किया है? यदि हां, तो प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री तैय्यब हुसैन) : (1) जी हां। राज्य की विशेष प्राकृतिक एवं आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि बीमा योजना हेतु केन्द्र तथा राज्य का व्यय अनुपात क्रमशः 50:50 के स्थान पर क्रमशः 80:20 का रखा जाए। केन्द्र सरकार से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। योजना लागू करने के निर्णय पश्चात् ही योजना लागू करने वाली एजेन्सी के बारे में निर्णय किया जाएगा।

(3) जी नहीं। इस सम्बन्ध में समीक्षा केन्द्र सरकार के स्तर पर की जा रही है।

(4) जी नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी डा. किरोड़ी लालजी और राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने जो प्रश्न रखा था उसके उत्तर संख्या दो में दिया कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य व्यय 50-50% वहन करने का प्रावधान है। वर्तमान में देश में 19 राज्यों व दो केन्द्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू है और आप यहां पर यह कह रहे हैं कि 80% भारत सरकार बीमा की राशि देवे और 20% आप देवें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देश के 19 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में 50-50% के रेशो से इस योजना को लागू कर रहे हैं फिर इस सरकार के सामने ऐसी क्या कठिनाई है कि इन किसानों की बहुत ही खुशहाली की योजना को लागू नहीं कर रहे हैं? आपने इसी प्रश्न के उत्तर में आगे बताया है कि केन्द्र सरकार से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मैं, माननीय कृषि मंत्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार को वापस इस विषय में स्मरण पत्र दिया है क्या? क्या केन्द्र सरकार से कोई आपका प्रतिनिधि मिलने गया है क्या? राज्य के माननीय मुख्य मंत्री या स्वयं कृषि मंत्रीजी ने केन्द्र के वित्त मंत्री और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री से भी इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए कभी कोई प्रयास किया है क्या? यह आप मुझे अवगत कराएं। किये हैं तो कब-कब किये हैं? और इसका उत्तर नहीं आया तो उसके बारे में आपने कब-कब वापस स्मरण पत्र दिये? कब-कब काम किया? यह आप बताइये पहले।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को भी इसका जवाब दिया जा चुका है, पिछले सैशन में आखिरी दिन 23 नवम्बर को इस पर बहुत डिटेल्ड चर्चा हो चुकी है। इतना डिस्कशन हुआ था इस पर उस दिन पूरा एक घंटे तक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : फिर भी आप सुधरे नहीं...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : इतना करने के बाद भी आप में कोई सुधार नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम इनकी बात आराम से सुन रहे हैं तो ये भी हमारी बात सुनें। हम कोई गलत बात कहें या कोई उस तरह की बात कहें तो आप कह सकते हैं। सबसे पहले ये जो पूछ रहे थे, इस सिलसिले में 14 सितम्बर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई तो उसमें इस बात को हमने रखा, उसमें यह बात कही गयी। उसके बाद 18 सितम्बर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : हम संतुष्ट हैं, आप यह जवाब मत दो। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं जो अर्ज कर रहा हूं, साहब, 18 सितम्बर, 1999 में प्रिंसिपल सैक्रेटरी एग्रीकल्चर ने चिट्ठी लिखी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चिट्ठी का मत कहो।

श्री तैय्यब हुसैन : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह देता हूं नहीं पूछेंगे।

श्री तैय्यब हुसैन : नहीं, मैं जनाब अर्ज कर रहा हूं कि 23 सितम्बर, 1999 को सी.एम. साहब ने आदरणीय प्रधानमंत्रीजी को खत लिखा...(व्यवधान) नहीं, उसके बाद। आप जरा सुन लें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। उसके बाद 21 मई, 2001 को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग बुलायी थी वहां माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस मुद्दे को रखा और लिखित में भी वहां दिया गया है। उसके बाद में हमने 23.11 को रिमाइण्डर दिया, 12.2 को रिमाइण्डर दिया और 31.12.2001 को रिमाइण्डर दिया। तो हमने अपनी तरफ से इतने खत लिखे हैं। यही अनुरोध हमने किया है जैसा अर्ज किया कि हमारे राज्य के स्पेशल हालात को देखते हुए इसको 80 और 20 कर दिया जाए। आज तक इसका जवाब हमको नहीं मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपकी आज्ञा हो तो? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जिन राज्यों में फसल बीमा योजना लागू हो गई, उनके बीच में और केन्द्र सरकार के बीच में किस प्रकार का रेशो है? उस आधार के ऊपर क्या आप राजस्थान में बीमा योजना लागू करने के पक्ष में हैं या नहीं?

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया है कि हमारे खास हालात होते हुए हमने उनसे अनुरोध किया है। हम उनसे यही कह रहे हैं कि हमारी जो खास परिस्थिति है उसमें इस अनुपात को 80-20 कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सवाल का जवाब नहीं आया है, यह।

श्री हीरासिंह चौहान : सवाल का जवाब नहीं है, साहब, यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंटेड सवाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने सीधा प्रश्न पूछा है कि जिन राज्यों में फसल बीमा योजना लागू कर दी गई उन राज्यों के बीच में और भारत सरकार के बीच में किस प्रतिशत के आधार पर इस सारे खर्चे का बंटवारा किया गया है? उस आधार के ऊपर आप यहां राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू करना चाहते हैं कि नहीं?

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर चुका हूं कि हमारे हालात अपने हैं और बाकी राज्यों के हालात अपने हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो हां–ना में जवाब दो।

श्री अध्यक्ष : हो गयी न बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये तो जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह जवाब कैसे नहीं है? स्टेट की फाइनेंशियल पाजिशन वेज एण्ड मींस परमिट नहीं करती है तो ये कैसे आपको उत्तर दे दें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मना कर दें न, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मना कर दें।

श्री अध्यक्ष : दूसरे राज्यों की ऐसी स्थिति हो सकती है कि वे 70% उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ये कह दें कि भारत सरकार 80–20 या 70%...

श्री अध्यक्ष : राजस्थान इस स्थिति में नहीं है कि कंट्रीब्यूट कर सके।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, यह घोषणा पत्र है इनका।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : घोषणा पत्र में सोच–समझकर लगाते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी फोटो है। यह अध्यक्ष महोदय, आपकी फोटो है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : घोषणा पत्र है यह, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी फोटो लगाकर इन्होंने कहा है कि राजस्थान में फसल बीमा योजना लागू करेंगे। आपकी फोटो लगाकर इन्होंने राजस्थान में कहा है।

डा. किरोड़ी लाल : यह घोषणा पत्र में है और घोषणा पत्र के आधार पर किसानों से वोट ले लिये। घोषण पत्र में स्पष्ट लिखा है...

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र सिंहजी।

डा. किरोड़ी लाल : ...कि किसानों की फसल का बीमा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लालजी।

डा. किरोड़ी लाल : जब यह घोषणा पत्र में लिखा हुआ है तो करना क्यों नहीं चाहते हैं? किसानों के साथ धोखा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कल प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मुझे यह कहा कि आप नियंत्रण नहीं रखते हाउस में और क्वेश्चन आवर में दो क्वेश्चन आये मुश्किल से। मैंने अप्रैल, 1999 को जो व्यवस्था दी थी वह आपके पास भेज दी, अब आप फिर खड़े हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन मेरा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब नहीं दे रहे हैं हमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए पूछ रहे हैं कि इसमें तो आपको ही व्यवस्था देनी पड़ेगी कि हमने जो सवाल पूछा उसका सही उत्तर आया या नहीं।

श्री अध्यक्ष : सवाल उत्तर का तो यह है कि ये साफ कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : कि 80-20 के रेशो में हमने भारत सरकार को लिखा है और उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ये कह दें। इतना सा ही कह दें। हां, वो ठीक है। मैंने तो इतना ही पूछा कि भारत सरकार से...

श्री अध्यक्ष : कई रिमाइण्डर्स भी भेजे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार ने इनका सुझाव नहीं माना तो क्या ये फसल बीमा योजना लागू करेंगे?

श्री तैय्यब हुसैन : अभी ना मानने का हमारे पास कोई खत नहीं आया है, जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार से हमारे पास कोई ना का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के बिना हम आज बोलेंगे ही नहीं, आपकी आज्ञा होगी तभी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह पहले खड़े हो रहे हैं और, गोयल साहब, आप बाद में खड़े हुए हैं। दो माननीय सदस्य सवाल पूछ सकते हैं। श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन स्टेटों में फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है उन स्टेटों में से कितने स्टेट प्राकृतिक और आर्थिक स्थिति से राजस्थान से पिछड़े हैं फिर भी वहां यह लागू कर दी गई है? यहां लागू नहीं करने के पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है? यह मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीति की बात तो ये कर रहे हैं, हम तो वास्तविक स्थिति की बात कर रहे हैं। हर स्टेट के अपने-अपने हालात हैं। हमारी स्टेट के हालात मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिये हैं और हमें अभी भारत सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल नम्बर दो है। मैंने तो अभी एक सवाल का उत्तर पूछा है दूसरा सवाल शुरू कर रहा हूं। मेरा प्रश्न ही अभी चालू हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं?

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या इस देश के अन्य राज्यों में जहां फसल बीमा योजना लागू की गयी है, उसका अध्ययन करने के लिए किसी दल को भेजा गया है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब किसी नई योजना को लागू करते हैं, हमारे समझ में नहीं आती है तो जिन-जिन स्टेट्स में यह योजना लागू है इसका अध्ययन करने के लिए आप भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपने नैगेटिव रिप्लाई दिया कि हमने नहीं भेजा। इसके पीछे क्या कारण है? गत सैशन में पूरे विपक्ष ने इस पर बायकाट किया था। उसके बाद क्या यह कैबिनेट में लाया गया? क्या इस पर सरकार ने पुन: अध्ययन किया? अगर अध्ययन करने की मंशा होती या कैबीनेट में लेकर इस योजना को लागू करने की मंशा होती तो सरकार इसके प्रति कोई काम करती।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसका अध्ययन केन्द्रीय सरकार के लेवल पर हो रहा है और केन्द्रीय सरकार अपने लेवल पर इसका अध्ययन कर रही है कि इसका क्या एक्सपीरिएंस हुआ इतने साल का।

श्री हीरासिंह चौहान : योजना तो राज्य सरकारें लागू कर रही हैं, केन्द्रीय सरकार से आप क्या चाहते हो? जब 19 राज्यों में यह योजना लागू है तो क्या एक अध्ययन दल भी आप यहां से नहीं भेज सकते थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने यह कहा है कि जब तक केन्द्रीय सरकार 80:20 का रेशो नहीं मानती तब तक आप इस योजना को लागू नहीं करेंगे। आप हां या ना में जवाब दे दो कि मुख्य मंत्रीजी ने जो पत्र लिखा उसके अनुसार अगर केन्द्रीय सरकार नहीं मानती तो आप इसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे? हां-ना में जवाब दे दीजिए।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बार-बार कह चुका हूं कि हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा हुआ है, जब उनका जवाब आ जायेगा उसके बाद उस पर विचार किया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब आप लागू नहीं करेंगे?

श्री हीरासिंह चौहान : इसका मतलब आप लागू नहीं करना चाहते। आपकी मंशा में ही पाप है। मंशा में ही खोट है। आप इसको लागू ही नहीं करना चाहते।

डा. किरोड़ी लाल : आप इसको लागू ही नहीं करना चाहते। कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : काफी लम्बे समय से देश में यह लागू कर रखी है।

डा. किरोड़ी लाल : आपने इसके नाम पर वोट लिये थे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कब से किसान इस फसल बीमा योजना का इंतजार कर रहा है और आप इसको लागू नहीं करना चाहते। आप किसानों का गला घोंटना चाहते हैं। देश के अन्य राज्यों में यह योजना लागू है और आप राजस्थान में इसे जानबूझकर लागू नहीं कराना चाहते हो। (व्यवधान) यह अन्य राज्यों में लागू है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) **:** फसल बीमा योजना लागू नहीं करना राजस्थान के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, 1998 में जब यह चुनाव घोषणा पत्र लागू किया तब इन्होंने यह नहीं सोचा कि इसमें केन्द्रीय सरकार की कितनी सहायता मिलेगी, राज्य सरकार की कितनी सहायता मिलेगी। उस वक्त आपने आकलन नहीं किया और आज आप कह रहे हो। 19 राज्यों में जो योजना लागू हो गई, आज आप कह रहे हो 80:20, मैं पूछना चाहता हूं इन 19 राज्यों में राजस्थान कौनसे राज्य से आर्थिक और प्राकृतिक रूप से कमजोर है?

श्री अमराराम (धोद) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1998 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के किसानों से चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से यह वादा किया था, क्या 1998 में केन्द्र सरकार की फसल बीमा योजना 50:50 की थी? फिर उसके बाद आपने वादा करके राजस्थान के किसान का वोट हासिल किया और हासिल करने के बाद क्या आने वाले दो साल तक केन्द्र सरकार इस रेशो को नहीं बदलेगी तो आप इस योजना को लागू करके वादा पूरा करेंगे या किसानों के साथ विश्वासघात करेंगे?

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार से जब जवाब प्राप्त हो जायेगा उसके पेशेनजर उस पर गौर किया जायेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह किसानों के साथ धोखा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन, स्थगित श्री रामस्वरूप मीणा का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के अकाल पीड़ित किसानों का भाग्य जुड़ा हुआ है। सरकार का इस प्रकार उत्तर आया है कि भारत सरकार से बिना पूछे आप कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि किसानों के हितों के विपरीत आप काम करेंगे। मैं ज्यादा इस पर नहीं कहता लेकिन प्रोटेक्ट स्वरूप...

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपने कल कहा था, मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके काम में कोई दखल नहीं हो इसलिए प्रोटेस्ट स्वरूप हम इस सदन से वाकआउट करते हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि यह मामला छोटा नहीं है, आपने जनता को धोखा दिया है और धोखे के रूप में आपने वोट लिये हैं। जिस समय की आप बात कर रहे हैं। भारत सरकार की, उस समय यह भारत सरकार नहीं थी न यह बीमा फसल योजना थी। (व्यवधान) यह सरकार अपनी सरकार बनने के बाद बनी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : किसान विरोधी सारे फैसले तो भारत सरकार ने किये हैं और पूरे देश को आपने बरबाद कर दिया है। उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में, हर राज्य में किसानों की क्या हालत आपकी सरकार ने की है। आपने किसानों को बरबाद कर दिया है, मोहताज कर दिया है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही है और ये वाकआउट यहां से कर रहे हैं। सारी गलती हमारे माथे मंड रहे हैं जबरदस्ती। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : राजस्थान के किसानों के साथ और राजस्थान के जमींदारों के साथ यह धोखा और विश्वासघात है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य : किसानों के हितैषी आप कबसे होने लग गये? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में फसल बीमा लागू नहीं होने के कारण...

श्री रामस्वरूप : कौन मना कर रहा है इसके लिए, दिल्ली सरकार करेगी तब होगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सबसे सिंचित इलाके हैं और वहां राजस्थान में फसल बीमा लागू नहीं होने के कारण यह पहला अवसर है कि

(श्री अमराराम)

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला पूरा अकालग्रस्त है। यह सरकार इस फसल बीमा योजना को लागू नहीं कर रही है इसलिए इसके विरोधस्वरूप मैं भी इस सदन से वाकआउट करता हूं।

(श्री अमराराम (धोद) माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, आप बैठिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : यह किसानों के साथ धोखा है। राजस्थान में आप इस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं इसलिए हम भी जनता दल की ओर से इस सदन से वाकआउट करते हैं।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) नहीं, मैं आपको परमिशन नहीं देता।

अनुभव के आधार पर राज्य में फार्मासिस्टों का पंजीयन

89. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बिना डी. फार्मा डिप्लोमा किये ही फार्मासिस्ट बनाने वाले दलाल राज्य में अप्रशिक्षित लोगों को दवाई की दुकान चलाने का लाइसेंस दिला रहे हैं? यदि हां, तो कब से? उक्त लाइसेंस किन-किन लोगों के बनाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों से राज्य में ऐसे लोग दलालों के माध्यम से नागालैण्ड में पंजीयन करवा चुके हैं? यदि हां, तो कितने लोगों ने करवा रखे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति लाखों रुपये लेकर पहले तो उक्त का अनुभव के आधार पर नागालैण्ड में पंजीयन करवाते हैं। फिर उनका राज्य में स्थानान्तरण करवा कर लाइसेंस दिया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत। तीन वर्ष से अब तक कितने लोगों ने ऐसे लाइसेंस प्राप्त किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नई कार्यकारिणी ने अब उक्त व्यक्तियों का पंजीयन करना शुरू कर दिया है जिनके पास अनुभव के आधार पर किये गये आवेदनों को पूर्व में निरस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि नई कार्यकारिणी उक्त आवेदनकर्ताओं को भी बुलाकर उनका पंजीयन कर रही है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? क्या सरकार अब और ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का पंजीयन 2002-2003 में करने जा रही है?

(6) क्या सरकार अब ऐसे अनुभव वाले व्यक्तियों को जिनके पास 10-15 वर्ष का अनुभव है को उक्त आधार पर दुकान

(श्री रामस्वरूप)

चलाने का लाइसेंस जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से उक्त प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे और उनकी प्रक्रिया क्या होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन स्थगित।

श्री रामस्वरूप : नहीं, साहब, इसमें मेरा लगा हुआ है। अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट के बारे में।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहिर्गमन तो नहीं कर रहा हूं लेकिन आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी और सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था, राजस्थान के किसानों के हित में फसल बीमा योजना आप जल्दी से जल्दी लागू कराने का कष्ट करें। इसके लिये जो भी प्रयास आपको करने पड़े, चाहे आपको खुद को बात करनी पड़े, राजस्थान के किसानों के हित में फसल बीमा योजना लागू कराने का कष्ट करें।

श्री संयम लोढ़ा : जनादेश पांच साल के लिए दिया गया है, अभी दो साल बाकी हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दिल्ली सरकार इसको लागू नहीं कर रही है उसके खिलाफ भी बोला जाए।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में अयोध्या में मन्दिर बनाने की बात कही थी, आज ये क्यों नहीं बना रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह कैसे बराबरी कर दी इन्होंने आपके सामने? वहां मन्दिर बनाने की योजना और यहां लाखों-करोड़ों किसानों की खुशहाली का मामला है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कहां राम-राम और कहां +++ यह +++ कर रहे हैं राम-राम के सामने।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : प्रश्न संख्या-89। अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट बनाने का धंधा, यह बहुत बड़ा घोटाला है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : धोखा तो है लेकिन आपका प्रश्न स्थगित कर दिया गया है।

श्री रामस्वरूप : पिछले 10 साल से यह धंधा लगातार चल रहा है। हमने इसके बारे में प्रश्न लगाया था, लाटरी के द्वारा आपकी कृपा से मेरा प्रश्न दूसरे नम्बर पर आया है और आज मेरे प्रश्न को स्थगित किया जा रहा है। माननीय मंत्रीजी तैयार हैं। वह ऐसे भ्रष्टाचारियों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

को और जिन्होंने ऐसे घोटाले किये हैं उनको दण्ड देना चाहते हैं। क्यों नहीं आज ही ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न को लिया जाए? 75 लोगों को इस प्रकार के लाइसेंस दिये गये हैं। नागालैण्ड के आधार पर जबकि लाइसेंस अनुभव के आधार पर नहीं दे सकते हैं। इन्होंने इस प्रकार का 84 में नियम बना रखा है। उसके बारे में मैंने निवेदन किया है कि ऐसे लोगों की जांच कराई जाए जो 2-2, 4-4 लाख रुपये रिश्वत देकर पिछले 10 साल से सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं और जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। नकली दवाई बेच रहे हैं जिसके कारण लोगों की जानें जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सर, मेरे इस महत्त्वपूर्ण क्वेश्चन का क्या हुआ? (व्यवधान) मेरा बहुत ही महत्त्वपूर्ण क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री महोदय बहुत अच्छे मंत्री हैं और जवाब भी देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आगे भी इस तरह से होते रहे हैं। (व्यवधान) सूचना एकत्रित नहीं हुई है। आगे अगर सूचना एकत्रित हो जायेगी, उन्होंने बिलकुल पोस्टपोन थोड़े ही करवाया है, स्थगित किया है। इसलिए जब सूचना आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन लगा देंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कब तक आ जायेगी? अब सदन खतम होने जा रहा है जब? कोई डेट तो निश्चित कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी तो सूचना एकत्रित होगी जब...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी कब तक सूचना दे देंगे? मंत्रीजी तो खुद चाहते हैं कि ऐसे लोगों को दण्ड दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : जब आएगी। जब सूचना आ जाएगी तो आपका दो नम्बर पर ही लगा देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 22 तारीख को लगा था। (व्यवधान) 22 तारीख से लेकर आज लगभग 11 दिन और हो गए हैं, उसी प्रश्न को पांच तारीख में रखा और उसके बाद भी अगर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बजट पेश था, इसलिए क्वेश्चन आवर नहीं रखा। उस वक्त क्वेश्चन छप गये थे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है। लेकिन इतने दिन और बीच में मिल गये, उसके बाद भी यह डिपार्टमेंट अगर सूचना नहीं मंगवा सका तो क्या यह इस बात को इंगित नहीं करता है कि डिपार्टमेंट जानबूझकर इसको टालने की कोशिश कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जानबूझकर...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर यह समय नहीं मिलता और पहले दिन ही अगर आप यह बात कहते तो बात समझ में आ सकती थी। 22 तारीख को जो प्रश्न लग चुका था वह वापस आकर 5 तारीख को... (व्यवधान) क्योंकि 22 तारीख को बजट पेश हो रहा था इसीलिए नहीं लगा। तो इतना समय मिल जाने के बाद भी अगर इस सवाल का डिपार्टमेंट से जवाब नहीं आये तो यह बहुत ही दु:खद विषय है। अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे ही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप इसके बारे में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डिपार्टमेंट कोशिश करता होगा। यह जो चिट्ठी इन्होंने स्थगित करवाने के लिए रिक्वैस्ट की है, यह 4.4 की चिट्ठी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्षजी, आज चार प्रश्न स्थगित कर दिये, और जो प्रश्न स्थगित किए...(व्यवधान) यह पिछली बार मेरा था, उस समय भी स्थगित हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस वक्त भी इसमें... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आगे भी स्थगित है। (व्यवधान) यह प्रक्रिया अगर इन्होंने अपना ली कि जो अच्छा प्रश्न लगे उसको स्थगित कराकर खड्डे में डाल दो, तो यह प्रथा तो ठीक नहीं होगी। (व्यवधान) जो पुराने स्थगित किये उन प्रश्नों को एक बार निकलवा लें। (व्यवधान) दफन कर दिया।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब दिया जाए। कौनसी तारीख को कब इसका जवाब दिया जाए? माननीय मंत्रीजी तैयार हैं, अधिकारी अगली बार इसका जवाब लेकर आएं। मेरा तो निवेदन है कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है। (व्यवधान) आपका महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) बिना डी–फार्मा डिप्लोमा किए ही फार्मासिस्ट बनाने वाले दलाल राज्य में अप्रशिक्षित लोगों को दवाई की दुकान चलाने का लाइसेंस दिला रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : साहब, मुझे कब तक इसका जवाब मिल जाएगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका क्वेश्चन लगवा देंगे। इसी सैशन में लगवा देंगे।

श्री रामस्वरूप : और वह भी दूसरे नम्बर पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, दूसरे नम्बर पर ही। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन है...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसमें सेल्स टैक्स का है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्थगित किया है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : स्थगित किया है तो कारण तो बताइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान) श्री शिवनाथ सिंहजी।

डा. किरोड़ी लाल : हमें कारण तो पता लगे, हमने सेल्स टैक्स की बकाया के बारे में...(व्यवधान) साहब, यह तो जानकारी मिले कि स्थगित क्यों किया जा रहा है। (व्यवधान)

भारतीय प्रशासनिक सेवा के आरोपी अधिकारियों के लम्बित प्रकरण

90. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने कौन-कौन अधिकारी हैं जिनको सी.सी.ए. नियम 8 व 16 अथवा अन्य किसी नियम के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किए जा चुके हैं लेकिन अभी तक निर्णीत नहीं हुए हैं? अधिकारी का नाम, आरोप पत्र जारी करने का दिनांक तथा अभी तक लम्बित होने के कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

कार्मिक मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन 8 विभागीय जांच प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 8 अधिकारियों की सूची दी है, ये सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो इस देश की सर्वोच्च सेवा है। इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, उन अधिकारियों के नाम मैं नहीं लूंगा लेकिन संख्या एक पर आपने 1993 में आरोप पत्र दिया था और अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। आपने कहा है कि यह संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, वहां से उनकी राय आएगी, 1993 को तो आपने आरोप पत्र दिया है, आफेंस या जो भी उन्होंने अनियमितता की है वह किस साल की है यह थोड़ी जानकारी हमको देने की चेष्टा करें, नम्बर एक पर?

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, नम्बर तीन पर आपने 1994 में उनको आरोप पत्र दिया है, अभी तक इसमें कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। इसको भी मैं जानना चाहूंगा कि उनके खिलाफ जो आरोप हैं वे किस समय के हैं? 1994 में आपने

(श्री शिवनाथ सिंह)

आरोप पत्र दिया है तो उसमें बहुत पहले के हो जाने चाहिए।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या चार, क्रम संख्या पांच, क्रम संख्या छह और क्रम संख्या सात इन पर भी आपने 1995, 1995, 1995 में आरोप पत्र दिये हैं। मैं यह बात तो मानता हूं कि ये सभी धंधे आपके समय के नहीं हैं, यह बात भी सही है लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी है। इस आसन पर आप बिराजमान हैं, इतना डिले और उस सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में जो हमारे देश की सर्वोच्च सेवा है उसमें इतनी ढिलाई होती है तो फिर क्या मैसेज जाएगा? पहले तो मैंने जो आपको पूछा ये किस-किस समय के इनके खिलाफ आरोप हैं यह दीजिए, बाद में दूसरा सवाल पूछूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले नम्बर पर अधिकारी श्री एस. सी. पगोरिया इनको आरोप पत्र जारी हुआ था 1.9.1993 को, विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति 12.12.1995 को की और जांच प्रतिवेदन 11.10.2000 को प्राप्त हुआ और 16.10.2001 को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु इसे भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के बारे में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में निर्णय लेते हैं तो भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए 16.10.2001 को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु इसको भेज दिया गया, हमारे यहां से उसका अन्तिम निर्णय हो चुका है।

नम्बर तीन अधिकारी श्री संजय पुरोहित इनको 21.1.1994 को आरोप पत्र जारी किया गया था और 3.4.2001 को इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा से बरखास्त कर दिया गया है। इसका भी अन्तिम निर्णय हो चुका है।

चार नम्बर के अधिकारी को 3.11.1995 को पत्र जारी हुआ, 21.4.1998 को विस्तृत जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति हुई और 23.10.2001 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इनका अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर परीक्षण चल रहा है।

पांचवें अधिकारी श्री जी. एस. नरवानी सेवानिवृत्त इनको आरोप पत्र 30.1.1995 को दिया गया, 31.5.1995 को जांच अधिकारी की नियुक्ति हुई, इसका प्रतिवेदन 19.6.2001 को प्राप्त हुआ। डी.ओ.पी. ने जो जांच अधिकारी ने प्रतिवेदन दिया था उस पर अपनी असहमति की टिप्पणी जारी करके इनको वापस भेज दिया है। इनका जो अभ्यावेदन प्राप्त हुआ वह परीक्षणाधीन है। 6 नम्बर पर भी...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह मालूम है कि नहीं कि नरवानी को सजा हो चुकी है? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज हुई है, अखबार में...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बताइये हाउस को। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक वर्ष की सजा हुई है, आज के अखबार में आया है। (व्यवधान)

छह नम्बर पर 30.1.1995 को इसका आरोप पत्र जारी हुआ और इस आपराधिक प्रकरण संख्या 9/94 का न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर द्वारा प्रसंज्ञान 2.12.1997 को लिया गया। इसके विरुद्ध में नरवानी हाई कोर्ट में गये हुए हैं।

सातवें नम्बर पर श्री एस.एन. खण्डेलवाल 24.2.1995 को आरोप पत्र जारी हुआ, 18.7.1995 को जांच अधिकारी की नियुक्ति हुई। इस पर कैट का स्थगन आदेश आया हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि जिन कारणों से इनको आरोप पत्र दिये हैं वे कारण कब के हैं, यह पूछा था। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सब बता दिये ना। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नहीं, आपने वह नहीं बताया। (व्यवधान) आपने तो आरोप पत्र जारी करने की तिथि बताई है। जो आफेंस या कुछ भी किया था जिसके कारण से उनको आरोप पत्र दिये गये थे वे कब के हैं...(व्यवधान) यह बता दीजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आरोप पत्र किस तारीख को दिये? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, नहीं, उनके एक्ट के बारे में बताइये। (व्यवधान) एक्ट किस तारीख का है? (व्यवधान) एक्शन किस साल का था? उनका एक्शन किस साल का था जिसके लिए इनको इन सालों में आरोप पत्र दिये गये हैं, यह पूछा था। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले तो नियम 16 और 8 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही पूछी...(व्यवधान) मैं तो उत्तर देना चाहता हूं। इनका 16 सी.सी.ए. वगैरह का कोई मामला भारतीय प्रशासनिक सेवा में होता ही नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं इतना जानता हूं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : वहां होता है आल इण्डिया सर्विसेज डिसिप्लिन एण्ड सर्विसेज रूल्स...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह मैं जानता हूं इसीलिए मैंने उसमें 8 लगाया है। यह मैं भी जानता हूं कि वहां 16 लागू नहीं होता है इसलिए मैंने इसमें 8 लगाया है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने मात्र यह पूछा है, आप देखिए, अधिकारी का नाम, आरोप पत्र जारी करने का दिनांक, अभी तक लम्बित होने के कारण। लम्बित होने के कारणों पर मैंने प्रकाश डाल दिया है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका तो मैंने एक-एक करके उत्तर दे दिया है और मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 1990 से वर्ष 1998 तक मात्र 5 प्रकरणों का निपटारा हुआ था जबकि वर्ष 1999 से लेकर अब तक हमने करीब करीब, यह समझिये कि 8 प्रकरण निपटा दिये हैं। यानि 427 प्रतिशत ज्यादा मामले निपटाये पिछली सरकार की तुलना में।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, ये जो मामले आपने त्वरित गति से सुलटाये हैं इसके लिये तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा जो प्रश्न पूछने का मकसद था...(व्यवधान) वह पूरा भी हो रहा है। यह था कि इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने में इतनी देरी की जा रही है। जैसे आपने बताया कि नम्बर एक पर पगोरिया के मामले में आपने जांच अधिकारी तो 12.12.1995 को नियुक्ति कर दिया लेकिन रिपोर्ट कब आयी और रिपोर्ट आने के बाद में आपने इतने समय में क्या एक्शन लिया। इसी तरह सबके लिये आपने बताया है कि आपने आरोप पत्र जारी कर दिया, जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन एक आई.ए.एस. आफिसर के खिलाफ जांच करने में कई साल लग जाते हैं और यह प्रक्रिया भी मैं जानता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के बिना आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो काम आपको करना था, उसमें 5-5, 7-7 साल का डिले हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि आपने किया, पर्सनली इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो भी सरकार उस वक्त थी उस सरकार ने इन अधिकारियों को, पक्षपात करने के लिये इन अधिकारियों को उसी स्थान पर सब सेवाएं और सब उनको एमोल्यूमेंट्स मिलते रहे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो इस कारण से इनको लम्बित रखा है। इसलिये मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब हमने एक पारदर्शी सरकार बनाने का, सब भ्रष्टाचार मुक्त करने का एक वायदा किया है तो इस प्रकार के जो कार्यकलाप हैं इसमें बड़े अधिकारियों को छूट मिले और मामूली कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो उसको आप सजा दे दें, इसको उचित मानते हैं क्या? इतने समय तक क्यों सरकार में ये मामले पड़े रहे? संघ लोक सेवा आयोग को भेजने से पहले क्यों पड़े रहे?

दूसरी बात यह है कि नरवानी को जो सजा हुई है, मंत्री महोदय, मैं अध्यक्षजी के मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला दूसरा है। यहां जो आपने उसको आरोप पत्र दिया है वह मामला उसका नहीं है। इस आरोप पत्र में आपने कुछ नहीं किया है। वह तो सज़ा किसी बड़े आदमी ने एक दावा कर दिया, रिपोर्ट कर दी उस पर हुआ है वह। इससे कोई सम्बन्ध नहीं है उसका।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये मामले होते हैं, ये क्वासी जुडीशियल नेचर के होते हैं। इसमें मामला निपटारा कैसे हो, इस सम्बन्ध में आरोप के बारे में कितने गवाह हैं और कितने-कितने लोग उसमें इन्वाल्व हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं जब से सन् 1999 के बाद में हमारी सरकार आयी है हमने इसको तेज गति के साथ निपटाया। मैंने एक-एक तारीख दी है। जैसे आपने पगोरिया का बताया, तो आरोप पत्र जारी होने की तिथि 1.9.1993, विस्तृत जांच अधिकारी की नियुक्ति 12.12.1995, जांच प्रतिवेदन 11.10.2001 को प्राप्त हुआ और उसके होते ही हम लोगों ने 16 अगस्त को...

श्री शिवनाथ सिंह : 5 साल लग गये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, तो अब इसकी जिम्मेदारी, आप देखिये कि जांच प्रतिवेदन 11.10.2001 को प्राप्त हुआ और 16.10.2001 को, यानि मात्र 6 दिन के अन्दर-अन्दर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु हमने भेज दिया। तो हमारी तरफ से कोई डिले नहीं हुआ है। जहां तक तीसरे नम्बर पर संजय पुरोहित का मामला था, उसमें भी 13.10.1992 को आरोप पत्र जारी हुआ। लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद इस व्यक्ति को 3.4.2001 को भारतीय प्रशासनिक सेवा से बरखास्त कर दिया। इसमें भारत सरकार की भी मंजूरी आ चुकी है।

श्री मोहन लाल मोदी : तो पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया क्या इसमें?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं कि सन् 1990 से लेकर 1998 तक मात्र 5 प्रकरणों का निपटारा हुआ और सन् 1999 से लेकर अब तक 8 प्रकरणों का निपटारा हो चुका है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि आपने जो काम किया उसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन जो 6 साल तक आपने मामले पड़े रखे उसके लिये क्या है? मैं आपको नहीं कहता हूं, जो भी सरकार रही है। इन आई.ए.एस. अधिकारियों को प्रोटेक्शन देने के लिये 6 साल, 5 साल एक-एक जांच अधिकारी आपने नियुक्त कर दिया और 6 साल तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। यह मामला इतना गम्भीर है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया को रोका जाए और इन बड़े अधिकारियों को बचाने की इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाए। क्या प्रोसीजर है, क्या क्वासी, जुडीशियल है, थोड़ा-बहुत मैं भी जानता हूं। लेकिन क्वासी जुडीशियल का मतलब यह नहीं है कि आप 10 साल, 20 साल तक उस मामले को पड़े रखो। इसलिये, माननीय अध्यक्षजी, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि इन मामलों में कब तक आप क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि घोटाले के मामले में सिरोही के पूर्व जिला कलक्टर जी.एस. नरवानी को भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने एक साल की सजा से दण्डित किया है। आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि यह मामला न्यायालय में लम्बित है इसलिए आदेश स्थगित रखा गया है। तो जब वहां से निर्णय हो गया और अगर होई कोर्ट से कोई स्थगन नहीं है तो क्या आप उनके खिलाफ आदेश प्रसारित करेंगे?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो जो भी हाई कोर्ट का आदेश हमारे को मिलेगा, उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : हाई कोर्ट का उनके आदेश पारित करने पर कोई स्टे है क्या आपके पास कि उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जाए?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, आपराधिक प्रकरण संख्या 9/94 न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर द्वारा इस मामले में प्रसंज्ञान 2.12.1997 को लिया गया था जी.एस. नरवानी के खिलाफ। इसके विरुद्ध नरवानी ने हाई कोर्ट में रिवीजन 86/98, प्रस्तुत की। आपराधिक प्रकरण लम्बित होने के कारण जांच कार्यवाही में निर्णय पारित नहीं किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : अब आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है, उसमें हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, एक साल की सजा सुनायी जा चुकी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो आज अखबार में आया है न।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, तो अब आदेश आप जारी करेंगे क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : करेंगे, निश्चित रूप से हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार।

श्री संयम लोढ़ा : हाई–कोर्ट की तो इसमें कोई रोक ही नहीं है। वह तो प्रसंज्ञान के खिलाफ उन्होंने रिवीजन किया है और कोर्ट ने फैसला कर दिया है। तो अब इसमें हाई कोर्ट कहीं बाधा है ही नहीं आपके लिये। प्रसंज्ञान के खिलाफ रिवीजन था वह तो।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है? हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये किसका कह रहे हैं, मैं तो आपराधिक प्रकरण संख्या 9/94 की बात कर रहा हूं। ये या तो नम्बर बताएं कि किस मामले में फैसला हुआ है। इनके खिलाफ, अध्यक्ष महोदय, 2-3 मामले अलग-अलग न्यायालयों में चल रहे हैं, ये किस मामले की बात कर रहे हैं। ये नम्बर बता दें, आपराधिक प्रकरण, संख्या कौनसा है, इस तारीख का है तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह अपील है, या रिवीजन है?

श्री संयम लोढ़ा : यह जानकारी भी आप ही दे दें। क्योंकि माननीय सदस्य ने आई.ए.एस. के खिलाफ सवाल पूछा है तो आपकी जानकारी में निश्चित रूप से यह होगा कि उनके खिलाफ कौन-कौन से मामले हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अन्य प्रकरण है जिसमें उनको सजा मिली है।

एक माननीय सदस्य : यह अपील है, या रिवीजन है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज जो अखबार में मामला आया है जिसमें नरवानी को सजा मिली है वह अन्य प्रकरण है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राज्य सरकार इन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तक इस कार्यवाही का इंतजार कर रही है? आप यह बताइये कि जिन अधिकारियों की आपने सूची दी है उनमें कार्यवाही शुरू होने के बाद कितने रिटायर हो गये? आपने जो सूची दी है वे सारे के सारे रिटायर हो गये और आप इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वे रिटायर हों तब आप फैसला करें। ये रिटायर हो गये। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह हमारी सरकार से आने से पहले कई लोग रिटायर हो गये होंगे। (व्यवधान) हमारी सरकार आने के बाद तो मैंने एक-एक तथ्य आपके सामने रखा है कि कब आरोप पत्र दिया, कब जांच आयी और कब-कब कार्यवाही की गयी।

श्री हरजीराम बुरड़क : सरकार तो सरकार है, पहले और बाद में क्या?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री हरजीराम बुरड़क : रिटायर कितने हो गये इसमें? रिटायर कितने हो गये, यह बताइये आप?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों के बारे में जो व्यवस्था है, उसको पढ़ लीजिए। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री उदय सिंह राठौड़।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में पदोन्नति समिति की बैठकें

91. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के अधीनस्थ, मंत्रालयिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियां विगत वर्षों से नहीं हुई हैं? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करने बाबत

(श्री उदय सिंह राठौड़)

परिपत्र दिनांक 11.2.2000 की विभाग द्वारा परिपालना कर अवहेलना की गयी है? यदि हां, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 1999-2000 से फरवरी, 2002 तक किस-किस किस्म का मुद्रण कार्य किन-किन फर्मों से करवाया गया? सरकार द्वारा उन्हें कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीगण, बातचीत नहीं।

राज्य मंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी (श्री अब्दुल अजीज) : (1) जी हां। यह सही है कि विभाग के अधीनस्थ, मंत्रालयिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियां विगत वर्षों से नहीं हुई हैं क्योंकि सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(3)कार्मिक/क-2/75-1, दिनांक 22.3.1999 के द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन स्वीकृत पदों का परीक्षण/पुनरावलोकन मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त पदोन्नतियां प्रक्रिया अपनाने के निर्देश थे। मंत्रिमण्डल समिति द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का परीक्षण दिनांक 15.9.2000 को हुआ था जिसकी कार्यवाही विवरण पत्र दिनांक 22.01.2001 को जारी किया गया और आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा/अधीनस्थ सेवा के जो पद अन्य विभागों में सृजित थे उनको बनाये रखने के औचित्य पर मंत्रिमण्डल समिति द्वारा सम्बन्धित विभागों के रिव्यू के समय परीक्षण करने का निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में कुछ विभागों से सम्बन्धित केडर स्ट्रेन्थ का परीक्षण नहीं होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हुई। कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प.4(7)कार्मिक/क-2/अ. प/91 दिनांक 10.01.2002 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति के बैठकों के आयोजन पर रोक लगा दी गयी है।

(2) जी नहीं। परिपत्र दिनांक 11.2.2000 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से सम्बन्धित नहीं होकर वरिष्ठता सूची से सम्बन्धित है। उक्त परिपत्र की पालना में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनन्तिम/अन्तिम वरिष्ठता सूचियां प्रकाशित की गई हैं।

(3) विभाग को आबंटित प्रेस राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रण लिमिटेड, जयपुर से विभागीय प्रकाशनों एवं प्रपत्रों का मुद्रण कार्य करवाया गया है। वर्ष 1999-2000 से फरवरी, 2002 तक उक्त मुद्रणालय को विभाग द्वारा 13,86,189/- रुपये मुद्रण एवं 11,50,485/- रुपये कागज हेतु, कुल 25,36,674/- रुपये का भुगतान किया है।

श्री उदय सिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कहा, मैं इस बात से तो सहमत इसलिए नहीं हूं कि मंत्री महोदय ने बताया था कि जो यह पाबंदी थी, कैडर स्ट्रेन्थ रिवाइज करानी थी। रिवाइज के नाम पर पहले तो ऐसे सारे विभागों में उनके कैडर हैं, उन विभागों को इन्होंने लिखा या नहीं लिखा, इसकी जानकारी दें। दूसरे जो मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं या इसी विभाग में सारी कैडर स्ट्रेंथ उनके पास है, उसके बाद में भी पिछले दस साल से इनके निपटारे नहीं किये गये और न ही उनके प्रमोशन किये गये। वे सारे पद खाली पड़े हैं। आज भी वहां काम सफर कर रहा है और आज भी उनकी कोई योजना नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि यह पाबंदी 10 जनवरी को लगी, उससे पहले पाबंदी थी ही नहीं समिति की बैठक की। इनके प्रमोशन करने की नीयत है या नहीं है? और नीयत है तो गवर्नमेंट से परमिशन मांगकर कब तक कर देंगे, यह जानकारी देने का कष्ट करें?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, जहां तक विभाग का उत्तर है वह मैंने पूर्ण इन्हें समझाने की चेष्टा की है। मैं सदन को अवगत कराता हूं कि ये जो पदोन्नतियां होती हैं इसमें कर्मचारियों को लाभ और सरकार पर आर्थिक बोझ का एक प्रश्न निहित है। इस मुद्दे पर प्रयास जारी रहते हैं कि हर पदाधिकारी चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको मौका मिलना चाहिए उसकी पीरियोडिकल सर्विस में उन्नति का और इसके लिए डी.पी.सी. वगैरह की जाती है। उसमें कई कारण से समय लग जाता है। इसमें विलम्ब का कारण यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई अपीलें चल रही हैं और उससे दिशा–निर्देश आने की वजह से राज्य सरकार ने और मंत्रिमण्डल, राजस्थान ने हमें निर्देश दिये कि आप इंटरिम रूप से टेंटेटिव और फाइनल आब्जैक्शन लेकर यह तो कर लें। लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है इसलिए यह डिले हो रहा है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराता हूं कि ज्यों ही सुप्रीम कोर्ट से इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास निर्देश आयेंगे, हम उसकी पालना करेंगे।

श्री उदय सिंह राठौड़ : किस–किस कैडर में पाबंदी है?

श्री अब्दुल अजीज : पाबंदी का जहां तक प्रश्न है, जो आपने प्रश्न पूछा है यह अधीनस्थ, मंत्रालयिक, फोर्थ क्लास, सभी के बारे में है।

श्री मदन दिलावर : पाबंदी सरकार लगाती है या सुप्रीम कोर्ट लगाता है?

श्री उदय सिंह राठौड़ : नहीं, आर.ए.एस. और इन्हीं के हैं, इसमें नान गजेटेड पर तो है ही नहीं अभी।

श्री मदन दिलावर : पाबंदी लगाता कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि यह पाबंदी कौन लगाता है? (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : कोई आपस में एतराज करते हैं मैरिट, डीमैरिट पर, तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब आया ही नहीं, साहब।

श्री उदय सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रमोशन का और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, यह तो पिछले दस साल से इनकी पैंडिंग पड़ी है मंत्रालयिक और इनकी सीनियोरिटी और अब यह कह रहे हैं कि अभी नहीं की गई। न कंफर्मेशन किया गया है और न उनके प्रमोशन की कोई नीयत है। यह कोई टाइम बाउंड बात बताएं कि इतने दिनों में सरकार यह कार्यवाही करना चाहती है। दूसरी बात, उनके कैडर सभी विभागों में हैं, यदि विभाग लिखेंगे ही नहीं या विभाग अपनी स्ट्रेंथ बतायेंगे ही नहीं तो यह करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, उत्तर दो। भूल गये क्या?

श्री अब्दुल अजीज : नहीं, नहीं, समस्त सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। माननीय सदस्य को मैं और समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि राजस्थान राज्य सरकार ने परिपत्र आदेश क्रमांक प.4/2/कार्मिक/क-2/अ/प/91, दिनांक 10 जनवरी, 2000 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध लगा देने से वह काम जो आप चाहते हैं, उस पर रोक लग गई है। जब तक राज्य सरकार इसकी रोक को नहीं हटाएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हो गया काम।

डा. किरोड़ी लाल : यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया है? मंत्रीजी, प्रतिबंध क्यों लगाया है?

श्री उदय सिंह राठौड़ : दस साल तक तो आपने काम नहीं किया, और अब आप राजस्थान सरकार से इस प्रतिबन्ध को हटाकर काम करने की नीयत कर रहे हैं या नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह है क्वेश्चन।

श्री अब्दुल अजीज : मैंने अर्ज किया है कि जो आदेश प्रदान हुआ है मंत्रिमण्डल से, हमारा विभाग इस काम को करेगा। (व्यवधान)

श्री उदय सिंह राठौड़ : नहीं, आप मांग ही नहीं करेंगे तो कहां से होगी? (व्यवधान) आप मांग नहीं करेंगे तो पाबंदी लगा दी, बैठे रहेंगे वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में बोल रहे हैं। मंत्रिमण्डल के सदस्य के रूप में बोल रहे हैं, क्या मंत्रिमण्डल से आदेश पारित होगा? आप तो सरकार के रूप में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रिमण्डलीय उप समिति जब स्वीकृति देगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप तो सीधा कहो कि आप डी.पी.सी. से प्रमोशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हो? हां या ना में जवाब दे दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राठौड़ साहब, आप बैठिए, बीच में नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने अपनी समीक्षा दे दी और डी.पी.सी. करने के लिए डी.ओ.पी. ने प्रतिबंधित कर दिया, वे कारण समझाने थे आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति आपको दी नहीं है। मैंने अनुमति आपको नहीं दी है अभी उनका अनुपूरक प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं दी तो गलती हो गई। हमने सोचा दे दी। गलती हो गई।

श्री अध्यक्ष : फिर भी आपको... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपने टोका नहीं इसलिए बोल गये, साहब।

श्री उदय सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो साल तक पाबंदी नहीं थी तो भी इन्होंने कार्यवाही नहीं की। यह तो 10 जनवरी को पाबंदी लगी है, इससे पहले इन विभागों में इन्होंने क्या-क्या कार्यवाही की? किस-किस विभाग को क्या लिखा? मंत्रिमण्डलीय समिति के सामने कितनी दफे गये? क्यों नहीं हुआ? या तो इनकी कोई कमजोरी रही या यह जवाब नहीं दे पाये या गये नहीं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही ऐसा पेचीदा नहीं है जिसको मुझे समझने में मुश्किल हो या आपको समझाने में मुश्किल हो रही हो। हमने हमारे विभाग की ओर से सभी कर्मचारियों से टेंटेटिव और फाइनल आब्जैक्शन बुलाकर सूची ले ली है अपनी ओर से। लेकिन उसको हम डिक्लेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक मंत्रिमण्डल से हमको आज्ञा नहीं मिलेगी उसको आगे जोड़ने के लिए, काम को करने के लिए। (व्यवधान)

श्री उदय सिंह राठौड़ : नहीं, आप कब तक मंत्रिमण्डल से आज्ञा ले लेंगे?

श्री अब्दुल अजीज : मैं इसके लिए विवश नहीं हूं। मुझे जब भी मंत्रिमण्डल का हुक्म देंगे, मैं उसकी पालना करूंगा। दूसरी बात आपने यह बताई कि हमने... (व्यवधान)

श्री उदय सिंह राठौड़ : को–आपरेटिव से छपाई करवाई, को–आपरेटिव के अलावा और संस्थानों से भी आपने छपाई का काम करवाया। नीलकमल से कराया है करीब डेढ़ लाख का है वह, वह आपने इसमें नहीं दर्शाया है। इसके अलावा इस विभाग की आदत रही है, मेरे पास में 21 संस्थाएं हैं जिनसे आपने खरीद-फरोख्त की। खरीद-फरोख्त में आपने न तो नॉर्म्स अदा किये और जो पाबंदी थी, न टेंडर किये, बिना टेंडर ही आपने खरीद कर ली। इस तरह लाखों की इस विभाग में गड़बड़ हुई है, यह छिपाई गई है। जवाब में भी नहीं दिया गया है। इसके बारे में भी आप जांच करके जवाब देना चाहते हैं क्या?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड संख्या–तीन पर कुछ आपत्ति माननीय सदस्य ने सरकार की कारगुजारी पर लगाई है, विभाग के अधिकारियों पर। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा विभाग सामान्य वित्त और लेखा नियम स्टेार, इतने के नियम 30, एनक्सर ''अ'' के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर से ही सारा काम–काज कराता है। कोई प्राइवेट सैक्टर में पब्लिकेशन नहीं होता है। आपने 1999–2002 तक जो पूछा है हिसाब, उसके हिसाब से पेपर, उक्त मुद्रणालय के विभागीय प्रकाशनों व परिपत्रों का मुद्रण व मुद्रण व कागज का निम्न प्रकार भुगतान किया गया है। अब आप सुनिए, 1999–2000, 32,599 पेपर के अकाउंट में और मुद्रण के लिए एक लाख 69,319 रुपये कुल राशि दो लाख 1,914 रुपये खर्च हुई। यह प्रिंटिंग के लिए बताया गया। 2000–2001 में 2 लाख 23,227 रुपये पेपर पर और मुद्रण पर 9 लाख 16,763 रुपये, कुल राशि 11,39,990 रुपये खर्च हुई। 2001–2002 में 8,94,663 रुपये। मुद्रण पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अनरेलेवेंट बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, समय जाया नहीं हो। इन्होंने पूछा क्या और बोल क्या रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मुद्रण पर 3 लाख 107 रुपये कुल 11,94,770 रुपये।

श्री अध्यक्ष : काफी टाइम ले लिया एक क्वेश्चन के ऊपर। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यूं ही चेप रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : यह पब्लिकेशन... (व्यवधान) आप सुनने की चेष्टा करें। माननीय राठौड़ साहब, सुनने की चेष्टा नहीं करते। (व्यवधान) इसमें तीन बातें हैं, अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग

92. **श्री सांवर लाल (भिनाय) :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1 दिसम्बर, 1998 के बाद राशि उपलब्ध करवायी गयी? यदि हां, तो किस-किस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी?

(2) उक्त किस-किस योजना की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार को कितनी-कितनी राशि और मिलानी थी?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त हिस्सा राशि उपलब्ध करायी? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि?

(4) क्या राज्य सरकार ने उक्त योजनाओं की क्रियान्विति कर दी है? यदि हां, तो उक्त अवधि के बाद कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

(5) क्या राशि का पूर्ण उपयोग न करने के कारण राज्य की राशि की कटौती हुई? यदि नहीं, तो कैसे और हां, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वित्त मंत्रीजी का पोस्टपोन हो गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 92 स्थगित। श्री हरजीराम बुरड़क।

मन्दिर मेंहदीपुर बालाजी (करौली) के ट्रस्ट के विरुद्ध शिकायतें

93. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मेंहदीपुर बालाजी मन्दिर तहसील टोडाभीम, जिला करौली में स्थित है? यदि हां, तो देवस्थान विभाग का उक्त पर नियंत्रण किस प्रकार से व कब से है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मन्दिर के संचालन के लिए ट्रस्ट भी बना हुआ है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त ट्रस्ट की व मन्दिर की सालाना आय कितनी है? गत तीन वर्षों की आय व व्यय के विवरण तथा ट्रस्ट के रजिस्टर्ड विधान व नियमावली की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जनता ने उक्त मन्दिर के संचालन के सम्बन्ध में विभाग व सरकार को शिकायतें की हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी शिकायतें किस-किस प्रकार से कब-कब की तथा सरकार ने उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त मन्दिर के संचालन का कार्य अपने हाथ में लेने का

(श्री हरजीराम बुरड़क)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किन कारणों से और नहीं तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त मन्दिर की मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट है? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) श्री मेंहदीपुर बालाजी मन्दिर, तहसील टोडाभीम, जिला सवाई माधोपुर में स्थित था। राज्य में नवीन जिलों के गठन के फलस्वरूप अब यह मन्दिर दौसा जिले की तहसील सिकराय में स्थित है। उक्त मन्दिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत है। प्रन्यास का पंजीयन 8.3.1966 को हुआ था। उक्त अधिनियम के अध्यक्ष आठ, नौ तथा दस के प्रावधानों के तहत पंजीकृत प्रन्यासों पर विभाग का नियंत्रण रहता है।

(2) जी हां। मन्दिर के संचालन हेतु राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास, अधिनियम, 1959 के तहत ट्रस्ट बना हुआ है जिसका पंजीयन क्रमांक 243 दिनांक 8.3.1966 है। इस मन्दिर प्रन्यास की गत तीन वर्षों की आडिट रिपोर्ट के आधार पर आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-(अनुसूची "क")

वर्ष	आय	व्यय	बचत
1998–1999	1,07,79,272.82	70,45,370.24	37,33,902.58
1999–2000	1,13,66,808.72	87,47,298.72	26,19,510.90
2000–2001	1,96,66,483.38	1,75,13,447.88	21,53,035.50

प्रन्यास के रजिस्टर्ड विधान नियमावली की छाया प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। मन्दिर के संचालन के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार व विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्न है। प्राप्त शिकायतें ट्रस्ट महंत द्वारा प्रन्यास की आय व सम्पदा के दुरुपयोग से सम्बन्धित थी। इन शिकायतों की जांच विभागीय स्तर पर उपायुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर व सहायक आयुक्त (ट्रस्ट), जयपुर से करवाई गयी। जांच रिपोर्टों में इस प्रन्यास से सम्बन्धित निम्न तीन प्रन्यास भी गठित किये पाये गयें हैं, जो निम्न हैं :-

(i) रामदूत सेवक प्रसाद समिति,

(ii) गणेशपुरी स्मृति न्यास,

(iii) मन्दिर श्री सीतारामजी प्रन्यास।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त तथ्यों का परीक्षण राज्य स्तर पर किया जा रहा है। तदुपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

(5) प्राप्त जांच रिपोर्ट जो विचाराधीन है उसमें अंकित तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है, इस ट्रस्ट के खिलाफ 1989 से आज तक 18 शिकायतें इन्होंने मुझे बतायी हैं। 13–14 वर्ष बीतने के बाद भी किसी भी जांच रिपोर्ट में कोई फैसला आपने अभी तक नहीं किया। आपने प्रश्न के भाग एक में यह उत्तर दिया है कि राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण है। राज्य सरकार का नियंत्रण किस सीमा तक है? आप क्या कार्यवाही कर सकते हैं? कार्यवाही कर सकते हैं तो आज तक करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद भी आपने अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की? प्रश्न के भाग चार में आपने कहा है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी तो उसमें किस तरह की शिकायत में क्या–क्या तथ्य पाये गये? इस सम्बन्ध में आप थोड़ा प्रकाश डालें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जैसा कि मैं आपको अभी जवाब में बता चुकी हूं, हमको इस बारे में अधिकार प्राप्त है क्योंकि यह प्रन्यास हमारे सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत रजिस्टर्ड है। उसमें अध्याय–नौ में है हिसाब मांगने का अधिकार, अध्याय–आठ में है जांच करने का अधिकार और अध्याय–दस में है हमको एक्शन करने का अधिकार। ये तीन अधिकार हमको इस अधिनियम के तहत हैं ट्रस्ट के मामले में, क्योंकि यह हमारे यहां रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि हमने कार्यवाही क्यों नहीं की। आप यह जो शिकायतों के बारे में बता रहे हैं, ये सब शिकायतें आपने खुद ही बता दिया कि 1989 से शुरू हुईं और इसकी पहली–पहली जांच जो हुई है वह हमने 1998 में की। उसके बाद दूसरी जांच 2000 को की गयी। इन जांचों को करने जब हमारे उपायुक्त 1998 में गये तो वहां के महन्त ने उनको सहयोग नहीं किया। वह जांच नहीं कर पाये और जांच अधूरी छोड़ कर आ गये। उसके बाद जब हमको उनकी शिकायतें मिलीं तो हमने 24.10.2000 को इनकी जांच करायी, हमारे सहायक आयुक्त से जांच करायी। लेकिन उसमें भी यह पूरी जानकारी नहीं दे पाये। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बारे में एक्शन करने पर विचार कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही इस पर हम कार्यवाही करने का विचार करते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या इन शिकायतों को और जांच रिपोर्टों का जो आपने हवाला दिया है, पहली बात तो आपने दस साल बाद में जांच शुरू की।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हम नहीं थे जब।

श्री हरजीराम बुरड़क : 1989 की शिकायत में आपने अभी जो उत्तर दिया है उसमें कहा है कि 1998 में हमने जांच की। लेकिन जो रिपोर्ट और जो तथ्य आपके पास आये हैं, क्या इस एक्ट के अनुसार आप इस प्रन्यास को भंग करके प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं या करने का विचार रखते हैं या करेंगे?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इस जांच को एक उच्च अधिकार समिति से कराने की घोषणा कर रही हूं मैं आज। मैंने तय कर दिया है, क्योंकि इसमें दोनों ही बार जब हमारे सहायक कमिश्नर गये, आपने पहली बात पूछी कि आपने दस साल क्यों नहीं की? 1998 से पहले के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि दूसरी सरकार थी। लेकिन उसके बाद का मैं जवाब दे रही हूं कि 2000 में हमने जांच की है और पहली जांच 1998 में की गयी है। वह भी दोनों में ही... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, प्रशासक नियुक्त करके आप जांच करिये। जांच भी आसानी से हो जाएगी। उनके सहयोग देने की बात भी नहीं होगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 साल में जांच होने के बाद में रिजल्ट नहीं आया तो उसका रिजल्ट 2014 में आयेगा क्या? जब 1989 में जांच हुई, उसका रिजल्ट 2002 में आया है, पूर्ण जांच हुई नहीं और 2002 में जांच कराओगे तो उसका रिजल्ट 2014 में आएगा। आप का क्या नियंत्रण है, आप क्यों करोगे फिर?

डा. किरोड़ी लाल : आप इसमें प्रशासक नियुक्त करें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : 1 करोड़ 75 लाख रुपये का घोटाला एक-एक साल में करते हैं, आपका नियंत्रण है नहीं और 13 साल में रिजल्ट आया नहीं अभी तक। क्या जांच कराओगे आप? नियंत्रण आप लोगों का इसके ऊपर है?

डा. किरोड़ी लाल : आप इसमें प्रशासक नियुक्त करके जांच करने का इरादा रखती हैं क्या? क्योंकि दो-दो बार आपके जांच अधिकारी गये...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत पुराना है। मैंने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया। लेकिन जब तक प्रशासक नियुक्त करके इसकी जांच नहीं होगी, उसके हाथ बड़े लम्बे हैं, अगर उच्चाधिकारी वर्ग की एक कमेटी बना

(श्री जनार्दन गहलोत)

कर नहीं भेजी जाएगी, इसकी जांच होने ही नहीं देंगे।

श्री श्रवण कुमार : लम्बे हाथ हैं तो नहीं करवा सकते। इसलिए पहले प्रशासक नियुक्त करें। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी जांच करवाने से पहले आपको प्रशासक नियुक्त करना ही पड़ेगा। अगर आपने प्रशासक नियुक्त नहीं किया तो वह महन्त आपको जांच नहीं करने देगा। (व्यवधान) 1989 की जांच 2002 में पूर्ण नहीं होने दी इसके बावजूद अगर 2002 में प्रशासक नियुक्त नहीं करोगे तो आपकी जांच पूर्ण नहीं होगी।

(12.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रशासक नियुक्त करके जांच की घोषणा कर रही हैं क्या?

डा. किरोड़ी लाल : आप प्रशासक नियुक्त करेंगी क्या, मंत्री महोदया? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : जब तक प्रशासक नियुक्त नहीं करोगे, माननीय मंत्री महोदया, घोषणा करो कि आज प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कोई भी अधिकारी जाएगा, मैनेज कर लेता है वह। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रीजी घोषणा करें कि इस मन्दिर के प्रशासक की आज ही नियुक्ति कर दी जाएगी और उसकी जांच प्रशासक नियुक्त करने के बाद ही करवायी जाएगी। अगर महन्त की जांच कराएंगे तो महन्त जांच पूर्ण नहीं होने देगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा, एक उच्च स्तरीय कमेटी नियुक्त कर रहे हैं और एक महीने के अन्दर जांच करने के लिए आदेश दिया जा रहा है। अगर कमेटी के द्वारा वहां बहुत अनियमितताएं पायी जाएंगी तो जो भी जरूर होगा किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप प्रशासक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? (व्यवधान)... ...आप घोषणा करो न। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** आप प्रशासक नियुक्त कर रही हैं या नहीं?

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) **:** अध्यक्ष महोदय, जब 13 साल में जांच नहीं हो पायी है अब क्या होगा? मंत्री महोदया से निवेदन है कि प्रशासक नियुक्त करके ही निष्पक्ष जांच करवायी जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। क्वेश्चन आवर समाप्त।

श्री श्रवण कुमार : अगर जांच नहीं करवा रहे हो प्रशासक लगा कर... (व्यवधान) मिलीभगत हो सकती है इसके अन्दर।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर इज ओवर प्रश्नकाल समाप्त।

श्री श्रवण कुमार : क्वेश्चन भी ओवर हो गया और उसकी जांच भी ओवर हो गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमारजी, बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त। भरोसी लालजी, आप भी बैठिये।

श्री भरोसी लाल : बैठ गया, साहब। जांच हो ही नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, आर्डर। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को डांट पिलाओ जरा।

डा. किरोड़ी लाल : खेल मंत्रीजी डिसआर्डर कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी भी आप ध्यान नहीं दे रहे, अध्यक्ष महोदय, आपने दो बार पुकार दिया फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं यह।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर निगम जयपुर को देय मनोरंजन कर की राशि

152. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत दो वर्षों में नगर-निगम, जयपुर को मनोरंजन कर की कितनी राशि का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

विगत दो वर्षों में नगर निगम, जयपुर को मनोरंजन कर के प्रति किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वर्ष 1999-2000 में मनोरंजन कर की राशि का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया था।

जयपुर में अचल सम्पत्ति के विक्रय पर रोक

153. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक द्वारा हिन्दू समुदाय के व्यक्तियों को मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति विक्रय करने के लिए जयपुर में प्रतिबंध लगा दिया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) जयपुर में बार-बार उक्त प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार को शिकायती पत्र प्राप्त हुये? शिकायत करने वालों के नामों, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर में विक्रय पत्रों की जांच करने हेतु पुलिस को लिखा जाता है? क्या पुलिस द्वारा जनता को डराने-धमकाने के पीछे लोगों के अधिकारों का हनन है? क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा हिन्दू समुदाय के व्यक्तियों द्वारा मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति विक्रय करने के लिए जयपुर में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(2) जयपुर नगर में अचल सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। न ही इस विभाग को इस सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा जयपुर में विक्रय पत्रों की जांच करने हेतु पुलिस को नहीं लिखा गया है।

समूह ठेका नीति में परिवर्तन

154. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या शराब के ठेके समूह के बजाय प्रत्येक दुकानवाइज दिया जावे तो अधिक आय होगी? यदि हां, तो समूहों के रूप में ठेके क्यों दिये जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार ने उक्त विषय में कभी विचार किया है? यदि हां, तो विचार का क्या परिणाम रहा है?

(3) क्या सरकार ने कभी इस पर भी विचार किया है कि समूहों में ठेके देने के कारण राज्य में अपराध गिरोह पनप रहा है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कदम उठाये और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा शराब के ठेके निर्धारित समूहों में ही उठवाये जाने का नीतिगत निर्णय सोच-विचार कर लिया गया है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में भलीभांति विचार किया जाकर ही एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत ही निर्धारित समूहों में आबकारी ठेके दिये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

(वित्त मंत्री)

(3) इस सम्बन्ध में समय-समय पर विचार किया जाता रहा है। समूहों में ठेके देने से राज्य में अपराध गिरोह पनपने का कोई सम्बन्ध स्थापित होने सम्बन्धी कोई तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

अतिरिक्त आयुक्त (करापवंचन) का पदस्थापन

155. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (करापवंचन) श्री रोहित कुमार सिंह के स्थान पर श्री संजय दीक्षित को पदस्थापित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्री संजय दीक्षित को अतिरिक्त आयुक्त बिक्री कर पर लगाये जाने के आदेश जारी किये गये हैं? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बिक्री कर आयुक्त की सिफारिश पर वित्त विभाग ने फेर बदल कर श्री रोहित कुमार सिंह को हटाकर उसके स्थान पर श्री संजय दीक्षित को लगाया है? यदि हां, तो आयुक्त की अनुशंसा की प्रति तथा वित्त विभाग की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण में दोषी बिक्रीकर आयुक्त एवं वित्त विभाग के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। कार्मिक (क-1) विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 6 के अन्तर्गत आयुक्त वाणिज्यिक कर को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन करने का अधिकार प्राप्त है। उसी नियम के अन्तर्गत आयुक्त द्वारा श्री संजय दीक्षित एवं श्री रोहित कुमार सिंह के मध्य कार्य का विभाजन किया गया है। वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा कार्य विभाजन का अनुमोदन किया जा चुका है।

(4) बिक्री कर आयुक्त एवं वित्त विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है अत: उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का औचित्य ही नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

जिला कलक्टर बूंदी के अधीन राजकीय आवासों का नियम विरुद्ध आबंटन

156. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजकीय कर्मियों को राजकीय आवास आबंटन के कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो तत्संदर्भित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कलक्टर बूंदी के अधीन वर्तमान में कितने-कितने आवास किस-किस श्रेणी के उपलब्ध हैं? उक्त आवास वर्तमान में कौन-कौन से राज्यकर्मी को कब-कब से आबंटित हैं तथा उसकी आवेदन पत्र तिथि क्या-क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कितने व किन-किन के मामले कब-कब से क्यों लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन द्वारा नियमों की अनदेखी कर बिना प्रायोरिटी के ही राज्य कर्मियों को अनियमित आवास आबंटित किये हैं? क्या सरकार उक्त की जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) जिला बूंदी में वर्ष 1994 के ऐसे कितने मामले क्यों विचाराधीन हैं? क्या यह सही है कि वर्ष 1994 के पश्चात् के कर्मियों को नियम विरुद्ध आवास आबंटित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है?

(6) अब कब तक विचाराधीन कर्मियों को राजकीय आवास आबंटित कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। नियम की प्रति संलग्न हैं।

(2) जिला कलक्टर, बूंदी के अधीन बूंदी मुख्यालय पर कुल 96 राजकीय आवास गृह हैं। जिनमें 4 प्रथम श्रेणी, 4 द्वितीय श्रेणी के, 24 तृतीय श्रेणी के, 32 चतुर्थ श्रेणी के व 32 पंचम श्रेणी के आवास गृह हैं। वर्तमान में उक्त आवासगृहों में निवास करने वाले राज्यकर्मियों की सूचना व उनके आवेदन की तिथि संलग्न सूची में अंकित है।

(3) वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्रों की सूची संलग्न है। लम्बित होने का कारण आवासगृहों की अनुपलब्धता है।

(4) नहीं। बूंदी मुख्यालय पर राजकीय आवास गृह मात्र 96 ही हैं, आवासगृहों की कमी के कारण जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारी/अधिकारी की आवश्यक सेवाओं, पारिवारिक परिस्थितियों तथा चुनाव, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था आदि के दौरान 24 घंटे सेवाओं को दृष्टिगत

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

रखकर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवासगृहों का आबंटन किया गया है। इस आबंटन के संदर्भ में न कोई परिवेदना ही प्राप्त हुई है इसलिए किसी भी तरह की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

(5) वर्ष 1994 के लम्बित कुल 8 आवेदन विचाराधीन हैं। वर्ष 1994 के पश्चात् के आवेदक राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास आबंटन किये गये हैं। प्रशासनिक दृष्टि से एवं उनकी आवश्यक सेवाओं को मद्दे नजर रख कर किये गये हैं।

(6) विचाराधीन कर्मियों को आवास गृहों का आबंटन रिक्त आवासगृह की उपलब्धता पर ही किया जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चित्तौड़गढ़ सम्मानित नागरिक

157. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1998-99 से 2001-2002 तक चित्तौड़गढ़ जिले के किन-किन व्यक्तियों को राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर अब तक सम्मानित किया गया है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

(अ) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ की सूचना परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न की जा रही है।

(ब) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, जयपुर की सूचना परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का चयन

158. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में किस-किस व्यक्ति का चयन हुआ? चयनित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थाई पता, जाति की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में जिन व्यक्तियों का चयन हुआ है, चयनित व्यक्तियों का नाम, पिता का नाम, स्थाई पता, जाति की जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

शासन सचिवालय में शीघ्रलिपिकों के रिक्त पद

159. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सचिवालय में अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिक के कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों को कब तक विज्ञापित कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 तक अधीनस्थ कार्यालयों में 98 पद रिक्त थे और उक्त पदों को विज्ञापित किये जाने पर वित्त विभाग ने रोक लगा दी थी? यदि हां, तो अब वित्त विभाग से रोक हटाने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी?

(3) क्या वर्ष 1998 के बाद उक्त पद समाप्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

(4) क्या यह सही है कि शीघ्रलिपिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में शीघ्रलिपिक विषय की परीक्षा से पूर्व हिन्दी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं दैनिक विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी? यदि हां, तो इतने विस्तृत पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता व उपयोगिता है?

(5) क्या शीघ्रलिपिक परीक्षा के अंतिम चरण में ऐसे अभ्यर्थी नहीं पहुंच जायेंगे जिन्हें शीघ्रलिपि का ज्ञान ही न हो? यदि हां, तो ऐसे अभ्यर्थियों को रोकने हेतु प्रथम चरण में शीघ्रलिपिक परीक्षा आयोजित करने या उक्त पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने हेतु क्या कोई संशोधन प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शासन सचिवालय में 11 शीघ्रलिपिकों के पद रिक्त हैं। अधीनस्थ कार्यालयों में शीघ्रलिपिकों के 66 रिक्त पदों की अर्थना भिन्न-भिन्न विभागाध्यक्षों/विभागों से प्राप्त हुई है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को विज्ञापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) अधीनस्थ कार्यालयों में 98 पद रिक्त थे। पदों को विज्ञापित करने पर रोक नहीं है अपितु कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर पदों को भरने के निर्देश हैं।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) जी हां। नवीन पाठ्यक्रम राज. लोक सेवा आयोग एवं उच्च स्तर पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात् ही लागू किया गया है। प्रत्येक अभ्यर्थी से हिन्दी, अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान विषयों में जानकारी अपेक्षित है। यह पाठ्यक्रम मात्र सेकेण्डरी परीक्षा स्तर का ही रखा गया है।

(5) जी नहीं। जिन अभ्यर्थियों को शीघ्रलिपि का ज्ञान ही नहीं है वे प्रथम तो परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं करेंगे और यदि उन्होंने आवेदन किया भी तो वैकल्पिक विषय की परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं कर सकेंगे।

शासन सचिवालय में पदस्थापित दैनिक वेतन भोगी कर्मी

160. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय में वर्तमान में विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मी/वाहन चालकों को सम्विदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के रूप में पदस्थापित कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस विभाग में कब-कब से एवं किस आधार पर? कार्यरत कर्मियों के नाम, पिता का नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मियों में से कतिपय कर्मियों ने न्यायालय में भी वाद दायर कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस ने? वाद दायर करने वाले कर्मियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शासन सचिवालय में सीधे किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वाहन चालक को दैनिक वेतन/सम्विदा पर रखा हुआ नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्तर का कार्य करने हेतु ठेकेदार के माध्यम से श्रमिकों की सेवाएं ली जा रही हैं। कार्यभार एवं आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों में कार्य लिया जाता है। राज्य सरकार का इनसे सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(2) जी हां। ठेका श्रमिकों द्वारा न्यायालय में दायर याचिकाओं/वादों एवं याचीगण/वादीगण की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दीगोद का भू-जल स्तर

161. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दीगोद में तेजी से गिरते भू-जल स्तर को रोकने का कोई प्रयास कर रही है? यदि नहीं तो, क्यों?

(2) क्या भविष्य में किसानों के ट्यूबवैल सूखने का खतरा है? क्या इससे किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पायेगा?

(3) उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण क्षेत्र के ट्यूबवैल व कुओं की जल क्षमता में कमी तथा इनके सूखने की सम्भावना रहती है।

(3) उक्त सम्बन्ध में जल प्रबन्धन क्षेत्र के नीतिगत निर्णयों एवं कार्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा, "राजीव गांधी जल

(भू-जल मंत्री)

प्रबंधन मिशन" का गठन किया गया है। राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा सतही जल के उपयोग हेतु गठित जिला स्तरीय तथा पंचायत समिति स्तरीय समन्वय समितियों के द्वारा इस सम्बन्ध में "जल क्षेत्र पुन:संरचना" नाम से कार्य योजना तैयार कर, दीगोद विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 390 वाटर हारवेस्टिंग कार्यों को चिन्हित किया गया है जिनसे भू-जल का पुनर्भरण सम्भव है। इन कार्यों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहायता विभाग या अन्य विभाग से वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दीगोद विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के द्वारा कुल 38 वाटर हारवेस्टिंग स्ट्क्चर्स के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन सभी कार्यों के द्वारा भू-जल का पुनर्भरण सम्भव है। कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

पंचायत समिति कुचामन सिटी (नागौर) में प्रशासन गांवों के संग के दौरान भूमि आबंटन

162. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर क्षेत्र में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 के अन्तर्गत किस-किस पंचायत को जनउपयोगी प्रयोजन हेतु किस-किस काम के लिए कितनी-कितनी व किस-किस खसरे की भूमि का आबंटन व आरक्षण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के अन्तर्गत किस-किस पंचायत में किस-किस व्यक्ति का रास्तों के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त हुआ व उक्त से किस-किस का निस्तारण हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान के अन्तर्गत क्या किसी पंचायत को पूर्व में आबंटित भूमि का भौतिक सत्यापन किया गया?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर कार्यालय में प्रशासन गांव के संग अभियान में पंचायत समिति कुचामन सिटी के 55 ग्राम पंचायत के 82 प्रकरण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन/आरक्षण के प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

(2) पंचायत समिति कुचामन सिटी क्षेत्र में उक्त अभियान के दौरान रास्तों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण तथा उनमें किये गये निस्तारण सम्बन्धी विवरण की सूची परिशिष्ट-"ए" संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(3) पूर्व में आबंटित भूमि के भौतिक सत्यापन की मांग का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: पूर्व में आबंटित भूमि के भौतिक सत्यापन का विवरण शून्य है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसीलदार महुवा (दौसा) द्वारा दर्ज मुकदमा

163. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) दौसा ने तहसीलदार महुवा को अपने पत्रांक 2002/110 दिनांक 9.1.2002 के द्वारा दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो तहसीलदार महुवा द्वारा कब मुकदमा दर्ज कराया गया? मुकदमे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर (भू.अ.) दौसा ने तहसीलदार महवा को पत्र क्रमांक भू.अ./ रिकार्ड/2002 109 दिनांक 9.1.2002 से दोषियों के विरुद्ध आई.पी.सी. के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे। तहसीलदार महवा ने पुलिस थाना महुवा में आई.पी.सी. की धारा 166, 167 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. संख्या 71/2002 दिनांक 18.3.2002 दर्ज करवाई है। एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है।

(2) प्रकरण में पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जो जैर तफतीस है। अनुसंधानोपरान्त दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

भूतपूर्व राजाओं की अवाप्त भूमि

164. **श्री अमराराम** (धोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के भूतपूर्व राजाओं को सीलिंग कानून से मुक्त रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब तक राज्य में सीलिंग कानून के तहत कितनी भूमि राज्य ने अवाप्त की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक भूतपूर्व राजाओं से कितनी भूमि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अब तक राज्य में सीलिंग कानून के तहत कुल 527343.92 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(3) भूतपूर्व राजाओं से सीलिंग कानून में अब तक कुल 16137.57 एकड़ भूमि अवाप्त की है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

राजस्थान तहसीलवार सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का चयन

165. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान तहसीलदार सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में किस-किस व्यक्ति का चयन हुआ? चयनित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थाई पता, जाति की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान तहसीलदार सेवा में वर्ष 1997-98, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 में अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित व्यक्तियों के नाम, पिता के नाम, स्थाई पता, जाति मय जिला की सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है। वर्ष 1998-99 में किसी भी कार्मिक की नियुक्ति नहीं होती गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जिला अलवर के मन्दिरों के नाम दर्ज भूमि

166. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में ऐसे कुल कितने मंदिर हैं जिनके नाम राजस्व खाते में जमीन दर्ज है? उक्त में से किस-किस मन्दिर के नाम कितनी जमीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुजारियों ने उक्त जमीन अपने स्वयं के नाम करवा कर बेच डाली है या सरकार के कब्जे में है?

(3) क्या सरकार उक्त जमीन को मुक्त करवायेगी तथा जमीन बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 440 ग्रामों में 491 मंदिर हैं। जिनके नाम राजस्व खाते में जमीन दर्ज है। इन मंदिरों के नाम 8343 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो तहसीलवार, मंदिरवार परिशिष्ट ''अ'' में संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। पुजारियों द्वारा मंदिर के नाम जमीन को अपने नाम नहीं कराया गया है। जिस कारण किसी जमीन का बेचान नहीं हुआ है तथा उक्त जमीन मूर्ति मंदिर के नाम ही दर्ज है।

(3) उक्त सभी भूमि मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भूतपूर्व जागीरदारों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भू-आबंटन

167. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भूतपूर्व जागीरदारों की सीलिंग में भूमि अधिग्रहण के पश्चात् भूमि आबंटन करने के क्या नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसी जागीरदार को आबंटित भूमि का एक साथ कब्जा नहीं दिये जाने पर शेष भूमि का कब्जा देते समय पूर्व में आबंटित भूमि की जांच की जाती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(3) सीलिंग अधिनियम, 1961 के तहत शेष आवंटित भूमि का कब्जा किस नियम के तहत नहीं दिया जा सकता है? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उप शासन सचिव (ग्रुप-6) राजस्व के पत्रांक एफ. 8(2) राज/4/2001 दिनांक 2.8.2001 के सन्दर्भ में क्या जिला कलक्टर, जागीर जयपुर ने पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच कर ली है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? जांच की रिपोर्ट/जांच नहीं करने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राजस्व (ग्रुप-6) द्वारा पत्र संख्या : 8(9)राज/4/2000 दिनांक 30.9.2000 के अनुसार भूतपूर्व जागीरदारों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आबंटित करने हेतु जिला कलक्टरों को कोई आदेश/परिपत्र/निदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कब? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उप शासन सचिव (ग्रुप-6) के पत्रांक प. 8(2) राज/4/2000 दिनांक 8.5.2001 के संदर्भ में जिला कलक्टर जागीर जयपुर द्वारा लिखे गये पत्र के संदर्भ में उप शासन सचिव (ग्रुप-6) राजस्व द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्व जागीरदार को शेष भूमि का कब्जा क्यें नहीं दिया गया जबकि जिला कलक्टर जागीर द्वारा अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि उन्हें इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि आबंटित की जा सकती है?

उत्तर

(1) भूतपूर्व जागीरदारों की सीलिंग में भूमि अधिग्रहण के पश्चात् अन्य अधिघोषित एवं अधिग्रहीत भूमि के अनुसार ही राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 17 के अन्तर्गत आबंटन का प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट–1 संलग्न है।

(2) जी हां। अन्य सामान्य आबंटन की भांति ही जागीरदार को भी यदि सम्पूर्ण आबंटित भूमि का कब्जा एक साथ नहीं दिया गया है एवं बहुत लम्बे समय के बाद यदि कब्जा देने का प्रकरण प्रस्तुत होता है तो कब्जा दिये जाने से पूर्व जांच किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। जिससे यह जानकारी हो सके कि आबंटी के पास अतिरिक्त भूमि का कब्जा दिये जाने से उसकी कुल भूमि सीलिंग सीमा से अधिक तो नहीं हो जाती है।

(3) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा–4 के अन्तर्गत विहित निर्धारित सीमा से अधिक भूमि धारण नहीं की जा सकती है और ना ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि का कब्जा दिया जा सकता है। परिशिष्ट–2 संलग्न है।

(4) जी हां। उप शासन सचिव (ग्रुप–6) राजस्व के पत्रांक एफ. 8(2) राज/4/2001 दिनांक 2.8.2001 के संदर्भ में जिला कलक्टर द्वारा जांच कर प्रतिवेदन उनके पत्र क्रमांक जागीर/2001/133 दिनांक 27.8.2001 भेजा है जिसके अनुसार भूतपूर्व जागीरदार श्री कस्तूर चन्द को 97 बीघा 3 बिस्वा भूमि आबंटित की थी जिसका नामान्तरण संख्या 58 दिनांक 5.4.1961 को स्वीकृत किया तथा आबंटी को खातेदारी एवं कब्जा दे दिया गया। उक्त जागीरदार ने उन्हें आबंटित खातेदारी की भूमि 97 बीघा 3 बिस्वा को विक्रय कर दिया एवं सीलिंग अधिनियम के लागू होने से प्रार्थी को शेष 42 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता। जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 27.8.2001 की प्रति परिशिष्ट–3 संलग्न है।

(5) जी हां। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ.5 8(5) राज/4/2000 दिनांक 30.9.2000 उप निवेशन आयुक्त, बीकानेर को जारी किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में द्वितीय चरण में खुदकाश्त हेतु आबंटन के लिए भूमि आरक्षित करने एवं नियमानुसार आबंटन निःशुल्क करने हेतु निर्देश दिये हैं। पत्र की प्रति परिशिष्ट–4 संलग्न है।

(6) उप शासन सचिव (ग्रुप–6) के पत्रांक प.8(2) राज/4/2001 दिनांक 8.5.2001 के संदर्भ में जिला कलक्टर, जागीर जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक जागीर/60 दिनांक 4.7.2001 को भेजा गया। इस पत्र के संदर्भ में उप शासन सचिव

(राजस्व मंत्री)

(ग्रुप–6) के पत्र क्रमांक प.8(2) राज/4/2001 दिनांक 2.8.2001 द्वारा जिला कलक्टर जयपुर से प्रकरण में कतिपय सूचना चाही गई थी। उक्त पत्र के संदर्भ में जिला कलक्टर द्वारा पुनः पत्र दिनांक 27.8.2001 भेजा गया, जो बिन्दु संख्या–4 में परिशिष्ट–3 संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुवारडी पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) में आबंटित भूमि का इन्द्राज

168. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुवारडी पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) को आबंटित की गई भूमि खसरा नं. 453/1 रकबा 78–4–00 बिस्वा पहाड़ सिवाय चक भूमि में से 03–03–00 बीघा आबंटित की गई थीं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुवारडी को आबंटित भूमि का इन्द्राज विद्यालय के पक्ष में नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में क्यों नहीं किया गया और अब कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त आबंटित भूमि का राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुवारडी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 4.1.2001 को स्वीकार किया जाकर इसका अंकन राजस्व अभिलेख में दिनांक 6.1.2001 को किया जा चुका है।

ग्राम पंचायत घिनोई (जयपुर) का नामान्तरकरण प्रकरण

169. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10 सितम्बर, 1972 को ग्राम पंचायत घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में श्री नानगा भूरा पुत्र श्री भैरूं के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नामान्तरकरण हेतु श्री नानगा भूरा ने एक वाद पत्र पंचायत में प्रस्तुत किया था कि खसरा नं. 196 बारानी 3 पर श्री भोमारूडा बलाई का मौके पर कब्जा है और इस कब्जे पर हमें कोई परेशानी नहीं है? यदि हां, तो उक्त प्रस्तुत वाद पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वाद पत्र काफी पुराना (1972 का) होने के कारण पंचायत द्वारा रेकार्ड तलाश किया जा रहा है।

सहायक कृषि अधिकारी झालावाड़ के विरुद्ध लम्बित जांच

170. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्व सेवा नियम के तहत किये गये आरोपों के तहत नियम 16 सी.सी.ए. की जांच के लिए सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में कतिपय सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध भी आर.एस.आर. के नियम 16 सी.सी.ए. के तहत जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध? उक्त जांच में जांच अधिकारी कौन है तथा जांच में अब तक क्या प्रगति रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी हरमाड़ा (जयपुर) हाल सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार, झालावाड़ के विरुद्ध भी उक्त जांच कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? उक्त जांच में अब तक क्या प्रगति रही? अब कब तक जांच पूरी की जाकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी?

उत्तर

(1) जी हां। सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत जांच पूर्ण करने हेतु छह माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जांच कार्यवाही दिनांक 24.3.2001 से जारी है। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट दिनांक 4.3.2002 को प्राप्त हो गई है। अब आरोपी से जांच रिपोर्ट पर अभ्यावेदन मांगने के पश्चात् व्यक्तिगत सुनवाई कर निर्णय किया जावेगा। जांच शीघ्र ही पूर्ण की जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

कृषि विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक का बकाया वेतन

171. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक का माह अक्टूबर, 2001 का वेतन 5 माह व्यतीत होने पर भी नहीं बनाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(2) उक्त वेतन के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण सहायक निदेशक, उद्यान, अलवर से उप निदेशक, कृषि (वि०), अलवर से कार्यालय में किये जाने के उपरांत इनको अपनी उपस्थिति उप निदेशक, कृषि (वि०), अलवर कार्यालय में देनी थी, परन्तु इन्होंने वहां अपनी उपस्थिति नहीं दी, जिसके कारण माह अक्टूबर, 2001 का वेतन आहरण नहीं किया जा सका।

(2) अक्टूबर, 2001 का वेतन सहायक निदेशक, उद्यान, अलवर के कार्यालय से आहरण करने की स्वीकृति जारी कर दी गई।

किसानों को देय अनुदान

172. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो यह अनुदान किस-किस कृषि प्रयोजन के लिए दिया जाता है? विगत तीन वर्षों में जिलेवार कितना-कितना अनुदान किस प्रयोजन के लिए दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह अनुदान कृषकों को मुख्य रूप से फव्वारा सैट्स, सिंचाई पाइप लाइन, डिग्गी, पौध संरक्षण यंत्र, पौध संरक्षण दवाइयां, जिप्सम, फसल प्रदर्शन, चारा प्रदर्शन, बीज उत्पादन, कल्चर पैकेट्स, सूक्ष्म तत्व प्रदर्शन कृषि यंत्र एवं ट्रेक्टर्स तथा उद्यानिकी विकास हेतु फल एवं सब्जी प्रदर्शन, उत्पादन, औषधीय एवं सुगंधित फसलें, फूलों की खेती, कृषि में प्लास्टिक का उपयोग (बूंद-बूंद सिंचाई योजना), मसाला विकास कार्यक्रम, फलदार पौधों का उत्पादन एवं वितरण, पौध संरक्षण रसायन, मधुमक्खी पालन तथा शुष्क क्षेत्रों में फलों का समेकित विकास पर दिया जा रहा है। जिलेवार तीन वर्षों में दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जयपुर शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावट

173. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत वर्ष जयपुर शहर में दूध, पशुआहार, घी, आटा एवं खाद्य तेल और विभिन्न खाद्य सामग्रियों के कितने प्रकरण मिलावट के पुलिस एवं विभाग द्वारा पकड़े गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) उक्त विभिन्न प्रकरणों में किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा क्या-क्या सामग्री जब्त की गई? उक्त में से कितनों का चालान न्यायालय में पेश किया गया तथा कितने प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा दिलाई गई?

उत्तर

(1) गत वर्ष जयपुर शहर में दूध, घी, आटा, खाद्य तेल एवं विभिन्न खाद्य सामग्रियों के पुलिस विभाग द्वारा 13 एवं चिकित्सा विभाग द्वारा 52 मिलावटी प्रकरण पकड़े गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

वस्तु का नाम	पकड़े गये मिलावटी प्रकरणों की संख्या
पुलिस विभाग	
मसाले	6
घी	7
चिकित्सा विभाग	
दूध	4
घी	11
खाद्य तेल	4
दही	1
आईसक्रीम	2
मसाले	28
आईसकेण्डी	1
मिनरल वाटर	1

(2) पुलिस विभाग द्वारा पकड़े गये प्रकरणों में मुल्जिम बनाये गये व्यक्तियों के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। चिकित्सा विभाग द्वारा पी.एफ.ए. एक्ट 1954 में गिरफ्तार किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 2001 में कोई माल जब्त नहीं किया गया। पुलिस विभाग द्वारा पकड़े गए प्रकरणों में से 6 केसों में चार्जशीट दी गई एवं 7 में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। चिकित्सा विभाग द्वारा चालान न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। अभी तक किसी भी मुल्जिम को न्यायालय द्वारा सजा होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जिला पाली के राजस्व ग्रामों में ए.एन.एम. के रिक्त पद

174. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की तहसील रायपुर व सोजत के किन-किन राजस्व गांवों में ए.एन.एम. सेन्टर खुले हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त सब सेन्टरों में किन-किन सेन्टरों पर ए.एन.एम. के पद कब से रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों पर पद स्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं? अब कब तक

(श्री हीरासिंह चौहान)

उक्त रिक्त पदों को भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली की तहसील रायपुर एवं सोजत में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। उक्त तहसीलों में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के रिक्त पदों का विवरण रिक्त अवधि सहित निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	उपकेन्द्र का नाम	रिक्ति की अवधि
1.	रायलाकलां	जून 1998
2.	खोडिया	जुलाई 2000
3.	चौपड़ा	जून 2001
4.	सोडपुर	अप्रैल 1998
5.	कालबखुर्द	जून 1998
6.	रेलडा	अगस्त 1998

(2) वर्तमान में नई भर्ती पर कार्मिक एवं वित्त विभाग की रोक होने के कारण रिक्त पदों पर नियमित भर्ती नहीं की जा रही है। वित्त विभाग ने अत्यन्त आवश्यक कार्य हेतु सीमित संख्या में समेकित वेतन पर ए.एन.एम. भर्ती हेतु अनुमति दी थी जिन्हें ले लिया गया है। वित्त विभाग को खाली पदों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति हेतु निवेदन किया गया है और अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही भरा जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से सहायता

175. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से अब तक कितने लोगों को लाभान्वित किया गया व इसमें कितनी राशि की सहायता जारी की गई? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में अब तक कितने लोगों को मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से सहायता प्रदान की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कोष से दी जाने वाली सहायता राशि की पात्रता एवं स्वीकृति के अधिकारों को जिला स्तर के अधिकारी को दिये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत गरीबी की रेखा नीचे जीवनयापन करने वाले 899 व्यक्तियों को गम्भीर एवं असाध्य रोगों के इलाज हेतु 550.65 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गयी है। सहायता की सूची संलग्न है। परिशिष्ट "अ"।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) गंगानगर जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 11 व्यक्तियों को इलाज हेतु 5.87 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गयी है। सूची संलग्न है। परिशिष्ट "ब"।

(3) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रेफरल हास्पिटल बानसूर की सुविधा में वृद्धि

176. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रेफरल हास्पिटल बानसूर में कितनी शैय्याएं कब से स्वीकृत हैं?

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में और शैय्याएं बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 से 30 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में शैय्याओं में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बानसूर में शैय्याएं बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की एम.आर.आई. मशीन

177. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में एम. आर. आई. मशीन नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में वर्ष 2002-2003 में नई उक्त मशीन लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो मरीज उक्त चिकित्सालय में भर्ती हैं उनको मशीन के अभाव में इधर-उधर घूमना पड़ता है? यदि हां, तो इसके समाधान हेतु अब तक सरकार ने क्या किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चिकित्सालय में और भी कई जांचें नहीं होती जिसके कारण मरीजों को बाजार से करवानी पड़ती है? क्या सरकार वर्ष 2002-2003 में और भी ऐसी जांचों की मशीने लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इस महाविद्यालय के संलग्न सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एम.आर. आई. मशीन नहीं है तथा वर्ष 2002-2003 में कोई बजट प्रावधान नहीं है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण वर्तमान में मशीन लगाया जाना सम्भव नहीं है आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह मशीन क्रय करने का प्रस्ताव शामिल है।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अधिकतर जांचें हो जाती हैं।

जिला बाड़मेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

178. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने चिकित्सकों, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में निम्नांकित चिकित्सकों के पद रिक्त हैं :-

पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
वरिष्ठ विशेषज्ञ	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ	17
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	7
चिकित्सा अधिकारी	13
कुल	38

(2) वरिष्ठ विशेषज्ञों, कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरा जा सकेगा तथा चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव होगा तब तक अनुबन्ध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता

179. **श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में दिनांक 31.12.2001 को नियोजित कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या क्या है?

(2) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने बेरोजगार डाक्टर, इंजीनियर, स्नातकोत्तर, स्नातक, मैट्रिक व नॉन मैट्रिक हैं? अलग-अलग संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(3) क्या राज्य सरकार उक्त पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 31.12.2001 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 769913 थी।

(2) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से 530330 बेरोजगार डाक्टर, इंजीनियर, स्नातकोत्तर, स्नातक, मैट्रिक व नॉन-मैट्रिक थे। अलग-अलग संख्या विवरण निम्नानुसार है :-

डाक्टर	2767
डिग्रीधारी इंजीनियर	3895
डिप्लोमाधारी इंजीनियर	5046
स्नातकोत्तर	19,586
स्नातक	1,43,354
मैट्रिक	1,96,586
नॉन-मैट्रिक	1,59,096

(3) जी हां। सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रयासरत है। राज्य में सरकार राजकीय संस्थाओं, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रिक्त पदों के विरुद्ध रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्य मंत्री रोजगार योजना आदि योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) जी नहीं।

उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम बाटडानाऊ (सीकर) में रिक्त पद

180. श्री भंवरू खान (फतेहपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम बाटडानाऊ, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में उच्च माध्यमिक विद्यालय कब से है तथा वहां कितने अध्यापक/कर्मी पदस्थापित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त विद्यालय में शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौनसी वेतन श्रृंखला का पद है? क्या वहां छात्रों की संख्या अत्यधिक होने पर तृतीय वेतन श्रृंखला के शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय/जिला/राज्य

(श्री भंवरू खान)

स्तर पर अनेक खेल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विद्यालय के शारीरिक शिक्षक एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है? क्या उक्त कर्मियों एवं खिलाड़ियों को कोई ईनाम भी दिया जायेगा? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम बाटडानाऊ, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में सी.मा. विद्यालय अक्टूबर, 1997 से संचालित है। विद्यालय में कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है :–

क्र. सं.	पदनाम	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रधानाचार्य	1	–
2.	व्याख्याता	4	1
3.	व. अध्यापक	6	–
4.	व.शा. शिक्षक	1	–
5.	व.पु.अ.	1	–
6.	अध्यापक-III	5	–
7.	व. लिपिक	1	–
8.	क. लिपिक	1	–
9.	च. श्रेणी कर्मचारी	4	–

व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है। डी.पी.सी. पर रोक हटने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। वेतन श्रृंखला 5500–9000 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं। सी.मा.वि. में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। छात्र संख्या के आधार पर शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। छात्रों एवं शारीरिक शिक्षक को प्रमाण–पत्र दिये जाते हैं। उक्त विद्यालय के छात्रों एवं शारीरिक शिक्षक को भी प्रमाण–पत्र दिये गये हैं।

शैक्षिक एटलस का नवीन संस्करण

181. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में जनगणना के नवीन आंकड़े उपलब्ध हो जाने के पश्चात् क्या राज्य सरकार अब पूर्व में प्रकाशित "शैक्षिक एटलस" का नवीन संस्करण प्रकाशित करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध कराया जा सकेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में यह प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

भाषा विभाग विलीनीकरण

182. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भाषा विभाग का विलीनीकरण कर "भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय" बनाया गया है? यदि हां, तो विलीनीकरण के आदेश की प्रति व निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशक भाषा विभाग के पद पर वर्तमान में प्राध्यापक कालेज शिक्षा कार्यरत हैं जबकि पूर्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित होते रहे हैं? क्या सरकार निदेशालय में करोड़ों की खरीद फरोख्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा से भी कुछ कर्मचारी निदेशालय में पदस्थापित हैं? यदि हां, तो उक्त कर्मियों का ग्रहणाधिकार किस विभाग में होगा व क्या इस हेतु कर्मियों से विकल्प भरवा लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक भरवा लिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पदस्थापित करने का सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में पदस्थापित कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा विभाग के कैडर में ही है।

प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

183. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के विरुद्ध अनियमितता करने के आरोपों की शिकायतों पर कोई जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच में दोषी पाये जाने पर विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार) जयपुर में चालान पेश किया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध विद्यालय में शराब पीकर उत्पात मचाने की उप-खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा जांच की गई? यदि हां, तो जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(4) क्या उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध उक्त अनियमितताओं पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. लक्ष्मणगढ़ (अलवर) को व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर कार्यरत रहते हुए अभद्र व्यवहार तथा अपशब्दों का प्रयोग करने के आरोपों की पुष्टि/प्रमाणित होने पर आदेश दिनांक 31.8.1994 के द्वारा असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था।

(2) जी हां। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार) जयपुर में वाद संख्या 5/98 विचाराधीन है।

(3) श्री नेमराज प्रधानाचार्य के विरुद्ध शराब पीकर अपशब्दों का प्रयोग करने, अभद्र व्यवहार करने एवं अन्य शिकायतों की जांच, उप-खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। सी.सी.ए. नियम-17 के तहत दिनांक 15.5.2001 के द्वारा दोषारोपण पत्र दिया जाकर आरोप से आरोपित किया गया है।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य के मूक-बधिरों के विद्यालयों में सुविधाओं में वृद्धि

184. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मूक-बधिरों के लिए मात्र एक सरकारी विद्यालय जयपुर में संचालित है? क्या सरकार हर जिले में नये विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व किस-किस जिले में और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या राज्य में मूक-बधिरों की शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता व सहायता प्राप्त विद्यालय अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर में संचालित हैं? क्या उक्त विद्यालयों में स्टाफ एवं संसाधनों की कमी है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों को स्टाफ व संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ने उक्त विद्यालयों को शत-प्रतिशत बजट जारी किया है? यदि हां, तो कितनी राशि और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। फिलहाल हर जिले में नये विद्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इसके लिए बजट प्रावधान नहीं है। वर्ष 1999-2000 में बीकानेर क्षेत्र में राजकीय क्षेत्र में मूक बधिर विद्यालय खोले

(शिक्षा मंत्री)

जाने की स्वीकृति दी गई है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2002-03 में बजट उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। इन विद्यालयों में कुछ पद रिक्त हैं। नये पद सृजित करने एवं नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है। अनुदानित संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वेतन, भत्तों हेतु ही अनुदान दिया जाता है। संसाधन संस्थाएं स्वयं उपलब्ध कराती हैं।

(3) जी नहीं। वित्तीय अनुपलब्धता के कारण शत-प्रतिशत अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

185. श्री प्रभूदयाल (नैनवां) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जिला शिक्षा अधिकारी के अपर निदेशक स्तर के कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/प्रारम्भिक जांच/शिकायत इत्यादि की जांच कब से चल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारियों को जांचों के चलते पदोन्नति दे दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार दागदार उक्त श्रेणी के अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त के नाम से सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दागदार अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच/प्रारम्भिक जांच/सी.सी.ए. नियमों के तहत चल रही जांच का नाम सहित विवरण क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं "ख" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) कार्मिक विभाग के परिपत्र में "दागदार अधिकारियों" के नाम से कोई उल्लेख नहीं है, न ही इसकी कोई परिभाषा उपलब्ध है।

(4) उपरोक्तानुसार।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

2143 राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय, जयपुर

माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

186. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रतिनियुक्ति में रोक के बावजूद कई अध्यापक अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या ऐसे भी अध्यापक हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो गई फिर भी अन्य विभागों में कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रतिनियुक्ति पर रोक नहीं है। विभाग द्वारा विभाग की विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा हुआ है।

(3) जी नहीं। 5 वर्ष से अधिक समय से शिक्षा विभाग की विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर लगे एवं विषय वर्ग से सम्बन्धित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। इन्हें कार्यमुक्त करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला श्रीगंगानगर में संचालित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

187. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या प्रारम्भिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में अब तक विभिन्न मदों में कितनी राशि व्यय की गई है? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से जिले में प्रारम्भिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हुआ? यदि हां तो उक्त कार्यक्रम में अब तक हुए निर्माण कार्यों एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) श्रीगंगानगर जिले में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन में किन-किन जनप्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। परिशिष्ट 'क'।

(2) जी हां।

अब तक हुई गतिविधियों का विवरण निम्नप्रकार से है :-

(शिक्षा मंत्री)

1. निर्माण कार्य	कुल स्वीकृत कार्य
(अ) सी.आर.सी. भवन	137
(ब) भवन रहित विद्यालय	57
(स) अतिरिक्त कक्षा कक्ष	114
(द) भवन मरम्मत	14
(य) नवाचार	16
(र) पेयजल सुविधा	46
(ल) बी.आर.सी. भवन	7

2. शैक्षिक

(अ)	वातावरण निर्माण	बाल मेला, महिला बैठक, एस.एम.सी. प्रशिक्षण, पी.आर.आई., आमुखीकरण, बाल फिल्मोत्सव
(ब)	शिक्षण प्रशिक्षण	9 दिवसीय प्रेरण प्रशिक्षण, 6 दिवसीय अभिनवन प्रशिक्षण, 3 दिवसीय टी.एल.एम. प्रशिक्षण
(स)	शिक्षण प्रशिक्षण	नामांकन वृद्धि हेतु विद्यालय खोलना, मासिक समीक्षा व नियोजन बैठकें
(द)	पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र	प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन व ठहराव वृद्धि हेतु
(य)	गर्ल्स चाइल्ड मॉटीवेटर	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु
(र)	बालिका मंच	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु
(ल)	प्रेरक दल	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु
(व)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना
(ष)	विद्यालय अनुदान	भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता हेतु प्रति विद्यालय 2000/-
(ह)	सहायक शिक्षण सामग्री	प्रति अध्यापक 500 रु. प्रति वर्ष
(स)	विकलांग बालकों की शिक्षा	मेडिकल शिविर लगाकर जांच व उपकरण उपलब्ध करवाना
(च)	निर्माण कार्य	मूलभूत सुविधायें, पेयजल शौचालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष
(छ)	अन्य प्रशिक्षण	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापकों का ई.एम.आई.एस. प्रशिक्षण
(ज)	आमुखीकरण कार्यशालाएं	जेंडर संवेदनशीलता, एन.एम.सी. के सदस्यों के लिए शाला मानचित्रण सूक्ष्म नियोजन आदि तथा जनप्रतिनिधियों की कार्यशालाएं आदि

(शिक्षा मंत्री)

(3) मनोनीत किए गए सदस्यों की सूची संलग्न है। परिशिष्ट ख, ग।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा के विरुद्ध लम्बित जांचें

188. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्री बलवंत सिंह मेहता जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा के विरुद्ध कितनी बार विभागीय जांच की गई एवं कितनी बार दण्ड दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि श्री मेहता वर्ष 1997-98 में पुष्कर में अनैतिक कार्य करते पकड़े गये थे? उक्त पर बैठाई जांच की क्या प्रगति रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में श्री मेहता के विरुद्ध कितनी शिकायतें जांच लम्बित हैं तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) गत वर्ष अकाल राहत कार्य हेतु उक्त अधिकारी को नियुक्त किया जाकर कितनी राशि अकाल राहत हेतु आबंटित की गई तथा उक्त के द्वारा कितनी निविदा सामग्री क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री बलवंत सिंह मेहता, जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दो बार प्राथमिक जांच करवाई गई। एक जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर सी.सी.ए. नियम-17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। दूसरी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) श्री मेहता के विरुद्ध दो जांच की गई। जिसमें एक जांच में सी.सी.ए.-17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है तथा दूसरी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) गत वर्ष (अकाल संख्या 2057) राहत कार्य हेतु श्री बलवंत सिंह मेहता, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) भीलवाड़ा को नियुक्त नहीं किया गया, ना ही राहत कार्यों हेतु राशि दी गई।

दौलतगढ़ व बदनोर (भीलवाड़ा) स्थित विद्यालयों की क्रमोन्नति

189. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्रा) दौलतगढ़ व माध्यमिक विद्यालय बदनोर (छात्रा) दोनों क्रमोन्नत की सीमा में आते हैं?

(श्री रामलाल गुर्जर)

(2) क्या सरकार उक्त को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्ष 2001-2002 के बजट में विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्रावधान उपलब्ध नहीं होने से क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के विद्यालयों की क्रमोन्नति

190. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या उक्त क्रमोन्नति में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विद्यालय क्रमोन्नति हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र दानपुर का कोई प्रस्ताव क्रमोन्नत करने हेतु वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2001-2002 के बजट में प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी स्तर के विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय जाहोता (जयपुर) शिक्षकों को चयनित वेतनमान

191. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में कार्यरत शिक्षकों को प्रथम चयन वेतनमान का लाभ उनके स्थायीकरण होने के बाद दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती कौशल्या देवी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम जाहोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर में वर्तमान में कार्यरत अध्यापिका है? क्या उक्त की सेवाएं 10 वर्ष से अधिक हो गयी है तथा उनके स्थायीकरण के आदेश समय पर जारी नहीं होने के कारण उनको अभी तक प्रथम चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं के

(श्री भंवरू खान)

स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं होने के कारण उनकी वरिष्ठता का निर्धारण भी अब तक नहीं हुआ है जिससे इनको न तो पदोन्नति का लाभ मिला है और न ही प्रथम चयन वेतनमान का लाभ दिया गया है? क्या सरकार अब उक्त अध्यापिकाओं के स्थायीकरण के आदेश जारी करवाकर उनकी वरिष्ठता का निर्धारण कर उनको प्रथम चयन वेतनमान लाभ/पदोन्नति का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रथम चयनित वेतनमान हेतु स्थाईकरण को आधार नहीं माना जाता है।

(2) राजकीय श्रीमती कौशल्या देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाहोता, तहसील आमेर में कार्यरत अध्यापिका को चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है। इस हेतु किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) उक्त विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं में से कुछ अध्यापिकाओं का स्थायीकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त अध्यापकों का सम्भागवार वरिष्ठता निर्धारण, नियुक्ति तिथि से किया जाता है। एक सम्भाग से दूसरे सम्भाग में स्थानान्तरित अध्यापकों के वरिष्ठता का निर्धारण स्थानान्तरित सम्भाग में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सेवा विवरण उपलब्ध करवाये जाने पर यथास्थान पर कर दिया जायेगा। चयनित वेतनमान, वरिष्ठता एवं स्थायीकरण नहीं होने के कारण से रोका नहीं गया है। पदोन्नति का लाभ वरिष्ठता निर्धारण के पश्चात् ही देय होता है।

जिला डूंगरपुर की अपूर्ण नहरें

192. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर के घोड़ियों का नाका बांध की झोंथरी नहर से उदारात पाडली एवं कन्धार फला की सिंचाई नहर का कार्य अपूर्ण है? क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। उक्त बांध की सिंचाई नहर प्रणाली के समस्त मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण सम्बन्धित अनुमानित 34 लाख रुपये के कार्य प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता से राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाकर वित्तीय संसाधन की उपलब्धतानुसार लगभग दो वर्ष में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

जिला धौलपुर की नहरों की मरम्मत

193. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य में नहरों को पक्की बनाने के लिए योजना बनाई है? यदि हां, तो उक्त योजना कब बनाई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में धौलपुर जिले की नहरों को चयनित किया है? यदि हां, तो किन-किन नहरों को चयनित किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले की नहरों को कब तक पक्का किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की अति जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाली परियोजना के नहरों की पुनर्सरंचना (विशेष मरम्मत) हेतु एक योजना राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्सरंचना परियोजना के नाम से विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत वर्ष 2001 में बनाई गई है जिसमें नहरों को आवश्यकता अनुसार पक्का करना भी सम्मिलित है। योजना का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त योजनान्तर्गत धौलपुर जिले की निम्नानुसार परियोजनाओं की नहरों को चयनित किया है :-

1. पार्वती बांध
2. राम सागर
3. उर्मिला सागर

परियोजनावार नहरों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) योजना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर का असिंचित क्षेत्र

194. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दानपुर में माही बांध होने से असिंचित क्षेत्र को भी सिंचित क्षेत्र घोषित किया गया है?

(2) क्या वहां तक माही का पानी नहीं मिला है?

(3) उक्त क्षेत्र को अब कब तक असिंचित क्षेत्र घोषित किया जावेगा?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को असिंचित क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माही बांध का निर्माण होने से विधान सभा क्षेत्र दानपुर का आंशिक भाग जो कि माही नहर जल वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आता है, के पूर्ण गांवों की भूमि को सिंचित क्षेत्र घोषित किया हुआ है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) माही नहर जल वितरण प्रणाली से उक्त क्षेत्र के सिंचित गांवों का जो भाग पहाड़ी पर है एवं कमाण्ड से ऊपर है वहां पानी नहीं दिया गया है।

(3) नहर प्रणाली के कमाण्ड से ऊपर के वास्तविक असिंचित क्षेत्र को असिंचित क्षेत्र घोषित करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) जी हां। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर असिंचित क्षेत्र घोषित करने हेतु सिंचाई प्रणाली के खण्डीय अधिकारी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर बांसवाड़ा को प्रस्तुत करने का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र पूरा किया जाना अपेक्षित है।

चित्तौड़गढ़ में संचालित गौशालाओं को अनुदान

195. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रतापगढ़ उपखण्ड (चित्तौड़गढ़) में कहां-कहां किस संस्था द्वारा गौशाला चलाई जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थाओं द्वारा गौरक्षा एवं गोपालन किया जा रहा है? क्या उक्त संस्थाएं रजिस्टर्ड एवं भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है?

(3) उक्त गौशालाओं को किस-किस वर्ष में विभाग या किस संस्था द्वारा आर्थिक सहायता दी गई?

(4) गौवंश के लिए पशुपालन विभाग द्वारा बीमारी पर उपचार की क्या व्यवस्था की है?

उत्तर

(1) उपखण्ड प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में निम्नांकित गौशालाएं संचालित हैं :-

1. जैन गौशाला, नीमच शाखा (राजस्थान) स्थान झातला, ग्राम पंचायत, रठाजना (प्रतापगढ़)।
2. श्री कोठल गौशाला (स्थान प्रतापगढ़)।
3. आध्यात्म विद्यापीठ एवं रामगुरू गौशाला (स्थान मचलाना, प्रतापगढ़)।

(2) श्री जैन गौशाला, नीमच (झातला) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, चेन्नई से एम.पी.ओ. 24/1998 से, श्री कोठल गौशाला, प्रतापगढ़, राजस्थान गौशाला अधिनियम-1960 (पशुपालन विभाग) के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 140/98 दिनांक 1.1.1998 श्री आध्यात्म विद्यापीठ एवं रामगुरू गौशाला, मचलाना रजिस्ट्रार को-आपरेटिव विभाग, चित्तौड़गढ़ के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 28/97 दिनांक 6.8.1997 से रजिस्टर्ड है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(3) उपरोक्त गौशालाओं को मार्च, 2001 से अकाल राहत के अन्तर्गत तहसीलदार प्रतापगढ़ के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई है।

(4) गौवंश की बीमारी के उपचार हेतु निकटतम पशु चिकित्सा संस्था को निर्देशित किया गया है।

जिला जैसलमेर में आवारा पशुओं हेतु योजना

196. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में पचास हजार आवारा पशु चरागाहों तथा कृषि क्षेत्र को हानि पहुंचा रहे हैं? क्या गत वर्ष 2001-2002 में उक्त का सर्वे कराया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवारा पशुओं में अधिकांश सांड हैं जिससे जैसलमेर जिले की थारपारकर नस्ल समाप्त हो रही है?

(3) क्या यह सही है कि चरागाह विकास योजना में वन विभाग ने 11 हजार हैक्टेयर भूमि की तारबन्दी कर रखी है?

(4) क्या सरकार उक्त चरागाह क्षेत्र में गौ-सदन प्रारम्भ कर आवारा पशुओं को नियंत्रण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आवारा पशुओं द्वारा पशु चरागाहों एवं कृषि क्षेत्र को हानि पहुंचाने की जानकारी पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। सर्वे नहीं करवाया गया है।

(2) जी हां। किन्तु थारपारकर नस्ल समाप्त नहीं हो रही है।

(3) जैसलमेर जिले में वन विभाग द्वारा 10816 हैक्टेयर क्षेत्र की तारबन्दी करवाई गई है।

(4) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विभाग द्वारा गौ-सदन प्रारम्भ किया जाना विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पंचायत बाटडानाऊ (लक्ष्मणगढ़) द्वारा आबादी भूमि के जारी पट्टे

197. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत बाटडानाऊ लक्ष्मणगढ़ में कौन-कौन सरपंच रहे तथा इनके कार्यकाल में किन-किन को कितने-कितने पट्टे दिये हैं तथा क्या तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को भी आबादी में पट्टे देने का प्रावधान है? अब तक ग्राम पंचायत बाटडानाऊ में किन-किन को कितने पट्टे दिये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरू खान)

(2) क्या यह सही है कि श्री जगन सिंह बाटड़ पुत्र श्री मानाराम बाटड़ को श्री माधोसिंह सरपंच के कार्यकाल में इन्दिरा आवास योजना में बाटडानाऊ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया था? क्या उक्त पट्टा गुम होने पर पंचायत दूसरा पट्टा जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत रिकार्ड गुम होने पर पट्टे की नकल देने का क्या प्रावधान है? यदि जानबूझकर किसी कर्मचारी ने गुम किया है तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती चाहती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्री मोहन सिंह ग्राम सेवक ग्राम पंचायत बाटडानाऊ में पदस्थापित रहा है? यदि हां, तो कब तक? क्या उक्त ग्राम सेवक सेवानिवृत्ति से पूर्व इसी ग्राम पंचायत में पदस्थापित था तथा उन्होंने वर्तमान सरपंच को पूर्ण चार्ज दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि श्री मोती सिंह बाटड सरपंच ग्राम पंचायत बाटडानाऊ के कार्यकाल में श्री माधोसिंह द्वारा दिये गये पट्टों का विवरण रजिस्टर था? यदि हां, तो वर्तमान सरपंच को चार्ज में क्यों नहीं दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बाटडानाऊ पंचायत समिति फतेहपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ में अब तक निम्न सरपंच रहे हैं :-

क्र. सं.	सरपंच का नाम	कार्यकाल
1.	श्री माधोसिंह	1964 से 1978
2.	श्री हरफूल सिंह	1979 से 1980
3.	श्री पोखर सिंह	1980 से 1981
4.	श्री ईश्वर सिंह	1981 से 1988
5.	श्री मोती सिंह	1989 से 1991
6.	श्री भंवर सिंह	1995 से 2000
7.	श्रीमती इन्दिरा देवी	2000 से अब तक

श्री माधोसिंह वर्ष 1964 से 1978 तक सरपंच रहे हैं। उस दौरान का रिकार्ड वर्तमान ग्राम सेवक एवं सरपंच के पास उपलब्ध नहीं है। तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मोहन सिंह सेवा निवृत्त हो चुके हैं इन्होंने रिकार्ड किसको दिया है यह जानकारी नहीं है। जिसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सीकर को निर्देशित किया जा चुका है।

दिनांक 1.4.1987 से रिकार्ड के अनुसार ग्राम पंचायत बाटडानाऊ द्वारा निम्न को पट्टे जारी किये गये हैं :-

(पंचायती राज मंत्री)

1. श्रीमती लक्ष्मी देवी, पत्नी श्री लादूराम बलाई दिनांक 14.6.1987 स्वयं की गुवाड़ी।

2. श्री सुरजन सिंह पुत्र श्री डूंगाराम जाट माना की ढाणी स्वयं की आबादी गुवाड़ी का 14.1.1988 को एवं दिनांक 16.9.1992 की ग्राम सभा में निम्न गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टे जारी किये गये हैं :–

   (i) श्री मानसिंह पुत्र श्री रावतदान बारठ माउजी की ढाणी।

   (ii) श्री महावीर गणपतराम बलाई शेखीवास।

   (iii) श्री रामकुमार पुत्र श्री हेमाराम बलाई बाटडानाऊ।

   (iv) श्री मालाराम पुत्र श्री सुल्तानाराम मीणा कन्दलाऊ।

दिनांक 18.3.1996 की ग्राम सभा में निम्न व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टे जारी किये गये हैं :–

1. श्री रामूराम पुत्र श्री बिडदाराम जांगिड़ बाटडानाऊ।
2. श्री भंवर सिंह पुत्र पेपसिंह राजपूत बाटडानाऊ।

दिनांक 14.6.1997 की ग्राम सभा में निम्न व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टे जारी किये गये हैं :–

1. श्री पेमाराम पुत्र श्री सुरजाराम बलाई बाटडानाऊ।
2. रामूराम पुत्र श्री लादूराम बलाई बाटडानाऊ।
3. श्री रामदत्त पुत्र श्री कुशलाराम बलाई बाटडानाऊ।
4. श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी श्री भंवर लाल बलाई बाटडानाऊ।
5. श्री शंकरराम पुत्र श्री हेमाराम बलाई बाटडानाऊ।
6. श्री पूर्णाराम पुत्र श्री भीवाराम बलाई बाटडानाऊ।
7. श्री मंगलाराम पुत्र श्री जैसाराम बलाई भाऊजी की ढाणी।

ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ग्राम पंचायत को ही पट्टे देने का अधिकार है न कि तहसीलदार को।

(2) श्री माधोसिंह वर्ष 1964 से 1978 तक सरपंच रहे हैं। उस अवधि का रिकार्ड वर्तमान ग्राम सेवक एवं सरपंच के पास उपलब्ध नहीं है। रिकार्ड के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं है कि जगनसिंह को पट्टा दिया गया था या नहीं। उक्त अवधि में इन्दिरा आवास योजना नहीं थी।

(3) मूल पट्टा की आफिस प्रति ट्रेस न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत निर्धारित फीस लेकर नियमानुसार प्रमाणित

(पंचायती राज मंत्री)

प्रतिलिपि जारी नहीं कर सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सीकर को निर्देश दिये गये हैं कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करावे।

(4) जी हां। श्री मोहन सिंह ग्राम पंचायत बाटडानाऊ में वर्ष 1982 से 1996 तक ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित रहे हैं। जी नहीं। उक्त ग्राम सेवक सेवानिवृत्ति के समय ग्राम पंचायत माण्डेला बड़ा में कार्यरत रहे हैं। सरपंच को चार्ज देने का प्रावधान है। उक्त ग्राम सेवक द्वारा उसकी जगह स्थानान्तरित हो आये ग्राम सेवक को रिकार्ड का चार्ज दिया गया था।

(5) यह सही नहीं है क्योंकि माधोसिंह, सरपंच के कार्यकाल 1964–1978 की अवधि का रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत के पास दिनांक 1/4/87 से रिकार्ड उपलब्ध है जो वर्तमान में ग्राम सेवक की कस्टडी में है।

राजकीय विद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शुल्क में रियायत

198. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा शुल्क में रियायत दी जा रही है? यदि हां, तो कौन-कौन सी कक्षा में कितनी-कितनी फीस है जिसमें कितनी-कितनी रियायत दी जा रही है? उक्त सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले उक्त छात्रों को भी रियायत फीस में दी जा रही है? यदि हां, तो ग्राम मीठड़ी तहसील लाडनूं, जिला नागौर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले उक्त वर्ग के छात्रों को उक्त रियायत क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि इसी गांव में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को इन्हीं कक्षाओं में रियायतें दी जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। आदेशों की प्रति विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'क' 'ख'।

(2) जी हां। ग्राम मीठड़ी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अधिक वसूली गई छात्र निधि शुल्क को लौटाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

पंचायत समिति फागी (जयपुर) में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के यात्रा बिलों का भुगतान

199. **श्री सांवरलाल** (भिनाय): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने पंचायत समिति फागी (जयपुर) में अधीनस्थ तृतीय श्रेणी अध्यापकों हेतु यात्रा भत्ता हेतु बजट आबंटित किया है? यदि हां, तो वर्ष 1991 से फरवरी, 2002 तक कितना?

(2) क्या अब तक के यात्रा भत्ता बिलों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या अभी भी राशि भुगतान करनी शेष है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक भुगतान किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। 1991 से फरवरी, 2002 तक बजट राशि रु. 9,89,250/- आबंटित की गई।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, यात्रा मद में रु. 9,33,174/- भुगतान शेष हैं बजट आबंटन होने पर भुगतान हो सकेगा।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा प्रथम (जयपुर) के खेल मैदान पर अतिक्रमण

200. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा प्रथम (दौलतपुरा) तहसील आमेर जिला जयपुर के खेल मैदान का कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत सरपंच को लिखा गया है? यदि हां, तो सम्बन्धितों द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई? तहसीलदार एवं सरपंच द्वारा की गई कार्यवाही सहित उक्त को लिखे गये पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के दो कमरों में अन्य विभागों ने अतिक्रमण कर आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ए.एन.एम. केन्द्र चला रखे हैं जिन्हें खाली करवाने के लिए सम्बन्धित विभागों को कई बार लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण मय लिखे गये पत्रों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब तक उक्त कमरों एवं खेल मैदानों को खाली नहीं करने वालों

(श्री हेमन्त कुमार)

के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर विद्यालय परिसर में से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विद्यालय प्रभारी द्वारा उक्त समस्या के सम्बन्ध में प्रशासन गांवों के संग शिविर में भी शिविर प्रभारी को ज्ञापन दिया गया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखा दी गयी है। परिशिष्ट ''क'' ''ख'' खेल मैदान का कब्जा नहीं देने हेतु तहसीलदार एवं सरपंच द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(2) जी हां। लिखे गए पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। परिशिष्ट ''ग'' ''घ'' ''ङ'' ''च''

(3) खेल का मैदान एवं कमरे खाली करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, कार्यवाही अपेक्षित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पर्यटन सचिव द्वारा नियम विरुद्ध व्यय राशि

201. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में पर्यटन सचिव द्वारा अपने कार्यालय व्यय के नाम पर कितनी राशि राजस्थान पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग से उठाई है?

(2) उक्त राशि किन नियमों के अन्तर्गत उठाई गई है? क्या उक्त में से कुछ राशि निर्माण कार्यों के विरुद्ध भी उठाई गई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) क्या संदर्भित व्यय, निर्माण कार्यों के विरुद्ध बुक किए जा सकते हैं? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(4) क्या उक्त बिलों में सेलफोन, किराणे, ड्राई क्लीनिंग तथा जनरल स्टोर्स के बिल भी शामिल हैं? बिलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन सचिव द्वारा अपने कार्यालय व्यय के नाम पर स्वयं के द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम से कोई राशि नहीं उठाई गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) पर्यटन सचिव, द्वारा अपने कार्यालय व्यय के नाम पर पर्यटन विभाग अथवा राजस्थान पर्यटन विकास निगम से इस प्रकार के खर्चे बाबत राशि नहीं उठाई गई है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व गंगापुर में विधायक कोटे से कराये गये कार्य

202. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व गंगापुर में वर्ष 1994 से फरवरी, 2002 तक विधायकों ने अपने निजी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास फण्ड (विधायक कोटे की राशि) से कौन-कौन से कार्य करवाये या स्वीकृत कराये तथा कौनसे गांव या कस्बे में उक्त कार्य कराये गये? राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई व गंगापुर में माननीय विधायकगण की अभिशंसा पर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत इस योजना के प्रारम्भ से अब तक जो-जो कार्य जिन-जिन गांव या कस्बे में स्वीकृत हुये का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'1' व परिशिष्ट-'2' पर अंकितानुसार है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

मगरा क्षेत्र स्थानीय विकास योजना हेतु आबंटित राशि

203. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मगरा क्षेत्र स्थानीय विकास योजना में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार उक्त विकास योजना में सर्वे बाद किन-किन तहसील क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? सर्वे रिपोर्ट सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष में उक्त योजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में क्षेत्र की गरीबी को ध्यान में रखकर उपयुक्त धन राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में कोई बजट प्रावधान नहीं किया था। परन्तु वर्ष 2000-2001 में माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुरूप उक्त वर्ष में मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत 10.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया। परन्तु आयोजना विभाग के पत्र क्रमांक प. 10(24) आयो/अनु.-5/2000 दिनांक 16.2.2001 द्वारा उक्त प्रावधान को शून्य कर दिया गया। उक्त नवीन प्रस्तावित योजना के लिये सर्वे करवाकर क्षेत्र का चिन्हीकरण करना था परन्तु बजट प्रावधान शून्य हो जाने पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(2) राज्य के वित्तीय स्रोतों को दृष्टिगत रखते हुये इस नवीन प्रस्तावित की जाने वाली योजना के लिये कोई राशि आबंटित नहीं की गयी।

(3) जी नहीं। राज्य के वित्तीय स्रोतों की कमी को देखते हुये कोई बजट प्रावधान रखने का प्रस्ताव नहीं है।

जिला बांसवाड़ा के क्षतिग्रस्त एनीकटों का पुनर्निर्माण

204. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों द्वारा कितने एनीकटों का निर्माण कराया गया? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर एनीकट टूट चुके हैं या मिट्टी से भर गये हैं तथा अनुपयोगी हो गये हैं? यदि हां, तो कितने एनीकट अनुपयोगी हो गये हैं, तथा कितने उपयोग में आ रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जीर्ण-शीर्ण एनीकट तथा मिट्टी से भरे एनीकटों का पुनर्निर्माण तथा मिट्टी निकलवाने का कार्य, पंचायतों को धन उपलब्ध कराकर, कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 से वर्ष 2000-2001 की अवधि में बांसवाड़ा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा 151 एनीकटों का निर्माण करवाया गया है, जिनका पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं। सभी एनीकट उपयोगी हैं।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

ग्राम पंचायत कालेराव की ढाणी (चूरू) की विचाराधीन ट्यूबवैल स्वीकृति

205. श्री मंगलाराम (डूंगरगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायत कालेराव की ढाणी, तहसील सुजानगढ़ (चूरू) में विधायक निबन्ध राशि से ट्यूब वैल खोदे जाने की स्वीकृति लम्बे समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवैल की स्वीकृति जारी नहीं करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधायक निबन्ध राशि से स्वीकृति जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उक्त पेयजल से सम्बन्धित कार्य के लिये रुपये 12.50 लाख की दिनांक 22.2.2002 को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी परन्तु डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 के लिये निर्धारित 60.00 लाख रुपये के कोटे के पेटे 60.00 लाख रुपये से अधिक की लागत के कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। अत: वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी।

(2) उत्तर अपेक्षित नहीं है।

राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य/उपाचार्य के रिक्त पद

206. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं उपप्राचार्यों के कितने पद स्वीकृत हैं? महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों पर कितने स्थाई स्नातकोत्तर, स्नातक प्राचार्य एवं उपाचार्य विधिवत पदोन्नति के उपरान्त कार्यरत हैं तथा स्नातकोत्तर/स्नातक प्राचार्यों/उपाचार्यों के कितने पद कब से रिक्त हैं और उक्त पद विधिवत रूप से कब तक भर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालयों) नियमों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा का पद किस संवर्ग से भरे जाने का प्रावधान है तथा निदेशक महाविद्यालय शिक्षा का पद कब से रिक्त है?

उत्तर

(1) राज्य में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 111 एवं उप प्राचार्यों के 119 पद स्वीकृत हैं। महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर उपलब्ध है। (परिशिष्ट-1)

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त पदों पर विधिवत पदोन्नति के उपरान्त अस्थाई रूप से कार्यरत प्राचार्यों एवं उपाचार्यों की संख्या निम्नप्रकार है :-

स्नातकोत्तर स्तर के प्राचार्य	-	8
स्नातक स्तर के प्राचार्य	-	12
उपाचार्य	-	43

स्नातकोत्तर/स्नातक स्तर के प्राचार्य एवं उपाचार्यों के कुल 100 पद अलग-अलग तिथियों से रिक्त हैं, जिनकी संख्या विवरण सदन की मेज पर उपलब्ध है। डी.पी.सी. कराने पर से प्रतिबन्ध हटने पर उक्त पद भर दिये जायेंगे। (परिशिष्ट-2)

(3) राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय सेवा) नियमों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा का पद स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय के प्राचार्य/संयुक्त निदेशक के पद से पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। निदेशक महाविद्यालय शिक्षा का पद रिक्त नहीं है। उक्त पद पर पदस्थापित अधिकारी श्री सुदर्शन सेठी, भारतीय प्रशासनिक सेवा से है, जो माह सितम्बर, 2001 से विदेश में प्रशिक्षण हेतु गये हुये हैं। वर्तमान में उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार श्री नरहरि शर्मा, विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा के पास है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रामीण क्षेत्रों के आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्यों/कम्पाउण्डरों के रिक्त पद

207. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद औषधालयों में बड़ी संख्या में वैद्यों और कम्पाउण्डरों के पद रिक्त हैं जो सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में सभी पद भरे हुये हैं? यदि हां, तो क्यों, जबकि शहरों में दूसरी चिकित्सा सुविधा एलोपैथी आदि की व्यवस्था है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय हैं, वहां पर अन्य कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पद रिक्त रख कर शहरों के पद भरने का क्या औचित्य है?

(3) क्या सरकार का विचार है कि जब तक वैद्यों के सारे पद नहीं भरे जा सकें तब तक शहरी क्षेत्रों में कार्यरत वैद्यों व कम्पाउण्डरों को ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों पर नियुक्त किया जावे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हा। विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेद औषधालयों में से लगभग 94 प्रतिशत औषधालय ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

होने के कारण रिक्त पदों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होना स्वाभाविक है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आयुर्वेद औषधालय हैं, वहां अन्य कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। अनेक स्थान ऐसे है जहां आयुर्वेद औषधालय के अतिरिक्त एलोपैथिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है।

शहरी क्षेत्र के निवासियों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की सुविधा उपलब्ध करवाने को दृष्टिगत रखते हुये शहरी क्षेत्र के पदों की पूर्ति की गई है।

(3) जी नहीं। आयुर्वेद चिकित्सक के 75 पदों पर दिनांक 14.2.2002 को ही स्थिर वेतन पर नियुक्ति देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी 200 आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया आरम्भ की गई है।

डूंगरपुर आयुर्वेदिक औषधालय में स्वीकृत पदों पर पदस्थापन

208. श्री मंगलाराम (डूंगरगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र श्री डूगरगढ़ में कौन-कौन से नये औषधालय कब-कब खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खोले गये औषधालयों में कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों और अब तक नियुक्तियां नहीं किये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) उक्त नये औषधालयों में कब तक कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2002 तक विधान सभा क्षेत्र श्री डूगरगढ़ में निम्न एक आयुर्वेद औषधालय राज्यादेश दिनांक 9.7.1999 द्वारा स्वीकृत किया गया है :-

ग्राम- कल्याणसर नया

(2) जी नहीं। नवीन स्वीकृत औषधालय हेतु वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं कराये जाने से स्टाफ का पदस्थापन नहीं किया जा सका है। इसके लिए विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(3) नवीन स्वीकृत औषधालयों हेतु वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही स्टाफ का पदस्थापन करना सम्भव हो सकेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमराराम चौधरी एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से तहसील चौहटन की ग्राम पंचायत मीठडाऊ के ग्राम समेला के तला में 49 अनुसूचित जाति के परिवारों के घरों में लगी आग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अटरू के 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को प्रधान मंत्री सड़क योजना में शामिल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) डा. किरोड़ी लाल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जिला दौसा की पंचायत समिति महुवा की ग्राम पंचायत औड़ गुर्जर में पट्टा आबंटन में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से शेरगढ़ (बांसवाड़ा) में उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से आजीवन राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के बाद भुगतान रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगत प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.03 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य की ओर से जिला बारां में भंवरगढ़ से नाहरगढ़ रोड पर बरनी पुलिया की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री घनश्याम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं एवं कतिपय अन्य में मेड़बन्दी के कार्य का ऋण मय ब्याज के अपलिखित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूलाल सिंगारिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम जूनिया एवं केसरपुरा में सहकारी समिति में काश्त करने वाले खातेदार को काश्तकार घोषित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य की ओर से सागवाड़ा पंचायत समिति की

(श्री उपाध्यक्ष)

नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित की गयी पंचायतों को वापस पंचायत समिति के अधीन करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से रायपुर एवं जैतारण तहसील के गांवों को बीसलपुर पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से पुष्कर नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा इलैक्ट्रोनिक्स विज्ञापन बोर्ड एवं प्रोग्रामेबल बोर्ड के ठेके में कथित अनियमितता की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से तहसील नावां के ग्राम मारोठ में गौशाला हेतु भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मोहनलाल चित्तौड़िया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री नन्दलाल पूनिया, की ओर से सार्दुलपुर-बहल मार्ग की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भरोसी लाल, सदस्य की ओर से तहसील हिण्डौन के कतिपय ग्राम एवं ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री हीरालाल सहरिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बारां जिले में भंवरगढ़ से नाहरगढ़ रोड पर क्षतिग्रस्त बरनी पुलिया की मरम्मत

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का भंवरगढ़ से नाहरगढ़ रोड पर बरनी नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र जिला बारां में भंवरगढ़ से नाहरगढ़ रोड पर बरनी नदी पर बनी पुलिया अधिक वर्षा होने के कारण तथा उसके पास से टेलीफोन लाइन निकालने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यदि इस पुलिया की समय रहते मरम्मत नहीं करायी गयी तो यातायात अवरुद्ध हो जाएगा जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ जाएगी।

मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर अनुरोध कर रहा हूं कि

(श्री हीरालाल सहरिया)

बारां जिले की बरनी नदी के क्षतिग्रस्त पुल को शीघ्र मरम्मत करवाने के आदेश प्रसारित करें ताकि वर्षा ऋतु से पूर्व यह ठीक हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

चम्बल नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कराये गये मेड़बन्दी आदि कार्यों हेतु दिये गये ऋण का अपलेखन

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के चम्बल परियोजना मण्डल द्वारा चम्बल नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्ष 1962 से कृषि भूमि में मेड़बन्दी के कार्य, भूमि कटाव रोकने, चम्बल नदी पर बने बांधों को मिट्टी से भरने से बचाने एवं दीर्घायु बनाने के लिए काम करवाये जा रहे हैं।

1. वर्ष 1962 से 1982 तक संभवतया ये कार्य कृषि भूमि में आधी सब्सिडी आधा लोन के आधार पर करवाये गये थे। काश्तकारों को नकद में कोई ऋण नहीं दिया गया। ये कार्य बिना किसान की मांग के पूर्णतया राज्य हित में करवाये गये थे।
2. इस प्रकार आधे मेड़बन्दी के कार्य की लागत की मय ब्याज के काश्तकारों से अब जबरन वसूली की जा रही है।
3. जिन खेतों पर कार्य करवाया गया उसमें काश्तकार देवलोक हो गये, जिनके बच्चों को कार्यों की जानकारी ही नहीं है। कई लोगों ने जमीने बेच दी, बहुत–सी जमीनों का परिवार में बंटवारा हो जाने से भूमि मालिक भी बदल गये। ऐसे लोगों से वसूली करने के समस्या उत्पन्न हो रही है।
4. वर्ष 1962 के पश्चात् से अब तक निरन्तर इस विभाग द्वारा मेड़बन्दी के कार्य पूर्ण सब्सिडी के आधार पर करवाये जा रहे हैं।
5. इस प्रकार राज्य हित में करवाये गये इन पुराने कार्यों की वसूली नहीं होनी चाहिए। सभी काश्तकार अत्यन्त गरीब एवं लघु काश्तकार हैं। अधिकांश काश्तकारों में 50 रुपये से 500 रुपये तक की वसूली योग्य राशि बताते हैं जिसका ब्याज भी मूल से अधिक हो गया है।
6. इस वसूली से अनुमानित निम्नानुसार काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र के काश्तकार हैं :–

(श्री घनश्याम जैन)

क्र. सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	अनुमानित काश्तकारों की संख्या	अनुमानित वसूली लाखों में	
			मूल	ब्याज
1.	विधान सभा क्षेत्र, बेगूं	900	2.30	2.50
2.	विधान सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़	900	1.40	3.60
3.	विधान सभा क्षेत्र, डग	200	0.50	0.50
4.	विधान सभा क्षेत्र, कुशलगढ़	850	1.50	3.00
5.	विधान सभा क्षेत्र, बागीदौरा	850	1.50	2.98
6.	विधान सभा क्षेत्र, पिंडवाड़ा/आबूरोड	600	1.50	1.75
	योग	**4300**	**8.70**	**14.33**

औसत 535/- रुपये प्रति काश्तकार।

वर्तमान प्रणाली की तरह पूर्व के काश्तकारों का ऋण मय ब्याज के अपलेखन करवा कर सैकड़ों ग्रामीणों को राहत दिलवाई जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

केकड़ी के ग्राम जानिया व केसरपुरा में सहकारी समिति की जमीन पर खेती करने वालों को खातेदारी अधिकार

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत केकड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जानिया व केसरपुरा में सहकारी समिति की जमीन 325 बीघा के खाता संख्या 824 जमीन काश्त करने वाले को खातेदार काश्तकार घोषित करने बाबत नम्र निवेदन है कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत जूनिया में ग्राम जूनिया व केसरपुरा में दिनांक 29.7.1959 को कृषि सहकारी समिति में 325 बीघा जमीन आबंटित की गई थी जिसका खाता संख्या 824 है तथा जिसमें 40 सदस्य काश्तकार थे। अब उक्त जमीन में उक्त सदस्य के परिवार वाले करीबन 50 वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं और मौके पर वर्षों से काबिज हैं और काश्तकार पैदावार प्राप्त करते आ रहे हैं। उक्त सहकारी समिति भंग हो चुकी है और उक्त जमीन काश्तकारों के नाम न होकर सिवाय चक दर्ज हो गई है।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

काश्तकार वर्षों से पैनल्टी भी देते आ रहे हैं। उक्त जमीन के काश्तकार अत्यन्त गरीब परिवार व चयनित परिवार के हैं।

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त जमीन गरीब काश्तकारों के नाम कर खातेदार काश्तकार घोषित कराने की कृपा करें तथा दस बीघा से बड़े खसरे का नियमन नहीं हो सकता है, किसानों के हितों में इस बाध्यता को जनहित में हटाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल अहारी।

सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित पंचायतों की पुन: पंचायत के रूप में बहाली

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति सागवाड़ा का कुछ क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र सागवाड़ा में सम्मिलित किये जाने पर ध्यानाकर्षित।

मान्यवर, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति से पंचायत 1. गोवाड़ी, 2. बरसिंगपुर, 3. हड़माला 4. आरा, 5. जेठाणा जिसमें कुल आठ ग्राम आते हैं, वे पंचायत समिति से पृथक कर सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं। ये शत-प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र की पंचायतें हैं। आदिवासी कृषक के पास जोत जमीन बहुत कम हैं तथा वे पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। पांचों पंचायतों की जनता व सरपंचों ने बार-बार सरकार से अनुरोध किया है कि हमें पूर्व की भांति पंचायत में रखा जाए। हमें सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होना है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा तथा पंचायत समिति, सागवाड़ा ने भी प्रस्ताव पारित किया है एवं नगरपालिका, सागवाड़ा की साधारण बैठक में भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पांचों पंचायतों को नगरपालिका क्षेत्र से निकाला जाकर पंचायत के रूप में माना जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। इसी तरह वहां के उपखण्ड अधिकारी, कलक्टर, डूंगरपुर व वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने भी पंचायतों को पूर्व की भांति यथावत रखते हुए नगरपालिका क्षेत्र से निकालने की भी सिफारिश कर दी है।

मैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित की गई पंचायतों को मुक्त कर यथावत पूर्व की भांति पंचायतों के रूप में बहाल कर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

रायपुर एवं जैतारण तहसील के गांवों को पाइप लाइन से पेयजल की आपूर्ति

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव अन्तर्गत नियम 295 कार्य संचालन बाबत बीसलपुर पेयजल योजना का ब्यावर से विस्तार कर पेयजल से संकट ग्रसित रायपुर एवं जैतारण तहसील के गांवों को बिना वित्तीय प्रावधान विद्यमान पुरानी पेयजल योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

श्रीमान्‌जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ब्यावर शहर के गम्भीर पेयजल संकट निवारण के लिए लगभग 20-25 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपये भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा व्यय कर पाली जिले के जैतारण तहसील के निमाज राजस्व गांव क्षेत्र से तथा रायपुर तहसील क्षेत्र के सैंदड़ा क्षेत्र से 30 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन डालकर ब्यावर को पेयजल उपलब्ध करवाते रहे। ब्यावर शहर निमाज व सैंदड़ा क्षेत्र से लगभग 800 से 1000 मीटर ऊंचाई पर आया हुआ है इस कारण से निमाज, बर, सैदड़ा, तथा सबलपुर से पम्पिंग स्टेशनों के साथ बड़ी-बड़ी पानी की टंकियां व लाखों गैलन क्षमता के हौज बनाये गये हैं तथा बहुत बड़ी पाइप लाइन डाली गई जो आज भी सभी परिसम्पत्तियां उपयोग करने की स्थिति में हैं।

पिछले पांच वर्षों से ब्यावर शहर को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध होने के कारण जैतारण, निमाज, सैंदड़ा की पेयजल योजना बन्द पड़ी है जबकि रायपुर तहसील के इसी पाइप लाइन योजना से जुड़े राजस्व गांव सराधना, लालपुरा, सबलपुरा, झाड़ली-मानपुरा, रामगढ़, सेड़ोतान, सैंदड़ा, केसरपुरा, धौलिया, झालाकी चौकी, पालसिया, आसन, निरोलिया बर, माकडवाली, धोलीछेड़, विराटियां कलां तथा जैतारण तहसील क्षेत्र के राजस्व गांव मोहराई निमाज, खेड़ा, सांगावास आगेंबा तथा बांवडिया, पेयजल संकट से ग्रसित हैं। प्रतिवर्ष इनमें से कई गांवों को जिला प्रशासन द्वारा टैंकरों से गर्मी के दिनों में पेयजल उपलब्ध कराना पड़ता है। इस कारण से रायपुर व जैतारण तहसील के उपरोक्त गांवों को ब्यावर से बीसलपुर योजना से पानी देने की व्यवस्था की जाए ताकि इन पेयजल से संकटग्रस्त गांवों की जनता को स्थाई रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार के ध्यान में यह महत्त्वपूर्ण तथ्य भी लाना आवश्यक है कि मिजाज (जैतारण) सैंदड़ा (रायपुर) क्षेत्र के किसान अपनी खेती के कुओं को सूखने की स्थिति में भी ब्यावर के गम्भीर जल संकट का समाधान पिछले 20 से 25 वर्षों तक करते रहे हैं। इस कारण अब इस क्षेत्र में आये संकट के निवारण में पेयजल की व्यवस्था बीसलपुर योजना से किया जाना आवश्यक है।

अत: निवेदन है कि जैसा माननीय जलदाय मंत्री महोदय ने सदन में आश्वासन दिया, रायपुर एवं जैतारण क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध पाइप लाइन से पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

जोड़ा जाने का आश्वासन तो लम्बे समय तक चलता रहता है और सरकार को किसी प्रकार का कोई कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ रहा, उपाध्यक्षजी। लाखों करोड़ों रुपये की पाइप लाइन पड़ी हुई है, हौज बने हुए हैं। माननीय जलदाय मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता से जुड़ा हुआ गम्भीर संकट है जिसका निवारण तत्काल नहीं किया जाएगा तो स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। उस क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं है जहां से लोगों को पानी दिया जाए। आपको याद कराना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय, आपकी आज्ञा से। रामगढ़, सेड़ोतान और विराटियां कलां, जब से आप मंत्री बने हैं हर साल सदन में आश्वासन दे रहे हैं कि मैं पेयजल पहुंचाऊंगा। दस-पन्द्रह साल पुरानी योजनाएं बनी हुई हैं लेकिन पानी का सोर्स नहीं होने के कारण आज दिन तक पानी नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। श्री रमजान खान।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर से अजमेर, ब्यावर को पाइप लाइन से पानी मिल रहा है और इसमें काफी बड़े-बड़े शहर आये हुए हैं जिनको पानी सप्लाई हो रहा है। 2001-2002 में सैकण्ड फेज प्रारम्भ होने वाला था जो कुछ डिले हो गया। ज्योंही सैकण्ड फेज शुरू होगा, मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी जैतारण, निमाज और जहां पर भी पानी पहले जाता था वापस उसी लाइन से आपको पानी पहुंचा दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल : बहुत-बहुत धन्यवाद साहब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर आपकी मेहरबानी थोड़ी कम है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न, अब क्या मेहरबानी?

श्री ज्ञानचन्द पारख : कल मैंने बहुत निवेदन किया आपसे...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री ज्ञानचन्द पारख : कि माननीय मंत्रीजी जवाब देने वाले हैं आपने कहा 295 में नियम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है, नियम नहीं है। आज भी कह रहा हूं नियम नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : आज तीन जवाब दिये, मंत्रीजी जवाब देने को तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य : आज तो अच्छा ही हुआ कि मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। इसमें नाराज होने की क्या बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरा 25 साल पहले का पुराना मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप प्लीज। श्री रमजान खान।

श्री ज्ञानचन्द पारख : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा मेरे ऊपर भी मेहरबानी करें आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : मेहरबानी कर दो।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैं तो वैसे भी बहुत कम मांग उठाता हूं। मंत्रीजी तैयार बैठे हैं, मंत्रीजी काम करने को तैयार हैं।(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : कर दो, कर दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : दो मिनट के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे।

श्री जीतमल खांट : माननीय सदस्य हाथ जोड़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख : पता नहीं मेरे ऊपर क्या नाराजगी है आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी डिमाण्ड आ रही है। डिमाण्ड पर बोलना उसमें दे देंगे जवाब। बिराजो।

श्री ज्ञानचन्द पारख : नहीं–नहीं, मंत्रीजी जवाब देने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके मंत्रीजी की डिमाण्ड आ रही है, उसमें आप बोलना, जवाब आ जाएगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख : नहीं, कल वाला जो मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसका जवाब आज थोड़े ही आएगा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत उदारवादी हैं, दिलवा दो न जवाब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज। क्या बात है, आप फालतू यूं ही खड़े हो जाते हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : सब निवेदन कर रहे हैं आपसे। (व्यवधान) उपाध्यक्षजी, थोड़ी मेरी सुनें आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। ऐसा होता ही नहीं है। श्री रमजान खान।

पुष्कर नगरपालिका गत दिये गये अनियमित ठेके

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन के

(श्री रमजान खान)

नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि नगरपालिका पुष्कर के तत्कालीन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 29.9.1997 को एक अति आवश्यक बैठक रखी गई थी। इस बैठक के एजेण्डे के प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार बिना निविदा प्राप्त किये ही घूमता हुआ इलैक्ट्रानिक विज्ञापन बोर्ड एवं प्रोग्रामेबिल बोर्ड खरीदने के लिए रुपये चार लाख अड़सठ हजार भार्गव एण्ड कम्पनी हाथी भाटा, अजमेर को ठेका दिया गया था।

इस ठेके पेटे तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष ने बिना प्रस्ताव पास करवाये ही ठेके की 75 प्रतिशत अग्रिम राशि के रुपये भुगतान कर दी। नगरपालिका को इस विज्ञापन ठेके से कोई आय नहीं हुई। इस ठेके में घोर अनियमितता हुई है जिससे नगरपालिका को भारी हानि उठानी पड़ी है। इस ठेके के सम्बन्ध में आडिट विभाग ने अपने आडिट प्रतिवेदन संख्या 1086 के अनुसार गम्भीर अनियमितता एवं गबन माना है।

इस सम्बन्ध में पूरे तथ्यों के साथ पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को शिकायत की है परन्तु अभी तक इन शिकायतों तथा आडिट रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करके कठोर दण्ड दिया जाए तथा गबन की गई राशि दोषियों से वसूली की कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशचन्द कुमावत।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, गबनकर्ताओं को मनोनीत किया है, धारीवाल जी कितना पैसा लेते हैं गबनकर्ताओं को मनोनीत करने पर?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशचन्द कुमावत। (अनुपस्थित) श्री मोहनलाल चित्तौड़िया।

कपासन में अकाल की स्थिति की घोषणा

श्री मोहनलाल चित्तौड़िया (कपासन) **:** राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन में इस साल बहुत कम वर्षा हुई है, इस वजह से अधिकांश कुओं का जल स्तर बहुत नीचे आ गया है, अथवा वे सूख चुके हैं। पेयजल की भी भयंकर समस्या हो गयी है। इस वर्ष की फसल भी नहीं के बराबर हुई है। अतः जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को आवश्यक निर्देश फरमाकर फसलों की जिंसवारी कराने का श्रम करें। फसलों के

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

चौपट हो जाने की वजह से लोगों के लिए रोजी-रोटी का सवाल हो गया है।

अतः शीघ्र ही विधान सभा क्षेत्र कपासन को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कराने का श्रम करें ताकि गरीब लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

सादुलपुर-बहल अन्तरराज्यीय मार्ग की चौड़ाई में वृद्धि

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत सादुलपुर बहल मार्ग की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने बाबत निवेदन है कि सादुलपुर-बहल मार्ग अन्तरराज्यीय मार्ग है जिसकी लम्बाई 26 किलोमीटर है जिसमें राजस्थान क्षेत्र की लम्बाई 17 किलोमीटर है तथा हरियाणा क्षेत्र की लम्बाई 9 किलोमीटर है।

अन्तरराज्यीय मार्ग होने के कारण इस मार्ग पर यात्री भार एवं परिवहन भार अत्यधिक है। उक्त मार्ग पर बीकानेर से दिल्ली जो बस या ट्रक पूर्व में राजगढ़ से हिसार होकर दिल्ली जाते थे तथा रतनगढ़, डूंगरगढ़, चूरू राजगढ़ से हिसार होते हुए दिल्ली जाते थे, वे अब दिल्ली जाने के लिए राजगढ़ से बहल, भिवानी, रोहतक होकर दिल्ली जाते हैं। बीकानेर से दिल्ली मार्ग की दूरी वाया हिसार के बजाय बहल होकर जाने से साठ किलोमीटर कम पड़ती है। इस कारण पूरा ट्रैफिक वाया राजगढ़ से बहल होकर ही जाता है। इसके अलावा जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर से दिल्ली जाने के लिए भी वाया बहल होकर जाना पड़ता है क्योंकि इधर से दूरी साठ किलोमीटर कम पड़ती है। सारा आवागमन भी वाया बहल ही होता है।

इतने बढ़े हुए बस एवं ट्रक के दबाव को देखते हुए उक्त सत्रह किलोमीटर लम्बी सड़क की चौड़ाई बढ़नी चाहिए। वर्तमान में उक्त 17 किलोमीटर की चौड़ाई सात फुट ही है जबकि नौ किलोमीटर दूरी जो हरियाणा सीमा में पड़ती है उक्त सड़क की हरियाणा सरकार ने चौड़ाई बढ़ाकर करीब चार मीटर कर दी है।

वर्तमान में उक्त सड़क एक महत्त्वपूर्ण मार्ग बन गया है जो अन्तरराज्यीय मार्ग है। इस पर होने वाले आवागमन को मद्दे-नज़र रखते हुए मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त मार्ग के 17 किलोमीटर सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर चार मीटर हरियाणा के बराबर करने की कृपा करें ताकि बढ़े हुए बस एवं ट्रकों के दबाव को देखते हुए उनके आवागमन में सुविधा रहे।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

उक्त सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण उक्त मार्ग पर काफी दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसीलाल।

हिण्डौन तहसील के कतिपय गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत तहसील हिण्डौन के ग्राम एवं ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के विषय में निवेदन है कि हिण्डौन तहसील के काफी ग्राम राजस्व ग्राम की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं। इन ग्रामों एवं ढाणियों की जनसंख्या भी 500 से 1000 तक की ही है जिसके कारण इन ग्रामों में बिजली के कनेक्शन, सड़कें, पानी की सुविधाएं नहीं हैं तथा राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण ये विकास से महरूम हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि तहसील हिण्डौन के ग्राम वाढ ग्राम पंचायत करसौली एवं छत्रीपुरा, ग्राम पंचायत मंगों एवं फेलीकापुरा, ग्राम पंचायत गुनसार, बदनपुरा ग्राम पंचायत मंगों तथा मीना गढ़ी ग्राम पंचायत गांवडा मीना को राजस्व ग्राम घोषित करने की कृपा करें जिससे कि इन ग्रामों का विकास हो सके।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

विश्व हिन्दू परिषद् व बजरंग दल संगठनों पर रोक

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंत सिंह (रामू)।

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक बड़ा ही शांत प्रदेश है लेकिन यहां हर तीसरे-चौथे रोज बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् साम्प्रदायिक दंगा फैलाने का काम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर में जो घटना घटित हुई, उसमें जिस दिन तीन लोग मारे गये उस दिन वहां के एस.पी. और कलक्टर को हटाना...

श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वहां साम्प्रदायिक दंगा था क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : और क्या था वह?

श्री मदन दिलावर : वहां तो पुलिस ने यज्ञ करने वाले बजरंग दल वाले लोगों को घेर कर...(व्यवधान) गोलियां चलायीं उन पर।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट आरोप है इसमें... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वह तो इस +++ ने उन लोगों को भजन-कीर्तन करते हुए गोलियों से भूना था।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद् राष्ट्र भक्त संगठन है और इस प्रकार से उन पर आरोप लगाने वाले... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए आप।

श्री मदन दिलावर : उनको जानकारी कर लेनी चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए। बजरंग दल का व्यक्ति कोई आई.एस.आई. के एजेंट के रूप में पकड़ा गया?

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। आप सुनिये मेहरबानी करके। सुनने में तकलीफ क्या हो रही है?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इन +++ पर पाबंदी नहीं लगेगी जब तक ये दंगें ऐसे ही होते रहेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : उत्तेजित मत होओ, बिराजो आप। सुनने की क्षमता रखो। सुनो ना, क्या तकलीफ है? आप बोलते हो जब वह भी सुनते हैं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक ऐसे लोगों पर पाबंदी नहीं लगायी जाएगी, उपाध्यक्ष महोदय, कल प्रधानमंत्रीजी गोधरा में गये तो गोधरा में कहते हैं कि मुझे बड़ा दुःख हो रहा है इसको देखकर।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गंगापुर पर बोलिये आप तो।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को गुजरात बनाने की कोशिश की जा रही है। गंगापुर नहीं रह गया, गुजरात हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, तीन-चार रोज पहले तीन इस सरकार के

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री यशवंत सिंह (रामू))

मंत्री और गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य दुर्गालालजी चारों के चारों साथ-साथ गये और कितने +++ की बात है, इस सरकार को +++ बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस माननीय सदस्य को महुवा पर ही उतार दिया गया। बीच सड़क पर ही छोड़ दिया गया जहां कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ विधायक गंगापुर को। उपाध्यक्ष महोदय, आज उसकी यह हालत है, वह माननीय सदस्य मानसिक रूप से इतने पीड़ित हैं...(व्यवधान) कल गृह मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हमने आपको एक गनमैन की व्यवस्था कर दी है। क्या आप अन्दाजा लगा सकते हैं उस व्यक्ति का जिसके खिलाफ पूरा का पूरा विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल गंगापुर हो, उसको एक गनमैन बचा सकता है क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन की और गुप्तचर शाखा की पोल तो जब खुली...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री यशवंत सिंह (रामू) : इस सरकार की और गुप्तचर शाखा की पोल तो जब खुली जब तोगड़िया मेरे विधान सभा क्षेत्र के हन्तरा में तोगड़िया की गाड़ी खराब हो गई, वहां से बुर्का पहन करके महुवा पहुंचा और महुवा से गंगापुर पहुंच गया। उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर में जो उसने कहा उस पर पूरे सदन को गहनता से विचार करना चाहिए, उस पर गम्भीर होना चाहिए। उन्होंने खुले आम कहा कि अगर एक हिन्दू मरेगा तो हम हज़ार मुसलमान मारेंगे।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन लालजी मोदी, बिराजिए। बिराजो आप।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप। बिराजो।

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रवण कुमारजी कल से बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। बिराजो, आप बिराजो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ही शर्म की बात है कि प्रशासन की मौजूदगी में तीन मस्जिदें तोड़ी गईं। जहां हिन्दूओं से तो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री हेमन्त कुमार : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, बिराजो। रामूजी, बोलो।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे यह सदन जब तक विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल पर पाबंदी नहीं लगाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी तो 3 मरे हैं, आगे 3000 मरेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक अटरू से आने वाले माननीय सदस्य जैसे इस विधान सभा में रहेंगे, ये आग भड़काते रहेंगे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग मरते रहेंगे।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सही है। आर्डर।

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार और बी.जे.पी. वालों की दोनों की मुझे मिलीभगत लगती है। कोई भी आदमी आतंककारी संगठन का जिसका नाम प्रवीण भाई तोगड़िया है गंगापुर पहुंच जाए और सरकार सोती रहे और वह सभा करके वापस वैसे की वैसे चला जाए। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया। क्या हुआ तो?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या अपमान है?

श्री मदन दिलावर : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहन लाल मोदी : xxx

श्री हेमन्त कुमार : xxx

श्री हीरालाल सहरिया : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री यशवंत सिंह (रामू) : +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री मोहन लाल मोदी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल सहरिया : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री हेमन्त कुमार : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कौन बचा रहा है उसको? (व्यवधान) बहस कौन कराए?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी बोलें, संयमित भाषा में बोलें, किसी को एतराज नहीं हो। अगर मान लो प्रवीण भाई ने कोई गलती की तो जो सरकार चला रही थी उसको कार्यवाही करनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष : वह सरकार को ही कह रहे हैं। आपको तो कह नहीं रहे हैं।

श्री हीरालाल सहरिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो कह नहीं रहे, वह सरकार को कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इस तरह से शब्दों का प्रयोग करें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सरकार को कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कानून में कोई अपराध बनता है तो आप उसको दण्डित करिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : xxx

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार की असफलता पर तमाचा मारते... (व्यवधान) आपने सारी रोक लगा दी थी। आपने कहा था वह एंट्री नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी अक्लमंदी से एंट्री की तो सरकार को तो झेंप आनी चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): जरा मुंह उधर करिए वह क्या कह रहे हैं। उसको सुनिये वह भी सरकार से कह रहे हैं। आप भी सरकार से कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यही तो कह रहे हैं वह। इतनी बात ही तो कह रहे हैं वह। आप कह रहे हो जो ही वह कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कानून के हाथ में था तो आपने क्यों नहीं किया और इस बात को...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। बिराजिए प्लीज...(व्यवधान) नहीं निकलेगा, बिराजो आप। नहीं निकलेगा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री यशवंत सिंह (रामू) : आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... (व्यवधान) माननीय सदस्य यशवंत सिंहजी, समाप्त करिये प्लीज। (व्यवधान) आप बैठो। बैठिये ना आप। (व्यवधान) माननीय, आप बैठिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल बनावटी बात कहने से क्या फायदा...

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई सदन में विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के खिलाफ इनके जो सच्चाई के कारनामे हैं, इनके जो दुष्कर्म हैं, इनके जो पाप हैं, उनको उजागर किया जाता है तो इनके +++

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने साम्प्रदायिकता की आग इस राजस्थान में भड़कायी है। ब्यावर की घटना हुई, इन्होंने करवायी। किशनगढ़ की घटना विश्व हिन्दू परिषद् वालों ने करवायी। पीपाड़ की करवायी, गंगापुर की करवायी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि वी.एच.पी. और बजरंग

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यशवंत सिंह (रामू))

दल पर पाबंदी लगायी जाए जिससे इस प्रदेश में शांति और सद्भाव कायम हो सके।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमलजी। आप बिराजिए। प्लीज आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई निवेदन नहीं है। आप बैठिए। श्री जीतमल जी। आप बिराजिए प्लीज। (व्यवधान) नहीं बोलने देंगे। बिराजिए। आपका बोलने का अभी कोई मौका ही नहीं है। बिराजिए आप प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कोई सवाल ही नहीं है। श्री जीतमलजी। आप बिराजिए। सरकार विपक्ष की नहीं सुनना चाहती है। आप बिराजिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब मतलब यह है कि आप बिराजो। श्री जीतमलजी। आप बैठिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा आप बोल रहे हैं जो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। श्री जीतमलजी।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रदेश के अन्दर...

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बिराजो। आप बिराजो। सबको अंकित नहीं किया है। किसी को अंकित नहीं किया है। कोई अंकित नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कैसे दे दूं छूट? जीतमलजी। बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जीतमलजी। बिराजिए। आप क्यों छूट दिला रहे हो, मैं रोक रहा हूं ना? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से साम्प्रदायिकता पर यह चर्चा चल रही है, आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि जिस तरीके से...

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मेरा काम नहीं बताने का। बिराजो आप। बिराजो आप। आप प्लीज बिराजो ना। बिराजिये माननीय सदस्य, उनको कहने का, बोलने का अधिकार नहीं है?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। बिराजिए प्लीज माननीय सदस्य। माननीय जीतमलजी। प्लीज बिराजिए...

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या-क्या...

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ वह बोले तो?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोले हो ना। आपको भी बोलने दिया है। रोका था? आप भी बोले हो। गंगापुर तो...(व्यवधान) आपको बुरा लगा जब वह बोले।

डा. किरोड़ी लाल : ऐसा है, ऐसी कोई आब्जेक्शन वाली बात नहीं कही जिससे आपको इतनी उत्तेजना हुई। प्लीज। उनको भी राइट है बोलने का...

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। श्री जीतमल जी।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

बागीदोरा के गांव शेरगढ़ में 25.3.2002 को हुई घटना की जांच

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि साम्प्रदायिकता पर आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र सम्पूर्ण रूप से गुजरात से लगता हुआ है। साम्प्रदायिकता की आग जब गुजरात में लगती है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए फतहपुरा, सुखसरदा और दाहोद के लोग भाग कर मेरे विधान सभा क्षेत्र और उसके कई गांवों में आकर रुकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता ने, प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके साथ में सहयोग और भाईचारे का परिचय दिया। किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हुई।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जीतमल खांट)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाना आनंदपुरी के गांव शेरगढ़ में दिनांक 25.3.2002 को मुस्लिम परिवारों का जो मोहर्रम का दिन था, दिन को ताजिया निकाला गया। जुलूस के अन्दर कोई ढाई सौ, तीन सौ लोग शरीक हुए। हिन्दू-मुस्लिम सभी लोगों ने भाईचारे का परिचय देते हुए दिन भर कार्यक्रम सम्पन्न कर दिया। उस क्षेत्र का प्रशासन वहां लगा हुआ था। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी थी। (व्यवधान) आप बैठिए। सुनो ना हमारी बात। लेकिन रात के 8.30 बजे गांव में हल्ला मचाते हुए दो-चार युवक मां-बहनों के सामने गाली गलौच करते हैं। गांव के अन्दर तनाव पैदा होता है। यही बात लेकर दस लोग गांव के समझदार, बुजुर्ग और बुद्धिजीवी पुलिस चौकी शेरगढ़ में जाकर इत्तला करते हैं और यह बताते हैं कि मात्र तीन-चार युवक जो मुस्लिम परिवार से हैं, गांव के अन्दर बेवजह गाली-गलौच करके तनाव पैदा कर रहे हैं। इस तरीके की पुलिस चौकी शेरगढ़ में जाकर घटना की इत्तला देते हैं। उधर तो घटना की इत्तला देते हैं और इधर गांव के अन्दर दो साइकिल पंचर की गुमटियां, एक पान मसाले की गुमटी में अचानक आग भभकती है। गांव के अन्दर अचानक तनाव पैदा हो जाता है। पूरे जिला प्रशासन को वायरलैस के माध्यम से खबर पहुंचती है। सारा जिला प्रशासन वहां मौके पर आता है। सभी लोगों को बैठाकर आपस में शांति समिति के माध्यम से समझाने-बुझाने का काम करते हैं। पूरा प्रशासन तंत्र वहां फैल गया।

उसके पश्चात् यह होता है कि जो लोग पुलिस चौकी शेरगढ़ के अन्दर इत्तला करने गये थे उन्हीं दस लोगों को सीधे वहां कलक्टर और एस.पी. के आदेश के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस चौकी के अन्दर दस लोगों द्वारा जाकर गांव के अन्दर शांति बनाये रखने की अपील की जाती है तो तीन-चार नवयुवकों को मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी यह कहता है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब यह घटना होती है, आग लगती है, तो उसके पश्चात् उन तीन नवयुवकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तत्पश्चात् आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश पैदा हुआ तब जाकर वहां के प्रशासन ने तीन नवयुवकों को गिरफ्तार किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं चाहते हैं कि भाईचारे का हमारा वातावरण बिगड़े, हम लोगों का जो पवित्र सम्बन्ध है वह टूटे।

(12.50 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

10 लोगों को गिरफ्तार किया, तीन नवयुवकों को गिरफ्तार किया, यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमें

(श्री जीतमल खांट)

इस बात की है कि जो लोग उपद्रव करने वाले थे उन लोगों के खिलाफ तो 107 और 151 के तहत कार्यवाही की गयी और जो लोग पुलिस चौकी पर यह इतला करने गये थे कि गांव के अन्दर इस तरह से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, गांव के अन्दर भाईचारा बिगड़ रहा है, उन 10 लोगों के खिलाफ 436 का आगजनी का मुकदमा बनाकर उनको उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस घटना के अन्दर जो तीन नवयुवक गांव के अन्दर शरारत पैदा करने वाले थे वे शरारती तत्व वहां के कांग्रेस के जो ब्लाक अध्यक्ष हैं उसके परिवार से सम्बन्धित हैं। सरकार ने उसी समय जब पुलिस चौकी में जाकर इत्तला दी, तत्काल उनको पकड़ लिया होता, गिरफ्तार कर लिया होता तो इस तरीके का कहीं दंगा-फसाद नहीं होता। लेकिन पुलिस चौकी पर तैनात उस अधिकारी ने कुछ नहीं करने की हिदायत दी। प्रकरण में 10 लोगों को बेवजह 436 के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया हुआ है और बदमाशी करने वाले लोग सरेआम घूम रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो। चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, चाहे वह किसी भी जाति-बिरादरी का हो, लेकिन सबसे पहले यह तनाव पैदा क्यों हुआ इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं उसकी न्यायिक जांच हो। यही मैं चाहूंगा कि सी.आई.डी. (सी.बी.) के माध्यम से उसकी जांच हो और जो भी लोग निर्दोष हैं उनको मुक्त किया जाए और दोषी लोगों को दण्ड दिया जाए। यही मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस तरह का संवेदनशील मुद्दा उठाया है सदन के अन्दर...

श्री सभापति : माननीय राठौड़जी, बिराजें। माननीय गोवर्द्धनजी कल्ला।

इन्दिरा गांधी नहर में पानी की स्थिति

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं एक गम्भीर विषय पर माननीय इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं उनका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर हमारी फौजें तैनात हैं और राज्य सरकार ने दायित्व लिया है कि इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से हम पूरे सीमान्त क्षेत्र में उनको पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। 30 मार्च की घटना है, कई सैन्य अधिकारी आये, हमने ए.डी.एम. को साथ में भेजा और पुरी सीमा में खोजकर,

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

सीमा में घूमकर हमने प्रयास किया कि उनको पानी मिले। इसी सप्ताह में जो मुझे जैसलमेर से सूचनाएं मिल रही हैं और जो समाचार पत्रों में आप पढ़ रहे हैं कि इन्दिरा गांधी नहर के मुख्य हरिके बैराज से जो हमें 11 हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था वह आज 3300 क्यूसेक पानी वहां से मिल रहा है और केवल पेयजल के लिए पानी दिया जाएगा 7 अप्रैल के बाद में। यह एक विडम्बना है। इन्दिरा गांधी नहर राजस्थान की नहीं देश में बहुत बड़ी सिंचाई योजना है, मानवकृत ऐसी योजना है जो राजस्थान के मरू प्रदेश को हरा-भरा करना चाहती है। उस सपने को यदि हम देखें, उनको ध्यान रखें तो चाहे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चाहे भारत-पाक ट्रीटी के माध्यम से हमको 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था। पर वर्तमान में जो परिस्थितियां आई हैं, विशेषकर आज जब हम पेयजल के लिए मोहताज हैं तो यह जो गम्भीर समस्या है इस ओर मैं सरकार से चाहूंगा कि विचार करे कि यह सारी समस्या क्यों खड़ी हो रही है। क्या रावी-व्यास नदियों का पानी कम हो गया? क्या हमने जो बांध बांधे पौंग डैम बांधा, भाखड़ा डैम बांधा, क्या उनमें पानी कम हो गया? ये आज की परिस्थिति क्यों बनी हैं? हमने 19 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए योजना बनाई, आज मात्र 8 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचाई के अन्तर्गत है। जब 8 लाख हैक्टेयर ही जमीन अंडर सिंचाई है और 19 लाख से अधिक जमीन की सिंचाई हेतु हमने योजना बनाई तो आज यह समस्या क्यों है?

तीन वर्षों से आपने देखा है कि नहर में पानी नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार को मजबूर होकर अपनी आय घटानी पड़ी। किस्तें माफ करनी पड़ी, ब्याज माफ करना पड़ा। बहुत बड़ी राज्य को आर्थिक हानि हुई। तो आज के संदर्भ में जो अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर हमारी सेनाएं खड़ी हैं उनको यदि हम पेयजल के लिए पानी नहीं दे पाएं। नहर पर हम 2300 करोड़ रुपया व्यय कर चुके हैं और अभी हम कह रहे हैं कि 55 प्रतिशत काम ही हुआ है, 45 प्रतिशत काम बाकी है। यदि 45 प्रतिशत काम बाकी है तो फिर पानी कहां है? मैं सरकार से चाहूंगा कि जो भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है जिसका कंट्रोल पंजाब सरकार के पास है, परिस्थितियां बदली हैं, अभी वर्तमान सरकार राजस्थान में है उसी के अनुकूल पंजाब में हैं, कृपया मैनेजमेंट पर कंट्रोल रखें राजस्थान का। हमारे नार्थ में जो चीफ इंजीनियर बैठे हैं वह जब वहां पर जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है और मनमाने तरीके से पंजाब की नहरों में पानी बह रहा है।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मान्यवर, मैंने इस गम्भीर समस्या पर कई प्रश्न इस सत्र में उठाये, दुर्भाग्य से वे प्रश्न नहीं आये। आज भी प्रश्न लगा हुआ था उसका उत्तर जो मिला है राज्य सरकार की तरफ से, यह गोलमाल उत्तर नहीं चाहिए। हमें स्पष्ट उत्तर चाहिए कि क्यों खर्च किया जा रहा है राजस्थान का, क्यों आप नहरों को बढ़ा रहे हैं? आप उस पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू करिए यदि पानी नहीं है हरिके बैराज में, यदि रावी-ब्यास का पानी आपको नहीं मिल रहा है। यदि मैनेजमेंट में आपका कंट्रोल नहीं है। यह एक गम्भीर विषय है आज के सन्दर्भ में विशेषकर जब हमारी सेनाएं अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर खड़ी हैं, पेयजल हेतु यदि हम तरसते हैं तो इस सरकार को सोचना चाहिए और इस गम्भीर समस्या की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी अपनी पर्ची के माध्यम से उठाया...(व्यवधान)

श्री सभापति : एक सैकण्ड, मैं निवेदन कर दूं, माननीय मंत्री महोदय, मैं रोक नहीं रहा हूं, किसी को नहीं रोकूंगा। एक व्यवस्था जो अभी नई शुरू हुई है, पुरानी व्यवस्था को रिव्यू किया गया है। उसमें पर्चियों के माध्यम से जो सवाल उठाए जाएं उनका मंत्रिमण्डल के सदस्य बार-बार जवाब देंगे तो मेरे खयाल से इसको अध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकार नहीं किया है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मान्यवर, गम्भीर समस्या है, उत्तर देने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं रोक नहीं रहा हूं। इसलिए मेरे खयाल से इस पर माननीय सदस्य, माननीय मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं उनको सोचना चाहिए कि मैं इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं। यह बात सही है कि कोई सवाल उठाया जाए और वह अनआंसर्ड जाए वह ठीक नहीं है। लेकिन यदि चाहे तो माननीय मंत्री महोदय जब उनकी डिमाण्ड आएगी तो उस हिसाब से स्टेटमेंट दे सकते हैं। फिर भी आप चाहे तो दे दें, मुझे एतराज नहीं है। मैं तो आपको रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि क्या व्यवस्था है।

(13.00 बजे)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, एक्चुअल पोजीशन को बताने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ने जैसलमेर में पानी की चिन्ता जाहिर की। उसके बारे में मैं खास तौर से सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि करीब 26 मार्च से ले करके 3 अप्रैल तक... निश्चित रूप से यहां पर पानी की समस्या रही है। लेकिन मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि चार अप्रैल से खास तौर से जो मुख्य कैनाल है वहां 1355 क्यूसेक पानी चल रहा है और आज भी 1328 क्यूसेक्स पानी है, मैंने आज ही पता किया है और सागरमल गोपा शाखा में 700 क्यूसेक्स पानी उपलब्ध है। अभी 2.4.2002 को सेना के अधिकारियों के साथ कमिश्नर, जोधपुर के यहां बैठक हुई। उस बैठक में पी.सी. जैन, इंचार्ज, एस.ई. थर्ड, आई.जी. एन.पी. भी थे, जिन्होंने पीने के पानी की मांग डिफेंस सहित 500 क्यूसेक्स बुर्जी 1365 से नीचे के लिए रखी थी, वह पूरी कर दी गयी है। जहां तक आपने इस पूरी कैनाल के बारे में बताया कि 19.63 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए यह डिजाइन की गयी है, उसमें करीब 12 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए खोल दिया गया है। 11 लाख हैक्टेयर में सिंचाई का पोटेंशल क्रियेट कर दिया गया है, करीब 2 लाख हैक्टेयर में सी.ए.डी. के खाले बनने बाकी हैं।

मैंने आज जो आपको रिप्लाई दिया है उसमें पानी की निश्चित रूप से पिछले दो-एक सालों में कमी रही है। इसमें आपने देखा होगा कि 9.80 लाख हैक्टेयर में वास्तविक सिंचाई हो चुकी है। इसलिए हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि आने वाले वक्त में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन उसके लिए धन की उपलब्धता जितनी होगी उसके आधार पर ही नहर का निर्माण कराया जा सकेगा। जहां तक भाखरा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का सवाल है, यह एक आटोनामस बाडी है, उसमें हमारे, पंजाब और हरियाणा के प्रतिनिधि हैं। लेकिन यह आटोनोमस बाडी है और भारत सरकार के डाइरेक्ट नियंत्रण में है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि वहां बैठे हैं, समय-समय पर राज्य के हिस्से को लेने का प्रयत्न करते रहते हैं। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा हिस्सा पूरा हमें मिले।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : मैंने भी कल 295 लगाया था।

श्री सभापति : यह डिस्कशन नहीं है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरा निवेदन सुनिये। मेरी सुनिये आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरी सुन तो लो आप।

श्री सभापति : मैं सुन तो लूंगा, आप बिराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरी सुन ले एक बार।

श्री सभापति : आप बैठ जाओ।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मुझे मंजूर है। एक बार जो निर्णय आप करो, वह मंजूर है।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापतिजी, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : एक बार व्यवस्था हो गयी। ज़ीरो आवर में कोई व्यवस्था नहीं होती है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : इस सदन में जीत कर तो सब आये हैं। इस सदन में चुन कर सब आये हैं।

श्री सभापति : जीरो आवर में कोई व्यवस्था नहीं होती है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : अधिकार सबको बराबर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय सभापति, अधिकार सबको बराबर हैं।

श्री सभापति : मैं व्हिप महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी के सदस्यों को संयत रखें। माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, उनके मन में पीड़ा थी इस बात की कि उन्होंने जो विषय कल खड़ा किया था, आपने कोशिश की थी कि पर्ची पर व्यवस्था हो। लेकिन सामान्यत: व्यवस्था है नहीं। किसी का जवाब देते हैं, किसी का नहीं देते हैं। कोई बात माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की यहां रखते हैं, माननीय सदस्य को पीड़ा है। सामान्यत: जब जनहित की बात हो उसमें तो कम से कम आपकी एक परिपाटी बनी हुई है कि आप कुछ न कुछ अपनी तरफ से जवाब देते हैं। तो उनका जवाब देने से रोकने के कारण उनको पीड़ा है।

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब, मेरा निवेदन है कि उस प्रक्रिया को सुधारने की चेष्टा की जा रही है, उसमें सहयोग चाहता हूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : कल माननीय मंत्रीजी ने टोका था और आज मंत्रीजी ने खुद खड़े होकर जवाब दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख : कल माननीय मंत्रीजी ने टोका था और आज मंत्रीजी ने खुद ने जवाब दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। इनकी पर्ची नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, कल स्वायत्त शासन मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे थे, कल तो आसन ने मना कर दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी कोई पर्ची नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं है।

श्री सभापति : नहीं है न इसलिए जो पहले पर्ची वाले हैं उनको तो सुन लें।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सभापति महोदय, कल माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी जवाब देना चाहते थे। आसन ने उनको जवाब नहीं देने दिया। और अभी माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। आपको सदस्य की पीड़ा समझनी चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने स्थान से बोले। वह अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अच्छा मैं अपने स्थान पर जाकर बोलता हूं।

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेव आहूजा। पहले पर्ची उनको सुलटने दें।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैं पर्ची की बात नहीं कर रहा हूं। पर्ची सुलटने के बाद आप जवाब दिलवा दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : दिला देंगे, दिला देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज पर्ची के माध्यम से अलवर और भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्र में फैल रही अराष्ट्रीय और आतंकवादियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भरतपुर जिले में डीग, पहाड़ी, सीकरी, गोपालगढ़, गुलपाड़ा, कैथवाड़ा, जोराड़ा, सेशम, कटोर, आदि क्षेत्रों में तथा अलवर जिले के रामगढ़, नौगांवां, मुबारकपुर, गोविन्दगढ़, ऊंटवा, साडोली, कैमासा, सेमला खुर्द, खोरा, करमाली, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र ही में हैं, इसके अलावा कोटकासिम, किशनगढ़, घासोली और किण्डूसी, बहादुरपुर, चिकानी और अलवर के चांदोली, जिन्डोली, घाटी, अजीतपुर, अकबरपुर, लक्ष्मणगढ़, तहसील मौजपुर, मालाखेड़ा, उमरैण, कठूमर क्षेत्र के गांवों में भारी अराष्ट्रीय, राष्ट्रविरोधी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गतिविधियों में इस समय लोग सक्रिय हैं। इनके सबूत मैं आपके सामने सदन में रखूंगा।

सभापति महोदय, दोनों जिलों में सिमी और आई.एस.आई. के नाम के संगठनों के सैकड़ों नहीं हजारों लोग सक्रिय हैं। पिछले लगभग साढ़े तीन वर्ष से जब से कांग्रेस की सत्ता आयी है, मेवात क्षेत्र में इनकी सैरगाह बन गयी है। दोनों जिलों में मेवात क्षेत्र में लगभग 30 रजिस्टर्ड एवं 150 अवैध मदरसे चल रहे हैं। इनमें पढ़ाने वाले मौलवी राजस्थान प्रांत के होते तो हमें दुःख नहीं होता, उनसे बात कर लेते लेकिन वे बाहर के बंगाल, बिहार, यू.पी. और पाकिस्तान के हैं और यहीं से सारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

वैसे तो आई.एस.आई. एवं सिमी की गतिविधियों के अलावा इस क्षेत्र में गौकशी, गौ तस्करी, बलात्कार, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, राहजनी, सरे आम गौ मांस बिकना, सट्टा, जुआ, सिंथेटिक दूध, अवैध हथियार, नकली नोट, अवैण पास्पोर्टधारी वहां पड़े हुए हैं, वहां दोनों जिलों में रह रहे हैं। किन्तु इस पर मैं पुलिस और कारागार की मांग पर विचार के समय बोलूंगा।

(13.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज मैं अपना ध्यान सिर्फ आई.एस. आई. के एजेंटों, सिमी की गतिविधियों और आतंकवादियों पर ही केन्द्रित करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन गतिविधियों के बारे में जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन को समय-समय पर अवगत कराता रहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकार सम्मेलन भी हर महीने बुलाकर इस बारे में मैं बराबर आगाह करता रहता हूं और चेताता रहता हूं किन्तु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बार-बार चेताने के बावजूद भी पुलिस, सी.आई.डी. एवं सी.बी. क्राइम ब्रांच ज्यादा सक्रिय नहीं हो रही है। मैं आपका ध्यान उदाहरणतः इस ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में पकड़े गये फतेहपुरी मस्जिद के इमाम अब्दुल मजीद, मेरे क्षेत्र के मुकनवास गांव के फजरूखान, यह इमाम ग्राम बांदोली बागोर और इस्माइलपुर, किशनगढ़ तहसील का, खैरथल के पास का है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह इमाम जो आई.एस.आई. का एजेंट है, पकड़ा गया है, इसका लड़का युवक कांग्रेस का महामंत्री था जो बाद में माननीय गहलोत साहब, माननीय सी.एम. साहब से मैं स्वयं रिक्वैस्ट करने गया, पर्सनल रिक्वैस्ट करने गया कि एक तो तैय्यब हुसैन साहब को अलवर जिले के प्रभारी से हटाएं और युवक कांग्रेस के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

महामंत्री को हटाएं। मैं धन्यवाद देता हूं सी.एम. साहब को कि उन्होंने कार्यवाही की ओर कांग्रेस युवा के पद से मोहम्मद कासिम को हटाया, जिसका पिता आई.एस.आई. में इमाम के रूप में पकड़ा गया। उसके बाद युवा कांग्रेस के महामंत्री पद से हटा दिया गया। दुःख की बात तो यह है, पूर्व में आपको ध्यान होगा, 6 महीने पहले आर.डी. एक्स का एक ट्रक गुजरात में बनासकाठा जिले में पकड़ा गया था। यह ट्रक फुल आर.डी.एक्स बारूद से भरा हुआ था। अगर यह अलवर में आ जाता या राजस्थान में आ जाता तो क्या स्थिति होती? अमेरिका के ट्रेड सेन्टर से भी बड़ा हादसा हो सकता था, यह मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस ट्रक का रजिस्ट्रेशन आर.टी.ओ., अलवर के यहां है, इसका मालिक तिजारा के पास के गांव का रहने वाला है।

इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी मेरे क्षेत्र के नौगांवां में 14 साल से कार्यरत आई.एस.आई. का एजेंट अब्दुल रशीद परसों ही पकड़ा गया है, जिसके समाचार सभी समाचारपत्रों में बराबर छपे हैं, आपके सामने है बराबर। पुलिस ने पकड़ा है, तीन जासूस पकड़े हैं, अब्दुल रशीद और उसके तीन साथी पकड़े हैं। और भी कई उसके साथ मेरे क्षेत्र में ही नहीं मेवात क्षेत्र, भरतपुर और अलवर में बराबर सक्रिय हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियों पर कृपा करके प्रतिबन्ध लगाएं। आप सरकार को भी चेताएं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करे।

इतना ही नहीं, मैं बहुत सारे सबूत जो पूर्व में पकड़े गये हैं उनके बारे में देना चाहता हूं। दस रुपये का नोट जो सरकार का नहीं, रिजर्व बैंक का है, उस नोट पर महात्मा गांधी के चित्र को काट कर बिन लादेन का चित्र बनाया गया है। क्या कहेगी सरकार इस बारे में? उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियां हो रही हैं कि महात्मा गांधी के चित्र को बिन लादेन का चित्र बना दिया गया। आप सब देखें। मैं बहुत कम शब्दों में निवेदन करूंगा कि अमेरिकी सेन्टर पर हमले के सूत्र अलवर से भी जुड़े हैं। आफताब अंसारी ने कहा है, बराबर अपने बयानों में कहा है, बंगाल में भी कहा है, राजस्थान की पुलिस के सामने भी कहा है कि मैं अलवर, भरतपुर, हरियाणा के मेवात क्षेत्र के मदरसों को मालपुरा और गंगापुरसिटी के मदरसों को, जहां दंगे हुए

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं, बहुत चिल्लाते हैं हमारे लोग, वहां के मदरसों को बराबर रुपये सप्लाई करता रहा हूं। ऐसा उस अंसारी ने कहा है। अंसारी ने आई.एस.आई. के लिए मेवात में जाल बिछाया, यह दूसरा समाचार समाचार पत्रों ने दिया है जो सरकार को मानना पड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, भरतपुर से चुने जाने वाले एक विधायक जो राजस्थान सरकार के मंत्री भी हैं, उनके बारे में और आया है। मैं आपको अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नमोनारायणजी के बयान से बताता हूं, और साथ में इंटेलिजेंस के महानिदेशक एन. के. देवराजन... ''जोधपुर ब्यूरो के अनुसार पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस एन. के. देवराजन ने शनिवार को यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बताया कि तैय्यब हुसैन के खिलाफ जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।'' इनके बारे में हम लोगों ने आरोप लगाया था कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, आई.एस.आई. के एजेंट हैं। मैं उनका नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देवराजन साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। प्रदेश में आई.एस.आई. के लम्बे समय से सक्रिय होने की, मैंने नहीं, आई.जी. इंटेलिजेंस देवराजन साहब ने प्रदेश में आई.एस.आई. के लम्बे समय से सक्रिय होने को स्वीकारा और बताया कि बीते महीने में खुफिया एजेंसियों की सक्रियता से तीन पाकिस्तानियों सहित 11 जासूस पकड़े गये। ये तमाम आई.एस.आई. एजेंट अचानक सक्रिय नहीं हुए, बल्कि लम्बे समय से सक्रिय थे। इन जासूसों को पकड़ना काफी मुश्किल होता है; परन्तु तमाम गुप्तचर एजेंसियों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त आई.एस.आई. के एजेंटों के शक के दायरे में आने पर पूर्ण नजर रहती है। ये जो 11 लोग पकड़े गये थे मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी और किशनगढ़, टपूकड़ा, तिजारा, भिवाड़ी, नौगांवां, मुबारकपुर में भी और जो मैंने नाम पढ़े हैं उन गांवों से पकड़े हैं।

इतना ही नहीं एक बड़ी शर्म की बात है, आप कृपा करके मेरी भावना को और राष्ट्रीयता व राष्ट्र भावना को समझे, माननीय गृह मंत्रीजी 29 जनवरी को अलवर में पधारे वहां दो आपत्तिजनक बातें उन्होंने कहीं। उसके बारे में पुलिस का जब आएगा उस समय उठाउंगा। एक बात उन्होंने कही एस.सी., एस.टी. के बारे में, परन्तु आज सिर्फ आई.एस.आई. को केन्द्र करते हुए, अराष्ट्रीय गतिविधियों को केन्द्र करते हुए मैं बोलूंगा। उनके साथ पत्रकार वार्ता में श्री जुबेर खांजी, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस मौजूद थे, गृह मंत्रीजी ने वहां कहा, वहां के सारे अखबारों में छपा। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि एक विधायक ज्ञानदेव आहूजा बराबर आरोप लगाते हैं, हर महीने पत्रकार

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

वार्ता लेते हैं कि यहां आई.एस.आई. के एजेंट, सिमी के एजेंट सक्रिय हैं, गृह मंत्रीजी आपका क्या कहना है। गृह मंत्रीजी ने यह जवाब दिया कि अलवर जिले में, मेवात में कोई आई.एस.आई. का एजेंट नहीं है। यह जवाब दिया कि ये आरोप मनगढंत व राजनैतिक हैं। मैं राजनीति नहीं करता, मैं किसी भावना से राजनैतिक हूं तो राष्ट्रीयता के कारण से राजनैतिक हूं। गृह मंत्रीजी ने यह बयान दिया उसके 15 दिन बाद ही आई.एस.आई. के एजेंट एक अप्रैल को नौगांवां, मेरे क्षेत्र रामगढ़ में पकड़े गये हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए गृह मंत्रीजी का यह सर्टिफिकेट जिलाध्यक्ष श्री जुबेर खांजी के साथ बैठकर दिया गया है। यह बहुत ही शर्मनाक और दु:ख की बात है। यह दु:ख की बात मैं आपको कहना चाहता हूं बाकी निर्णय आप करें। मेरा आपसे निवेदन है कि आई.एस.आई. एजेंटों आफताब अंसारी का और जासूसी में लिप्त तीन व्यक्तियों के नाम बराबर मैंने बताये। इस मेवात से लोग झालावाड़ गये हैं, इस मेवात के लोग कोटा गये हैं, इस मेवात के लोग गंगापुर सिटी में गये हैं, इस मेवात के लोग मालपुरा में गये हैं। अगर दंगे हुए हैं तो पूरी जांच करायी जाए। देवराजन साहब ने खुद ने माना है, इंटेलिजेंस के एडिशनल आई.जी. व आई.जी. ने माना है। कृपा करके क्राइम ब्रांच का आई.जी., इंटेलिजेंस का सी.आई.डी., सबसे पूरी जांच करायी जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं गंगापुरसिटी में, आश्चर्य की बात है, इस बात के साथ मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि जिनके खिलाफ 302 के अपराध हैं वे पुलिस की जीपों में, प्रशासन के ए.डी.एम. व कलक्टर की जीपों में घूम रहे हैं। वे लोग बराबर घूम रहे हैं जिनके खिलाफ रिपोर्ट है।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वे उनके साथ घूम रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं गंगापुर में, जिन्होंने सरेआम गोली चलायी...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं 302 के, हम आपको बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जिनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहती जिनके खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जहां तीन लोगों की हत्या हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करने दो। उनकी बात पूरी होने दो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बात पूरी हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आठ आदमियों के खिलाफ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमारी मांग यह है कि जिन तीन लोगों को डी.एस.पी., एस.पी. ने मार दिया उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरफ्तार करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नहीं सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप।

श्री मदन दिलावर : आप तो क्यों सुनेंगे ऐसी बात? ऐसी बात क्यों सुनेंगे आप?

श्री धर्मपाल चौधरी : जिनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है उनको गिरफ्तार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : वो बोल रहे हैं उनको बोलने दो न आप।

डा. किरोड़ी लाल : हम यह कहना चाहते हैं कि गंगापुर में जो गोलीकांड हुआ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनकी बात समाप्त हो गई क्या? (व्यवधान) हो गई?

डा. किरोड़ी लाल : राजस्थान की सरकार के अधिकारियों ने जिन तीन आदमियों को मार गिराया उन +++ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, वे +++ गिरफ्तार होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो न फिर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आप बैठो।

डा. किरोड़ी लाल : बैठना क्या, हमारी मांग है कि उन +++ को गिरफ्तार करो।

श्री उपाध्यक्ष : या तो आप बोलो या वे बोलेंगे।

श्री मदन दिलावर : +++ को गिरफ्तार करो।

श्री उपाध्यक्ष : सारे बोलेंगे क्या?

डा. किरोड़ी लाल : सारे बोल रहे हैं, +++ को गिरफ्तार कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : उनको समाप्त करने दो न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि अलवर में मिलिटरी के दो-दो डिपो हैं... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, बैठो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक निवेदन करना चहता हूं आपसे।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर में जो सैन्य केन्द्र है वहां पर जासूसी के अड्डे हैं। ये लोग गंगापुरसिटी में गये, गंगापुरसिटी में जो हत्याएं हुई हैं पुलिस के द्वारा उसके बारे में और सम्पूर्ण राजस्थान में इन गतिविधियों पर जांच की जाए। गंगापुरसिटी में जो 302 के हत्यारे हैं उनके बारे में मेरा फिर निवेदन है कि उनको कृपा करके प्रशासन की, पुलिस की जीपों में घूमने नहीं दिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जैसा 302 व 307 के आम अपराधियों के साथ व्यवहार होता है वही व्यवहार करना चाहिए। यह मेरा इन आई.एस.आई. गतिविधियों को सीमित करने और सरकार को चेताने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है। ये सारे सबूत सरकार चाहे तो मैं दे सकता हूं, और भी सबूत मेरे पास में हैं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मदन दिलावर : गंगापुरसिटी में तीन-तीन लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले लोग, एडिशनल एस.पी. ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इससे क्या ताल्लुक है? (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहां गंगापुर ले आये?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। श्री हरिसिंहजी।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या? क्या कह रहे हो आप?

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, क्या कह रहे हो आप?

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस को गवर्नमेंट करेगी, मैं करूंगा क्या?

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट कार्यवाही करेगी।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हो आप?

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हां, फरमाओ। यहीं रहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल क्या रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : गंगापुर का प्रश्न ही नहीं है। गंगापुर का इश्यू ही नहीं है, बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंहजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : गंगापुर पर कार्यवाही हो गई, गवर्नमेंट ने कार्यवाही कर ली। वहां जो कुछ घटना घटी उस पर सरकार ने कार्यवाही की है, और क्या चाहते हो आप?

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कर रही है गवर्नमेंट कार्यवाही। कार्यवाही कर रही है।

श्री मदन दिलावर : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :–

जन लेखा समिति, 2002-2003

(1) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति,

---

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

2002-2003 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

प्राक्कलन 'क' समिति, 2002-2003

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2002-2003 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

प्राक्कलन 'ख' समिति, 2002-2003

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2002-2003 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।

राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233ख(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।''

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-42 उद्योग की प्रस्तुति

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये बयासी करोड़ चौसठ लाख बियालीस हजार (82,64,42,000/-) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित हैं, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमीन खान (शिव)

1. बाड़मेर जिले के ग्राम रेडाना तहसील शिव में नमक बनाने हेतु नमक उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्दू (पीलीबंगा)

2. रूग्ण उद्योगों में प्रशासनिक जिम्मेवारियां तय कर वित्तीय स्थिति को सुधारने एवं छीजत को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

3. जैसलमेर जिले में कृषि उपज पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र बरमसर फांटा में भारी उद्योग क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. जैसलमेर जिले में सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6. जैसलमेर जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान वित्त निगम कार्यालय को यथावत रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7. जैसलमेर जिले में ऊनी खादी के विकास हेतु छोटे उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

8. औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा में क्षतिग्रस्त डामर सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में नालों की सफाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

10. भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में उद्योगों के विकास हेतु सफल औद्योगिक नीति बनाये जाने एवं खादी ग्रामोद्योगों से वित्त पोषित, ईंट भट्टा, सोप स्टोन आदि को बिक्री कर से मुक्त करने के साथ ही ग्रामीण उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

11. सरकार द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान रिको व आर.एफ.सी. द्वारा किये जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा समय पर पुनर्भरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा व बांसवाड़ा में कार्यरत अधिकारियों द्वारा उद्योगों को अनुदान देने में करोड़ों रुपयों के घोटाले किये जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

13. ग्राम जसवन्तगढ़, जिला नागौर में नमक क्षेत्र की भूमि को नमक बनाने के लिए आबंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र नावां में नमक उत्पादन हेतु भू-खण्डों के नाम परिवर्तन के मामले में पन्द्रह एकड़ की सीमा तय करने एवं विचाराधीन मामलों में पूर्व के नियमानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र नावां के नमक क्षेत्र के भू-खण्डों की लीज की अवधि बढ़ाये जाने हेतु अत्यधिक स्टाम्प शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

16. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के इण्डस्ट्रियल एरिया हीरावाला में स्थापित अधिकतर फैक्ट्रियों के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत ऋण का वास्तविक भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में संचालित औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में रूग्ण/बीमार औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल, तैयार माल के विपणन पर आर्थिक सहायता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्टोन क्रेशर मशीन उद्योग से कृषि भूमि एवं जनजीवन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

21. राजस्थान के अनिवासी प्रवासियों द्वारा कान्कलेव के दौरान लिखित में उद्योग लगाने की इच्छा के बावजूद विभाग द्वारा कारगर कदम नहीं उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. जिला उद्योग केन्द्रों को सक्षम बनाने तथा उनकी सिफारिश पर बैंकों द्वारा ऋण प्रार्थना पत्रों को निरस्त व राशि कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. अजमेर जिले में लघु उद्योग क्षेत्र ''बैवन्जा'' में आधारभूत ढांचा यथा पेयजल, बाइपास से सीधी सड़क बनाने व ऊर्जा की पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री गोविन्द सिंह)

24. अजमेर जिले में कामन फेसिलिटी सेन्टर खर्जा की भांति क्वार्टज व फैल्सपार आदि के कुम्हारी उपयोग की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. सिंगल विंडो सिस्टम को व्यवहार में अभी भी लागू नहीं होने तथा उद्योगपतियों को दर-दर भटकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

26. राज्य में औद्योगीकरण व निवेश के लिए पूर्णतया प्रतिकूल व विषम वातावरण बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

27. जिला पाली, जोधपुर एवं बालोतरा के रंगाई-छपाई, टैक्सटाइल, उद्योगों पर उत्पाद शुल्क लगाने के कारण गम्भीर संकट में आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. खादी ग्रामोद्योग से राज्य के अधिकांश विभागों द्वारा राज्य के निर्देशों के बावजूद खादी अपने कार्यालय हेतु नहीं खरीदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

29. राज्य में उद्योगों की खस्ता हालत पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

30. अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से डी श्रेणी में घोषित करने एवं केकड़ी, सरवाड़ रीको क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने, सावर मार्बल उद्योग को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

31. चूरू जिला मुख्यालय में रीको औद्योगिक क्षेत्र में कम क्षमता का ट्रांसफार्मर होने से विद्युत सप्लाई में व्यवधान आने से उद्योग बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

32. चूरू जिला मुख्यालय में रीको औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधा मुहैय्या नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. प्रदेश में विगत तीन वर्षों से एक भी बड़ी औद्योगिक परियोजना प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. चूरू जिले को उद्योग रहित जिले में मिलने वाली रियायतें नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

35. जयपुर मेटल्स एवं इलैक्ट्रिकल्स कम्पनी को बिना करण बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

36. उद्योगों पर बकाया राशि समय पर न वसूलने से राज्य की जनता पर लगे प्रभार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

37. राजस्थान के रुग्ण उद्योगों को पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विभाग द्वारा अजमेर जिले में उद्योगों के विकास हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. रायड़ा उद्योग बन्द होने व मजदूरों को भुगतान व रोजगार अन्यत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. विभाग द्वारा लघु उद्योग के लिए ऋण समय पर उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

41. विभाग द्वारा सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर औद्योगिक क्षेत्र में जुबैरी इंजीनियरिंग कम्पनी को खैरदा औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट के बदले पूरी राशि जमा होने के बावजूद भी भू-खण्ड नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

42. नगर, सीकरी, गुलपाड़ा, गोपालगढ़, पहाड़ी क्षेत्रों में रीको स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विभाग द्वारा सिमको भरतपुर को पुनः प्रारम्भ कराने की धीमी कार्यवाही से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

44. राज्य के बन्द पड़े उद्योगों को पर्याप्त राहत मुहैया कराकर पुनः प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. ग्राम महल, तहसील सांगानेर में उद्योग हेतु अवाप्त भूमि को किसानों के उपयोग हेतु अवाप्ति से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

46. उद्योगों पर राजस्थान के अनिवासियों को आकर्षित किये जाने लेकिन नई पूंजी का निवेश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने तथा उद्योगों को पनपाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

48. राज्य में बढ़ती रुग्ण इकाइयों/ घाटे के उद्योगों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

49. जयपुर मेटल्स उद्योग के सम्बन्ध में राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण सैकड़ों व्यक्ति बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

50. विभाग द्वारा राजकीय उपक्रमों के अपविनियोजन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. राजस्थान में उद्योगों को दिये जाने वाली बिक्री पर प्रोत्साहन योजनाओं की गलत क्रियान्विति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास की बाधाओं को दूर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. राज्य में उद्योगों के माध्यम से पर्याप्त रोजगार सृजन न करा सकने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. राजस्थान में एकल खिड़की योजना की सही क्रियान्विति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

55. डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति, तहसील हैडक्वाटर पर नये उद्योग व लघु उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

56. राजस्थान उद्योग नीति के अन्तर्गत जिला टोंक में नये उद्योग की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. राज्य सरकार द्वारा नये उद्योगों की स्थापना हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली)

58. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में सीमेन्ट उद्योग का पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की दशा में सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. मैसर्स जी.पी. सीवाल प्राइवेट लिमिटेड, रामगंज बालाजी, जिला बूंदी द्वारा प्रदूषण फैलाने एवं रास्ता जाम करने व स्थानीय मजदूरों को नजरअंदाज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या-42 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आ गये मोहन मोदीजी।

श्री उपाध्यक्ष : आ गये तो बैठो, बाद में बुलवाएंगे। टाइम पर बैठना सीखो।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कैसे रिमोट से चलते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : रिमोट दबाते ही बैठते हो और रिमोट दबाते ही आवाज आती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सीखना पड़ेगा मेम्बर्स को कि टाइम पर रहें और समय पर रहें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो बिना रिमोट के ही चलते हो ना?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या-42 उद्योग पर बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : जैसे ही रिमोट दबाते हैं नेता प्रतिपक्ष, वैसे ही आवाजे आती हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या-42 उद्योग पर हो रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। उपाध्रक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसको सम्पूर्ण रूप से कंडेम करता हुआ कहना चाहता हूं कि सरकार ने उद्योगों को बरबाद करने के लिए पिछले साढ़े तीन साल में जो योजना बनायी है, उससे उद्योगों का विस्तार होना तो दूर की बात है वे अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में सारी प्रगति रुक गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़ों सहित आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। पूर्व में पिछले बजट में एकल खिड़की के बारे में उद्योग मंत्रीजी ने घोषणा की थी, उस समय भी मैंने एकल खिड़की के बारे में कहा था कि एकल खिड़की या सिंगल विंडो, सिंगल विंडो या भिण्डी और टिण्डो, इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कोई भी उद्योग लगने के लिए जो वातावरण चाहिए, जो उद्योग के लिए इण्डस्ट्रियल कल्चर चाहिए, जो अनुशासन चाहिए, उद्योग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वह नहीं है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एकल खिड़की की धज्जियां उड़ गयीं। बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बाद तीन करोड़ के पूंजी विनियोजन प्रस्तावों पर स्वीकृतियां और आदेश प्रदान कराने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कहा गया कि जिला स्तर पर सर्वाधिकार समिति बनेगी। वह क्या करेगी? वह समिति उस जिले में उद्योग लगाने के लिए और व्यवस्था करेगी। अधिकार प्राप्त समितियों से उद्यमियों को निर्धारित समय के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने की दृष्टि से समस्त सम्बन्धित विभागों के प्रार्थना पत्रों की समीक्षा कर संकलित कर फार्म तैयार किया गया। तीन करोड़ से कम के विनियोजन के प्रस्ताव के प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किये जाते हैं। जिला उद्योग केन्द्र सम्बन्धित विभागों को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित समय के अन्तर्गत उनकी स्वीकृति सुनिश्चित करते हैं।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यह तीन करोड़ तक की जो कमेटी बनायी गयी और इसके बारे में एक समय निश्चित किया गया उस समय

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

में तो क्या साल-साल भर तक उस उद्योग को स्वीकृति न तो वित्त विभाग से मिली, न उद्योग विभाग से मिली और न किसी दूसरे विभाग से मिली न वित्त निगम से और न रीको से। रीको के प्लाट के विवाद इतने जबरदस्त हुए कि थानागाजी जो उप क्षेत्र अलवर जिले में घोषित था और जगह-जगह सभी 32 जिलों में रीको के जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित हैं वहां पर कहीं भी रीको के द्वारा बार-बार प्रयास करने के बाद भी कोई उद्योग नहीं लगाया गया।

इस तरह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों को लगाने का वातावरण खराब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि दिल्ली में जो इण्डस्ट्री लगी हुई हैं उसको दिल्ली से बाहर ले जाया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको राजस्थान में लगाने के लिए बड़े प्रलोभन दिये गये और उनको कहा गया कि हम बिजली और पानी से लेकर, स्वीकृति से लेकर वित्त निगम और उद्योग, रीको के द्वारा आपको प्लाट से लेकर सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन राजस्थान सरकार की वर्तमान व्यवस्था पर किसी ने भी कोई विश्वास नहीं किया। उनको ब्याज अनुदान योजना के लिए कहा गया, बिक्री कर मुक्ति के लिए कहा गया और 1998 की योजना का हवाला दिया गया। डीजल जनरेटर सैट अनुदान योजना के लिए कहा गया, गुणवत्ता प्रोत्साहन के लिए कहा गया लेकिन कोई भी उद्योग यहां पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रीको की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उद्योग विभाग के द्वारा, अब इसको हम लोग लें तो आयोजना बजट, आबंटन प्राप्तियां, लम्बे-चौड़े आंकड़े देकर उद्योग क्षेत्रों का विकास बताया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण देने के बाद भी भूमण्डलीकरण के कारण और मल्टी नेशनल के कारण उद्योग यहां राजस्थान में नहीं आने हैं। औद्योगिक परियोजनाओं में वित्तीय सहायता के लिए लम्बे-चौड़े आंकड़े रीको के द्वारा प्रस्तुत किये गये लेकिन कोई भी उद्योग आने के लिए तैयार नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीको के विशेष रूप से भिवाड़ी, नीमराणा, शाहजहांपुर, टपूकड़ा, मटीला जो हमारे तिजारा के पास औद्योगिक क्षेत्र हैं और खैरथल, राजगढ़ अलवर जिले के क्षेत्र जो दिल्ली के पास पड़ते हैं और बहरोड़, यहां पर उद्योग लगना तो दूर, जो उद्योग लगे हुए थे वे ही बरबाद हो गये, वे भी बन्द हो गये। बन्द पड़े उद्योगों की सूची अगर मैं आपको प्रस्तुत करूं तो कुछ सरकारी आंकड़े हैं। उन सरकारी आंकड़ों के आधार पर बन्द उद्योगों की तालाबन्दी और क्लोजर का हवाला जो उस सरकार ने दिया है, वर्तमान में राज्य में 17 उद्योगों की तालाबन्दी चल रही है। सरकार द्वारा सभी उद्योगों की तालाबन्दी खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, यह पिछला उत्तर था। उद्योगों में तालाबन्दी के कारण श्रमिकों का हवाला दिया है कि 32 हजार के लगभग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बन्द उद्योगों की एक सूची भी दी गयी, लम्बी-चौड़ी सूची है। राजस्थान के 30 हजार के लगभग लघु उद्योग जिनको स्माल स्केल इण्डस्ट्री कहा जाता है। वृहत् उद्योग इतनी बड़ी संख्या में बन्द हैं जिनकी संख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बन्द उद्योगों को चालू करना तो दूर की बात है, जब यह सरकार आयी थी तब बड़ा विश्वास दिलाया गया था कि इन बन्द उद्योगों को चालू करेंगे और रुग्ण उद्योगों के बारे में विचार करेंगे। बन्द उद्योग जयपुर मैटल्स जयपुर; बन्द उद्योग जयपुर सिंटैक्स बहरोड़; सारे सीमेन्ट प्लांट और सीमेन्ट प्लांट के अलावा टैक्सटाइल उद्योग। टैक्सटाइल में माडर्न सिंटेक्स, अलवर; माडर्न शूटिंग, अलवर; सर्राफ सिंथेटिक्स, अलवर; सिटीजन, बांसवाड़ा ऐसे कितने ही बड़े उद्योग हैं उनके नाम मैं गिना सकता हूं, जो सारे बरबाद हो गये और जिनको चालू करने के लिए कहीं भी किसी तरह का सरकार ने प्रयास नहीं किया। जयपुर मैटल्स का जो उत्तर दिया वह बड़ा शर्मनाक है कि वहां पर मात्र 6 करोड़ रुपये चाहिए। वह उत्तर भी यहां संलग्न है आपके इसके साथ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस है कि आज उद्योग की मांग पर चर्चा अभी प्रारम्भ ही हुई लेकिन सदन का कोरम भी आप गिन लो, पूरा नहीं है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन ठीक प्रकार से चले लेकिन यह बहुत दयनीय स्थिति है।

श्री रतन लाल ताम्बी : आपका भी नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारा तो है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मैंने पहले ही इंडिकेट किया है। मैंने पहले ही आपको इंडिकेट किया इस हालत का तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप बुलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बुलाओ न, आपके ही खाली हैं पूरे। आप खुद ही दो बैठे हैं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय के विशेष अनुरोध पर ही उद्योग पर चर्चा रखी गई है। आपके दो मैम्बर हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, वह तो है। हमारी तो जिम्मेदारी है ही...

श्री रतन लाल ताम्बी : आपकी संख्या भी कम है। आपके भी अनुपात से कम है। आप भी बुलाओ, इधर भी आएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। सब एक तरह के हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिम्मेदारी आपकी भी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इन बंद पड़े उद्योगों में खुद धौलपुर के हमारे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

वित्त मंत्री के क्षेत्र में ही एक्सप्लोजिव फैक्टरी आज बंद है, वह चालू नहीं हुई। वहां के श्रमिकों को, वहां की जनता को बड़ा यह भरोसा था कि वह उद्योग चालू होगा जब यह सरकार आयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप गिन लें, पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : 19 हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 20 चाहिए। बजाओ घंटी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हैं। आप और जाओगे तो 18 ही रह जाएंगे। अभी चले गये इसलिए कम हो गए।

श्री रतन लाल ताम्बी : आपके अनुपात से कम हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे अनुपात को देखना नहीं है। आप तो अपनी जिम्मेदारी समझो, बाकी जिम्मेदारी की चिंता छोड़ो, क्या दशा हाऊस की बना रखी है, जब भी रहता है तब ऐसी ही स्थिति रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : एक आये और एक चले गये, बात बराबर हो गयी।

(गणपूरक घंटी गणपूर्ति के पश्चात्)

हो गया तो बन्द हो गयी घंटी। बोलिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर सिमको में हमारे यहां रेलवे वैगन बनते थे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का, लोहे का उद्योग था। जयपुर मैटल में बिजली के मीटर बनते थे। जी.डब्ल्यू. में रेलवे क्रासिंग और वायर प्लांट था। आज वे सारे उद्योग बंद हैं। इतना ही नहीं, जो आंकड़े सरकार के द्वारा दिये गये और उस आंकड़े से 10 प्रतिशत उद्योग बन्द हैं, कम नहीं हैं। जयपुर ग्रामीण में 515 उद्योग बन्द हैं, जयपुर शहर में 1680 उद्योग बन्द हैं, अजमेर में 2192 उद्योग बन्द हैं, अलवर में 873 उद्योग बन्द हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। बांसवाड़ा में 296 उद्योग बन्द हैं, बारां में 102, बाड़मेर में 877, भरतपुर में 8804, भीलवाड़ा में 1401, भिवाड़ी में 314, बीकानेर में 937, बूंदी में 218, चित्तौड़गढ़ में 363, चूरू में 874, दौसा में 150, धौलपुर में 185, डूंगरपुर में 240, हनुमानगढ़ में 225, जैसलमेर में 114, जालौर में 118, झालावाड़ में 541, झुंझुनूं में 457, जोधपुर में 780, कोटा में 261, नागौर में 132, जोधपुर जो खुद मुख्य मंत्रीजी का जिला है वहां पर 780, पाली में 1379 उद्योग बन्द हैं। यह आपके द्वारा दिया हुआ आंकड़ा है। माननीय कल्ला साहब, आपके द्वारा बनाया हुआ है, आप मंत्री हैं ऐसे मज़ाक मत बनाएं। आप कुछ गम्भीर बनिए। श्रीगंगानगर में 566, सीकर में 966, सिरोही में 532, सवाईमाधोपुर में 984, टोंक में

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

1182, उदयपुर में 1049 बंद हैं। ये आंकड़े आपकी सरकार के द्वारा, उद्योग विभाग के द्वारा, माननीय उद्योग मंत्रीजी के द्वारा प्रस्तुत आंकड़े हैं जिसमें 10 प्रतिशत का इनक्रीज है, ये सारे उद्योग बन्द हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रुग्ण मिलों की संख्या का क्या कहा जाए। 21979, आपका आंकड़ा है। मेरा नहीं, सरकार के द्वारा दिया गया है। 10 प्रतिशत बढ़ाकर इसमें होगा क्योंकि ये आंकड़े जब दिये गये उसको भी आज छह महीने हो गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे आंकड़े बताते हैं कि बन्द उद्योगों के बारे में गम्भीरता से सोचने के लिए हमारे उद्योग मंत्रीजी तैयार नहीं हैं। अब इनके बारे में क्या कहा जाए? शक्ल तो इनकी बड़ी भोली है, भोली शक्ल के बारे में ज्यादा शेर तो क्या कहूं, बाद में कहूंगा लेकिन मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो पहले गम्भीर हैं, गम्भीर ही बने रहें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां, निश्चित।

श्री रामस्वरूप : आपकी शक्ल कैसी है यह तो बता दो। हर कोई डरता है आपकी शक्ल देखकर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका भगवान भला करे। ऐसा है इनके बारे में तो मेरा इतना ही कहना है–

भोली सूरत दिल के खोटे,
नाम बड़े और दर्शन छोटे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं उद्योगों से, श्रमिकों से जुड़ा रहा हूं इसलिए मेरी और इस बारे में चार पंक्तियां हैं, खुद की बनाई हुई–

दिल ऐसा मेरा आपने तोड़ा
सारे बजट को और सारा बिगाड़ करके छोड़ा।
भोली भाली राजस्थान की जनता को
आपने कहीं का न छोड़ा
दिल ऐसा आपने मेरा तोड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्रों को बरबाद यह उद्योग मंत्रीजी ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, रुग्ण इकाइयों के बारे में राहत देने के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा, वैसे व्यक्तिगत रूप से कहना तो नहीं चाहिए, इनके स्वयं के समधीजी के छह-छह उद्योग बंद हैं, रुग्ण हैं। अब रुग्ण हैं, बी.आई.एफ.आर. में गये हैं। बी.आई.एफ.आर. 6-6, 8-8 साल लगाता है। बी.आई.एफ.आर. जैसा कोई नया कानून बनाने के लिए राजस्थान में कहा गया। यह कहा गया कि बी.आई.एफ.आर. में चूंकि समय बहुत लगता है इसलिए राजस्थान में एक नया कानून बनाएंगे जो बी.आई.एफ.आर. से खींचकर उद्योगों को भू-आबंटन में, दुबारा रुग्ण इकाइयों को चालू करने में सहयोग करेगा। वह कानून आज तक नहीं बना

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और सारे उद्योग एक-एक करके बरबाद हो रहे हैं। माडर्न ग्रुप जो माननीय वित्त मंत्रीजी के स्वयं के समधी हैं एच.एस. रांका साहब, उनके छह उद्योग आज रूग्ण इकाइयों में हैं। यह स्थिति राजस्थान की है और रुग्ण इकाइयों को इन्होंने सहयोग के लिए कहा है। "ऊंट के मुंह में जीरा और खा लो आप सीरा मिले नहीं खीरा तो बन जाओ खान का हीरा"। ऐसे असत्य वाचन करके आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान में कैसे उद्योग लगाना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि राजस्थान में कांग्रेस आ रही है और उद्योगों के बारे में, श्रमिकों के बारे में पता नहीं कितनी राहत पहुंचाएगी। लेकिन इनके बारे में एक शेर मैं बोलूं –

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
लेकिन चीरा तो कतरा-ए-खून न निकला।

श्री रामस्वरूप : आप हमारा भी शेर सुन लो–

घर से निकले थे तो दिल में कुछ अरमान थे,
एक तरफ थी बस्तियां, एक तरफ श्मशान थे।
पैर के तले एक हड्डी दबी, उसके भी ये बयान थे,
देखने वाले देख के चल, हम भी कभी इन्सान थे।
सोच समझ कर बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो कभी इन्सान न थे, न हो और न रहोगे।

श्री रामस्वरूप : बोलने वाले सोचकर बोलो, नहीं मैं तो रहूंगा। ज्ञानदेव आहूजा साहब को ज्ञान दिया है साहब। मैंने तो निवदेन किया है आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आपकी सी. आर....

श्री रामस्वरूप : हम इनसे कम थोड़े ही हैं कि ये तो इस तरह से सुना दें और हम नहीं सुना सकें। सत्ता पक्ष भी कम नहीं है। यहां भी बड़े-बड़े विद्वान हैं सत्ता पक्ष में भी

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर उसके बाद भी मुख्य मंत्रीजी ने आपकी योग्यता को नहीं समझा और आपको मंत्री नहीं बनाया। हमारी सब की मांग के बावजूद भी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रुग्ण इकाइयों का जो कहा गया और नये उद्योग लगाने के लिए जो प्रस्तावित किया गया, राजस्थान में एक सम्मेलन हुआ उसमें सिर्फ उद्योगपति, व्यापारी...

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मात्र यही ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष और प्रतिपक्ष एकमत हैं। रामस्वरूपजी को मंत्री बनाया जाए, इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों एक हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं सबसे पहले समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

श्री रतन लाल ताम्बी : कल के बाद रेट बढ़ गया, ऐसी बात नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उद्योगों का रूग्ण और बंद इकाइयों का संक्षिप्त विवरण आपके सामने दिया है। रुग्ण इकाइयां क्यों होती हैं उसके बारे में पहले एक यहां पर अच्छा खासा नाटक हुआ। बिड़ला आडिटोरियम में एक मेला हुआ, उस मेले में अगर उद्योगपति बुलाये जाते हैं उद्योगों के विस्तार के लिए, अगर कोई एंटरप्रिन्योर बुलाये जाते हैं और व्यापारी बुलाये जाते तो अलग बात थी, वहां पर कामेडी करना चाहते थे या फिल्म बनाना चाहते थे। हमारे राजस्थान के रहने वाले बहुत सारे साहित्यकार, लेखक, कोई भी हो सम्मान करता हूं और कामेडियन, हीरो असरानी साहब भी आये, वे भी उस प्रोग्राम में थे। अब वहां क्या हुआ? वहां यह हुआ कि आपको किस-किस उद्योगपति ने क्या कहा? कल माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी, आने वाले मुख्य मंत्रीजी माननीय भैरोंसिंहजी ने भी आपको यह कहा, अच्छा होता कि सम्मेलन नहीं बुलाया जाता। उस सम्मेलन में एल. एन. मित्तल साहब जो वर्ल्ड के स्टील किंग हैं, उन्होंने क्या कहा? आप मुझे यहां उद्योग लगाने के लिए नहीं कहें। उन्होंने गालियां ही नहीं दीं, बाकी सब कुछ किया। मुख्य मंत्रीजी मंच पर थे, सैक्रेटरी और अधिकारी मंच पर थे, उद्योग मंत्रीजी मंच पर थे, उन्होंने कहा, मुझे यहां राजस्थान में वैलफेयर के काम के लिए तो कहे लेकिन उद्योग लगाने के लिए न कहें। उद्योग क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि आर्थिक अनुशासन नहीं है, इण्डस्ट्रियल कल्चर नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए आपके यहां राजस्थान में उद्योग नहीं लगाउंगा। जबकि वह राजस्थान के रहने वाले हैं। इसके अलावा और आप प्रतिक्रिया सुनिये। उपाध्यक्ष महोदय, एल.एन. मित्तल के अलावा यहां पर आये दूसरे उद्योगपति उस सम्मेलन में सी.के. बिड़ला, उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान मोटर जयपुर में एक अस्पताल और एक स्कूल खोलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। बाकी इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए कृपा करके नहीं कहें। इसके अलावा वहां पर आये राहुल बजाज साहब, उन्होंने कहा कि आपके सैक्रेटरी के द्वारा बयान दिये गये हैं, कोई उद्योगपति अगर इस सम्मेलन के लिए कहे उद्योग लगाने के लिए, वृहत् उद्योग लगाने के लिए, तो मैं उद्योग की सोचता लेकिन आपके यहां सैक्रेटरी से और आई.ए.एस. और आई.पी.एस. से हमको कहलवा रहे हो कि हम उद्योग लगाएं तो हम तैयार नहीं हैं। यहां पर बेहतर वातावरण चाहिए। राजस्थान में वर्तमान में औद्योगिक वातावरण नहीं है इसलिए मैं कोई इण्डस्ट्री यहां लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। बजाज सबसे बड़े आटोमोबाइल क्षेत्र के उद्योगपति हैं। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे उद्योगपति कह रहे हैं अमित कानोड़िया, ये अमित कानोड़िया साहब के ओरिजिनल वर्ड हैं कि सरकार पूरा समर्थन करे तो यहां उद्योग लगाने के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

लिए तैयार हैं अन्यथा नहीं। चूंकि सरकार पूरी गम्भीर नहीं है उद्योग लगाने के लिए, इसलिए सरकार के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। विजय कलन्दरी उस समय बोले, हमें प्रशासन में बेहतर खुलावट चाहिए। बेहतर खुलावट का अर्थ क्या है? सिंगल विंडो को कहा, टिण्डी और भिण्डी को कहा, इंडो और विंडो को कहा, लेकिन हुआ क्या कुछ? कोई उद्योग लगा क्या? कोई उद्योगपति आया क्या? आये तो झूठे आंकड़े बता दीजिए कि इतने रजिस्ट्रेशन हैं। वह भी बहुत लम्बी-चौड़ी संख्या है, हजारों में रजिस्ट्रेशन हुए। पर रजिस्ट्रेशन के बाद कितने उद्योग लगे? कितनों को वित्त निगम और रीको ने लोन दिया? वित्त निगम और रीको की तो मैं कलई खोलता हूं अभी कि वित्त निगम का व्यवहार क्या है। किसी उद्योगपति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर शरण लेनी पड़ी। विजय कलन्दरी का अपना ओरिजिनल बयान है। इतना ही नहीं, के.एल.जैन साहब राजस्थान में पिछले 40 वर्षों से सैक्रेटरी चैम्बर आफ कामर्स हैं, चेयरमैन स्टाफ एक्सचेंज है, उनके शब्द हैं ओरिजिनल, "संसाधनों का समुचित दोहन नहीं, लालफीताशाही जिम्मेदार।" प्रेमबियानी जी कह रहे हैं, उद्योग नीति अव्यावहारिक। ये उद्योगनीति के बारे में कह रहे हैं कि उद्योग नीति अव्यावहारिक है। ये ताराचन्द जी चौधरी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राधेश्याम धूत कह रहे हैं कि बाजार पहले विकसित करो। आपकी तो आंखें बन्द हैं, बाजार विकसित नहीं किया और हमें उद्योग लगाने के लिए कह रहे हैं। अनू पारख कह रहे हैं कि नये बजट में भी कोई दिशा नहीं है। ये बजट के बारे में कमेंट्स अनू पारख साहब के हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं कि यहां पर कोई उद्योग लगेंगे? अभी मान्यवर मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान) अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी जिनके बारे में कहा जाता है कि युवा मुख्य मंत्रीजी हैं, कोयम्बूटर पधारे। कोयम्बूटर में 17 जनवरी को राजस्थान संघ बना हुआ है वहां उसके साथ प्रोग्राम था पर्यटन विभाग का, वहां पर उन्होंने बहुत रिक्वैस्ट की। चेन्नई भी पधारे। चेन्नई में जाकर और कोयम्बूटर में जाकर उन्होंने उद्योगपतियों को प्रभावित किया, प्रभावित करने का प्रयास किया लेकिन कोई भी उद्योगपति राजस्थान सरकार पर, इन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं तो अब कौनसे उद्योग लगेंगे? जरा, राजेन्द्र जी, आप भी सुनें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाकी माननीय सदस्य भी सुनें, कौनसे उद्योग यहां कर सकते हैं? आप बड़े उद्योग लगा नहीं सकते, आप लघु उद्योग लगा नहीं सकते, आप कोई एंटरप्रिन्योर को ला नहीं सकते, आप उद्योगपति को मना नहीं सकते। राजस्थान के उद्योगपति देश और विदेश में उद्योग लगाये हुए हैं लेकिन वहां पर वातावरण बिगड़ने के कारण से नहीं। घाटा घाटा दिखाकर, "घाटा तो अब कौन करेगा आपको टाटा, घर में नहीं है आपके

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

तो लोग लेकर आयेंगे आटा, तो ले करके लोग आयेंगे बाटा।'' अब और क्या करेंगे? कोई उद्योग लगाएगा नहीं तो उद्योग यहां कैसे लगेंगे? उद्योग लगेंगे, आप उद्योग लगा सकते हैं, आपकी योग्यता है...(व्यवधान) कांग्रेस सरकार की योग्यता है। बार-बार बोलते रहते हैं सरकार, वित्त विभाग के मामले में वित्तीय घाटा तो कौन करेगा आपको टाटा, जब आपके घर में नहीं है आटा तो आएगा ऊपर से बाटा...

श्री रामस्वरूप : झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे तुम्हारे भाटा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कौनसे उद्योग लगा सकते हैं? आपकी योग्यता है मैं यहां बताता हूं कि आप कौनसे उद्योग लगा सकते हैं, आप किस लायक हैं। मत्स्य पालन, आप मच्छी पालिये। सूअर पालन, आप सूअर पालिये। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पलिये ताकि काटे आपको। आप टांटिया पालिये, टांटिया पालन। कौआ पालन, कबूतर पालन, तीतर पालन, बटेर पालन, कुत्ता पालन, जो ऊंची नस्ल का हो। देशी कुत्ते पर तो आप भरोसा नहीं करते। इतना ही नहीं है...

श्री राजेन्द्र पारीक : सबसे ज्यादा माननीय सदस्य कोई हज्जाम की दुकान कर ले तो आपके भरोसे वह भी चल जाएगी। हज्जाम भी है वह इनसे ज्यादा बैटर रहेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, हज्जाम तो कौन है और कौन नहीं है, आप अच्छी तहर से जानते हैं। सर कतर रहे हैं लोगों के और उद्योग तो लग नहीं रहे लोगों के, बाल और दाढ़ी को मूंड रहे हो और उलटा उस्तरा चला रहे हो। आप हमें कह रहे हो, हज्जाम के साक्षात अवतार तो राजेन्द्र पारीक साहब, आप हैं और नाथूराम गोड़ के भी अवतार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तो यह जो कुत्ता पालन, कबूतर पालन, तीतर पालन, बटेर पालन, यह उद्योग आप लगा सकते हैं, आपकी योग्यता है उद्योग लगाने की।

श्री रामस्वरूप : हमने तो पाल रखा है कुत्ता, +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ तमीज से बात करो।

श्री रामस्वरूप : नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैंने पाल रखा है कुत्ता, आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, मैंने आपका नाम नहीं लिया साहब कतई, मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो पाल रहा है कुत्ता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप : मैंने नहीं कहा है, आपका नाम नहीं लिया है बिलकुल। मैंने इनका नाम नहीं लिया है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह एक्सपंज कराओ उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही से निकालो उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) ये बड़ी गम्भीरता से कह रहे हैं और वास्तव में जिन उद्योग की तरफ इन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उनमें सरकार निवेश करे तो उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक परिदृश्य बदल सकता है। आज टांटिया पालने में, मधुमक्खी पालने में, कबूतर पालने में...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : ये टांटिया, सूअर, कबूतर, बटेर, ये गम्भीरता से बातें कर रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे खुद के घर में कुत्ता पाल रखा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साहब, कुक्कुट पालन, सूअर पालन नहीं है क्या?

श्री रतन लाल ताम्बी : सूअर, टांटिये, कबूतर, बटेर, ये गम्भीरता की बातें हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। माननीय रामस्वरूप जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक मिनट जसवन्त सिंहजी, इसको तो +++ क्या जवाब देना रामस्वरूपजी का।

श्री रामस्वरूप : मैंने तो सूअर नहीं पाला, आपने ही पाल रखे होंगे सूअर। मैंने तो कुत्ता पाला है, वह मेरे घर में है कुत्ता। ये तो आपने पाल रखे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाल रखे हैं, सूअर, +++ पाल रखा है मैंने, +++ पाल रखा है मैंने, जो +++ कुछ नहीं करता।

श्री रामस्वरूप : यह तो +++ आप ही पाल सकते हैं सूअरों को, मैंने तो कुत्ता पाल रखा है, वह बड़ा पढ़ा लिखा कुत्ता है, समझदार है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सूअर पाल रखे हैं +++।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ताम्बी साहब कह रहे थे कि सूअर पालन तो आप जरा उनसे पूछ लें। आप स्वयं जानते हैं कि इसके लिए सरकार लोन नहीं देती है क्या? उद्योग मंत्रीजी खुद कह दें, नहीं देती। सूअर पालने के लिए, कुक्कुट पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, नहीं देती क्या? देती है। प्रधानमंत्री योजना में उद्योग लगने थे, वह भी कोई यहां उद्योग विभाग के लोग लगा नहीं पाये, बैंक से लोन दिला नहीं पाये। डी.आई.सी. में इन्टरव्यू होता है, डी.आई.सी. में बेरोजगार आते हैं इन्टव्यू में, मैट्रिक पास आते हैं, सीनियर पास आते हैं, बी.ए.-एम.ए. आते हैं। डी.आई.सी. में इन्टव्यू के बाद बैंकों में फाइल जाती है, बैंकों में चक्कर काट काटकर चप्पल-जूतियां घिसा-घिसाकर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कहीं से भी कोई लोन मिलता है क्या? कोई उद्योग लगा पाये? कोई काम, दुकान कितना कर पाये? छोटे मोटे उद्योग के लिए, डेयरी के लिए, किसी भी काम के लिए, योजना में केन्द्र सरकार पैसा देती है उसके लिए भी राजस्थान सरकार फेल है। राजस्थान सरकार उद्योग लगा नहीं पा रही ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय खेतसिंहजी से मैंने निवेदन किया, काटन काम्प्लैक्स श्रीगंगानगर की फैक्ट्री के लिए जो कि कोआपरेटिव सैक्टर में है। कोआपरेटिव सैक्टर में हम लोग विश्वास प्रकट करते हैं। वैसे तो सरकार के आने के बाद साढ़े तीन सालों में तीन-चार बार वादा किया कि कोआपरेटिव के चुनाव करवाएंगे और आज तक चुनाव नहीं करवाये। लेकिन कोआपरेटिव के चुनाव का विषय अलग है। यह काटन काम्प्लैक्स श्रीगंगानगर लालगढ़ में फैक्टरी है, वह बरबाद हो गई, मजदूर बरबाद हो गये, वह आज तक चली नहीं। ऐसी उद्योगों की हमारी स्थिति है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी का उदाहरण है, भिवाड़ी में गणपति प्लाजा नाम से एक काम्प्लैक्स है जो पहले अरावली फोर्जिंग के नाम से फैक्टरी थी और बाद में सम्पत काम्प्लैक्स बना, इसके बारे में माननीय जगमाल सिंहजी यादव ने भी बहुत प्रश्न लगाये थे। उसे तीन करोड़ 80 लाख रुपये टैक्स लगाकर जमा कराने के लिए कहा गया। तीन करोड़ 80 लाख पर प्रद्युम्न सिंहजी नहीं माने, उद्योग मंत्रीजी से बातचीत हुई। इस समय मिस्टी मिडोज के नाम से बड़ी बड़ी गणेशजी की मूर्तियां उस काम्प्लैक्स वालों ने दीं। और अटैचियां कहां गई? इसके बारे में चूंकि मैंने नोटिस नहीं दिया, नामजद है इसलिए नाम नहीं लूंगा। लेकिन तीन करोड़ 80 लाख की देनदारियां-लेनदारियां कहां हुईं, अटैचियां कहां गईं, इसके सबूत हमारे पास हैं। गणेशजी की मूर्तियां हमारे अधिकारियों के यहां और उद्योग मंत्रीजी के यहां कहां-कहां लग रही हैं मिस्टी मिडोज के नाम से वे गणेशजी की मूर्तियां लग रही हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया मात्र एक करोड़ 60 लाख रुपये जमा कराके, तीन करोड़ 80 लाख में से। यह एक काम्प्लैक्स की बात है। इतना ही नहीं, दिल्ली में उपहार सिनेमा की तरह उसने जो खाली स्थान रखा था उस खाली स्थान पर दुकान बना ली गई। पीड़ा यह है कि रीको और आर.एफ.सी. के पदाधिकारियों ने यहां पर सरकार का उद्योग विभाग है उसने उनको अनुमति दे दी कि वह बराबर उस पर दुकान, काम्प्लैक्स बना लें। किसी भी दिन अगर कोई दुर्घटना हो गई और आग लग गई तो वहां ठीक से फायर बिग्रेड भी नहीं पहुंच पाएगी, यह स्थिति उस काम्प्लेक्स के साथ में है। श्रीमान् चन्द्रभानजी, उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंता हूं कि

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इस सम्बन्ध में आप गम्भीरता से विचार करें। तीन करोड़ अस्सी लाख की बजाय एक करोड़ साठ लाख रुपये क्यों लिये गये, क्या लेनदेन हुआ, क्या हिसाब-किताब हुआ, इसकी जांच आप करें। हम तो जांच करवाने के लिए कहेंगे ही, लिखित में देंगे ही। इसके अलावा एक इण्डस्ट्री और है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी तो यहां हैं नहीं।

डा. जितेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी ने मुझे लिखने के लिए कहा है, मैं नोट डाउन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अभी किसी काम से गये हैं आवश्यक।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाउस से आवश्यक क्या काम होता है?

श्री अमराराम (धोद) : आहूजाजी का क्या लिखा, बता दो जरा। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हाउस से आवश्यक क्या काम होता है?

श्री रतन लाल ताम्बी : यह भी उसी जिले के हैं, अधिकार देकर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। क्यों टाइम खराब कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उद्योग के साथ श्रम जुड़ा हुआ है, भीखा भाई लिखें तो समझ में आए, आप कैसे लिख रहे हो? आप क्या लिख रहे हो? आप लिखो, बाबूजी।

डा. जितेन्द्र सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप लम्बा एक्सपीरियंस रखते हैं। जब आप मेडिकल-हैल्थ का एक्सपीरियंस रखते हैं न डाक्टर होते हुए तो डाक्टर भी उद्योग का रख सकता है। यह क्या बात हुई?

श्री रतन लाल ताम्बी : और यह उसी जिले के हैं, अधिकार देकर गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिले का होने से क्या होता है, जिले की तो मैं भी बैठी हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैंने गणपति प्लाजा का और मिस्टी मिडोज का रखा, चूंकि सारे उद्योगों का उदाहरण रख नहीं सकता। एक इण्डस्ट्री वहां पर है सरोज इण्डस्ट्रीज, भिवाड़ी और टिन कन्टेनर का उनका काम है। उनको मूल लोन देना था उस मूल लोन का 87-88 से सिलसिला चला। इस तीन साल में उनको कितना तंग किया गया, अलग-अलग टाइम में दो लाख पैंसठ हजार, एक लाख पच्चीस हजार और चार-तीरेपन, ये दिये गये। वे बेचारे गिड़गिड़ाते रहे, रिक्वैस्ट करते रहे। मूल लोन था 9 लाख का, एक साथ देते तो वह इण्डस्ट्री चल जाती, उस इण्डस्ट्री का काम हो जाता। लेकिन वित्त निगम के अधिकारियों की मनमानी के कारण वह समय पर लोन नहीं दिया जा सका, अलग-अलग किश्तों में दिया। और इतना ही नहीं किया, उनको इतना दौड़ाया, उनके

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कागज इतने बरबाद हुए कि आज की स्थिति में उनको बरबाद होकर फैक्टरी को बन्द करना पड़ा। वे पैकेज डील करना चाहते थे। पैकेज डील में इन्होंने टोटल जो निकाला इन्टरेस्ट, 25 लाख 91 हजार 508 रुपये का उसको 28.7.2000 में एक नोटिस दिया गया। वे बार-बार गिड़गिड़ाये, यहां वित्त निगम में आये, उन्होंने आकर रिक्वैस्ट की कि आप जो पैकेज डील करते हैं उस एकमुश्त डील में मेरे से 11 लाख या 12 लाख लेकर और इन्टरेस्ट माफ करके मुझ पर कृपा करें, जैसा उद्योग नीति में माननीय उद्योग मंत्रीजी ने, राजस्थान सरकार ने कर रखा है। पर उसको माफ नहीं किया गया। मजबूर होकर वह इण्डस्ट्री बन्द हो गई और उनको हाईकोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट से उनको स्टे मिला। अब हाई कोर्ट, बीच में आ जाए, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाए और वन टाइम सैटलमैंट वित्त निगम के अधिकारी और मंत्री नहीं करें तो आखिर कोई कहां जाएगा, कहां मरेगा। इतना ही नहीं, उनके लड़के ने दुःखी होकर अभी-अभी आत्महत्या कर ली है एल्ड्रिन पीकर 15 दिन पहले। यह किया आपकी राजस्थान सरकार ने। सरोज इण्डस्ट्रीज के मालिक के लड़के ने आत्महत्या कर ली एल्ड्रिन पीकर क्योंकि इतनी मनमानी की। वन टाइम सैटलमेंट करना नहीं, आप उनकी बात सुनें नहीं। पर्ची देकर वह आपके आदमियों के पास बैठे, माननीय हमारे मंत्रीजी जो लिख रहे हैं उद्योग मंत्री के बिहाफ पर, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि वह पर्ची देकर बैठे हैं सारे-सारे दिन, एक उद्योगपति जैसे कोई चपरासी बैठा है। चपरासी की तरह बेचारे बैठे रहे और आखिर में दुःखी होकर हाई कोर्ट में शरण ली। हाई कोर्ट में पैंतीस हजार रुपये वकील ने लिये और पचास हजार रुपये का ऊपर खर्चा आया, एक लाख और खर्चा आया, आखिर हाई कोर्ट से स्टे मिला। 15 जनवरी को एक सर्कुलर निकाला, उसके बाद निकाला कि मूलधन से नीचे को इण्टस्ट्री को बेच दिया जाए। उन्होंने कहा कि आप बेच ही रहे हैं तो भी मेरे को बेच दो, पैसा जमा करके मैं तैयार हूं। उसके लिए भी अधिकारी तैयार नहीं हुए। यह माननीय हमारे मंत्रियों को और सरकार को निवेदन करना चाहता हूं एक सरोज इण्डस्ट्रीज का मामला और एक गणपति प्लाजा का मामला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि और भी वक्ता बोलने वाले हैं, बस पांच मिनट श्रमिकों से सम्बन्धित बात कहना चाहता हूं। उद्योगों का दूसरा पक्ष है श्रमिक, उस श्रमिक को आप कैसे तड़पा-तड़पा कर मारते हैं। एक इण्डस्ट्री है, यूनिपेच रबड़ लिमिटेड, उसका मैं आपको निवेदन करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसने ले-आफ के लिए नोटिस दिया। ले-आफ के लिए नोटिस दिया तो,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह 60 दिन का टाइम होता है, उस 60 दिन की धारा में उसको ले-आफ का यस और नो जाता है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने उसका जवाब दिया नहीं और 60 दिन निकाल दिये, 63 दिन के बाद उसको जवाब दिया। उसने ले–आफ करके श्रमिकों को निकाल दिया। यह यूनिपेच फैक्टरी का क्या घपला है इसके बारे में भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार जांच कराए।

इतना ही नहीं, हमारे कांग्रेस के विधायक राजेन्द्रजी, आपके लायक बात है यह, हमारे कांग्रेस के सभी सदस्य बार–बार करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेज का हवाला बार–बार दिया जाता है और यह कहा जाता है कि हमने मिनिमम वेज 44 से 60 रुपये किया, 64 रुपये किया और 60 और 64 करके हमने श्रमिकों पर राजस्थान में बड़ा एहसान किया। मैं आपके सामने वह चिट्ठा रख रहा हूं कि राजस्थान में तो 60 रुपये अकुशल, 64 रुपये सेमी स्किल्ड और 68 रुपये स्किल्ड है जबकि गुजरात में 71 रुपये 50 पैसे मिनिमम वेज है 60 रुपये की बजाय। दिल्ली में 93 रुपये मिनिमम वेज है और चण्डीगढ़ में 81 रुपये 65 पैसे मिनिमम वेज है। पश्चिम बंगाल में 66 रुपये, हरियाणा में 73 रुपये, पंजाब में 75 रुपये, कर्नाटक में 65 रुपये, केरल में 62 रुपये। ये सारे अन्य प्रान्त हैं, अन्य प्रान्तों में हमारे से मिनिमम वेज ज्यादा है। इतना ही नहीं, मिनिमम वेज सलाहकार बोर्ड की मीटिंग हैं पचास रुपये इण्डैक्स बढ़ने पर बढ़नी चाहिए मिनिमम वेज, लेकिन 350 अंक बढ़ चुके हैं। भारतीय मजदूर संघ सहित वहां और भी श्रमिक संगठन बैठते हैं पर भारतीय मजदूर संघ राजस्थान में 70 प्रतिशत श्रमिक लेकर बैठा है, नम्बर एक पर है और वह संगठन वहां बैठता है। बराबर उनका आग्रह रहता है, लेकिन 350 अंक बढ़ने के बाद भी श्रम सलाहकार बोर्ड की मीटिंग तय करके राजस्थान गजट नहीं आ रहा है कि उन श्रमिकों का मिनिमम वेज बढ़ाया जाए, यह एक दुर्भाग्य की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, न्यूनतम वेतन के अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1926, आई.डी. एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट, 1948, न्यूनतम वेतन का, बोनस एक्ट का और ठेकेदारों–श्रमिक के सम्बन्ध का सभी कानूनों का राजस्थान में उल्लंघन होता है। कोई रोकने वाला नहीं है। अंधेरी नगरी और चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। यह हमारी नीयति और स्थिति हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो श्रमिकों से सम्बन्धित अन्य मैटर हैं...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : सभी अच्छा बोलेंगे। एक अकेले ही थोड़े बोलेंगे? सभी अच्छा बोलेंगे, बुरा कौन बोलेगा?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने बजा तो दी घंटी, लेकिन मैं चूंकि लेबर लीडर रहा हूं, उद्योग और श्रमिकों के सम्बन्ध में अभी तो मैंने लम्बे आंकड़े भी नहीं रखे क्योंकि समय ज्यादा लगता।

वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 39 में राजस्थान सरकार ने 60 रुपये मिनिमम वेज किया है, 1800 रुपये महीने का होता है। लेकिन वेतन की सीमा 1600 रुपये पहले से कर रखी है, राष्ट्रपति के द्वारा उसके ऊपर अमेंडमेंट होकर आना है। सरकार या मंत्रिमण्डल, मंत्रिमण्डल की उप समिति, माननीय गृह मंत्रीजी और उद्योग मंत्री के बिहाफ पर एक डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वेतन भुगतान अधिनियम, 1939 के तहत 1600 रुपये की जो सीमा है वह तीन हजार रुपये करनी चाहिए ताकि पेमेंट आफ वेजेज एक्ट के तहत उद्योगपति पर केस चल सके। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि उद्योगों का जहां वातावरण खराब किया है उसमें श्रमिकों की मुख्य भागीदारी है। श्रमिकों को अगर हम लोगों ने संतुष्ट नहीं किया, श्रमिकों को अगर हमने नाराज किया तो उद्योग नहीं चल पाएंगे। यही कारण है कि बार-बार फैक्ट्रियों पर हमले हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में संघर्ष हो रहा है और श्रमिकों में आपस में लड़ाई हो रही है। हम लोग ठीक से मालिकों को मजबूत करना चाहते हैं तो भी और नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई स्टैप हम प्रैक्टिकल लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए पहले कहा गया था लेकिन पहले उद्योगों में नब्बे प्रतिशत परमानेंट श्रमिक थे, आज दस प्रतिशत परमानेंट श्रमिक हैं। उलटा हो गया, इस शासन के साढ़े तीन साल में 10 प्रतिशत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ई.एस.आई. की जो मेडिकल सुविधा श्रमिकों को मिलती है, उस ई.एस.आई. की लोकल कमेटी राजस्थान सरकार बनाती है, श्रम विभाग बनाता है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि क्यों नहीं मीटिंग हो रही है लोकल कमेटी की बराबर। तीन महीने में एक बार होनी चाहिए, साल में चार होनी चाहिए। छह भी हो सकती हैं, लेकिन लोकल कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। कर्मचारियों को दवाई नहीं मिलती, दवाइयां नहीं हैं ई.एस.आई. अस्पताल में। डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं जो आन डैपुटेशन श्रम विभाग को मेडिकल डिपार्टमेंट भेजता है। उस ई.एस.आई. की अव्यवस्था के ऊपर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितने ही पत्र प्रथम मान्यता प्राप्त संगठन भारतीय मजदूर संघ ने लिखे हैं। लेकिन डाइरेक्टर,

(14.00 बजे)

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कमिश्नर तो क्या राजस्थान सरकार के मंत्री और सैक्रेटरी श्रम पर उसका कोई असर नहीं है। ई.एस.आई. में बराबर लोकल कमेटी की कोई मीटिंग नहीं है। जवाब यह दिया गया है कि चूंकि अध्यक्ष उसका व्यवस्त रहता है, व्यवस्तता के कारण समय के अभाव में वह लोकल कमेटी की मीटिंग नहीं बुला रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, न्यूनतम वेतन के हमारे कुछ एग्रीमेंट किए गए। बिजली बोर्ड को तोड़ा गया, पांच कम्पनियां बनीं। सारे उपक्रमों की स्थिति यही है। बिजली बोर्ड बड़ा उपक्रम था, बिजली बोर्ड को तोड़ा गया, और उस उपक्रम को तोड़ने के बाद पांच कम्पनियां बनीं। एग्रीमेंट करके भारतीय मजदूर संघ से उसको चलाया और उसको चलाने के बाद अब वहां जाइंट कमेटी बन रही है। जाइंट कमेटी बन रही है लेकिन भारतीय मजदूर संघ जो वहां पर मान्यता प्राप्त यूनियन का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी सबसे बड़ी सदस्य संख्या है उसको मैम्बर नहीं रखा जा रहा है। यह ब्रीच-इन-एग्रीमेंट हुआ। ब्रीच-इन-एग्रीमेंट की क्या सजा होनी चाहिए राजस्थान सरकार को और विभाग को, यह कृपा करके बताएं? दुःख की बात तो यह है कि बिजली के कारण बहुत सारे उद्योग बन्द हो रहे हैं। कितने ही पत्र मेरे पास हैं, मैं संक्षेप में जानकारी आपको देना चाहता हूं। बिजली मंत्री भी डा. चन्द्रभान साहब हैं और माननीय चन्द्रभान जी उद्योग मंत्री भी हैं, दोनों विभाग आपके पास हैं। बिजली के लिए कितने उद्योगपतियों ने लिख करके दिया है कि बिजली के कारण और 6 रुपये यूनिट होने के कारण लगातार हमको टार्चर होना पड़ रहा है। एक बार बिल भर दिया, मैं स्वयं एम.एल.ए. हूं, मैंने तांबी साहब को कल ही लिख कर दिया है। बिल पिछली बार मैंने जमा करा दिया, पर जमा कराने के बाद डबल होकर फिर इस बार आ गया। ऐसे कितने उद्योगपति हैं, कितनी इण्डस्ट्रीज हैं जिनके बिजली के बिल बराबर आ रहे हैं। पर श्रमिकों के साथ कोई राहत नहीं और श्रमिकों को बिलकुल सड़क किनारे छोड़ दिया गया है। इसलिए उद्योगों की जो अशांति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस अशांति को दूर किया जाए और उद्योगों को चलाया जाए।

उद्योगों में चोरियां हो रही हैं। मैं अब पाइंटेडली जल्दी में बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप जल्दी बोलने के लिए ही मुझे कहना चाहते हैं। उद्योगों में आग लग जाए तो कोई फायरबिग्रेड की औद्योगिक क्षेत्र में व्यवस्था नहीं है। पूरे 120-22 इण्डस्ट्रियल एरिये रीको के मुझे पता हैं। पूरे बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर, उत्तर से दक्षिण और जैसलमेर, बाड़मेर

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

से लेकर ठेठ अलवर, भरतपुर तक कहीं भी फायरबिग्रेड की औद्योगिक क्षेत्र में व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं है, रीको की ओर से सिरदर्द बना हुआ है औद्योगिक भू-खण्ड और बिक्री। यह रीको की ओर से आया है, एम.आई.ए. अलवर में आई.टी. जोन का इंतजार हो रहा है। यह क्यों हो रहा है, उसके कारण के बारे में विचार करें। औद्योगिक इकाइयां नीलाम हो रही हैं, क्योंकि कहीं श्रमिकों का अनरेस्ट, कहीं बिजली का और पानी का और कहीं लो का इन उद्योगों को बर्बाद कर रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों पर गौर फरमाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अब तक बताया गया है कि 5017 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश किया गया। औद्योगिक इकाइयां कितनी चालू हुईं, इसका कोई हवाला नहीं है। बढ़ रही है औद्योगिक रुग्णता। औद्योगिक रूग्णता यानी एक प्रकार का डेंगू, मैं इसको कहूंगा कि सरकारी कुप्रबन्ध नामक मच्छर के काटने से यह रुग्णता फैल रही है। इतना ही नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्यंत पिछड़े जिलों में पांच जिलों को गिना गया है जिसमें जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू जिले शामिल हैं और औद्योगिक क्षेत्र के सात जिले ऐसे हैं। डूंगरपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, नागौर, झालावाड़ और सीकर जो पिछड़े हैं। बाकी पांच जिलें जो मैंने पहले बताये अति पिछड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक सुधारों के 10 साल बीतने तक सरकार सोती रही। यह कहा गया, कि रीको के दो फाड़ करने का प्रस्ताव है। मेरा कहना यह है कि रीको के दो फाड़ करो या चार करो, फाड़मफाड़ तुम लोग हो किनारे तुम लोग हो, अब किनारे के ऊपर हो जाए राजस्थान की नैया पार।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बहुत मुहावरे हो गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साहब, मैं बहुत तैयारी करके आया था लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोल चुके हैं आप। 50 मिनट हो गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब एक निवेदन करना चाहता था, औद्योगिक क्षेत्र की बरबादी के कारण +++ सुविधा पर टिके हुए लोग। +++ सुविधा पर टिके हुए लोग, लम्बी-चौड़ी बात करने वाले बरगद की बात करते हैं। +++ ये कांग्रेस के लोग राजस्थान सरकार। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, गमलों में उगे हुए अन्तरराष्ट्रीयता और उद्योग की बात करते हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

प्रक्रिया

कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति व उनके उत्तर

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है जो प्रस्तुत होते हैं वे मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये और बोलने के लिए कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है।

जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ ही उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समय अभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सके उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्य को सरकार की ओर से मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री मोहन लालजी मोदी।

मांग संख्या-42 पर विचार

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42–उद्योग की डिमाण्ड चल रही है। आज राजस्थान में उद्योगों की हालत बहुत जर्जर है। सबसे पहले उद्योगों में बिजली की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, रा मैटीरियल की जरूरत पड़ती है। राजस्थान में रा मैटीरियल

(14.06 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

की बहुत कमी है, बाहर से रा मैटीरियल लाकर उद्योग चलाने पड़ते हैं। बिजली के मामले में राजस्थान ने उत्पादन काफी बढ़ाया है। पिछली सरकार ने तो बिजली उत्पादन बढ़ाने के नाम पर जीरो कर दिया था, लेकिन जब हमारी सरकार ने आ कर बिजली का उत्पादन बढ़ाया है इसमें उद्योगपतियों को थोड़ी आशा हुई है कि राजस्थान में उद्योग लगाएं। मैं आपने इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगपतियों

(श्री मोहन लाल मोदी)

को थोड़ी रियारत मिले। जो आपने रूग्ण इकाइयों के लिए कुछ लोन का इस बजट में रखा है वो भी ठीक है, लेकिन विशेष तौर से आप यह देखें कि अपने यहां कौनसी इकाइयां ज्यादा लग सकती हैं। सीमेंट की इकाइयां इतनी लगीं, लेकिन धीरे-धीरे सब बन्द होती चली गईं, आखिर क्या कारण हैं? उसका कारण है कि मार्केट नहीं है या सही उत्पादन नहीं है उनका। इसलिए एक कमेटी बनायी जाए कि वो इसकी जांच करे, ध्यान करे कि हमारा उत्पादन सही हो और आपकी छाप लगे। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान खनिज संपदा से भरा पड़ा है और इससे अनेक उद्योग लग सकते हैं। लेकिन वे उद्योग भी बंद हो गये, बन्द वनों के कारण उनका जो रा मैटीरियल निकलता था उसको बन्द कर दिया। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक खनिज सम्पदा का दोहन हम सही तरीके से कर लें और उसकी इण्डस्ट्री चलाएं/लगाएं तो राजस्थान का भाग्य बदल सकता है। राजस्थान में खनिज सम्पदा अरबों रुपयों की है। सभापति महोदय, आप भी वाकिफ हैं कि आंधी की मार्बल की खानें बन्द हो गईं। कितना बड़ा माल दुनिया भर में मशहूर हो गया, वहां से जाता था, कितनी मशीनें लगी हुईं थीं, कितने लोगों को रोजगार मिलता था, कितने लोग काम करते थे। अब उसके बन्द होने के क्या कारण हैं? वन विभाग की तरफ से यह कर दिया गया कि यह सैंक्चुरी में आता है, यहां काम नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कर्नाटक में एक बड़ा नेशनल पार्क था, उस नेशनल पार्क में माइन्स का एरिया था। उस माइन्स एरिये को उन्होंने सैंक्चुरी से बाहर निकाल दिया और उनको काम करने की इजाजत दे दी। वहां काम चल रहा है। लेबर भी लग रही है और इण्डस्ट्रियां भी चल रही हैं। हमारे गुजरात में भी ऐसा ही कर दिया लेकिन हमारे राजस्थान की क्या कमजोरी है कि जो माइन्स हैं, जहां हम इण्डस्ट्रीज को चला सकते हैं उस एरिये को हम क्यों नहीं निकाल सकते। हमारे यहां लीगल ओपीनियन ली गई, लीगल ओपीनियन आ गई कि हम इनको निकाल सकते हैं, इनको बाहर कर सकते हैं, इनको काम दे सकते हैं। लेकिन क्या कारण है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से आपने बिजली का उत्पादन बढ़ाया, आपने शिक्षा का काम किया, आपने सड़कों का काम किया उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप इण्डस्ट्री को भी बढ़ावा देने की व्यवस्था करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास कूकस है, अरबों रुपये की सम्पदा है इस कूकस में। 50-50 फीट लम्बे खम्भे निकल सकते हैं, अगर

(श्री मोहन लाल मोदी)

चेष्टा की जाए। लेकिन वही सैंक्च्युरी का मामला आपके सामने आ जाएगा। जितना माइनिंग का एरिया है उसको आप वन विभाग से बाहर निकालिए। पर्यावरण का जो मामला है उनको आप कहिए कि कितने ही पेड़ लगा देंगे। आपका पर्यावरण का मामला भी हल हो जायेगा, आपको रोजगार भी उपलब्ध होंगे और आपके राजस्थान का भाग्य बदल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हित में हमको कुछ भी कड़ा कदम उठाना पड़े तो करना चाहिए, उद्योगों को रियायत देनी चाहिए। सबसे बड़ी परिस्थिति हमारी है कि जो हमको फोरेन एक्सचेंज मिलता है उस काम पर भी हम कम ध्यान देते हैं। हमको पूरी तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए। बिजली के उत्पादन में हमने बहुत बड़ी मेहनत की। पिछली सरकार ने कोई उत्पादन नहीं किया और हमने अच्छा उत्पादन किया, उसकी वजह से आज हमारे किसान की अच्छी हालत हुई है। किसान इस बात से प्रसन्न है। यह विश्वास हो गया कि अगले कुछ महीनों में हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। यह हमारी सबसे बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति है। (व्यवधान) किसान की हालत खराब है क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपको यह पूछ रही हूं कि आपने बिजली का जनरेशन कर लिया तो किसान की हालत कैसे सुधर गई, यह बताओ मुझे?

श्री मोहन लाल मोदी : सुधर गई। बिजली मिलेगी तभी सुधरेगी, बिना बिजली के किसान की हालत सुधर सकती है क्या? 8 घंटे तो मिली। 8 घंटे का पानी ही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप उसे बिजली सस्ती दोगे और पूरे 12 घंटे दोगे तब सुधरेगी, या ऐसे ही सुधर जाएगी?

श्री मोहन लाल मोदी : बिजली आपको पूरे 24 घंटे मिलेगी, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय सदस्या, आप जानते हो कि राजस्थान में बहुत दृढ़ इच्छाशक्ति है हमारी, हम पूरी तरह से किसानों को बिजली देंगे। रियायत के साथ बिजली दे रहे हैं। आप चिन्ता मत करिए। आपको जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली मिलेगी, आप निश्चित रूप से मानिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको धन्यवाद देती हूं अगर जितनी चाहो उतनी बिजली मिलेगी तो।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं विशेष तौर से खनिज उद्योग के बारे में ही बात करना चाहता हूं कि राजस्थान में खनिज उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है लेकिन इसमें दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। वन विभाग वाली अड़चन को आपको साफ करना पड़ेगा। दूसरे प्रदेशों

(श्री मोहन लाल मोदी)

ने गुजरात ने, हिमाचल प्रदेश ने, कर्नाटक ने जहां माइन्स हैं, जहां इण्डस्ट्रीज हैं उन सब जगहों को वन विभाग से अलग कर दिया, नेशनल पार्क जैसी महत्वपूर्ण जगह को भी अलग कर दिया। यहां तो ऐसी जगह ही नहीं है। यहां जिन वनों में ये सैंक्च्युरी बता रहे हैं वहां इनकी रिपोर्ट है कि यहां जानवर ही नहीं हैं। उसके बाद भी उसको सैंक्च्युरी से नहीं निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और राजस्थान को बहुत बड़ा घाटा पहुंचा रहे हैं। यह मेरे पास कर्नाटक की रिपोर्ट आई हुई है इसको, मंत्री महोदय, आप देख लें। हमारे यहां उद्योग किस तरह से बढ़ें? कैसे ज्यादा लगें? आज कितने उद्योग बन्द हैं? आपने पैसा दे दिया, आप इनको कर्जा देते हैं और उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको इसका तजुर्बा नहीं है। खाली सब्सिडी के लिहाज से पैसा ले लिया। एक किस्त ले ली और उसके हिसाब से इण्डस्ट्री खड़ी करने की चेष्टा कर दी, और बाद में वे छोड़ गये क्योंकि पैसा तो उनका लगा नहीं। जब तक उसमें अपना पैसा नहीं लगेगा तब तक वह इण्डस्ट्री चलेगी कैसे? यह भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है। जब आप उनको कर्जा दें तब यह देखकर दें कि यह इण्डस्ट्री चला पाएगा या नहीं चला पाएगा।

मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति इस बात पर डिपेंड करती है, यह हमारे देश का भाग्य बदल सकती है कि हमारी जो दबी हुई सम्पदा है हम उसका दोहन सही करें, बाहर निकालें, विदेशों में भेजें और विदेशों से फोरेन एक्सचेंज आए। पिछले दिनों आता था, लेकिन कई जगह ऐसा हो गया कि माइन्स को बंद कर देने से फोरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है। बड़े-बड़े उद्योग यहां वैसे ही मुश्किल हैं। अभी पिछले दिनों सारे देश से बड़े-बड़े लोगों को हमारे यहां आमंत्रित किया गया था, और उनमें कुछ मेरे विधान सभा क्षेत्र के भी लोग थे। उन्होंने यह बताया कि सबसे पहले जिस जगह के हम रहने वाले हैं उस जगह को अच्छी दशा में करने की चेष्टा करेंगे। यह उनका मानस बना। हम वहां कोई न कोई रोजगार, छोटे-मोटे जैसे भी हो सकते हैं वह रोजगार खोलेंगे, यह उनका एक मानस बना है। उनको थोड़ी ज्यादा रियायत दे दें, हम गारंटी दें कि आपको बिजली पूरी देंगे, आपको सारी रियायतें देंगे। जैसा अभी हमारे ज्ञानदेवजी आहूजा एक खिड़की वाली बात कह रहे थे, उनकी तो मजाकों की बात है। उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि आपकी गवर्नमेंट रही तब आपने क्या कर दिया। इस राजस्थान का सारा सत्यानाश कर दिया। बिजली में, किसी भी काम में देख लीजिए, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति देखो। आज ये जगह जगह झगड़ा करा

(श्री मोहन लाल मोदी)

रहे हैं। आपस में भाईचारे को समाप्त करा रहे हैं। अब इन्होंने गंगापुर को ले लिया। जहां देखो वहां। मुद्दा तो इनके पास कुछ है नहीं। इस विधान सभा में कभी हम वहां के बारे में वाकआउट करेंगे, ऐसा करेंगे, यह करेंगे, यह कोई तरीका है क्या? इस राजस्थान को डुबोने का श्रेय इनको है। (व्यवधान) इनकी बदनामी ही तो कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, या तो आप माइक का प्रयोग करें वरना विराजें। विराजें, नहीं बोलें।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण राजस्थान में कांग्रेस का राज आने के बाद लोगों में थोड़ा संतोष हुआ है, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इन्होंने तो इतना बड़ा कर्जा लेकर सारे राजस्थान में एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी, लेकिन धीरे-धीरे इसमें सुधार हो रहा है। अभी कह रहे थे कि कर्जा बढ़ा दिया। अब जब काम होंगे तो कर्जा तो बढ़ेगा ही। इण्डस्ट्री वाला, हर व्यापारी, हर आदमी कर्जा लेकर काम चलाता है। बैंकों से लेते हैं। इण्डस्ट्री भी लगती है तो बैंको से कर्जा लेते हैं। यह सारा काम तो चलता है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति कैसे सुधरे। आप इस देश में इण्डस्ट्री लगाने की बात करते हो, आज लोग गुजरात की जैसे राजस्थान को बनाना चाह रहे हैं कि यहां कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट आने की हिम्मत ही नहीं करे। यह इनकी एक ऐसी चाल है कि हमारे राजस्थान में किसी तरह से आग लगे तो इनको शायद शांति मिले। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रयत्न बराबर सफल रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेंगे और निश्चित रूप से हमारे देश में उद्योगों की हालत भी सही होगी। माइन्स के बारे में मैंने जो निवेदन किया उस पर ध्यान देकर कुछ मंत्रियों की कमेटी बनाएं, कुछ दूसरे लोगों को भी शामिल करें और किस-किस जगह हमारा यह कीमती धन जमीन में है उसको हम बाहर निकालें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): सभापति महोदय, मांग संख्या-42 पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। राजस्थान के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी, ने राजस्थान में उद्योग की क्रान्ति पैदा करने के लिए और राजस्थान की माटी में पैदा होने वाले प्रवासी लोगों का अपनी माटी के प्रति मोह जगाने के लिए विगत वर्ष राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें स्वदेशी और

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

विदेशी प्रवासी राजस्थानी यहां पर आये। उनको राजस्थान की पूरी भौगोलिक स्थिति से अवगत कराया गया। जिस प्रकार से यहां पर बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया उसके बारे में भी अवगत कराया गया। आगामी योजना से भी उनको अवगत कराया गया कि जो 50 वर्ष के अन्दर बिजली पैदा हुई है वह हम 5 वर्ष के अन्दर पैदा करेंगे। उनमें एक विश्वास जगाया गया। उस विश्वास के आधार पर राजस्थान की माटी से जुड़े हुए लोग यहां आये और उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की। मैं समझता हूं कि राजस्थान के उद्योग जगत के अन्दर आदरणीय अशोक गहलोतजी ने एक बहुत सफल आयोजन करके राजस्थान में उद्योग क्रान्ति पैदा करने के लिए बहुत बड़ी योजना को सफल किया।

साथ ही साथ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अन्दर विगत 9 साल के कुशासन में जो बीमार उद्योग रुग्ण स्थिति के अन्दर पड़े हुए थे, टैक्स, ब्याज और पैनल्टी के कारण जो बीमार उद्योग पड़े उन बीमार उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए वर्तमान बजट के अन्दर विशेष रियायतें दीं ताकि राजस्थान के अन्दर वापस उद्योग जगत चालू हो सके और राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुधर सके।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवसाइयों, बड़े उद्योगपतियों का एक चन्दा देने वाली एजेंसी के रूप में आज तक शोषण करते आये हैं। लेकिन राजस्थान की लोकप्रिय कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार ने व्यवसाइयों के प्रति अपनी तरफ से विश्वास जाग्रत करने के हिसाब से एकल खिड़की योजना की संरचना की। पहले किसी भी व्यक्ति को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 28 विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत 28 विभागों की स्वीकृति कलक्टर के अधीन कर दी। एक परिपत्र जारी किया, नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जिसमें तीन करोड़ तक का ऋण कलक्टर के अधीन समिति वहीं पर स्वीकृत करेगी। तमाम सुविधाएं या तमाम औपचारिकताएं कलक्टर के अधीन वाली समिति पूरा करेगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इतना महत्वपूर्ण कल्याणकारी फैसला व्यवसाइयों के हित में किया।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर मार्बल का उद्योग किशनगढ़ और सांवर के अन्दर पनप रहा है, लेकिन उस उद्योग के ऊपर भारी तादाद में एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। इस एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिए विगत में चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

कांग्रेस के लोग हों, उन्होंने केन्द्र के सामने यह बात रखी। अभी राजस्थान के लोकप्रिय आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी ने केन्द्र के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हाजी के सामने यह बात रखी। लाखों-लाखों श्रमिक इसके अन्दर रोजगार पा रहे हैं, यह मार्बल का उद्योग राजस्थान के अन्दर बड़ी आय देता है, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी अगर कम की जाए तो मैं समझता हूं कि किशनगढ़ और सांवर का उद्योग बहुत ज्यादा पनपता। लेकिन उलटा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जिस प्रकार से पैरवी की गयी, अखबारों के माध्यम से तो पक्ष में पैरवी की गई लेकिन दिल्ली जाकर उनके ऊपर दोहरी मार मारते हुए वर्तमान समय के अन्दर उसमें डबल एक्साइज ड्यूटी लगवा दी गई। मैं समझता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के अन्दर श्रमिकों को बेरोजगार करने के लिए और यहां के उद्योग जगत को चौपट करने के लिए केन्द्र की सरकार ने इस पर डबल एक्साइज ड्यूटी लगाई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग मंत्रीजी अपना एक और प्रतिवेदन यशवंत सिन्हाजी के सामने रखें ताकि यहां पर श्रमिक बेरोजगार नहीं हो पाएं और यहां का मार्बल उद्योग विकसित हो सके।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, केन्द्र की सरकार ने वापस इस उद्योग को चौपट करने के लिए वर्तमान बजट के अन्दर मार्बल को इम्पोर्ट करने की खुली छूट देने की कोशिश की। भला हो उन व्यवसाइयों का कि राजस्थान के लोकप्रिय आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसका भारी विरोध किया कि अगर बाहर का मार्बल आयात होकर हिन्दुस्तान आएगा तो राजस्थान के मार्बल व्यवसायी का हमेशा-हमेशा के लिए काम धन्धा चौपट हो जाएगा। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी की मांग के ऊपर यशवंत सिन्हाजी ने इस पर रोक लगाई। इसका श्रेय राजस्थान के लोकप्रिय आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार को जाता है कि इम्पोर्ट होने वाले मार्बल के ऊपर रोक लगी।

सभापति महोदय, उन व्यवसाइयों को, उन दुकानदारों को जो नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद की किराये की दुकानों के अन्दर व्यापार करते थे उनको राजस्थान की गहलोत सरकार ने व्यवसाइयों के हित में एक परिपत्र जारी करके जो बाजार की दर थी उस की 30 प्रतिशत की राशि के ऊपर ही उनको वे दुकानें बेच दीं। उनको वहां के स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया गया। दुकानों का उनको स्वामित्व देकर गहलोत सरकार ने व्यावसाइयों के हित में एक महत्त्वपूर्ण फैसला किया।

सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

ने ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बेरोजगारों को गुमटियां आबंटित करके नौजवानों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं, विकलांगों को निःशुल्क गुमटियां आबंटित करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। वर्तमान बजट में छोटे दुकानदारों को सुगम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 50,000 तक का ऋण देने की एक महत्वपूर्ण योजना लागू करने के लिए प्रावधान रखा गया है। साथ ही उद्योग जगत को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक हजार वर्गमीटर के ऊपर कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करे तो उसको अपनी कृषि भूमि को किसी भी किस्म में परिवर्तन करवाने की आवश्यकता नहीं है। इतना महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की गहलोत सरकार ने व्यवसाइयों के हित के अन्दर किया है।

सभापति महोदय, एक तरफ कांग्रेस की सरकार व्यावसाइयों के हित में इतने महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, दूसरी तरफ केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 721 खाद्यान्न वस्तुओं पर खुले आयात पर छूट देकर राजस्थान के कारखाने बन्द करवा दिये। लाखों-लाखों श्रमिकों के हाथ काटकर उनको बेरोजगार कर दिया। साथ ही केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार से खाद के दाम बढ़ाये, बीज के दाम बढ़ाये, डीजल के दाम बढ़ाये, कैरोसीन के दाम बढ़ाये, इसने पूरी तरह से किसानों की कमर ही तोड़ दी। आज हिन्दुस्तान का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, उस किसान की और कमर तोड़ने के लिए विदेशों का दुग्ध आयात करने की भी खुली छूट दी गई है। यह तो भला हो राजस्थान की जनता का, धन्य है अशोक गहलोतजी की छाती जिन्होंने राजस्थान के अन्दर विदेशी दुग्ध का उपयोग करने पर पूर्णतया रोक लगाए रखी, अन्यथा राजस्थान का किसान हर प्रकार से बरबाद हो जाता।

आदरणीय सभापति महोदय, उद्योग का सम्बन्ध श्रमिकों से भी है। आजादी के बाद इस देश को पूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूजी, अन्तरराष्ट्रीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधीजी और राजीव गांधीजी ने इस देश को इस धरोहर के साथ खड़ा किया, आधुनिक भारत का निर्माण किया। इन्दिरा गांधीजी ने सामन्तवादी, प्रभावशाली धनाढ्यों की मोनोपोली को तोड़कर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वह अपने आप में विश्व स्तर का एक महत्वपूर्ण फैसला था। सदियों से शोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीब तबके के लोग, विकेन्द्रीकरण करने के माध्यम से इन लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए थे। लेकिन आज केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन रोजगार वाले श्रमिकों को बेरोजगार कर रही है, अभी बाल्को को बेचा

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

उनसे लाखों श्रमिक फिर निजी क्षेत्र में चले गये। हिन्दुस्तान जिंक को बेच दिया। अशोका होटल को बेचने की बात करते हैं। सभापति महोदय, इन लोगों ने लाखों-लाखों मजदूरों को बेरोजगारी के कगार पर खड़ा कर दिया जिससे राजस्थान के श्रमिक के ऊपर भी इसका असर पड़ा है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगा उद्योग मंत्रीजी से, जिस प्रकार से बीच में चर्चा चली, राजस्थान की आर.टी.डी.सी. है, मिड-वे है, उन जैसी राष्ट्रीय धरोहरों को कृपा करके बेचने की किसी भी प्रकार की कोई साजिश नहीं रचें। किसी भी प्रकार से इनको बेचने के बारे में भी नहीं सोचें क्योंकि इनके अन्दर ज्यादातर अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब तबके के लोग ही श्रमिक के रूप में काम करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि वर्तमान में उद्योगों को आतंकवाद ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद ने अमरीका की जड़ें हिला दीं, संसद पर हमले ने राष्ट्र की जड़ें हिला दीं, इसके लिए पूर्णतया केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार दोषी है। सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान और राजस्थान राज्य आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। केन्द्र आतंकवाद पर काबू पाने में विफल रहा है। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर उद्योग-धन्धा पूर्णतया चौपट हो गया है। राष्ट्र के अन्दर एक तरह से गृह युद्ध चल रहा है। सभापति महोदय, वर्तमान हालत को देखते हुए, वर्तमान आर्थिक मंदी के दौर को देखते हुए राज्य के अन्दर उद्योग स्थापित हों इसको मद्देनजर रखते हुए मैं मेरे सुझाव उद्योग मंत्रीजी को देना चाहता हूं।

अजमेर जिला राजस्थान के अन्दर, ईवन वर्ल्ड के अन्दर एक अपनी अमिट छाप छोड़े हुए है। आज अजमेर जिला पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत घोषित नहीं है। इसका मूल कारण है, सभापति महोदय, कि अजमेर के अन्दर पहले एच.एम.टी. का बहुत बड़ा कारखाना था, किशनगढ़ के अन्दर आदित्य मिल थी और ब्यावर के अन्दर एडवर्ड मिल और कृष्णा मिल थी और रेलवे का कारखाना था। अजमेर जिले के तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिलता था। लेकिन उस समय में और आज वर्तमान समय के अन्दर रात-दिन का फर्क है। उस समय श्रमिकों को रोजगार प्राप्त थे। लेकिन अब 20 वर्ष के अन्दर काफी फर्क पड़ा है। एच.एम.टी. के कारखाने के अन्दर मजदूरों की छंटनी हो गयी। कृष्णा मिल बंद हो गयी, एडवर्ड मिल बन्द हो गयी और आदित्य मिल भी बन्द हो गयी। रेलवे का जो मीटर गेज कारखाना अजमेर में था वह ब्राड गेज में क्रमोन्नत होकर जोधपुर और दूसरी जगह चला गया। ऐसी अवस्था के अन्दर अजमेर में बेरोजगारी खूब बढ़ी है। वर्तमान समय के अन्दर रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। ऐसी अवस्था में सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले को पिछड़ा क्षेत्र

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

घोषित किया जाए ताकि इसके अन्दर ज्यादा उद्योग धन्धे स्थापित हो सकें। साथ ही साथ, सभापति महोदय, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अजमेर जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पर केकड़ी विधान सभा क्षेत्र है। इतना बड़ा उप खण्ड जिसके अन्दर 2-2 नगर पालिका क्षेत्र हों, 3-3 तहसीलें हों और 3-3 राष्ट्रीय राजमार्ग उसके पास में से गुजर रहे हों, 3-3 राज्य स्तर के राजमार्ग गुजर रहे हों, ऐसी अवस्था के अन्दर केकड़ी को जिला नहीं बनाएं, मैं समझता हूं केकड़ी के साथ अन्याय है। केकड़ी के अन्दर पर्यटन उद्योग को अपन देखें। अगर आज पर्यटन उद्योग के अन्दर सरवाड़ शरीफ को जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को बहुत राजस्व प्राप्त होगा। सभापति महोदय, वहां की जो नगर पालिकाएं हैं, एक तरह से सरवाड़ शरीफ के माध्यम से ही चल रही हैं। क्योंकि सरवाड़ शरीफ के अन्दर जो हर साल उर्स का मेला आता है, उस उर्स मेले के अन्दर एक लाख से डेढ़ लाख जायरीन आते हैं और प्रत्येक जायरीन से एक रुपया टिकट वसूल किया जाता है। उसकी साठ प्रतिशत आय नगर पालिकाओं को होती है जिससे नगर पालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, तमाम वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। तो यह महत्वपूर्ण आय का जरिया सरवाड़ शरीफ के माध्यम से है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरवाड़ शरीफ को पर्यटन उद्योग से जोड़ा जाए और उसकी जो सम्पर्क सड़क है, सरवाड़ शरीफ से आगे 20 किलोमीटर की दूरी पर...

श्री सभापति : माननीय सभापति महोदय, कला और संस्कृति पर जब आए तब आप बोलें। अभी आप उद्योग पर ही बोलें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : यह पर्यटन उद्योग है। पर्यटन उद्योग है, साहब। वह अकादमी का मामला है कला और संस्कृति। मैं पर्यटन पर नहीं बोल रहा हूं, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कह रहा हूं, सभापति महोदय।

वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर सांपला है, जहां गोवर्धन पूजा के ऊपर 40-50 हजार पब्लिक आती है, महादेवजी खेड़ी पर हर साल शिवरात्रि पर मेला भरता है। वहां से बालाजी का स्थान 5 किलोमीटर की दूरी पर पानेड़ा जो अजमेर जिले और भीलवाड़ा जिले को जोड़ता है, उस सम्पर्क सड़क को जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं पर्यटन उद्योग को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जायरीन और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उस साइड में आएंगे।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केकड़ी के पास बीसलपुर बांध है, केकड़ी और देवली मार्ग के अन्दर एक

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

बहुत बड़ा रिसोर्ट डवलप किया जाए और वहां पर बोट चलायी जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को बहुत बड़े राजस्व की आय होगी। जिसके अन्तर्गत अपने पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिल पाएगा।

सभापति महोदय, एक निवेदन और है कि पी.एम.जी.वाय. योजना है, चाहे पोप की योजना है, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से जो ये योजनाएं चलायी जाती हैं उनका पूरा लाभ बैंक की लापरवाही के कारण बेरोजगारों को नहीं मिल पा रहा है। ऋण देकर छोटे-छोटे जो उद्योग स्थापित करते हैं, अप्रैल-मई के अन्दर वे लोग फार्म जमा कराते हैं और चैक डिस्वर्समेंट साल के अन्त में मार्च में होता है। साल भर तक बेरोजगार अपनी चप्पलें घिसा-घिसा पूरी कर देता है लेकिन बैंक की लापरवाही के कारण उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। सभापति महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक का एक नियम है कि किसी भी फार्म का 15 दिवस के अन्दर-अन्दर निस्तारण करना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं करता है तो सतर्कता सचिव के यहां शिकायत करके उस बैंक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन कोई भी नौकरशाह कोई कार्यवाही बैंकों के खिलाफ नहीं करता है। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्रीजी कम से कम जिला कलक्टरों को यह निर्देशित करें कि जो इस प्रकार की लापरवाही करते हैं, समय के ऊपर ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है ऐसी बैंकों को वे पाबन्द करें।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगा कि राजस्थान की आय बढ़ाने के लिए लाटरी उद्योग को पुनः चालू करने की बात है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर गहलोत सरकार है, राजस्थान के वे आधुनिक गांधी हैं, राजस्थान के महान भी कह लीजिए। गहलोत सरकार जो प्रदेश के अन्दर शिक्षा को बढ़ावा देने वाली है, निरक्षरता का अभिशाप मिटाने वाली है, असाध्य रोगों से मरने वाले व्यक्ति के प्राण पखेरू बचाने वाले मुख्य मंत्रीजी के प्रदेश के अन्दर लाटरी का उद्योग शोभा नहीं देता है। हमारी सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है, जवाबदेह है। सभ्य समाज की स्थापना गहलोत सरकार ने की है। राजस्थान के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अन्दर हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। जो निरक्षर हैं, उन निरक्षरों को शिक्षा से जोड़ने के लिए "शिक्षा आपके द्वार" एक अभियान चलाया है। माननीय सभापति महोदय, अगर यह लाटरी उद्योग चल गया तो मैं समझता हूं कि जो अपन शिक्षा को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। सभ्य समाज के लिए लाटरी उद्योग एक बहुत बड़ा कलंक है। मैं कहता हूं कि इस लाटरी उद्योग को बन्द करने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इससे सबसे ज्यादा अगर कोई तबाह होगा तो बहुसंख्यक समाज के अनुसूचित जाति,

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

जनजाति और गरीब तबके के लोगबाग रहते हैं उन लोगों पर असर पड़ेगा। उन लोगों को तबाह करने के लिए लाटरी उद्योग को चालू किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाटरी उद्योग को चालू नहीं करें लाटरी पर पुनः पाबन्दी लगनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाएं इन्तजार करती हैं कि शाम को घर के अन्दर आदमी राशन-पानी लेकर आएगा। अगर अपनी दिनभर की मजदूरी से वह... (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : लाटरी के अन्दर अगर अपने आपको भाग्य के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि सभापति महोदय, कर्म प्रधान है और राजस्थान के अन्दर, कर्मवीर के रूप आदरणीय अशोकजी गहलोत के प्रदेश के अन्दर कोई भी जनता भाग्य भरोसे नहीं रहनी चाहिए। कर्म में विश्वास रखना चाहिए, इसलिए भाग्य-भरोसे वाली इस लाटरी को बंद किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, अगर इसी प्रकार से अपने को आय पैदा करनी है तो फिर एक काम करते हैं, कि फिर जुआ, सट्टा और लाटरी वालों को क्यों नहीं लाइसेंस दे दें। फिर तो बियर-बार के लाइसेंस भी अपन देना चालू कर दें, फिर तो क्लबों के अन्दर अपन कैबरा डांस करने के भी लाइसेंस दे दें ताकि उससे मैक्सिमम आय हो। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि आय के चक्कर के अन्दर यह लाटरी उद्योग अपने समाज में एक तरह से अभिशाप के रूप में पनपे नहीं, लाटरी उद्योग को बंद करने के लिए मैं आपके मार्फ़त निवदेन करना चाहता हूं। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानचन्दजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय सभापति महोदय, पहले तो मेरा धन्यवाद है। उद्योग मंत्रीजी को कि वे अन्दर पधार गये। उद्योग पर चर्चा हो रही है, काफी देर से बाहर थे। बाहर थे। वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान की 1075 इकाइयों को सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया या एक्वायर कर लिया जिनके मालिक उनको चलाने में सक्षम नहीं रहे। मान्यवर, 1075 इकाइयां तो सरकार ने ले लीं, पर उससे भी कई ज्यादा इकाइयां बन्द पड़ी हैं जिनके मालिक सरकार को चाबी सौंपने को तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनकी चाबियां वह ले ले। मुझे पूरा अनुभव है पाली का, कई लोग आर.एफ.सी. में जाते हैं कि हमारी फैक्ट्री आप ले लो। आर.एफ.सी. वाले गिड़गिड़ाते हैं कि नहीं, आप इण्डस्ट्री चलाओ, हम आपको सुविधा देंगे। लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ मिलता नहीं। यदि सरकार ने कोई सार्थक प्रयास नहीं किये तो आने वाले दो-चार सालों में बाकी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इकाइयां भी बन्द हो जाएंगी। ऐसी परिस्थिति पूरे प्रदेश में बन रही है। आप उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़े-बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। आपने राजस्थानी सम्मेलन किया, हिन्दुस्तान के सब बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। उनका अच्छा स्वागत सत्कार किया आपने। उनके सामने आपने प्रलोभन रखे, कांच भी दिखाया आपने लाभ का। मैं यहां तक कह दूं कि आप उनके सामने गिड़गिड़ाये। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, आपको पता है? उन्होंने इस सरकार पर भरोसा नहीं किया, इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया। जिस दिन आप भरोसा कायम कर देंगे, विश्वास कायम कर देंगे तो आगे बढ़कर आपके पास वे आएंगे, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्योग मंत्रीजी, आप तो अपनी व्यवस्था किसी प्रकार से ठीक कर दें ताकि उद्योगपति अपने आप आपकी ओर आकर्षित हों।

मान्यवर, औद्योगिक बढ़ावे के लिए इस बार आपने बजट में प्रावधान किया है, पैसा आप दे रहे हो। लेकिन सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, आपका दिया हुआ पैसा भी उन उद्योगों में डूब जाएगा। यदि आपने अपने अधिकारी कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं किया कि आपको भी सरकार के बराबर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने हैं तो आपकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। आपने कारण दे दिया कि इकाइयां बंद क्यों हुईं। एक कारण आपने दिया कि लागत बहुत बढ़ गई और दूसरा कारण दिया कि सस्ता आयात हो गया, उसका असर भी राजस्थान में पड़ा है। सस्ते आयात का असर तो पूरे हिन्दुस्तान पर पड़ा है, आयात केवल राजस्थान में ही नहीं हुआ है। चलो वह आपके हाथ में नहीं है। आपके वश में नहीं है, पर बढ़ती लागत को रोकना आपके वश में है। यदि आप कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे कि उद्योगों की लागत कम हो जाए तो हो सकता है बन्द पड़े उद्योग पनप जाएं और नये उद्योगपति भी आपके पास आ जाएं। बिजली महकमा आपके पास है, सबसे ज्यादा मार वह करता है उद्योगों के ऊपर। जितनी राशि उद्योगों से आप वसूल करते हैं, सारा आपका जो घाटा है न वह उद्योगपति पूरा करते हैं। आप उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं। आप ज्यादा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम पूरी बिजली तो देने की आप क्षमता रखें। जब भी पावर कट आता है तो सबसे पहला असर होता है उद्योग पर कि चार घंटे लाइट उद्योगों की काट दो, छह घंटे काट दो। पैसा आप ज्यादा ले रहे हो तो पूरी सुविधा दो इनको। कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा ज्यादा लो, देने को तैयार हैं वे, लेकिन जितनी लाइट मांगें उतनी लाइट आप दे दो, उद्योग पनप जाएंगे।

मान्यवर, सरकार के जो दूसरे विभाग हैं, वे भी उद्योगों के ऊपर पूरी मार कर रहे हैं। सरकार की आर्थिक हालत बहुत

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

खराब है, खस्ता है पर सरकार का प्रयास रहता है कि किस प्रकार से ज्यादा कमाई की जाए और उसके चक्कर में आप अपने अधिकारियों को इतने अधिकार दे देते हो कि वे मनमानी पर उतर आते हैं। मैं सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट का उदाहरण दूं आपको, आप खुद अपने आंकड़े दिखा लेना। वे जो असैसमेंट करते हैं खुद बाद में वे ठीक करते हैं। कम कर देते हैं खुद ही। जितने लोग अपील में जाते हैं अधिकांश में यह पाया जाता है कि सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने जो असैसमेंट किया, वह गलत किया। पर इस प्रक्रिया के दौरान उद्योगपति को या व्यापारी को कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है, जितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, उसके कारण से उसके कदम रुक जाते हैं उद्योग के प्रति। मान्यवर, बिलकुल सैल्स टैक्स वसूल करो, कोई दिक्कत नहीं, जो हक सरकार का बनता है उसको वसूला जाना चाहिए। लेकिन जितना बनता है उतना वसूला जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा के चक्कर में आपके प्रति विश्वास आप खुद खतम कर रहे हैं। अधिकारी समझते हैं कि व्यापारी चोर है या उद्योगपति चोर है। यह मानसिकता बन गई अधिकारियों की। और व्यापारी समझते हैं कि सरकार या सरकार के अधिकारी जो टैक्स वसूल करते हैं वे लुटेरे हैं, हम जो कमाते हैं, हमारा वह लूटकर ले जाते हैं। यह अविश्वास की भावना जब तक दोनों के बीच में खतम नहीं होगी, दोनों एक-दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे, तब तक उद्योगों की स्थिति ज्यादा ठीक होने वाली नहीं है। पैसा आप दे दो उससे ठीक नहीं होगी, यह आप ठीक करो, मंत्री महोदय।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपके विभाग से एक बात चालू करता हूं। आप उद्योग मंत्री भी हैं और बिजली मंत्री भी हैं। आप 132 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण करवाते हैं, 220 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण करवाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर आता है, जो सामग्री आती है राजस्थान का उद्योगपति यदि आपके डिपार्टमेंट को दे तो आप चार परसेंट सेल्स टैक्स लेते हैं और वही पंजाब का उद्योगपति अपने पंजाब से माल लाये तो एक परसेंट सी.एस.टी. लगती है। उसके ऊपर तीन परसेंट की आपने राजस्थान के उद्योगों पर बढ़ोतरी की। पंजाब वाला आकर यहां टेंडर ले ले तो उसकी सी.एस.टी. लगेगी एक परसेंट और राजस्थान का उद्योग आपको माल देना चाहे तो उससे आप चार परसेंट लोगे। इसको आप कम कर दो, यह तो कम करना आपके हाथ में है।

इसी के साथ ही सैंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई है कि जो भी नई इण्डस्ट्री है या नये ठेकेदार हैं उनको एजुकेशनल टेंडर देती है ताकि वे भी पुराने से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें, वे भी इस

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा सकें, अपनी भागीदारी निभा सकें। सैंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे ने चालू कर दी, टेलीफोन ने चालू कर दी सिर्फ जो नई इकाइयां हैं, जो नई एस.एस.आई. यूनिट हैं, जो नये ठेकेदार हैं उनको। यदि यह योजना आप राजस्थान में लागू कर दें तो आपकी जो नई औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं, उनको काफी प्रोत्साहन मिल सकता है, उनको बढ़ावा मिल सकता है, वे पनप सकती हैं।

मान्यवर, मैं पाली से हूं और पाली औद्योगिक नगरी है राजस्थान की। टैक्सटाइल इकाइयां बहुत बड़ी संख्या में हैं। पहले ज्यादा थीं, सरकार की मेहरबानी स

धीरे-धीरे अब कम हो रही हैं। पता नहीं इस सरकार को लग गया कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत कमाते हैं और सारा वह सोखने में लग गये, खींचने में लग गये। धीरे-धीरे वे इकाइयां मृत होती जा रही हैं। टैक्सटाइल यूनिट में वित्त मंत्रीजी ने बहुत बड़ी मार कर दी। मैंने उस दिन जब बजट पर चर्चा की थी, उसमें भी मैंने बात कही थी अपनी। टैक्सटाइल मिल के अन्दर जो कलर केमिकल काम आते हैं, जो रॉ-मैटीरियल काम आता है, डाइज काम आती हैं, रसायन काम आता है, इस वर्ष बजट में चार प्रतिशत प्रवेश कर लगा दिया। पहले ही चार प्रतिशत सैल्स टैक्स दे रहे हैं वे और चुंगी की वजह से सरचार्ज भी दे रहे हैं। यह प्रवेश कर आपने और लगा दिया। इस प्रवेश कर के लगने से जो बची-खुची इकाइयां हैं, वे भी बन्द हो जाएंगी। मान्यवर, आप वित्त मंत्रीजी से बात करके इसको हटवाएं। इस प्रवेश कर को मुक्त करें। पहले ही आप उनसे पूरा टैक्स ले रहे हो। मान्यवर, उसके बाद जो सरकारी प्रक्रिया है, चूंकि टैक्सटाइल यूनिट है थोड़ा बहुत प्रदूषण उससे होता है। आपने प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की स्थापना पाली में कर रखी है, उसका डण्डा भी व्यापारियों के ऊपर पूरा चलता है। जितनी राशि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मांगता है व्यापारियों ने हर समय दी है और हर समय देने को वे तैयार हैं। मण्डल वाले खुद कहते हैं कि अपनी इकाई चलाने के लिए आप सहमति लें। सहमति की राशि इन तीन सालों में खूब बढ़ा दी। व्यापारी देने से मना नहीं कर रहे हैं। जितनी फीस है वे देने को तैयार हैं, परन्तु एक वर्ष के लिए आवेदन होता है और आवेदन करने के ग्यारहवें बारहवें महीने में उनको स्वीकृति मिलती है। पैसा पूरे साल का लेते हैं। और कई बार तो साल-साल भर तक उसको सहमति मिलती नहीं है। उस दौरान उसका आर.एफ.सी. या रीको में काम पड़ जाए तो सहमति के अभाव में वह काम होता नहीं। जब आपने आवेदन मांग लिया, आपने पैसे भी ले लिए, पैसे आपके खाते में जमा भी हो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गए तो जब भी आवेदन पेश कर दे, एक निर्धारित समय आप तय कर लें कि जिन इकाइयों को सहमति देनी है उनको इतने दिन में मिल जाएगी। अगर कोई कमी है, उसकी पूर्ति करवानी है, पूर्ति करवा दें। लेकिन प्रक्रिया को आप ठीक कराएं।

एकल खिड़की की बात हुई अभी। सब सदस्यों ने चर्चा की। सरकार ने खूब ढिंढोरा पीटा कि हम एकल खिड़की योजना चालू करेंगे, उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे। पर यह सिर्फ कहने की बात है। इसमें वास्तविकता के नाम पर सब कुछ असत्य ही असत्य है। मान्यवर, हर उद्योग में केरोसीन काम आता है, उसके लिए डेढ़-डेढ़-दो-दो साल तक उसको लाइसेंस नहीं मिलता। सरकार को पता है इस इकाई में कैरोसीन काम आएगा, उसने एप्लाई भी कर दिया और केरोसीन की जो रेट है उससे कई गुना ज्यादा रेट आप उनसे वसूल करते हो। फिर भी डेढ़-दो साल तक उसको लाइसेंस मिलता नहीं तो व्यापारी को आप जान बूझकर कालाबाजारी की ओर अग्रसर करते हैं। उसको अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए राशन का केरोसीन ब्लैक मार्केटिंग में लेना पड़ता है। यह आम फैक्ट्रियों की नीति हो गयी पाली में।

यही हाल ग्रेनाइट का है। ग्रेनाइट में भी केरोसीन बहुत लगता है, लेकिन उनको भी मजबूरी में लेना पड़ता है। नई इण्डस्ट्री को आप सैल्स टैक्स का इंसेंटिव देते हैं, कभी आपने महसूस किया या कभी आपने देखा या कभी आपने सोचा कि उन प्रकरणों का निस्तारण कितने समय में होता है? डेढ़-डेढ़, दो-दो साल तक सैल्स टैक्स के इंसेंटिव का निस्तारण नहीं हो पाता, उनका पैसा फंसा रहता है। यह तो आपके हाथ में है, कोई बड़ी बात नहीं। उनका पैसा पड़ा है सिर्फ आपको निस्तारण करना है।

मान्यवर मंत्रीजी, यह जो बता रहा हूं मैं आपको, यह पाली की पीड़ा पाली के उद्योगपति भोग रहे हैं। मैं भी भोग रहा हूं, क्योंकि मेरे भी फैक्ट्री लगी हुई है। मैंने कई बार महसूस किया। टैक्सटाइल में कई फैक्ट्रियां ऐसी भी हैं पाली में जो पिछले कई वर्षों से आबादी क्षेत्र में बसी हुई हैं या आबादी क्षेत्र से बाहर बसी हुई हैं लेकिन रीको के अन्दर नहीं हैं। किसी को चालीस साल हो गये, पचास साल भी हो गये। कृषि भूमि पर भी काफी फैक्ट्रियां बसी हुई हैं। उसमें भी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने कोई आदेश निकाल दिया कि आप नगर परिषद्, पाली से सहमति लाएं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, कोरम की व्यवस्था तो करवाइये।

श्री सभापति : किसकी व्यवस्था? ...(भारी व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कांग्रेस के 153 में से 17 ही रहेंगे यहां? क्या मंत्रिमण्डल की कोई रूचि नहीं है इस सारी बहस में? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम सारे जने चलते हैं और कोरम एक मिनट में खतम होता है। (व्यवधान) चलो।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक मिनट चलो बाहर। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन आपके विधायक गायब हैं न। मंत्री तो बैठे हैं, माननीय सदस्य गायब हैं। आपके 17 ही हैं, 153 में से केवल 17।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतकजी को कह दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, कुछ तो गम्भीरता रहे। आप प्रताड़ित करिये मुख्य सचेतक को। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, मैंने मुख्य सचेतकजी को कह दिया, वह ध्यान रखेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दोनों ही कंट्रीब्यूटरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, दोनों की नहीं। दोनों की नहीं है। सदन चलाने का ज्यादा उत्तरदायित्व सत्तारूढ़ दल का है। आपकी जिम्मेवारी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोरम तो है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपसे मैं सहयोग तो मांग सकता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम सहयोग देने को तैयार हैं, परन्तु आप देखो तो सही।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह रूल्स में प्रोवाइडेड है, आपसे सहयोग तो मांग सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्रीगण बिराजमान हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह उद्योग की चर्चा भी इनके नेताजी के कहने से ही हमने रखी थी, नहीं तो हम कोई पी.डब्ल्यू.डी. या ऐसा डिपार्टमेंट रखते। उद्योग में लोगों की रूचि नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने बड़ा अच्छा किया कि हमारे नेता की मानी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके खुद ही चार-पांच आदमी बैठे हैं। आप नेता को बुलाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अनुपात में देखो, हमारे ज्यादा हैं। आनुपातिक दृष्टि से हम ज्यादा हैं। इतने ज्यादा हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके नेता ने यह सब्जैक्ट रखवाया, वह खुद ही गायब हैं। खुद नेता गायब।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, बिराजिए। आप संतुष्ट हो गये। बिराज जाओ। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उद्योग लगाने वाले तो रो रहे हैं और आप कह रहे हो उद्योग पर चर्चा करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो बिराजो, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : जिनको मौका नहीं मिल रहा है वे रो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोरम क्या होता है, बताओ?

श्री हेमन्त कुमार : कोरम पूरा है। पांच-पांच मंत्री बैठे हुए हैं, आप देखो तो सही। कोरम पूरा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, करा लो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, पाली में कुछ इकाइयां ऐसी भी हैं जो रीको क्षेत्र के बाहर बसी हुई हैं। वर्षों से चल रही हैं, किसी ने उसको रोका नहीं आज तक। अब पता नहीं यकायक क्या हुआ, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने एक नोटिस जारी किया कि जो रीको के बाहर इकाइयां बसी हुई हैं वे नगर परिषद् से एन.ओ.सी. लेकर आएं और नगर परिषद् यह कहती है कि ये एग्रीकल्चर लैण्ड पर हैं, शहर के बीच बसी हुई हैं, हम इनको एन.ओ.सी. नहीं देंगे। इसके चलते उन इकाइयों का भविष्य अधरझूल में लटका हुआ है।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा, मैं पाली से हूं। बहुत छोटी-छोटी समस्याएं हैं जो आपके स्तर की हैं, जो निपट भी सकती हैं और उनसे उद्योगों को बढ़ावा भी मिल सकता है। पाली का कपड़ा बहुत निर्यात होता है। देश को उससे बड़ा लाभ भी होता है, आमदनी भी होती है। पाली वालों ने पूरे हिन्दुस्तान को बहुत सस्ता कपड़ा दिया है, 100 रुपये में चार साड़ी देते हैं सिंथेटिक की। वे उद्योग बन्द हो गये तो सारे देश में साड़ियों का अकाल पड़ जाएगा, मैं यह कह दूं आपको। इतनी सस्ती साड़ियां देते हैं वे।

मान्यवर, पाली में ग्रेनाइट उद्योग भी काफी हैं। बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात भी करते हैं। लेकिन पिछले तीन सालों में जो हालात रहे उसमें 41 उद्योगों में से 27 बन्द हो गये। कुल 41 बड़ी फैक्ट्रियां थीं जिन्होंने लाखों रुपया लगाया, उनमें से 27 बन्द हो गयीं। कई को तो आपके रीको ने, आर.एफ.सी. ने एक्वायर भी कर लिया। वापस बेचने गये, बिकीं नहीं। आधी रेट पर नहीं बिकीं। उसमें बहुत छोटे-छोटे काम हैं। अब माइनिंग की परमिशन आप दे देते हैं और यह जानकारी होगी आपको कि माइनिंग के लिए बारूद चाहिए। जब माइनिंग करेंगे या पत्थर काटेंगे तो उसमें बारूद की आवश्यकता होगी। बारूद का लाइसेंस आप देते नहीं, यह व्यापारी बारूद कहां से खरीदे? गैर-कानूनी तरीके से खरीदे तो आपकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जैतारण में लकड़ी और घास काटते हैं उनको अवैध हथियार मानकर आपने उनके ऊपर मुकदमा बना दिया। अब बारूद खरीद लें तो आप तो पोटे में मुकदमा लागू कर दो। तो जिन व्यक्तियों को आपने माइनिंग की परमिशन दे दी, कितना कोटा बारूद और उनके ऊपर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पोटो तो यह सरकार लागू ही नहीं कर रही है, आप बारूद की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री ज्ञानचन्द पारख : बहुत कानून हैं, पता नहीं किस के अन्दर धर दे। मान्यवर, जिन लोगों को आपने माइनिंग की परमिशन दे दी है, उसमें आपको जानकारी भी है कि क्या-क्या चीज की आवश्यकता है? परमिशन के साथ ही उसको वह लाइसेंस मिल जाए चाहे केरोसीन का लाइसेंस हो, चाहे बारूद का लाइसेंस हो और चाहे और कोई भी लाइसेंस हो। जब भी आप परमिशन दो, उसके साथ वह लाइसेंस दे दो ताकि वह इकाई हाथों हाथ चालू हो जाए।

मान्यवर, ग्रेनाइट के ऊपर आपने 12 परसेंट टैक्स लगा रखा है, गुजरात में चार परसेंट है, सात परसेंट है। उस अन्तर को भी आप कम कर सकते हो, यह आपकी सरकार के हाथ में है। कोई बाहर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस टैक्स को आप कम कर सकते हो।

ऐसी कई इकाइयां हैं जो बंद पड़ी हैं, उनकी चाबी आर.एफ.सी. नहीं लेती है। वे मूलधन में आर.एफ.सी. से सैटलमेंट करने को तैयार बैठे हैं और अपनी इकाई चलाने को तैयार हैं। पहली जो इकाई आपने ग्रेनाइट की एक्वायर की वह आधी रेट में बिक नहीं रही है तो जो-जो मालिक मूलधन में सैटलमेंट करने को तैयार बैठे हैं उनका सैटलमेंट आप करवा दें। अभी आपने एक कमेटी बनायी है वह ऐसे प्रकरणों को देखती है, उस कमेटी का कोई पता नहीं। दो महीने से कमेटी गठित ही नहीं हुई। यह कमेटी गठित कराना आपके हाथ में है। यह गठित करवा कर वहां की फैक्ट्रियों की स्थिति देख लें, उनकी क्या रेट आने वाली है वह आप कोट कर लें। उससे ज्यादा पैसा आपके पास आता है तो उसी इकाई मालिक को वह फैक्ट्री वापस दे दें। इससे जो इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं वे भी काफी चालू हो जाएंगी।

मान्यवर, एक बात मैं आपको और कहूंगा। मैंने अभी एक बात कही थी विद्युत विभाग से सम्बन्धित कि आपके जी.एस.एस. में जो लोहा आता है उसमें राजस्थान में 3 परसेंट सैल्स टैक्स है और पंजाब में उसमें कोई सैल्स टैक्स नहीं है। और पंजाब का माल यहां बहुत ज्यादा आता है आपके विभाग में। तो आपके विभाग के काम आने वाली इकाइयों में जो लोहा काम में आता है उसको सैल्स

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

टैक्स से मुक्त कराने का प्रयास भी आप वित्त मंत्रीजी से कह कर कराएं ताकि यह उद्योग भी राजस्थान में पनप सके। मेरा इतना ही निवेदन है, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कन्हैया लालजी।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सम्माननीय सभापति महोदय, उद्योग के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया। मेरे विधान सभा में जो इण्डस्ट्रियल एरिया हैं हीरावाला और बस्सी, उनमें जो कठिनाइयां आ रही हैं, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पूर्व में आपने जब उनको भूमि दिलायी, सब लोगों को लाकर अच्छी अच्छी जगह बता कर सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे वादे किए। उसके बाद में करीब 327 इकाइयां वहां पर वर्तमान में स्थापित हैं जिनमें 57 के करीब इस समय बन्द पड़ी हैं। बन्द होने का मेन कारण है कि वर्षों से उनको सब्सिडी नहीं मिली या जो पूरा ऋण स्वीकृत किया था, वह भी नहीं मिला जिसकी वजह से आज तक वे इकाइयां बन्द पड़ी हैं।

इसके साथ ही मेरा निवदेन है कि वहां पर जो सड़कें हैं, बिलकुल टूटी हुई हैं, ऊबड़-खाबड़ हैं। रीको की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, न वहां पर कोई रोड लाइट की व्यवस्था है। वर्षा का पानी भी वहां पर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पूरे इण्डस्ट्रियल एरिया में भर जाता है। रा-मैटीरियल जितना भी होता है वह रा-मैटीरियल भीग जाता है और खराब हो जाता है। गंदे पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से पड़ौस में काश्तकारों के खेतों में पानी चला जाता है और किसानों की खेती को एकदम बेकार करता है। फिर आपस में उनमें झगड़ा और फसाद होता रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम उस गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था नदी तक भी कर दें तो नदी में चला जाए वह पानी।

वहां पर बस स्टैंड भी नहीं है, न इण्डस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए कोई बस की व्यवस्था की गयी जबकि बारबार इण्डस्ट्रियल एरिया के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से और मैंने व्यक्तिशः भी लिखा एम.डी. साहब को लेकिन इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं हुई।

इसी तरह फायर ब्रिगेड का मामला है। चार बार अग्नि काण्ड हुआ, फैक्ट्रियों में आग लगी। एक बार तीन व्यक्तियों की मौत भी हो गयी, विस्फोट हो गया। प्लाइवुड की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें तीन बार आग लगने से बहुत सारा नुकसान हो चुका है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से आज वहां पर बहुत भारी कठिनाइयां उनके सामने हैं।

(श्री कन्हैया लाल)

बस्सी तहसील है, जयपुर से करीब 50 किलोमीटर के एरिये पर वहां के गांव पड़ते हैं, यहां से फायर ब्रिगेड जाने में दो-तीन घंटे लगते हैं। अगर किसी गांव में आग लग जाती है तो बुझाने में बहुत देर लगती है। इण्डस्ट्रियल एरिया और उसके आसपास जमवारामगढ़ का आधा एरिया आता है और बस्सी का पूरा एरिया आता है, अगर वहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर दी जाए तो इससे बहुत ज्यादा फायदा लोगों को होगा। मैं मंत्री महोदय से निवदेन करूंगा कि अगर आप इसकी व्यवस्था करा दें तो हम वहां का उसका खर्चा भुगतने को तैयार हैं। सारे इण्डस्ट्रियल एरिया वाले खर्चा भुगतने को तैयार हैं कि एक बार आप व्यवस्था करा दें, भविष्य में जो भी खर्चा आएगा उसमें सारा खर्चा करने के लिए तैयार हैं।

जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें ज्यादातर में पहले से ही 11000 पावर की लाइन ऊपर से जा रही है, उसमें कई बार तार टूटने का खतरा रहता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा निवेदन है कि उनको भी हटवाने की आप व्यवस्था कराएं। विद्युत सप्लाई के बारे में निवेदन है कि वैसे अनेक बार विद्युत सप्लाई आप इण्डस्ट्रियल एरिया में सही देते हो लेकिन उसके अन्दर बारबार ट्रिपिंग जाती है और ट्रिपिंग होने की वजह से कई मशीनें गर्म होकर या तो जल जाती हैं या उनमें कई खराबियां आ जाती हैं। बहुत बड़ा नुकसान इण्डस्ट्रियल एरिया के लोगों को होता है।

मैं इतना ही कहता हुआ आप सब से, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुविधाएं इण्डस्ट्रियल एरिया में हैं नये लोग आ रहे हैं, पर अभी भी वहां आपके बहुत सारे प्लाट पड़े हुए हैं और वे बिक नहीं रहे हैं। इसी वजह से नहीं बिक रहे हैं कि वह रीको या आर.एफ.सी. के पास अगर ऋण के लिए जाता है तो अनेक चक्कर लगाने के बाद में भी उसको ऋण नहीं मिल पाता है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र एवं उसके आसपास राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा अवगत कराना चाहूंगा। ईंट उद्योग है, इस समय सैकड़ों की संख्या में वहां पर ईंट भट्टे लगे हुए हैं। ईंट भट्टों में पहले पत्थर के कोयले से ईंटें पकती थीं और बहुत अच्छी ईंटें होती थीं। आजकल इण्डस्ट्रियल एरिया का ग्वार का चारा, सरसों का चारा, मूंगफली का चारा, चने का चारा मिला कर इस चारे को डाल कर वहां पर ईंटें पक रही हैं जो ऊपर ऊपर से तो लाल हो जाती हैं पर अन्दर से तोड़ कर देखोगे तो एकदम कच्ची ईंटें निकलेंगी। मैं कह रहा हूं कि करोड़ों की संख्या में ईंटें बन रही हैं, इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, कहीं तो तूफान आने से मकान गिर जाएंगे। इस

(श्री कन्हैया लाल)

तरह से अगर कच्ची ईंटें बनीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पर भी रोक लगायी जाए। जितनी भी ईंटें आ रही हैं, लाखों-करोड़ों की संख्या में जयपुर, उसके आसपास, टौंक सारी जगह यहां से सप्लाई होती है, इस पर पाबंदी लगायी जाए। इससे पशुओं के लिए चारे की समस्या भी हल हो जाएगी। चारे के करीब 500 ट्रक रोजाना इन ईंटों के भट्टों में लगते हैं। साथ ही इससे प्रदूषण फैलता है, इस चारे से कोयले के बजाय दस गुणा प्रदूषण गांव के आसपास है। इतना आच्छादित हो जाता है कि छोटे-छोटे मुणमुणे के टाइम सारे घरों के ऊपर फैल जाता है। प्रदूषण भी इससे बहुत ज्यादा फैल रहा है लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला, देखने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, खनिज उद्योग है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि खनिजों में पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। वे आवेदन करते हैं कि हम को यदि दस-दस मीटर भी आबंटन हो जाए तो अपने परिवार का गुजारा कर लें। लेकिन दुःख का विषय है कि उन लोगों के हजारों की संख्या में एप्लीकेशन लगाने के बाद में उनमें से किसी एक व्यक्ति को आज तक खानें आवंटित नहीं होती हैं। एक व्यक्ति को ही 40-40 खानें आवंटित करना बहुत गलत काम है। एक व्यक्ति के द्वारा उन्हीं मजदूरों से काम लेकर उनका शोषण किया जाता है। इस पर रोक लगायी जानी चाहिए। खास कर मैंने ईंट भट्टों की जो बात कही है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसी के मकान अगर बने हैं और वह गिर गया। कच्ची ईंट ऊपर से लाल हो रही है, आप ईंटों को तोड़कर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा। इतना ही कहता हुआ, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 42-उद्योग के बारे में मैं कुछ मेरे क्षेत्र की समस्याएं बताना चाहूंगा। आपने बजट रखा, बहुत बढ़िया रखा किसानों के लिए, उद्योग के लिए, बिजली के लिए, सबके लिए। मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

मेरे यहां लघु उद्योग हैं, दरीबा बीदासर में हजारों खड्डियां चलती हैं उनमें सिन्थेटिक धागा लगता है। इसमें एक धागे में आपने रियायत दी है इसी तरीके से चिथडों के धागे बनते हैं उनमें भी अगर आप रियायत दो तो वहां के जो लघु उद्योग हैं वे पनप सकते हैं और वहां हजारों बेरोजगार आदमियों को मजदूरी मिल सकती है।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे यहां तेल मिलें पिछले आठ-दस वर्षों से बन्द होने के कगार पर आ रही हैं और काफी मिलें बन्द हो गयीं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है 50 प्रतिशत तिलहन यहां पैदा होता है। लेकिन बाहर से पाम आयल तेल सस्ता आता है और यहां का तेल महंगा पड़ता है। तो यहां का तेल तो बिकता नहीं है, यहां की मिलें ही बन्द हो रही हैं। जब तक आप बाहर के आयातित तेल पर 25 प्रतिशत बिक्री कर नहीं लगाओगे, काम नहीं चलेगा, यहां के किसान, यहां की मिलें चौपट होती जाएंगी। यह किसान प्रधान देश है, जब तक आप किसानों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आपकी फैक्ट्रियां चाहे आयल मिल हों, चाहे कोई और हों, वे नहीं चलेंगी और किसान एकदम बरबाद हो जाएगा। मैं यही अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जावान मंत्रीजी से कि जो बाहर से तेल आता है उसके ऊपर 25 प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाए जिससे यहां का किसान, यहां की मिलें पनप सके।

पिछली बार मूंगफली की खरीद के लिए यहां जो व्यवस्था की उसके लिए मैं मंत्रीजी खेतसिंह जी को धन्यवाद देता हूं, ऐसी व्यवस्था आगे भी करें। मेरे क्षेत्र में 59 करोड़ की मूंगफली खरीदी गयी। अभी सरसों की फसल बहुत बढ़िया हुई, जीरा भी सीजन में बहुत बढ़िया हुआ। जीरे की पैदावार बहुत बढ़िया है। मैं उद्योग मंत्रीजी से यह आग्रह करता हूं कि फैक्ट्रियों में मसाला बनाकर इसको बाहर निर्यात किया जाए तो यहां का किसान, यहां की फैक्ट्रियां, यहां का लघु उद्योग पनप सकता है। यही कह कर मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरारामजी चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश का विकास अच्छी योजनाओं पर निर्भर है। यदि आप प्लानिंग से चलेंगे तो आपका विकास होगा और बिना प्लानिंग यदि कोई भी कार्य करेंगे तो विकास सम्भव नहीं है। मैं जिस नगर से आ रहा हूं वह एक औद्योगिक नगरी है, वहां दो हजार से अधिक इकाइयां छोटी-बड़ी हैं। खास तौर से टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज हैं। टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज के प्रदूषित वाटर की निकासी का जो प्रश्न है, वह अगर प्लानिंग से नहीं होता है तो ये उद्योग वरदान के बजाय एक अभिशाप के रूप में दिखते हैं, क्योंकि मानव के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके लिए आपके जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वे व्यवस्थित और सही होने चाहिए। बालोतरा में जहां इण्डस्ट्रियल एरिये के नालों का सवाल है, उनमें वर्षों तक पानी जमा रहता है जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नाले टाइम पर साफ नहीं होते हैं। नाले टूट जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं होती है। अब सबसे बड़ी समस्या है रीको द्वारा पानी की सप्लाई के बारे में, लोग टैंकरों से

(श्री अमराराम चौधरी)

पानी मंगवा रहे हैं। लाखों रुपये का पानी, सारे दिन टैंकर चलते रहते हैं। यदि पाइप लाइन से पूरा पानी रीको के अन्दर आ जाए। हमारी जो सड़कें हैं डामर की। लोगों के आने-जाने के रास्ते हैं वे आये दिन टूटते रहते हैं उन टैंकरों से और खास तौर से ट्रैक्टरों से जो टंकियां चलती हैं उनसे। कारण यह है कि उस इण्डस्ट्रियल एरिया में पानी की सुव्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, आपके पास राज्य के उपक्रम भी हैं, मैं यह निवदेन करना चाहता हूं कि आज कम से कम पन्द्रह अकाल पीड़ित क्षेत्र में लोग बालोतरा के अन्दर मजदूरी करते हैं। एक्साइट ड्यूटी फिलहाल केन्द्र सरकार ने लागू की है उसके लिए आप राज्य सरकार की तरफ से लिखें कि जो एक्साइज ड्यूटी लगायी है उस पर पुनर्विचार किया जाए। कई मैमोरेण्डम गये और 15 मई तक सर्वे का आदेश दिया गया है। हमारे यहां मजदूरों के द्वारा उद्योग धंधे चलते हैं। यदि इस प्रकार से टैक्स लगाया गया, पहले तो आपने प्रवेश शुल्क लगा दिया, हमारे यहां जो माल आता है, महाराष्ट्र में मालेगांव वगैरह है वहां से आता है तो उससे भी प्रभाव पड़ा है और उसके बाद यह एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। अभी तो रोकी हुई है उसके कारण से इसका प्रभाव पड़ा है।

टैक्सटाइल उद्योगों के अलावा आप देखते हैं तो हमारे यहां ग्रेनाइट का उद्योग है। आज जालौर की सारी इकाइयां बन्द होने जा रही हैं। केरोसीन के भाव बढ़ गये। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी ग्रेनाइट पर हो गयी। मार्बल और ग्रेनाइट को आप एक समान न माने। मार्बल तो बहुत ही साफ्ट पत्थर है और ग्रेनाइट बहुत ही हार्ड है। हमारे सब-डिवीजन में जो भी इकाइयां लगीं हैं, दस पन्द्रह इकाइयां लगी थीं पहले ग्रेनाइट की, वे आज सारी की सारी बंद हैं। एक भी ग्रेनाइट की इकाई काम नहीं कर रही है, सब रुग्ण हो गयी हैं। आर.एफ.सी. का पैसा है वह आपका रुका हुआ है। आप पैसा उनसे वसूल कीजिए किसी प्रकार से और वह वायबल कैसे हो सकती है, इस पर भी आप विचार करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप बताओ, आप सुझाव दो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि आर.एफ.सी. का जो भी लोन है उसमें ब्याज दर कम कीजिए। जो उन पर ब्याज लगाया है उसको कम कर दीजिए। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी के लिए भी केन्द्र सरकार को लिखें। आप यहां उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों को बाहर से बुलाने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में आप प्रवासी हैं उनका सम्मेलन करने जा रहे हैं, लेकिन यह उद्योग जो आलरेडी है, छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं, ये सारे बन्द होने जा रहे हैं। इसके लिए आपको खास तौर से सोचना पड़ेगा।

दूसरा, मैं निवदेन यह कर रहा हूं

(श्री अमराराम चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, कि माननीय मंत्रीजी के पास राजकीय उपक्रम विभाग भी है और पचपदरा जिस कांस्टीट्यूएंसी से मैं आता हूं वहां नमक उद्योग है। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से है, अंग्रेजों के समय से चल रहा है। पचपदरा का नमक है उसमें खासियत है, वह ऐसा एडिबल नमक है जो लोगों के खाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारी विधि आपके साम्भर की विधि से, फलौदी की विधि से बिलकुल सेपरेट है और एरिया करीबन 32.34 वर्ग मील के अन्दर फैला हुआ है। उसमें से आप 24.34 वर्ग मील एरिये को राजस्व विभाग को दे रहे हैं। हमारे यहां चार-पांच सौ खानें पहले से ही हैं और एक ऐसी कम्युनिटी है उसका परिवार बहुत बढ़ गया है। उनके पास कोई धंधा नहीं है, वे बेरोजगार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला है और एग्रीमैंट भी जो पहले हुआ था कि इस कम्युनिटी को दिया जाए। हमने आपके विभाग में उनके आबंटन हेतु फार्म पेश कर दिये हैं, आप उन्हीं को ही दें। क्योंकि आपने उपक्रम विभाग से तो इसको रिलीज कर दिया है क्योंकि यह आप घाटे का मानते हैं। फ्री सैल करने के लिए लोगों की मांग थी और 1993-94 के अन्दर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, यह तो उनकी इच्छा थी हो गया। पहले आपका कंट्रोल था। मेरा नम्र निवेदन है कि आप यह जो भूमि है वह उसी खारवार कम्युनिटी को आबंटित करें ताकि और खानें हो सके, नमक का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके और बेरोजगारी कम हो सके। इसके बारे में मैंने 295 के तहत भी आपका ध्यान आकर्षित किया था और अभी भी मैं विनम्र शब्दों में खारवार कम्युनिटी के लिए निवेदन कर रहा हूं कि आप उनको जमीन अलाट करें, राजस्व विभाग को नहीं दें। आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जमीन पर एनक्रोचमैंट हो रहा है। एनक्रोचमैंट अब ऐसा है कहीं कहीं थोड़ी बहुत रेत उड़-उड़ कर आ जाती है, हमारा तो रेगिस्तानी इलाका है और लोग चारा या बाड़ा करने के लिए, कुछ करने के लिए कर लेते हैं। आप अलाट करोगे तो कोई चिन्ता ही नहीं रहेगी। एक मैमोरेंडम मुख्य मंत्रीजी को भी इस बारे में दिया है और आपको भी विशेष निवेदन है कि उपक्रम विभाग और इण्डस्ट्रीज विभाग आपके पास होने से आप इस पर विशेष ध्यान देकर इस समस्या का समाधान करें।

मेरा और निवेदन यह है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्दर, बाड़मेर एरिये में 2000-2001 के अन्दर जो लक्ष्य आपने रखे थे वे प्राप्त नहीं हुए। कारण यह है कि लड़के बी.एड. किये हुए एम.ए. किये हुए सारे बेरोजगार बैठे हैं। आप स्वयं जानते हैं। अब क्या करें? कहीं तो पान की दुकान लेकर बैठेंगे, कहीं व्यापार किराना की लेकर बैठेंगे या कोई छोटी-मोटी दुकान लेकर बैठना चाहते हैं लेकिन बैंक कह रहे हैं कि हमारा ऋण वापस नहीं आएगा। इसलिए आपके टार्गेट अचीव नहीं हुए हैं। इसलिए

(श्री अमराराम चौधरी)

आप खास तौर से हिदायत करें बैंकों को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्दर 2001 व 2002 में आपका टार्गेट जो आपने फिक्स किया था उससे कम रहा है।

दूसरा प्रशिक्षण के बारे में, इसमें तो आपने किसी को प्रशिक्षण दिया ही नहीं। टार्गेट था एक बार दस का, किसी को दिया ही नहीं है। ये जो टार्गेट आपके हैं, आप खास तौर से आपके जिला उद्योग अधिकारी को हिदायत दें कि टार्गेट पूरे होने चाहिए। अब बहुत मांग हो गयी क्योंकि अब तो जो पढ़े-लिखे हैं वे करेंगे ही क्या? वे आपकी तरफ बढ़ेंगे दुकान खोलने के लिए। लक्ष्य रखेंगे, लेकिन जब आपके पूरे नहीं होंगे उनका फायदा नहीं होगा बाकी का भी। इसमें समस्या आ रही है। लाख रुपये या दो लाख रुपये मंजूर करते हो लेकिन क्या उनको बराबर पैसे मिलते हैं? वहां आदमी को पच्चीस हजार दे दिये और रवाना कर दिया। अब वहां क्या है कि वह अपनी दुकान का पूरा सामान ही लाएगा। फिर दो-तीन साल बाद में कर्जा लेने के लिए कि अब लाओ, पैसे वसूल करो। फिर वसूल कैसे हो? एक लाख रुपया दें और उसका देखें कि वाकई में उसने उद्योग लगाया है या नहीं लगाया है। फिजिकल वैरिफिकेशन भी करें, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप यह नहीं करेंगे। इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, यही बात कहते हुए मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि आप यदि अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, राजस्थान की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो हमारे नैचुरल सोर्सेज के लिए बहुत ही आवश्यकता है सही प्लानिंग की, ऐसी प्लानिंग आप करें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय जुगलजी काबरा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्रीजी का उत्तर सुनकर जाइये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य लगातार मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर आरोप लगाते रहते हैं लेकिन उनको कई तरह के काम होते हैं, जिम्मेदारी होती है, उनको जाना पड़ता है। ये सैंतालीस सदस्यों में से पांच सदस्य उपस्थित हैं, सभापति महोदय, देखिये, जनहित से इनका इतना लेना-देना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है।

श्री संयम लोढ़ा : यह तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। इनको भी तो थोड़ा ज्ञान दो, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : ठीक है। सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 160 में से आप कितने हो, उस औसत में अनुमान लगाओ। बैठे हैं बराबर।

डा. के. सी. चौधरी : हम ज्यादा हैं। उस औसत में भी हम ज्यादा हैं।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष गैरजिम्मेदार है तो आपको काहे की चिंता?

श्री संयम लोढ़ा : यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार बने।

श्री सभापति : लोकतंत्र को सब जानते हैं।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय सभापति महोदय, आज उद्योग विभाग की मांगों के सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश के जो आर्थिक हालात हैं, औद्योगिक मंदी का दौर चल रहा है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे समय में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तथा केन्द्र सरकार को कुछ विशेष सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। देश में औद्योगिक निवेश की बात चलती है तो हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों की एक जैसी स्थिति है। यह देखने में आया है कि हमारे देश के या बाहर के जो बड़े उद्योगपति हैं वे देश में निवेश करने के बजाय बाहर देशों में जाकर अपना निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका उद्योग वहां समय पर प्रारम्भ हो जाता है। हमारे यहां कोई भी उद्योगपति या उद्यमी अपने प्रोजेक्ट को लेकर आता है तो इतना अधिक समय हो जाता है कि जब वह उद्योग प्रारम्भ करता है तब तक उसका प्रोडक्ट आउट आफ डेट, आउट आफ मार्केट हो जाता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्रदेश में तो कम से कम इस तरह की शुरूआत करें कि कोई भी उद्यमी जो उद्योग लगाने की नीयत से चाहे बाहर से आये, चाहे हमारे प्रदेश का निवासी हो, टैक्नोक्रेट हो या अन्य कोई बेरोजगार नवयुवक हो, उसे उद्योग लगाने के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किया जाए और जो अड़चनें आ रही हैं उन्हें तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाए।

सभापति महोदय, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने का प्रयास किया। एकल खिड़की योजना के द्वारा यह कोशिश की गई कि जो भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है उसे हम भरपूर सहायता दें, सहयोग प्रदान करें। उसके फाइनेंस की व्यवस्था करें उसे इण्डस्ट्रियल एरिया में जमीन उपलब्ध कराएं और उसे जो भी कोई अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है वे सारी सुविधाएं तत्काल प्रदान करने की कोशिश करें। किन्तु इतना सब कुछ राज्य सरकार की मंशा होने के बावजूद भी हकीकत में जिस गति से उद्योग राजस्थान में लगने चाहिए थे उस गति

(श्री जुगल काबरा)

से उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। राज्य सरकार अकेली उसमें कुछ नहीं कर पाती है यह हम सभी लोग जानते हैं। देश की आर्थिक नीतियां भी उद्योगों के प्रोत्साहन में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। जैसा कि अभी पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, राजस्थान में जितने भी उद्योग लगे हुए हैं वे परम्परागत उद्योग हैं। चाहे टैक्सटाइल का उद्योग हो, चाहे नमक का उद्योग हो, चाहे मार्बल का उद्योग हो, ग्रेनाइट उद्योग हो, ग्वार गम उद्योग हो, स्टेनलैस स्टील उद्योग हो, हैंडीक्राफ्ट के उद्योग हों, इन सबके ऊपर केन्द्र सरकार के द्वारा जो शिकंजा कसा जा रहा है एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से, उसके कारण हमारे यहां के उद्योग प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं रह पा रहे हैं। मान्यवर, टैक्सटाइल उद्योग के अन्दर पहले हैण्ड प्रोसेस की यूनिट को एक्साइज से रियायत दी हुई थी, किन्तु वर्तमान में भारत सरकार ने अपने नियमों में संशोधन कर दिया और उनसे सारी छूटें वापस ले लीं जो कि पूर्व में दी जाती थी। आज स्थिति यह है कि हमारे यहां के जो छोटे-छोटे उद्योग हैं वे बड़ी मिलों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। उनके उत्पाद बिक नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई का सामने करना पड़ रहा है। इसी तरह से मार्बल और ग्रेनाइट उद्योग के अन्दर भी जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है उससे हमारे यहां के उद्योगों को बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, बाहर से आने वाले उत्पाद हमारे देश के अन्दर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और एक्साइज ड्यूटी के कारण हमारे उद्योगों के उत्पाद महंगे हो गये हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर हमारे उद्योग किस तरह से टिक पाएंगे, यह विचारणीय प्रश्न है। भारत सरकार के माननीय उद्योग मंत्रीजी और प्रधानमंत्रीजी समय-समय पर देश के सभी राज्यों के उद्योग मंत्रियों को, उद्योग सचिवों को बुलाया करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं देश की आर्थिक नीतियों पर विचार-विमर्श करते हैं। उस समय आपको यह सुझाव देना चाहिए कि हमारे राज्य के जो परम्परागत उद्योग हैं जो बरसों से चलते आ रहे हैं, उन उद्योगों को किस तरह से संरक्षित किया जाए। यह सोचने की भारत सरकार को जरूरत है और उसके लिए आपको दबाव बनाने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने बहुत प्रयास किया है कि राजस्थान के उद्योगों को किस तरह से संरक्षित किया जाए। जो रुग्ण हैं उन्हें विक्रय कर की छूट देने का प्रयास किया गया है। जो नये उद्योग आ रहे हैं उन्हें कच्चे माल पर विक्रय कर की पूरी तरह से छूट दी गई है ताकि वे उस छूट का

(श्री जुगल काबरा)

अपने उत्पादन के देय विक्रय कर से सैट-आफ लेकर फायदा उठा सकें। इसी तरह से खाद्य तेल उद्योगों को भी संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने यह प्रयास किया है कि कच्चे माल के रूप में जो तिलहन प्रयुक्त होती है उसके विक्रय कर में कमी की जाए और इसे भी अन्तरराज्यीय बिक्री कर के संदेय कर से सैट-आफ दिलवाया जाए। साथ ही साथ तिलहन के ऊपर एक प्रतिशत प्रवेश कर लगाया गया है ताकि हमारे यहां के जो तेल उद्योग हैं उनको सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सके। आटा, मैदा और सूजी की जो मिलें हैं उन्हें भी इन्टर स्टेट सेल के ऊपर सैट-आफ देने के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है। कपास के प्रदत्त विक्रय कर के अन्दर पचास प्रतिशत की छूट देने की वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है और सूत पर भी देय कर से इसको सैट आफ करने का प्रावधान किया है। सिंथेटिक धागे के उत्पादन के अन्दर भी छूट देने की कोशिश की है। हमारे यहां की जो सिलेण्डर बनाने वाली इकाइयां हैं उन इकाइयों के लिए विक्रय कर में 12 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करके उन्हें भी वायेबल बनाने की कोशिश की गई है। राजस्थान के फाउण्ड्री उद्योग के अन्दर भी विक्रय कर के अन्दर कमी की गई है ताकि आगरा से जो इकाइयां शिफ्ट हो रही हैं, दूसरे राज्यों में जा रही हैं उनको हम अपने यहां भिवाड़ी तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर आमंत्रित करके फाउण्ड्री उद्योग को यहां संरक्षित कर सकें। इसी तरह से नान फैरस इण्डस्ट्रीज जिसको कि पहले विक्रय कर के अन्दर छूट नहीं थी, वर्तमान सरकार ने छूट दे कर यह कोशिश की है कि राजस्थान के अन्दर नान फेरस इण्डस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिल सके और राजस्थान का उत्पाद राजस्थान के उद्योगों के द्वारा ही प्रोसेस होकर बाहर के प्रदेशों में जा सके। मान्यवर, यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कपड़े धोने के साबुन को पिछले साल में दो केटेगरीज में रखा गया था, एक वह साबुन जो कि हैण्डमेड प्रोसेस से बनाया जाता था और दूसरा पावर प्रोसेस से बनाया जाता था। उनके विक्रय कर के अन्दर अन्तर रखा गया था। हैण्डमेड प्रोसेस द्वारा बना हुआ साबुन महंगा होता है किन्तु वह काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है इसलिए उसके विक्रय कर में कमी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए और लोगों को रोजगार देने के लिए साबुन उद्योग को पूरी तरह से संरक्षण देने का प्रयास करना चाहिए।

मान्यवर, जोधपुर में स्टेनलैस स्टील की इकाइयां बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लगी हुई हैं और इन्हें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। स्टेनलेस स्टील उद्योग आज देश

(श्री जुगल काबरा)

का बहुत बड़ा उद्योग है और इसके माध्यम से राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे उद्योग को संरक्षण देने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके विक्रय कर के अन्दर पूरी तरह से अगर छूट प्रदान की जाती है तो यह उद्योग संरक्षित हो सकेगा। वरना इस उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लोगों को पलायन करना पड़ेगा।

मान्यवर, आज हम जब आर्थिक विकास की बात करते हैं, कृषि और सिंचाई के साथ में उद्योगों को भी राज्य सरकार के प्रश्रय और संरक्षण की आवश्यकता है। आज कृषि के अन्दर राज्य सरकार द्वारा बिजली में सब्सिडी दी जाती है, आम घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली में सब्सिडी दी जाती है। परन्तु उद्योगों के ऊपर हमारा नजरिया बिलकुल अलग है। एक उद्यमी किसी तरह से जोड़-तोड़ करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है, टैक्नोक्रेट बनता है और विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करके वह रोजगार के लिए अपना उद्यम लगाने की कोशिश करता है। स्वयं भी रोजगार प्राप्त करता है और साथ में अन्य लोगों को भी रोजगार देने की कोशिश करता है। उसके साथ भी हमारा यह नजरिया रहता है कि उसने उद्योग लगा लिया इसलिए वह उद्योगपति हो गया। वह सरमायेदार हो गया, बहुत बड़ा पूंजीपति हो गया। ऐसी स्थिति नहीं है। उनको अपनी किस्तें चुकाने में भी बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिजली का बिल चुकाने में भी बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। अपने उत्पाद को बाजार में बेचने पर भी बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। ऐसे उद्यमियों को राज्य सरकार को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ऐसे जो नये उद्योग हैं उनमें बिजली के अन्दर कुछ न कुछ सब्सिडी प्रदान की जाए ताकि वे अपने पावों पर खड़े हो सके और अपने उत्पाद की सही कीमत से देश के अन्दर प्रतिस्पर्धा से बच सकें।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन का जो समझौता किया है उसे एक साल पहले लागू कर दिया। आवश्यकता इस बात की थी कि समझौते को लागू करने के पहले हम अपना आधारभूत ढांचा मजबूत बनाते। उद्यमियों और कृषकों को वे सारी सहूलियतें देते जिनसे वे दुनिया के बाजार के अन्दर खड़े होकर प्रतिस्पर्धा कर सके। आज अमेरिका के अन्दर उद्योगों को जो रियायतें हैं, कृषकों को जो रियायतें हैं, क्या हम अपने प्रदेश और देश के अन्दर वे सारी रियायतें दे रहे हैं? फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां के किसान और उद्यमी अपने उत्पाद को अन्तरराष्ट्रीय

(श्री जुगल काबरा)

बाजार में बेचेंगे और उन्हीं शर्तों पर बेचेंगे जिन शर्तों पर दूसरे देश के किसान और उद्यमी बेच रहे हैं। किन्तु हमारी हालत बिलकुल अलग है। हमारे रेट आफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई हैं जबकि यूरोपियन देशों के अन्दर रेट आफ इंटरेस्ट बहुत कम हैं। वहां उद्योगों के ऊपर ब्याज की मार बिलकुल नगण्य है और हमारे उद्योगों के ऊपर ब्याज की मार बहुत बड़ी है। बिजली का बिल भी हमारे यहां बहुत ज्यादा है। आज सबसे ज्यादा बिजली की जो दर है वह उद्योगों के ऊपर है और अब भी यह उम्मीद की जाती है कि हम उद्योगों से और अधिक बिजली की कीमत बढ़ाकर उनसे और अधिक राशि वसूल कर सकें। मैं सोचता हूं कि अगर उद्योगों को उनके उत्पाद के लिए सही सहयोग नहीं दिया गया और हमारा यही रवैया रहा, हमारी यही नीति रही तो आने वाले समय में राजस्थान के उद्योग किसी भी रूप में देश और प्रदेश के अन्य भागों के अन्दर अपने उत्पाद को नहीं बेच पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उद्योगों के प्रति राज्य सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए कि उन्हें हर तरह से संरक्षण प्रदान करें। साथ ही साथ रीको, आर.एफ.सी. द्वारा जो नेगोशिएशन किये जाएं उनके अन्दर यह कोशिश की जाए कि उद्यमी की बात को सुना जाए। उसे अपने उद्योग को चलाने के लिए जो कुछ भी सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सकता है कानून सम्मत् रूप से, वह देने में पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं सोचता हूं इस तरह के वातावरण के अन्दर अगर राज्य सरकार प्रयास करेगी तो औद्योगिक वातावरण बनाने की जो हमने परिकल्पना की है, हमने सोचा है कि राजस्थान के अन्दर अधिकाधिक निवेश हो, वह निवेश हम आकर्षित कर पाएंगे और राज्य को औद्योगिक उत्पाद की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में ले जाने की कोशिश कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार हमारे प्रदेश के उद्योगों के संरक्षण की तरफ ध्यान देगी। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए औद्योगिक विकास उसकी खुशहाली और प्रगति का मेरूदण्ड है। सभापति महोदय, साढ़े तीन वर्ष से जब से यह सरकार आयी है, प्रदेश के अन्दर औद्योगिक वातावरण में इतनी निराशा आयी है कि न केवल नया औद्योगिक निवेश बन्द हुआ बल्कि पूर्व में स्थापित उद्योग चाहे वे छोटे उद्योग रहे हों...

डा. के. सी. चौधरी : मान्यवर, जहां उद्योग थे आपने तो वहां बन्द करा दिये गुजरात में अब। जहां स्थापित उद्योग थे वहां बन्द करा दिये आपने तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बताता हूं आपको।

सभापति महोदय, चाहे छोटे उद्योग रहे हों, मंझले उद्योग रहे हों, वृहत् उद्योग रहे हों, एक के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद होने लगे हैं। आज प्रदेश के अन्दर जो उद्योग रुग्ण हुए हैं, जो इकाइयां बन्द हुई हैं, उनकी संख्या साठ हजार के आंकड़े को छू रही है। सरकार के आने से पहले इन्हीं उद्योग मंत्रीजी के संयोजन में एक समिति बनी, उस समिति ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में इन्होंने जो कुछ कहा है उसकी दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "असफल उद्योग नीति, गलत उद्योग नीति के कारण भाजपा शासन में राजस्थान में औद्योगिक रुग्णता में तेजी से वृद्धि हुई। रुग्ण लघु इकाइयों की संख्या छह हजार से बढ़कर तेरह हजार हो गयी। गत पांच वर्षों में एक भी बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हुई। बड़े उद्योग जे.के. सिंथेटिक बंद हो गए। राज्य में पोलिएस्टर धागा वस्त्र उद्योग मंदी का शिकार हो गया जिसके कारण उद्योगों में कार्यरत तीन लाख से अधिक लोगों के रोटी के लाले पड़ गये। राज्य में लगभग सभी मिनी सीमेंट प्लांट बन्द हो गये। मुख्य मंत्रीजी की बार-बार घोषणा के पश्चात् सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी अभी चालू नहीं हो पायी। नये उद्योग लगाना तो दूर कोटा, अलवर, भीलवाड़ा में कई औद्योगिक स्थानों में सैकड़ों उद्योग बन्द हो गये।"

यानि, सभापति महोदय, इन्होंने सोचा तो यह था और लोगों को लुभाया भी इसी तरह था कि आपका पदार्पण होगा और पदार्पण होते ही कोटा जे.के. सिंथेटिक चालू हो जाएगा, सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्टरी चालू हो जाएगी और एक औद्योगिक वातावरण बन जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, अब आपकी सरकार की जवानी बीत चुकी है और सरकार उत्तरार्द्ध पर है। इस उत्तरार्द्ध वाली सरकार में अब आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप एक भी ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी बता सकते हैं जिस बहुराष्ट्रीय कम्पनी का निवेश इस साढ़े तीन वर्ष में हुआ? इण्डस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने रीको के अन्दर एक भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया? आप आई.टी. पालिसी लेकर आये, लम्बी-चौड़ी घोषणाओं के साथ आपने अपनी समाचार पत्रों में फोटो छपा ली। खैर, यह तो आपकी पुरानी आदत है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि आई.टी. पालिसी की घोषणा के पश्चात् इस क्षेत्र में सरकार या गैर सरकारी क्षेत्र में एक भी कोई ऐसी कम्पनी आयी आपके इस पूरे साढ़े तीन साल के समय में? एक भी एक्सपर्ट ओरिएंटेड इकाई स्थापित हुई? लम्बी-चौड़ी बात आपने की, परन्तु आपने किया क्या? बिक्री कर में प्रोत्साहन व पूंजी विनियोजना में अनुदान जो भारतीय जनता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पार्टी की इण्डस्ट्रियल पालिसी का एक हिस्सा था, हम इण्डस्ट्रियल पालिसी लेकर आये उस समय, सभापति महोदय, आपका भी उसमें बड़ा योगदान था। आपको स्मरण होगा, 1994 में इण्डस्ट्रियल पालिसी आई और 1998 में फिर इण्डस्ट्रियल पालिसी को दुरुस्त करके, संशोधित करके उसको नये रूप में जारी किया। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप पालिसी जारी करते हो, इण्डस्ट्रियल पालिसी जारी की ढोल धमाके के साथ दिन के उजाले में की, आपके राज में हो क्या रहा है? आप मार्बल पालिसी लेकर आये, आप ग्रेनाइट पालिसी लेकर आये, पहले लाओ और पहले पाओ। जो पहले ले आएगा उसको पहले मिल जाएगा, रात के अंधेरे में लेकर आये। मुझे बड़ा अफसोस है, मार्बल पालिसी और ग्रेनाइट पालिसी जिस दिन आई, अभी उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ नहीं था उससे पहले एप्लीकेशंस भी आ गईं और एरिया भी आबंटित कर दिया। खैर, यह आपकी पुरानी आदत है।

मैं, मंत्री महोदय, आपका ध्यान "इकानामिक सर्वे" इस पुस्तक की ओर दिलाना चाहता हूं आपके 29 चयनित ऐसे औद्योगिक उत्पाद हैं जिनमें से 10 के उत्पादन में कमी आई है। सीमेंट उत्पादन में कमी आयी, शक्कर उत्पादन में कमी, सूती, कपड़ा उद्योग में कमी आयी और आगे इसी तरह से है। ये सारी चीजें यह दर्शाती हैं कि आपके इस शासनकाल में औद्योगिक उत्पादन निरन्तर गिर रहा है। आपने इस इकानामिक सर्वे में राज्य का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इसका उल्लेख किया है। इसमें बेस वर्ष 1970 को माना है, 1970 को 100 मानकर इसका आकलन किया है। 1988-99 में आपका यह आंकड़ा 720.79 था। मंत्री महोदय, आपके शासनकाल में समय के साथ-साथ जब उद्योगों को प्रगति करनी चाहिए थी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ना चाहिए था, आपका औद्योगिक उत्पादन कितना बढ़ रहा है, आपके ये आंकड़े बताते हैं। 2001-2002 में यह कम होकर हो गया 691.81। आपके शासनकाल में लगातार उद्योग बंद होते जा रहे हैं और उसकी बुनियाद भी आपने रखी।

मंत्री महोदय, आपको याद होगा, जिस अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन की चर्चा मुझसे पूर्व वक्ता कर चुके हैं, वह सम्मेलन आपने आयोजित किया तब आपकी सरकार नवजात थी। सम्मेलन के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री गये और वहां जाकर मुख्य मंत्रीजी के रूप में पहला भाषण दिया। भाषण क्या उन्होंने दिया? उन्होंने जाकर कहा कि राजस्थान के अन्दर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राजस्थान आकंठ कर्जे में डूब गया है। उन्हीं दिनों में इन्होंने श्वेत-पत्र, नीति-पत्र जिसको कहते हैं वह जारी किया था। उद्योग मंत्रीजी, आपने उस मारवाड़ी सम्मेलन में मुख्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्रीजी के मुख से यह कहलवा दिया कि राजस्थान की सरकार पर इतना कर्जा हो गया और उसके साथ-साथ आपने यह भी कहलवा दिया कि राजस्थान के अन्दर पिछली सरकार ने बिजली उत्पादन नहीं किया। क्योंकि आपको तो हमें कोसना था। सभापति महोदय, उद्योगों की कहीं जान है, उद्योग की धमनियों में घूमने वाला कहीं रक्त है तो वह बिजली है। आपने यह कह दिया कि बिजली उत्पादन पिछली सरकार ने किया नहीं। आपने समाचार-पत्रों में यह वक्तव्य जारी कर दिया कि डिमाण्ड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। हम रोजाना की एक करोड़ की बिजली खरीदकर किसानों को देते हैं। इसका नतीजा क्या निकला? जो लोग भी उस सम्मेलन में आये थे वे सारे यही इम्प्रेशन लेकर गये कि राजस्थान के अन्दर औद्योगिक वातावरण नहीं है, बिजली नहीं है, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और राजस्थान की सरकार आकंठ कर्जे में डूबी हुई है, तो उन लोगों ने मन में धारणा कर ली कि राजस्थान में उद्योग लगाने से कोई अर्थ नहीं है। पूरे विश्व में इसका प्रचार हुआ। आपने बुलाया तो था उद्योग लगाने के लिए, परन्तु नतीजा दूसरा निकला। में उन बातों पर नहीं जाऊंगा जिन बातों की चर्चा अभी आहूजा जी ने की थी कि मित्तल साहब आये क्या कहकर गये, बजाज साहब आये क्या कहकर गये, कानोडिया जी आये क्या कह कर गये, परन्तु जो कुछ कह कर गये राजस्थान के लिए उससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती।

मैं निवदेन करना चाहूंगा, आप कई बार कहते हैं कि शासन आपके पास भी था, औद्योगिक वातावरण आपने नहीं बनाया। मंत्री महोदय, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि जब आप उत्तर दें तो जिन आंकड़ों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उन आंकड़ों की तुलना में आपने क्या किया, उसकी बात भी जरूर कहें। 1990 से 1998 का युग राजस्थान में विकास की दृष्टि से स्वर्णिम युग रहा। आप मेरे सामने बिराजे लोग कुछ भी कहें परन्तु राजस्थान का औद्योगिक वातावरण बना और राजस्थान के आम अवाम ने इसको महसूस किया। 1990 से 1998 के अन्दर, मंत्री महोदय, लघु इकाइयों में निवेश हुआ 1571 करोड़ रुपए, मध्यम और वृहत् इकाइयों में निवेश हुआ 11387.92 करोड़ रुपये और जो निर्यात हुआ वह था 3480 करोड़ रुपये। आपने आधारभूत सुविधाएं कभी बढ़ायीं नहीं, आपने एक भी औद्योगिक क्षेत्र को विकसित नहीं किया। परन्तु उस समय में जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए, 1990 में जिनकी संख्या 177 थी वह बढ़कर 244 हो गई और 24195 एकड़ भूमि को विकसित करके औद्योगिक भूमि के रूप में परिवर्तित किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कई बार समाचार-पत्रों में आपने और आपके सचिव जी ने, आपके सचिव जी भी आप ही की लाइन पर हैं उनको भी समाचार पत्रों में वक्तव्य देने में बड़ा आनन्द आता है, कई बार उन्होंने वक्तव्य जारी कर दिया कि हमारी औद्योगिक उत्पादन विकास दर 4.6-7 के बीच में है उसको हम 8 प्रतिशत पर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? औद्योगिक निवेश आ नहीं रहा, एक मल्टीनेशनल आई नहीं, उद्योग लगातार बन्द होते जा रहे हैं परन्तु इस तरह से सब्जबाग दिखाना है सभापति महोदय, कई बार वह कहते हैं न कि शिकारी के पैरों में भुटबड़ आ गई कि रोज शिकार करता हूं। पिछली बार लोगों को गुमराह कर दिया, एक घोषणा पत्र के चक्कर में राजस्थान का अवाम आ गया इसलिए अब भी उसी धारा में चल रहे हैं। ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। मंत्री महोदय, आप जवाब दें तो बताना जरूर कि आप किस बिना पर यह कह रहे हैं कि आप औद्योगिक विकास दर को बढ़ाएंगे।

सभापति महोदय, एकल खिड़की योजना के बारे में अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा परन्तु मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप रोज कहते हैं कुछ समाचार पत्रों में कि राज्य में 5017 करोड़ रुपये के 369 औद्योगिक निवेश प्रस्ताव आए, लेकिन कितनी इकाइयां लगीं, निवेश कितना हुआ? सभापति महोदय, कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। चन्द्रभानजी, आप हमारे पुराने साथी रहे हैं, इस सरकार को डुबोने में मुझे तो अच्छा लगेगा, अगर सबसे बड़ा योगदान है तो उद्योग मंत्री के रूप में भी आपका है और बिजली मंत्री के रूप में भी आपका है, दोनों विभाग आपके पास हैं। आपने कभी सोचा कि आज राजस्थान के अन्दर उद्योगों को बिजली कहां मिल रही है?

एक माननीय सदस्य : आप सलाह क्यों दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, पुराना प्रेम है जाग्रत हो जाता है आप भी हमारे नेता रहे हैं, सभापति महोदय, इसलिए क्या करें, यह चंचल मन है जो रुकता नहीं है...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : यह तो दोनों सम्भल गये, आप उधर रह गये...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : राजेन्द्र जी, आपको तो मालूम है न, चन्द्रभान जी और आप तो साथी रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह तो सम्भल गये इधर आ गये, आप उधर रह गये। ये दोनों होशियार हैं जो सम्भलकर आ गये, आप उधर रह गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था उद्योगों की प्राण वायु बिजली है, रोज समाचार पत्रों में पढ़ लें, आज पावर कट है, उद्योगों को 24 घंटे में एक घंटा बिजली मिलेगी, आज पावर कट है वृहत् उद्योगों को 24 घंटे में से 4 घंटे बिजली मिलेगी। सभापति महोदय, उद्योगों के अन्दर मजदूर काम करते हैं, उद्योगों के अन्दर रा-मैटीरियल और दूसरी सारी चीजें आदमी लेकर आता है, अब एक दिन के अन्दर अगर उसको पावर इतनी कम दी जाएगी तो किस तरह से उद्योग चलेंगे? आपने किया क्या है? बिजली मंत्री के रूप में आपने राजस्थान के काश्तकार और किसान को तो मार ही दिया। आपने पूरा बंदोबस्त कर दिया है कि राजस्थान में कहीं उद्योग लग नहीं जाएं। अब मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं कि आपने अपने शासनकाल में बिजली दर लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहत् उद्योग के लिए कितनी बढ़ा दी।

सभापति महोदय, 1998 का वह समय नवम्बर का जिस समय को आज राजस्थान के लोग याद करते हैं, उस समय लघु उद्योगों की दर थी 2 रुपये और 89 पैसा। मंत्री महोदय, आपने उसको बढ़ाकर 3 रुपये 69 पैसे किया, 90 पैसे बढ़ाये, 52 प्रतिशत आपने विद्युत की दर लघु उद्योगों पर बढ़ाई। फिर हम कहते हैं कि राजस्थान में लघु उद्योग स्थापित होने चाहिए। राजधानी ही नहीं, राजस्थान के गांवों में स्थापित होने चाहिए, छोटे कस्बों में स्थापित होने चाहिए। आप बड़ी-बड़ी बातें इन लघु उद्योगों के लिए करते हैं कि हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप रोजगार भी ऐसा ही देना चाहते हैं। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री रोजगार योजना, सभापति महोदय, मेरे जैसा आदमी तो उस कियोस्क में खड़ा नहीं हो सकता, इतना-सा कियोस्क। और ऐसी-ऐसी जगह बना दिया, कहीं श्मशानघाट के पास बना दिया, कहीं कहां बना दिया, क्योंकि इनको तो नाम चाहिए न। और आज उसमें से कितने लोगों को आपने मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जोड़ दिया? कितने लोगों ने वास्तव में वहां जाकर व्यापार प्रारम्भ कर दिया? सभापति महोदय, आपने निर्वाचन क्षेत्र में भी हैं, आप हालात देखें। आपको भी उनको देखकर पीड़ा हो रही होगी। मैं निवेदन करूं, आपने लघु उद्योगों की दर को बढ़ाया 2 रुपये और 89 पैसे...

श्री सभापति : मेरे को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको तो शायद हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को हो रहा है। मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है।

(16.00 बजे)

श्री सभापति : आप जाकर आये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी पार नहीं पड़ी, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप वहां पधार कर आये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां। लघु उद्योगों में इन्होंने बढ़ाया, अब मध्यम उद्योगों का मैं निवेदन करूं। मध्यम उद्योगों में, माननीय सभापति महोदय, मैं कुल दर की बात कर रहा हूं इसमें ईंधन प्रभार सारे शामिल हैं। 309 पैसे प्रति यूनिट से आपने बढ़ा कर कर दिया 402. इसी तरह आपने वृहत् उद्योगों में 330 पैसे से बढ़ा कर कर दिया 426 पैसे। मतलब 32 प्रतिशत, 28 प्रतिशत, 29 प्रतिशत। इसके अलावा, सभापति महोदय, यहीं रुके नहीं ये, इनको तो पिछले रास्ते से उपभोक्ता की, व्यापारी की जेब को काटना बड़ी खूबी से आता है। इन्होंने 30 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह लघु उद्योगों के लिए और 45 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह मध्यम उद्योगों के लिए और 90 रुपये प्रति माह प्रति के.वी. वृहत् उद्योगों के लिए और चालू कर दिया।

मंत्री महोदय, अभी मुझे लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने जिस ग्रे इण्डिया कम्पनी को अनुबंधित किया था दो लाख रुपये प्रति माह में, सिर्फ इसलिए कि आपकी अलग-अलग भाव भंगिमाओं में फोटो खींचे। शायद मुझे यह कह रहे थे कि आपने कोई फैसला कर लिया। उसको शायद रद्द कर दिया। मैं उसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं क्योंकि इनकी आदत पड़ गयी। आज समाचार पत्रों में पन्ने उलटे, डा. चन्द्रभान अलग-अलग अन्दाज में फोटो खिंचवाते हैं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप अपना सुझाव माननीय प्रधानमंत्रीजी को भी दें, समाचार पत्रों में देखते हैं पूरे-पूरे पेज। इनका तो एक कोने में आता है, उनका तो पूरे पेज में आता है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : अटल बिहारीजी का हमेशा आता है वैसे ही इनका आता है, दोनों का बराबर मुकाबला चल रहा है आजकल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, कभी आपने यह देखा कि जिस विभाग के आप मंत्री हो, उसमें योजनागत आबंटन कितना हुआ और योजनागत व्यय कितना हुआ? आपने हमें जो प्रगति प्रतिवेदन दिया है उस प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, 2000-2001 में आपने प्रावधान किया 31 करोड़ 19 लाख का और व्यय कितना किया आपने? मात्र 13 करोड़ 31 लाख। सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स की बात करूंगा जिसमें पैसा केन्द्र सरकार का है, उसमें आपको मिला 753 लाख, और आपने उसमें व्यय कितना किया? 217, मतलब आप ले जाना कहां चाहते हैं राजस्थान को, सभापति महोदय, समझ में नहीं आया। 2001-2002 में आयोजना मद में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रावधान था 11 करोड़ 70 लाख आपने व्यय किया 8 करोड़ 88 लाख का। सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में भी इसी तरह की हालत कर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभपति महोदय, कि सबसे पहले योजनागत आबंटन इस उद्योग जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग में इतना कम हुआ है। शायद, मंत्रीजी, या तो आपने ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर आपने इस तरह का काम किया कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बन नहीं जाए। इसलिए इस विभाग में जो पैसा मिला वह पैसा कम मिला और व्यय भी उससे कम हुआ।

अब आपने आई.आर.सी. का लम्बा-चौड़ा विज्ञापन भी जारी किया। मुख्य मंत्रीजी से बात करें तो वह भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। अंतरराष्ट्रीय सारे उद्यमियों को यहां बुलाया और भावनात्मक सम्बन्ध आपने जोड़े। पैसा खर्च करके आपने बुलाया। चलो, भावनात्मक सम्बन्ध के लिए उनको बुलाया पर मैं पूछना चाहता हूं, उद्योग मंत्रीजी, कि आपके पास प्रस्ताव कितने आये? आपके पास 31 प्रस्ताव आये थे और 31 प्रस्तावों में आप जब उत्तर देंगे तो घोषणा में कह देंगे कि 10 प्रस्ताव इनमें क्रियान्वित हो रहे हैं। आज इन 31 प्रस्तावों में एक रुपये का भी निवेश वास्तविक रूप से नहीं हुआ क्योंकि लालफीताशाही के चक्कर में लोग बीच में छोड़ कर भाग गये। यह एक्चुअल निवेश अगर होता। आज दो साल बाद हालत यह है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस पर विचार करना चाहिए।

आपने 10.3.2000 को एकल खिड़की योजना प्रारम्भ कर दी। आपने बड़े लम्बे-चौड़े विज्ञापन जारी कर दिये। मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में बोर्ड आफ इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन हो गया। आपने समाचार पत्रों में यह कह दिया कि 9 हजार करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृतियां जारी हुई हैं। मुख्य सचिवजी की अध्यक्षता में जो स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी बनी है, उसमें 108 के करीब निवेश के प्रस्ताव आपके पास आये और जिला स्तर पर आपने कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है उसमें आपके 260 के करीब प्रस्ताव आये। प्रस्ताव आना दूसरी बात है परन्तु इसमें निवेश कितना हुआ? निवेश अगर हो जाता तो हम भी सोचते कि आपने राजस्थान में जिस तरह से कमेटियां बनायी हैं मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता से लेकर जिला स्तर तक, इनका कोई सार्थक परिणाम निकला है। निवेश हो नहीं सकता। सभापति महोदय, क्योंकि राजस्थान के अन्दर विद्युत की दरें बढ़ने के कारण और राजस्थान के अन्दर सरकार में बैठे नौकरशाहों की लालफीताशाही के कारण, सरकार के अनदेखेपन के कारण आज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान का औद्योगिक वातावरण शून्य की ओर जा रहा है। आपके इतने प्रयास के बाद भी आप एक मल्टी नेशनल कम्पनी को आमंत्रित नहीं कर सके।

मैं निवेदन करूं कि अब आप कर क्या रहे हैं, इस बार आपने रॉ मैटीरियल पर टैक्स लगाने की बात कर दी। रॉ मैटीरियल पर अगर एंट्री टैक्स लगेगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, उद्योग मंत्रीजी? कई इण्डस्ट्रीज हैं जिनके लिए जरूरी है कि रॉ मैटीरियल बाहर से आए। रॉ मैटीरियल बाहर से आएगा उस पर एंट्री टैक्स लगाएंगे, आप औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं? उद्योगों को आप बढ़ावा देना चाहते हैं या उद्योगों को कम करना चाहते हैं? आपने एंट्री टैक्स की बात कही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चुंगी की समाप्ति के पीछे प्रतिपक्ष के नेता महोदय के मन में जो भावना थी, भावना यह थी कि चुंगी के कारण इंसपेक्टर राज बढ़ रहा है, चुंगी के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि चुंगी के कारण एक तरह से राष्ट्रीय धन का अपव्यय हो रहा है, बड़ी लम्बी-लम्बी कतारों के अन्दर ट्रक खड़े रहा करते थे। अब आप एंट्री टैक्स लगा रहे हैं। पहले आपने कुछ वस्तुओं पर लगाया, इस बार आपने 10 वस्तुओं पर लगाया। आप दुबारा चुंगी लगा रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अभी मुझसे पहले माननीय काबरा साहब कह रहे थे और बहुत पैरवी कर रहे थे कि हाथ के साबुन पर जो टैक्स है उसको इन्होंने बढ़ा दिया। हाथ के साबुन के इस उद्योग को समाप्त करने का आपने षड्यंत्र क्यों रचा? एक तरफ तो खादी उद्योग संस्थानों के माध्यम से, खादी बोर्ड के माध्यम से आप इस हाथ के द्वारा निर्मित साबुन को काटेज इण्डस्ट्री के रूप में विकसित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप पर ओसवाल सोप वालों ने दबाव दिया, महाराजा साबुन वालों ने दबाव दिया, क्योंकि उनकी बिक्री कम हो रही है। मेरा आरोप है, उद्योग मंत्रीजी, आप इस तरह के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं या आपने जानबूझकर ऐसा किया है। राजस्थान के अन्दर कई तरह की चर्चा चल रही है। आपने गैस सिलण्डरों के अन्दर बिक्री कर को 12 से 4 प्रतिशत किया। कौनसी ऐसी इण्डस्ट्री है? सभापति महोदय, चुनिन्दा लोगों की है क्योंकि सरकार की नीयत रही है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया है। अच्छा होता आप दूसरे किसी काम में इसको लेते।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप जब शासन में थे तब आपने संगमरमर और हीरों पर सैल्स टैक्स कम किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों कम किया, आप समझ ही नहीं सकते। अभी राजस्थान के बुलियन पर एक प्रतिशत टैक्स लगाया है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि यह टैक्स क्यों लगा। मैंने बुलियन पर टैक्स हटाया था, इससे सारे हिन्दुस्तान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का बिजनस राजस्थान के जयपुर में आ गया था। आपने एक प्रतिशत टैक्स लगाकर यह कोशिश की है कि दूसरी जगह बिजनस चले और राजस्थान में बिजनस नहीं हो। गलत जानकारी है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपको इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। पिछले चार वर्षों में जब से आपका पदार्पण हुआ है और विशेष तौर से साढ़े तीन वर्षों में उद्योगों की दृष्टि से, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान आगे चल रहा था, आपका औद्योगिक उत्पादन निरन्तर गिर रहा है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो आपकी उद्योग नीति। हमने उद्योग नीति बनायी थी, उद्योग नीति में हमने उद्योगों में जो विनियोजन हो रहा था, जो निवेश हो रहा था उसमें कुछ सब्सिडी का प्रावधान किया था, 15 प्रतिशत सब्सिडी। आपने इंसेंटिव सारे तोड़ दिये। आपने सब्सिडी समाप्त कर दी, उसका नतीजा क्या निकला? कि आप एक भी उद्योग को आकर्षित कर पाये।

सभापति महोदय, इस बार एक नयी व्यवस्था की है कि राज्य से जाने वाले, आने वाले ट्रकों के सत्यापन की व्यवस्था के लिए पुनः चुंगी प्रथा के रूप में "पुनः" का इन्होंने प्रयोग कर दिया कि उनको पहले चैक कराना होगा, उसके बाद में वे आएंगे। इससे कितनी परेशानी बढ़ेगी? आप करना क्या चाहते हैं राजस्थान में? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पूंजी विनियोजन पर पहले 15 प्रतिशत का अनुदान था, उसके बन्द हो जाने के कारण आज राजस्थान के अन्दर जो कुछ लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, उन लोगों ने उद्योग लगाने का मन बदल दिया। कुछ जिले उद्योग रहित हैं जिनमें मेरा जिला भी है। कम से कम आपको ऐसे जिलों में उद्योग लगाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास तो करने चाहिए।

सीमेंट, आयल और ग्रेनाइट ये तीनों सैक्टर ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या में पिछले कुछ वर्षों में निवेश हुआ था। आज ये तीनों सैक्टर लगभग फेल हो गये हैं। आपने बीमार उद्योगों पर सैल्स टैक्स में छूट देने की बात कही, पर किस बीमार उद्योग ने कितने प्रतिशत सैल्स टैक्स की छूट प्राप्त की है। उसका कोई रिकार्ड नहीं। मतलब आप चाहते क्या हो? आप कोई चीज अगर करना चाहते हो तो उद्योगों को रियायत दो, इससे कोई फ्रूटफुल बात तो हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारी की सारी औद्योगिक नीति ऐसी है कि इस औद्योगिक नीति से राजस्थान में औद्योगिक निवेश नहीं होगा। मंत्री महोदय, मैं अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं...

डा. चन्द्रभान : अभी जो नीति वर्तमान में है वह आप ही लोगों द्वारा बनायी हुई 1998 की है। इसके बाद में कोई नयी नीति अभी लागू नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लेकिन औद्योगिक नीति को जिस भावना से बनाया गया था, औद्योगिक नीति के अन्दर जो खूबियां थीं, औद्योगिक नीति को जिस तरह से लागू किया जाना चाहिए था उस तरह आपने लागू नहीं किया।

मंत्री महोदय, अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपको याद होगा शायद कि एक जी कैपिटल नामक कम्पनी राजस्थान में काल सेंटर लगाना चाहती थी, बहुत बड़ा निवेश था। सभापति महोदय, कम से कम दो हजार लोगों को रोजगार मिलता, करोड़ों अरबों रुपये का निवेश होता। उस जी कैपिटल कम्पनी ने राजस्थान में काल सेंटर लगाने के लिए इनसे भूमि मांगी, भूमि इन्होंने चिन्हित कर दी। फिर आपने भूमि क्यों नहीं दी? आप कहते हो उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या भावना थी, क्या कारण थे? मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आप यह न समझें कि राजस्थान के लोग इस चीज को समझते नहीं। आज हरेक को मालूम है कि किस भावना से आप काम कर रहे हो। सभापति महोदय, उद्योगों की जो दुर्गति इस शासनकाल में और विशेष तौर पर चन्द्रभान जी, आपके नेतृत्व में हो रही है मैं समझता हूं औद्योगिक वातावरण के लिए इस तरह का काला अध्याय जो पिछले साढ़े तीन वर्ष में रहा ऐसा अध्याय कभी नहीं रहा। इसलिए, मंत्री महोदय, समय रहते चेतो और राजस्थान के उद्योगों को बर्बाद होने से बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) **:** आज हम सदन में मांग संख्या 42-उद्योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी 53 करोड़ रुपये का इस मद में प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले 33 प्रतिशत राशि इसमें बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट की यह सोच और मानसिकता है कि राजस्थान में उद्योगों को गति दी जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। पहले जिस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों के थी, उसी प्रकार उद्योगों के लिए यह व्यवस्था की है कि को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के जरिये 50 हजार रुपये तक छोटे-छोटे उद्योगों में मिल जाए। अभी सहकारी बैंक के माध्यम से और बाद में अन्य बैंकों के माध्यम से यह व्यवस्था हो, इस सोच के साथ ये नीति निर्देश बनाये गये हैं।

इसके साथ इस नये बजट में हस्तकला को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से और बड़े शहरों में हाट बाजार स्थापित करने के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे हस्तकला को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा।

तीसरा, वर्ष 2003 में राजस्थान में इण्डिया स्टोन मार्ट के नाम पर एक बहुत बड़ा आयोजन करेंगे जिसमें लगभग 50 लाख का प्रावधान किया गया है। राजस्थान

(श्री रतन लाल ताम्बी)

में पत्थर उद्योग बड़ी मात्रा में होता है और राजस्थान का कई तरह का पत्थर विदेशों में भी जाने लगा है। इसके माध्यम से राजस्थान के पत्थर उद्योग को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा।

मौटे तौर पर यह कहा जाना कि राजस्थान की सरकार उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रही है, राजस्थान में उद्योग प्रायः समाप्त हो गये हैं, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। पिछले 10 साल में आप देख लें, बड़े-बड़े उद्योग राजस्थान में बन्द हो गये थे। चाहे जे.के. को लें, चाहे सवाईमाधोपुर की फैक्टरी को लें, चाहे भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल लें, चाहे कृष्णा मिल, ब्यावर या आदित्य मिल, किशनगढ़ वगैरह लें, इन सबके पीछे वर्तमान सरकार को या वर्तमान सरकार की नीति को दोष देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। औद्योगिक नीति पिछली सरकार के समय बनी थी और हर सरकार अपना प्रयास करती है।

जो अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन हुआ था उसके बारे में चर्चा पहले भी काफी हुई, आज भी हो रही है। मैं समझता हूं कि इस माटी के उद्योगपति जो राजस्थान से बाहर, देश के बाहर विभिन्न देशों में अपनी प्रतिभा बढ़ाये हुये हैं, यदि उन्हें आमंत्रित करके राजस्थान में एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जाए तो एक मंच था, उस मंच में प्रयास हुआ है। निवेश नहीं हुआ, यह किसने कहा कि उसमें निवेश करने के लिए बुलाया जा रहा है? एक माहौल बनना चाहिए। राजस्थान की धरती के रहने वाले लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की दृष्टि से यह आयोजन था। मैं समझता हूं केवल विरोध करके उस आयोजन का जो मूल ध्येय था, मंशा थी उसको पूरा डिफ्यूज कर दिया।

मेरा यह मानना है कि कमी है, उद्योगों में सब तरह के सोचने की आवश्यकता है। मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान सरकार को कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए उन राज्यों से जो औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात की तो आजकल क्या स्थिति है, मैं नहीं कह सकता, महाराष्ट्र हो, आंध्र हो, वहां के प्रदेश की औद्योगिक नीति क्या है, वहां के प्रदेश में औद्योगिक निवेश कितना बढ़ रहा है और क्या इस प्रकार के वहां कानून-कायदे हैं जिसके माध्यम से लोग अधिक आकर्षित होकर उद्योगों में बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वहां से जानकारी प्राप्त करके अधिक से अधिक राजस्थान में औद्योगिक विकास हो, यह प्रयत्न करना चाहिए।

आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहन लालजी सुखाड़िया को राजस्थान इसलिए याद करता है कि उस व्यक्ति ने मेहनत करके राजस्थान में उद्योगों का एक आधारभूत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

ढांचा विकसित किया था। उस समय कहां बिजली थी, पानी कितना था? सब बातें सामने हैं; उस सबके बावजूद आज केवल यह कह देना कि राजस्थान में बिजली-पानी नहीं है, बिजली पानी क्या इसी साल से नहीं है? दो-तीन साल में नहीं थी क्या? इससे पहले भी बिजली की स्थिति खराब थी। राजस्थान में 10 वर्ष में एक यूनिट बिजली पैदा नहीं हुई और आज यह सरकार बिजली पैदा करके राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है। उस तरफ उनका दृष्टिकोण, सोच-विचार, चिंतन, मंथन सब प्रकार से नजर आते हैं। मानसिकता देखी जाए तो मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है, एक माननीय सदस्य ने अभी सुझाव दिया था कि विपुल खनिज सम्पदा राजस्थान की धरती में मौजूद है। व्यापक सर्वेक्षण कराकर कि जी.एस.आई. के मामले में जिस तरह रुकावट पैदा हो रही है, केन्द्रीय वन कानून से राजस्थान के खनिज उद्योग के विकास में बाधाएं आ रही हैं उन सबको देखकर किस तरह राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले, इसके लिए प्रोजेक्ट्स तैयार करने चाहिए और अधिक से अधिक राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए।

कृषि आधारित उद्योग भी बढ़ सकते हैं, उस दिशा में कुछ सोचा जाना चाहिए। वन औषधियां और दूसरी कई प्रकार की औषधियां हमारे यहां पर उपलब्ध हैं, उन वन औषधियों को विकसित करके काफी औद्योगिक विकास उस मायने में किया जा सकता है।

रुग्ण इकाइयों के बारे में कई तरह की चर्चाएं आई हैं। रुग्ण इकाइयां क्यों हो गई, कैसे हुईं, यह तो बहुत लम्बी कहानी है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कच्चे माल, तैयार माल का विपणन वगैरह कुछ और भी कारण रहे होंगे। राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में रुग्ण इकाइयां बन्द होने के बाद हमको देखने की आवश्यकता है कि किस तरह ये पुनर्जीवित हो सके। इसके लिए राज्य सरकार को कोई समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित रूप से बनाना चाहिए जिससे औद्योगिक क्रान्ति को गति मिल सके।

किसी भी प्रदेश में औद्योगिक शांति और वातावरण की आवश्यकता होती है। राजस्थान उद्योग-धंधों के मामले में 15 साल पहले कुछ अच्छी स्थिति में था। श्रमिकों का योगदान था, उस समय इंटक संगठन के माध्यम से यह प्रयास किया जाता था कि उत्पादन कहीं कम न हो जाए। औद्योगिक दृष्टि से समन्वय रहता था। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में अन्य कई संगठन खड़े हुए, उनके आपसी झगड़ों में कई जगह उद्योग धंधे बन्द हो गये। इसलिए राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से वातावरण भी दूषित हुआ है। इसको ठीक तरह से वापस लाइन पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

सीमेंट, पत्थर बहुत राजस्थान में मौजूद हैं, चाइना क्ले, सोफ्ट स्टोन और अन्य पत्थर राजस्थान में कई तरह के हैं, इसके सम्बन्ध में भी कैसे औद्योगिक रूप से विकास हो सके इसको आज देखने की आवश्यकता है। राजस्थान में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं, इसकी भी विशेष तौर से समीक्षा करने की आवश्यकता है। जो इनके विशेषज्ञ हैं उन लोगों के साथ बैठकर, उनको साथ में लेकर काफी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, किया जा सकता है।

होटलों को उद्योग का दर्जा दे दिया मगर माननीय बिजली मंत्री महोदय भी आप ही हैं, मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि उनको आज भी वाणिज्यिक दरों पर ही बिजली रेट का भुगतान करना पड़ रहा है। उनको औद्योगिक दरों में आपको लेने में कहां दिक्कत है जब उद्योग का आपने उनको दर्जा दिया है? इसी तरह डीजल सैट पर सब्सिडी की बात है। आप नीति बना देते हैं लेकिन लागू नहीं हो रही है। मैं उसके बारे में आपको कहूंगा कि होटलों को इस तरह की दिक्कत आती है, बावजूद इसके कि उनको आपने उद्योग माना है। सौर ऊर्जा वाले संयंत्र जो लगाएंगे उनको 10 वर्ष सब्सिडी देनी है। अब आपके उद्योग विभाग और वित्त विभाग के बीच में समन्वय का अभाव है। उसकी कोई अधिसूचना ही जारी नहीं हुई जिससे यह आपकी नीति निर्धारित कर दी उस नीति की अनुपालना नहीं हो पा रही है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि होटल उद्योग के साथ जो ये बातें सामने आयी हैं उन तीनों को भी आप देखें क्योंकि होटल उद्योग की राजस्थान में काफी बड़ी गुंजाइश है। बड़े-बड़े कस्बों में उद्योग लग रहे हैं, प्रदूषण व्याप्त हो जाता है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पता नहीं क्या करता है, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगते हैं। भीलवाड़ा में बनास नदी के माध्यम से, चित्तौड़ में भेड़च नदी के माध्यम से और कोठारी नदी के माध्यम से उद्योगों का प्रदूषित पानी और केमिकल निकलते हैं उससे पेयजल की योजनाएं जितनी भी हैं चाहे बीसलपुर तक हो और चाहे जयपुर तक हो, सब जगह वह पानी पहुंच रहा है। उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं हुई, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लग रहे हैं। आप बार-बार कहते हैं हम लगवा रहे हैं, यह हो रहा है। इसके बारे में, माननीय मंत्री महोदय, आप भीलवाड़ा आए थे तब भी वहां आप लोगों के साथ हम लोगों की चर्चा हुई थी। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिन पर समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

(16.23 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इस मौके पर खादी-ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ रही है। आने वाले समय में बेरोजगारी बहुत दूर हो जाए, इसकी दूर-दूर तक स्थिति

(श्री रतन लाल ताम्बी)

लगती नहीं है इसलिए खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों के बारे में आपकी नीति में लचीला स्वरूप आना चाहिए। आज भी ईंट भट्टा, चाइना क्ले, सोफ्ट स्टोन के छोटे छोटे यूनिट्स लगाते हैं, वे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पर भी वित्त पोषित होते हैं। उन पर यहां बिक्री कर की मार है। कई स्टेट्स में तो उसमें छूट दे रखी है। यहां राजस्थान में कई लग जाते हैं तो छोटे-छोटे उद्योग वालों को पहले पूरी जानकारी होती नहीं और बाद में दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष की इकट्ठी ही उनकी डिमाण्ड निकाल कर भेज देते हैं और वे लिए-लिए फिरते हैं चारों ओर। इस तरह छोटे-छोटे उद्योगों के बारे में जो मौटे तौर से दिक्कतें आती हैं उसके सम्बन्ध में भी आपको अपनी नीति इस तरह बनानी चाहिए जिससे ये उद्योग आगे बढ़ सकें।

मैं इस मौके पर यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके जिला उद्योग केन्द्र के बारे में भी कई बातें सामने आती हैं। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा दिये जाने वाले उद्योगों के अनुदान में घोटाले के प्रकरण बहुत बड़ी तादाद में शायद मंत्री महोदय, आपके सामने भी आये होंगे और हमने खुद ने भी कई जगह पढ़ा है। आपके पास इतने मामले आते हैं तो इसके सम्बन्ध में आपको कोई कारगर व्यवस्था करनी चाहिए। जिला उद्योग केन्द्र सेवा के संस्थान हैं, उनमें यदि घोटाले और भ्रष्टाचार की बातें बहुत बढ़ जाएंगी तो लोगों का इस पर से विश्वास उठ जाएगा। इस दृष्टि से मेरा आपसे आग्रह है कि उद्योगों के सम्बन्ध में उद्योग केन्द्रों की स्थिति को आपको देखने की आवश्यकता है।

मेरा आग्रह यह है कि राज्य के आयरन और स्टील उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राज्य के बाहर से जो माल आता है उस पर प्रवेश कर लगाया जाना जरूरी है, अन्यथा राजस्थान में चलने वाली जितनी स्थानीय यूनिट्स हैं वे बहुत प्रभावित हो जाएंगी। यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह बहुत गम्भीर विषय है और राजस्थान में आयरन और स्टील के बड़ी तादाद में छोटे छोटे उद्योग हैं, यदि उनके मुकाबले बिना प्रवेश कर लगाये बाहर से अगर माल आता रहे तो स्थानीय स्तर पर सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस मामले को भी आप निश्चित रूप से देखें। ग्रामों में अभी भी कई तरह के कारीगर परम्परागत उद्योगों में लगे हैं, उनको यदि हम सही ढंग से प्रोत्साहित करें और उनको जितनी भी सम्भव हो सहायता दे सकें तो इस तरह के गांवों में कारीगरों के बनाये हुए सामान बाहर भी काफी निर्यात होंगे। टोंक में जैसे गलीचा है, चमड़ा उद्योग है। कितनी बड़ी बेकारी उस इलाके में है, वह आज मृत प्राय: हो गया। मंत्रीजी, आप टोंक जिले से ही आते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोग इस बारे में वहां बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इसलिए उनके बारे में भी आप कुछ सोचें। छोटे-छोटे उद्योग गांवों में

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हैं उनके बारे में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से आपकी अनेक योजनाएं हैं पर वे ढंग से कार्यरत नहीं हो पा रही हैं, उनका व्यापक प्रसार–प्रसार नहीं हो पा रहा है इससे हजारों लोग जो आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनको राहत मिल सकती है। इस दिशा में भी आप निश्चित रूप से ध्यान दें।

एक बात मैंने आपके सामने रख दी फिर दुबारा रखना चाह रहा हूं। जी.एस.आई. का सर्वे और वन भूमि अधिनियम की खातिर राजस्थान का बहुत बड़ा खनिज क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। दो चीजें साफ हो जाएं, जी.एस.आई. जिस परियोजना के लिए या जिस धातु के लिए प्रस्ताव करती है उस धातु को छोड़कर उस इलाके में सारे के सारे अन्य धातु, खनिज निकाल सकते हैं, उनको भी रोक दिया जाता है और वह भी आज से नहीं, 20–20, 30–30 वर्ष पहले आरक्षित करने के बाद। 30 वर्ष बाद वे देखते ही नहीं है। राज्य सरकार को इस दिशा में केन्द्रीय सरकार से बात करनी चाहिए। जिस परियोजना के लिए, जिस धातु के लिए आरक्षण किया उसको छोड़ कर उन क्षेत्रों में बाकी खनिज के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से आपको सोचने की आवश्यकता है। वन क्षेत्र में अनिक खनिज हैं और कई वन क्षेत्र ऐसे हैं जहां केवल पत्थर हैं, उन वन क्षेत्रों के बजाय दूसरे क्षेत्रों की जमीनें उसमें लेकर ऐसे क्षेत्रों को मुफ्त करने की आवश्यकता है जिससे आए दिन जो बड़े–बड़े धंधे वालों के सामने संकट आ रहा है वह समाप्त हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव आपके सामने आये हैं उन सुझावों को आपने नोट किया होगा। जैसे मैंने खास तौर से स्टील और आयरन वाले मामले में आपको कहा है कि राजस्थान में प्रवेश कर लगेगा तो राजस्थान में इस प्रकार के उद्योग जीवित रह सकेंगे वरना जितना चल रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। कुछ तो राजस्थान सरकार की नीतियां और कुछ एक–दूसरे विभागों के बीच में समन्वय का अभाव है। जो आप तय करते हो उसके समय पर आदेश नहीं निकालने की बात की, होटल उद्योग के लिए मैंने बताया। इस प्रकार की जहां कहीं भी विसंगति है उसको दूर करके राजस्थान में औद्योगिक क्रांति को फिर से बढ़ावा मिले, उसके आप प्रयास करें तो विदेशी कम्पनियों की बहुत बात कर रहे थे, विदेशी कम्पनियां तो आएं न आएं पर हमारे स्वदेशी छोटे–छोटे उद्योग, गांवों में कुटीर उद्योग हैं कम से कम वे तो आप चारों ओर राजस्थान में फैला दें। इस प्रकार की एक योजनाबद्ध नीति आप बनाएं और उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करें जिसने बेरोजगारी भी काफी दूर होगी और राजस्थान में छोटे–छोटे लोग इसमें निवेश कर सकेंगे। बैंकों के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो चलती हैं, नौजवान

(श्री रतन लाल ताम्बी)

फार्म लेकर फिरते रहते हैं। कभी बैंक लौटाफेरी करता है, कभी उद्योग विभाग करता है। कुल मिलाकर समयबद्ध उनको सुविधा मिल सके इस बारे में आपकी सोच बननी चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के अंदर माननीय सदस्यों ने मांग संख्या-42 जिसका विनियोजन मांग संख्या के अनुसार 82 करोड़ 64 लाख 43 हजार रुपये का है, के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुख्य बात यह है कि कृषि में कितने लोगों को रोजगार है और उद्योग में कितने लोगों को रोजगार है। मुख्य तौर से अर्थव्यवस्था हमारी गतिशील है या नहीं है इसको आकने का मापदण्ड यह है। आज कृषि में हमारे 70 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं और उद्योगों में, माननीय मंत्री महोदय, जो रिपोर्ट आपने उद्योग निदेशालय की जारी की है उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अब तक फरवरी, 2001 तक, क्योंकि वर्ष दो का आंकड़ा है नहीं, दो लाख 20 हजार 21 इकाइयां पंजीकृत हो चुकी हैं जिनमें 3088 करोड़ का विनियोजन और 8 लाख 52 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो गया है। यह क्लेम आपने इस निदेशालय की रिपोर्ट में किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखना यह है कि इन्होंने 1999-2000 में क्या किया, 2000-2001 में क्या किया और 2001-2002 में क्या किया। इनका खुद का दावा यह है कि इन्होंने 1999-2000 में 9 हजार लघु एवं दस्तकारी इकाइयों का पंजीयन करने का लक्ष्य रखा, वह लक्ष्य पूरा हो गया, 9094 ले आये और 2000 के वर्ष में 9450 की जगह 8300 इकाइयां ही आयीं। जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आपने दी है उस रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष में 9450 लघु उद्योग और 7620 लघु एवं दस्तकारी इकाइयों का पंजीयन हो गया और आपने क्लेम किया कि गत वर्ष के पंजीयन के फलस्वरूप 24848 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो गया। अब आपके खुद के आंकड़ों को देखें तो 9 हजार, 8300 फिर 9400, 9 हजार का औसत है। 27 हजार इकाइयां आपने पंजीकृत कर लीं और राज्य में हैं कुल 2 लाख 20 हजार इकाइयां। तो यह तो तय हो गया कि एक लाख 93 हजार इकाइयां आपके आने से पूर्व स्थापित हो चुकी थीं। 1990 का आप आंकड़ा देखेंगे कि 1989-90 में कितने उद्योग थे तो, माननीय मंत्री महोदय, जो उद्योगों की संख्या 70 हजार से ऊपर नहीं है। 1990 से 1991 में राज्य में 70 हजार से चलकर एक लाख 90 हजार तक पहुंच गये। इसमें यह 27 हजार का आंकड़ा 2 लाख 20 हजार में से निकाल लें तो एक लाख 93 हजार तो पहले से ही इकाइयां मौजूद हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज विनियोजन आर.एफ.सी. के माध्यम से भी हो रहा है, रीको के माध्यम से भी हो रहा है। रीको के माध्यम से जो आपने क्लेम किया है 44 वृहत एवं मध्यम उद्योगों का, उसमें 66.13 करोड़ रुपये का विनियोजन आपने गत वर्ष में बताया है। उसमें जिन लोगों को रोजगार दिया जाना बताया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 लाख रुपये पर एक व्यक्ति को रोजगार रीको के माध्यम से जो इकाइयां आती हैं उसमें है। आर.एफ.सी. के माध्यम से जो विनियोजन हो रहा है उसमें भी करीब 3-4 लाख रुपये के औसत से एक आदमी को रोजगार मिलता है। माननीय मंत्री महोदय, आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों में और आपके निदेशालय के आंकड़ों में बड़ा फर्क है। आर्थिक समीक्षा कहती है कि राजस्थान में एक लाख आदमियों में 829 लोगों को रोजगार उद्योग के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। राजस्थान की आबादी 5 करोड़ 60 लाख है, लाख में 829, रफली उसको साढ़े आठ भी मान लें तो 5 करोड़ पर तो 4 लाख, सवा चार लाख, साढ़े चार लाख आदमियों को उपलब्ध होगा और आपने आंकड़ा दे दिया कि इसमें 8.52 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, अब तो कम्प्यूटर का युग है और हमारे जिला उद्योग केन्द्र में सब जगह बड़े बड़े अधिकारी हैं, कौनसे उद्योग में कितने लोग रोजगार पर हैं यह आंकड़ा तो बिल्कुल अपटूडेट होना चाहिए। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपने दो लाख बीस हजार उद्योगों का दावा किया है, उसमें 21900 कुछ उद्योग, रफली 22 हजार रुग्ण मानते हैं। 2 लाख 20 हजार उद्योग हों राजस्थान में ओर 22 हजार रुग्ण हों, तो एवरेज यह हुआ कि 10 प्रतिशत उद्योग रुग्ण हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि रीको ने रुग्णता पर पूरा एक चैप्टर लिखा है, रीको ने उसके कारणों में जाने की कोशिश की है। मैंने एक सवाल पूछा था, मंत्री महोदय, नोट कर लें, अतारांकित प्रश्न संख्या 685, आपने उस प्रश्न में स्वीकार किया, पूरा चार्ट दिया कि 21900 इतने उद्योग रुग्ण हैं और उसमें इतने लोगों को रोजगार कम हो गया। मैंने उसमें स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आपने क्या किसी ऐसे वर्ग के उद्योगों का जो रुग्ण हो गये, परीक्षण किया? कोई खाद्य प्रसंस्करण का परीक्षण करवाया? किसी मिनी सीमेंट का परीक्षण करवाया, तेल मिलों का परीक्षण करवाया? आज राजस्थान 19-20 लाख टन के करीब सरसों पैदा करता है। अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में 52 करोड़ की मूंगफली बिकी। वह धन्यवाद दे रहे थे खेतसिंह जी को। उनको यह मालूम नहीं है कि मूंगफली की खरीद भारत सरकार करती

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है, इस राजस्थान की सरकार के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है कि यह मूंगफली खरीदे, बाजरी खरीदे। कल भी कह रहे थे जब बयान दिया था, कि हम तो एजेंट हैं नाफेड के। एजेंसी के तौर पर साढ़े तीन लाख टन उन्होंने कहा है, खरीदेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार कोई बी.जे.पी. की रजिस्टर्ड कम्पनी है क्या? भारत सरकार इस हिन्दुस्तान की सरकार है और हिन्दुस्तान की सरकार यदि राजस्थान को भी किसी तरह का योगदान देती है तो यह उसकी कांस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने जो ज्ञान दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे कोई रजिस्टर्ड कम्पनी बीजेपी की हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ज्ञान दिया। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान में तेल का उत्पादन करने के लिए तेल मिलें बहुत स्थापित हो सकती हैं पर तेल मिलें रुग्ण हैं। माननीय उद्योग मंत्रीजी, अभी वित्त मंत्रीजी किधर चल रहे हैं, आप किधर चल रहे हैं? उन्होंने कहा कि दो प्रतिशत से एक प्रतिशत करेंगे, किसके लिए? उनके लिए जो पड़ोसी राज्यों में माल बेचते हैं। राजस्थान के उद्योग राजस्थान में अपनी सरसों और मूंगफली का तेल बेच लें, आप उसको एक प्रतिशत करिये न। यदि एक प्रतिशत भी नहीं पोसाता तो उसको आधा प्रतिशत करिये ताकि राजस्थान का माल राजस्थान में बिक सके। भारत सरकार जो खरीद रही है 1200 की जगह 1300 में, इस भारत सरकार को भी माल वापस बाजार में बेचना पड़ेगा। बाजार में माल बेंचेगे तो यह माल कहीं खपत होना चाहिए और यह खपत राजस्थान के लोग करेंगे। यदि हमारी काम्पीटिटिव इकोनोमी में हम कोई प्रोत्साहन दे सकें तो हमारा माल गुजरात में बिके या उत्तर प्रदेश में बिके, हमको यह देखना चाहिए, यह देखने की बात है। इसलिए आपने यह जो दो प्रतिशत का एक प्रतिशत किया है, यह तेल उद्योगों की रुग्णता का इलाज नहीं है। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि 21 हजार या 22 हजार जो भी उद्योग रुग्ण हैं, आप अलग-अलग श्रेणी बनाइये। आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, रीको में बैठे हैं, आर.एफ.सी. में बैठे हैं, नहीं हैं तो बाजार के जो भी जानकार लोग हैं उस क्षेत्र के, उनसे सलाह करिये, कि क्या करों की वजह से रुग्णता है, ब्याज की दरों की वजह से रुग्णता है। क्या पड़ता उल्टी है? जी.डी. बिड़ला जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और जो हमारे राजस्थान के हैं, उनका कहना था कि इण्डस्ट्री का

(श्री माणिक चन्द सुराना)

पहला प्रिंसिपल यह है, उसको देखो कि पड़ता है कि नहीं है। और पड़ता है या नहीं है उसमें सारी बात आ गयी। उसकी प्रोफिटेबिलिटी है या नहीं है। आप उद्योगों की प्रोफिटेबिलिटी नहीं होने के कारणों की जांच करें। विभिन्न कारणों में जो कारण राज्य सरकार निवारण कर सकती है, यदि ब्याज की रेट कम करनी है, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, माननीय उद्योग मंत्रीजी, आज रीको मुनाफे में है, कुल 5 करोड़ 70 लाख का मुनाफा कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है। कोई रुग्ण उद्योग है उसका यदि ब्याज माफ करना है या आर.एफ.सी. का भी ब्याज माफ करना है तो ब्याज माफ करें और उसकी दर नीचे करने का काम है तो उसको भी नीचा करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस रुग्णता का इलाज करेंगे तो राजस्थान मे औद्योगिक वातावरण बनेगा। और रुग्णता का इलाज नहीं करेंगे तो वातावरण नहीं बनेगा।

जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है, मैंने कहा कि आज कम्प्यूटर का युग है। किस उद्योग का कितना उत्पादन है, सैल्स टैक्स की हर उद्योग की रिटर्न आती है, आप उसके उत्पादन के आंकड़े उससे लीजिये। डाइरेक्टर इकोनोमिक्स और स्टेटिक्स के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा उद्योग मंत्रीजी से कि ये आंकड़ों के जो भी उनके तौर-तरीके हैं, वे बोदे और पुराने हो गये हैं। अब इनकी आवश्यकता भी नहीं रह गई है। आप खुद अपने उद्योग मंत्रालय में इसकी व्यवस्था करें क्योंकि उद्योगों से बहुत क्लोज सम्बन्ध उद्योग विभाग का है। उन आंकड़ों के आधार पर उद्योग डाइरेक्टर इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स से अपने आंकड़े बना रहा है।

ग्रोथ सेन्टर की बात की, बीकानेर में ग्रोथ सेन्टर खारा में है। आप सैल्स टैक्स इंसेंटिव स्कीम चलाते हैं, सन् 1987 की स्कीम चल रही है। माननीय मंत्रीजी, आपको कभी फुर्सत मिली है, आपने यह देखा हो कि इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खास तौर से खारा में स्थापति दो उद्योग, वहां के स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, वूलन मिल लगाई, एक कड़वासरा वूलन मिल के नाम से और दूसरी चौधरी वूलन मिल के नाम से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कड़वासरा वूलन मिल 11.1.1997 को प्रोडक्शन में आ गई। 22.8.2000 तक उत्पादन में रही। 22.8.2000 को जबरदस्त चक्रवात आया और इस मिल को उस चक्रवात में 45 लाख का नुकसान हुआ। जबरदस्त नुकसान हुआ वूलन मिल का जो कच्चा माल था, उस कच्चे माल को पक्का माल। उसका भी आकलन मेरा नहीं, सीनियर रीजनल मैनेजर ने चेयरमैन रीको को किया क्योंकि वह रीको से वित्त पोषित था। स्टेटमेंट भेजा कि मैसर्स कड़वासरा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वूलन मिल, बिल्डिंग का नुकसान दो लाख, प्लांट एण्ड मशीनरी का नुकसान आठ लाख और रा-मैटीरियल का नुकसान 15 लाख। एक उद्योग को 25 लाख का नुकसान होता है। यह चक्रवात आया जिस तरीके से उससे लूणकरणसर में ऐसी बारिश आई कि 100 साल में ऐसी नहीं आई उसी तरह का चक्रवात 20.8.2000 को आया। मंत्री महोदय, 20.8.2000 तक भी इसको सैल्स टैक्स पर जो अनुदान और रियायत मिलनी चाहिए थी, वह अनुदान औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर को मिलना था, जो वाजिब था, वह तीन साल तक नहीं मिला, जबकि प्रोडक्शन से 3-4-5 महीने में वह अनुदान उनको मिलना चाहिए था। यह की यह स्थिति चौधरी वूलन मिल प्रा. लि. की हुई। इन उद्योगों में करोड़-करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। इस चौधरी वूलन मिल का भी जो असैसमेंट सीनियर रीजनल मैनेजर ने भेजा, चार लाख का नुकसान बिल्डिंग का, एक लाख का प्लांट और मशीनरी का और रा-मैटीरियल का 20 लाख का। कुल 25 लाख का नुकसान इनको हुआ और 25 लाख का कड़वासरा वूलन मिल को हुआ। ये सब तीन साल चल चुके, एक साढ़े तीन साल चल चुका लेकिन जो आपका अनुदान है, वह अनुदान उनको प्राप्त नहीं हुआ। नहीं प्राप्त होने का नतीजा यह है कि इण्डस्ट्रीज सिक हो गई और सिक इण्डस्ट्रीज की लिस्ट में आज चल रही है तो जैसाकि मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो विभिन्न कारण हैं सिक होने के, आप यह तो एंश्योर करिये, राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनाना है तो अनुदान तत्काल मिलेगा, समय पर मिलेगा और विक्रय कर की छूट है वह भी तत्काल उनको उपलब्ध होगी। इस बात की व्यवस्था आप करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ काम आगे चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बोर्ड आफ इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एण्ड इंवैस्टमेंट प्रमोशन द्वारा 3761 करोड़ रुपयों के 13 निवेश प्रस्तावों को निस्तारण किये जाने की बात कही गई है। हमारे टोटल 2,20,000 उद्योगों में पूंजी लगी हुई है, 3088 करोड़ रुपये और 13 उद्योगों में पूंजी आ रही है, मंत्री महोदय, आपका विभाग क्लेम कर रहा है 13 उद्योगों में 3761 करोड़ रुपये का, तो हम भी धन्य हो जाएंगे। ये 13 प्रस्ताव आ जाएंगे, 3761 करोड़ रुपये का विनियोजन हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं कि 13 प्रस्तावों में हो क्या रहा है? लगता मुझे ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार सिर्फ बातें उछालने में माहिर है। इतना ही नहीं, यह तो उससे बहुत आगे चले गये। मैं तो 3700 करोड़ की बात कह रहा हूं, उद्योग निदेशालय की रिपोर्ट वर्ष 2000-2001 में हमें पेज 10 पर बताया जाता है कि जुलाई, 1991 से फरवरी, 2001 तक राजस्थान में वृहत् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए 2035 उद्योगों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के प्रस्ताव आई.ई.एम्स ने भारत सरकार को प्रस्तुत किये हैं जिनमें 34243 करोड़ रुपये का विनियोजन और 389677 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। वर्ष 2000-2001 में फरवरी, 2001 तक प्रस्ताव भेजे गये 2035, वहां से पास होकर आए 89, जिनमें 1728 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन एवं 12147 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। तो अभी तक तो यह प्रस्तावित है। समय बढ़ा रहे हैं माननीय सचेतक महोदय?

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी तो है समय।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी के उत्तर तक, डिमांड पास होने तक। (व्यवधान) आप तो डिमांड पास होने तक बोलो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): लम्बा बोलूं? आप बोलेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

श्री उपाध्यक्ष : आज की मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

बार-बार बढ़ाने से क्या फायदा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो रामस्वरूप मीणा के मंत्री बनने तक समय बढ़ाओ ना। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इनको बना-बनूं दो, साहब, जो बनाना हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपकी एक ही मांग है, इस पर विचार चल रहा है।

मांग संख्या-42 पर विचार

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन कर रहा था, अभी यह दिया जाना प्रस्तावित है। 89 प्रस्ताव आये और 12147 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 1728 करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोजन होगा, यह भी प्रस्तावित है। अब हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है, एक्चुअल उपलब्धि क्या है, आप तो असल पर आइये। असल उपलब्धि यह है कि 2,20,000 उद्योग हैं, 3088 करोड़ का विनियोजन है और 27,000 उद्योग इनके समय में रजिस्टर हुए हैं, यह मात्र आपकी उपलब्धि है और 21.22,000 के करीब रुग्ण हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, शत-प्रतिशत निर्यात, इकाइयां कितनी आ गईं, कितनी चल रही हैं क्योंकि आजकल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इण्डस्ट्रीज का जोर है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इण्डस्ट्रीज जैसाकि ये इस रिपोर्ट में क्लेम कर रहे हैं, "राज्य

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में फरवरी, 2001 तक 204 शत-प्रतिशत निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए भारत सरकार में पंजीयन कराया गया है। भारत सरकार में पंजीयन होता है इनका उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है। इन उद्योगों में 2509 करोड़ रुपये का विनियोजन और 28499 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। फरवरी, 2001 तक 52 शत-प्रतिशत निर्यात उद्योग स्थापित हो चुके हैं तथा 16 उद्योग स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। जैसे ये फिगर्स दे रहे हैं, 2509 करोड़ रुपये की ये फीगर्स भी दे देते कि ये 52 शत-प्रतिशत उद्योग जो आये हैं, इसमें विनियोजन कितना है तो हमें पता चल जाता कि इसमें रोजगार कितना होगा। जहां ठोस बात कहने का सवाल है, आप तो पारदर्शिता की बात कहते हैं, जो प्रस्ताव आएंगे, उसकी तो पारदर्शिता बता दी लेकिन जो उपलब्धि होकर आई उसको पारदर्शिता बताई नहीं। तो क्या आप कोई निर्देश देंगे उद्योग निदेशालय को कि इस तरह के अधूरे आंकड़े इस सदन में पेश नहीं करें? काफी डिटेल में जो रेलेवेंट क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं उसके सम्बन्ध में भी आवश्यक आंकड़े इसमें दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो कुल सीनिरियो है उसको जरा गौर फरमाएं। आपने अपने इस बजट में जो प्रावधान रखे हैं 88 करोड़ के, यह बजट का खण्ड एक और पेज 46-47, ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, आपने पूंजीगत खाते में 5 लाख 8 हजार रुपये लघु और ग्राम उद्योगों में रखे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यह राज्य के लघु और ग्राम उद्योगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूंजीगत खाते में, यह सही है कि आपने ग्राम अपने आप नहीं, खादी और ग्रामोद्योग के लिए आयोजना मद में 9 करोड़ 5 लाख रुपये रखे और 1 करोड़ 57 लाख रुपये आपने हैण्डीक्राफ्ट के लिए रखे और हाथकरघा के लिए पचास लाख रुपये रखे। आपने इस आर्थिक समीक्षा में यह क्लेम किया है कि इस वर्ष खादी और ग्रामोद्योग से 35 हजार लोगों को रोजगार मिला। उपाध्यक्ष महोदय, इकाइयां बताईं खादी और ग्रामोद्योग की 2367 और रोजगार बता दिया 35 हजार। मुझे खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, 1993-94 में मैं जब अध्यक्ष था तो करीब कभी तीन हजार, कभी बत्तीस सौ, कभी चौंतीस सौ, दो साल में तीन हजार से चौंतीस सौ के बीच में इकाइयों को ऋण दिया गया। यह ऋण तो पचास हजार या पच्चीस हजार और ज्यादा से ज्यादा लाख रुपये का होता है। उस वक्त तो भारत सरकार से रुपया कैश आता था क्योंकि उस वक्त कैश रुपया लघु इकाइयों को दिया जाता था, तत्काल दिया जाता था। वह बैंक वाली योजना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि बैंक में योजना जाएगी खादी की या ग्रामोद्योग की और बैंक उसका वित्त पोषित करेगा, यह सिस्टम माननीय पूर्व प्रधान मंत्री नरसिंहरावजी ने लागू किया, वह उस वक्त नहीं था। मैं अब निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां कुल पूंजी ही लाख-पचास हजार की हो लघु उद्योगों में, ग्रामोद्योग में, वे 2300-2400 इकाइयां 35 हजार का नियोजन कैसे करेंगी? जो चालू वर्ष 2001-2002 का रिकार्ड बताया है उसके पहले साल में आपने पच्चीस हजार बता दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके ये आंकड़े सही हैं तो फिर तो आपको जादू का पिटारा मिल गया कि थोड़े से विनियोजन से आप पैंतीस हजार लोगों को रोजगार देंगे। तीन हजार-पैंतीस सौ इकाइयां लघु उद्योग की लगाएं, खादी ग्रामोद्योग की लगाए, पैंतीस हजार को यदि रोजगार मिल गया तो राजस्थान के लिए तो यह बड़ा कल्याणकारी साबित हो सकता है। राजस्थान की जो बेरोजगारी की समस्या है इसका समाधान इसी से हो सकता है। पर, माननीय उद्योग मंत्रीजी, हकीकत यह नहीं है, हकीकत भिन्न है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने जो माननीय सदस्य जयपुर ग्रामीण से आ रहे हैं माननीय श्री नवलकिशोरजी शर्मा, उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनाई उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करके 9 करोड़ 5 लाख रुपये का खादी में विनियोजन किया। इस विनियोजन से निश्चित रूप से जो कुछ हमारी आज की स्थिति है रोजगार देने की, उसमें चार गुना, पांच गुना रोजगार दिलाने की स्थिति में हम आ सकेंगे। मैं चाहूंगा कि खादी-ग्रामोद्योग के गत वर्ष के और गत वर्ष से पिछले वर्ष के, पच्चीस हजार और पैंतीस हजार के जो आंकड़े आर्थिक समीक्षा में दिये हैं, इसका दुबारा आकलन करें। दुबारा आकलन करके इस सदन को सही स्थिति से अवगत कराएं और खुद भी सही स्थिति से अवगत हो। आपने यदि राजस्थान के बेरोजगार लोगों को, गांव में बैठे लोगों को रोजगार देना है तो यह बहुत आवश्यक है कि हम इस बात का आकलन करें कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से कितनी पूंजी पर कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

मैं निवेदन करूंगा माननीय उद्योग मंत्रीजी से, आपने इस हाथकरघा का क्या कर रखा है? हाथकरघा का एक निगम बना रखा है आपने और एक बुनकर संघ भी है। बुनकर संघ सहकारी संस्था है। बुनकर संघ की रिपोर्ट भी आपने हमें पढ़ने के लिए भेजी है, हमने उसको देखा भी है। कुल 11 लाख रुपये का कपड़ा बुनकर संघ बनाता है, 11 लाख रुपये का कपड़ा। उसकी पूंजी बहुत थोड़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने जो डिपोज बना रखे हैं, 24-28 जो भी शोरूम बना रखे हैं, आपने तो अब सूत देना बन्द कर दिया पिछले तीन सालों में।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

1999-2000 से आपका सूत बन्द है, आपके द्वारा उत्पादन बुनकरों के माध्यम से कराया जाना बन्द है। आपके 200-250 ढाई सौ के करीब होंगे जो इसमें लग रहे हैं डिपो मैनेजर्स, आपने पिछले दो सालों में उनको कहा कि जो कपड़ा पड़ा है बेच लो और बेच कर अपनी तनखाह ले लो। दो साल में वह कपड़ा बिक गया। अब तो कपड़ा भी नहीं है, वे अब क्या बेचें? कैसे तनखाह लें? ढाई सौ लोग हैं, कोई दस-बीस-तीस कमबेशी होंगे। पर उन लोगों को साल भर से तनखाह भी नहीं मिली है। वे राज्य कर्मचारी हैं, आप उनकी तनखाह की व्यवस्था तो करेंगे। पर मेरा इंटरेस्ट बुनकरों में है, राजस्थान के बुनकरों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। आप इसमें 9 करोड़, 10 करोड़ का विनियोजन क्यों नहीं करते हैं? आपके पास रीको है, आर.एफ.सी. है, आप उसकी योजना बनाएं और राजस्थान के बुनकरों को रोजगार दें। खादी के माध्यम से रोजगार सीमित है क्योंकि उसमें हैण्डस्पिन है, हाथ कता और हाथ बुना, और हैण्डलूम में मिल का धागा काम आता है। कौन-सा गांव ऐसा है कि जहां दस-बीस-तीस हरिजन परिवार न हों और वे हाथकरघा का काम नहीं करते हों? आपने इनको क्यों नजरअंदाज कर रखा है? राजस्थान के बेरोजगार और खास तौर से अनुसूचित जाति से सम्बन्धित जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, यदि उसमें पचास-साठ-सत्तर-अस्सी रुपये का रोजगार होगा तो बुनकरी का धन्धा कोई भी करेगा। बीस मीटर, पन्द्रह मीटर का कपड़ा बनाकर वह अपनी आजीविका चलाएगा और देश का उत्पादन बढ़ाएगा, राजस्थान का उत्पादन बढ़ाएगा। माननीय उद्योग मंत्रीजी, यदि उसे सब्सिडाइज्ड भी करना पड़ता है, खादी भी सब्सिडाइज है ध्यान करिये, भारत सरकार सब्सिडी आज भी देती है और वह 2 अक्टूबर से दो-तीन महीने चलती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए यदि बुनकरों के उत्पादन को सब्सिडाइज भी करना पड़ता है और उस पर हमें दस-बीस करोड़ का नुकसान भी होता है लेकिन उसके माध्यम से बीस-तीस हजार, चालीस-पचास हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है तो सब्सिडी ऐसी चीज नहीं है कि हमें अब सब्सिडी के हाथ नहीं लगाना है या सब्सिडी में कोई बिजली का करंट आ रहा है। सब्सिडी जो खतम की गई है वह अनुत्पादक सब्सिडी खतम की गई है, जो अनुदान के रूप में दी जा रही है। पर यह सब्सिडी जो हमारे उत्पादन को बढ़ावा देने के काम आ सकती है, वह सब्सिडी नये रूप से भी राज्य सरकार को कायम करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हम मांग करेंगे कि उस सब्सिडी को कायम किया जाए और राजस्थान के बुनकरों को रोजगार निश्चित रूप से प्रदान किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना : पांच मिनट कृपा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब तक मंत्री महोदय का जवाब नहीं आ जाए हाउस का समय बढ़ा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह थोड़े ही है कि यह बोले जाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब तो यही है। अच्छा बोलने वालों को प्रोत्साहित कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कितनों के पल्ले पड़ रहा है?

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी आपको कुछ आंकड़े पूंजीगत व्यय के और आयोजना व्यय के सुनाये, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारा यह जो 82 करोड़ का बजट है इस बजट में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का है 23.49 करोड़ रुपया। (व्यवधान) उनको तकलीफ है इससे। उनको इससे तकलीफ है।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो उद्बोधन है उसमें सिर्फ इतनी-सी बात है कि मैं निवेदन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको सुनता नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : बैठ जाओ, गोडसे साहब, आप तो।

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने आंकड़े रखे कि आपने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जो प्रावधान रखे हुए थे उसमें से 70 प्रतिशत, कहीं 60 प्रतिशत की उपलब्धि 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 में की है। मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि ये जो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं इनका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन इस वर्ष करवाने के लिए विभाग को निर्देशित करें कि इसमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं हो जिसका पूरा उपयोग न हो। मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता कि वह किस में कितना कम हुआ, किस में कितना कम हुआ, वे आंकड़े माननीय चूरू से आने वाले सदस्य दे चुके हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे टैक्सेज बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने एक उदाहरण तेल मिलों के रा-मैटीरियल

(17.00 बजे)

का दिया। माननीय उद्योग मंत्रीजी, मुझे वो तो समझ में आता है कि आपने आटे, सूजी, मैदा पर प्रवेश कर लगा दिया कि पड़ोसी राज्यों का मैदा नहीं आए, पर जहां रा-मैटीरियल बाहर से आ रहा है? पाली में इण्डस्ट्रीज डाइज और केमिकल से चल रही हैं और डाइज और केमिकल की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

फैक्टरीज राजस्थान में नहीं हैं। आप राजस्थान का उद्योग जो बाहर से फिनिश्ड गुड्स आ रहा है उसके आधार पर चल रहा है, आप यदि उस पर भी प्रवेश कर लगाएंगे तो पाली का छपाई उद्योग और बालोतरा का भी छपाई उद्योग, सांगानेर का छपाई उद्योग ये सब बरबाद हो जाएंगे। इसलिए आप इस बात का परीक्षण करें, चाहे यह मामला वित्त विभाग का होगा कि उसके द्वारा लगाये गये टैक्सेज से राजस्थान के उद्योगों पर विपरीत असर पड़ रहा है। उसको जरा स्कैन करें, उसका विश्लेषण करें और जो उद्योगों के उत्पादन के विपरीत जो टैक्स लगाये गये हैं अन्दरूनी बात करके, कैबिनेट के अन्दर बात करके, विभागीय स्तर पर बात करके उन प्रतिगामी टैक्सेज को हटवाने का, समाप्त करवाने का काम करें। सिर्फ बहुत ज्यादा टैक्सेशन से ही राज्य की इनकम नहीं बढ़ेगी राज्य का उत्पादन बढ़ेगा तभी राज्य की आमदनी सही रूप में बढ़ेगी। मैंने बजट डिबेट में निवेदन किया था कि आप राज्य की कृषि की पैदावार को दुगना करने का लक्ष्य रखें। माननीय पशुपालन मंत्रीजी विराज रहे हैं, पशुपालन से जो उत्पादन राजस्थान में है उसको दुगना करने का विचार रखें। आप राजस्थान में जो इन्दिरा गांधी नहर है उस पर चरागाह विकसित करने का विचार रखें। आज तक आप नजरअन्दाज करते जा रहे हैं, करते आ रहे हैं। नरेन्द्र सिंहजी भाटी चाहे मंत्री न रहे हों, पर उन्होंने अपने समय जो योजना बनायी थी वह निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान के कल्याण की योजना थी कि चरागाह इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में विकसित किये जाएं। खैर, वो प्रसंग अभी ज्यादा नहीं है पर मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि हमारा उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन बढ़े। उसमें जो टैक्सेज लगे हैं वो प्रतिगामी साबित नहीं हों, इस बात को देखने का काम आप करें।

मैं अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट अण्डरटेकिंग्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। स्टेट अण्डरटेकिंग्स जो घाटे में है उन अण्डरटेकिंग्स पर जो रिपोर्ट है राजकीय उपक्रम की उसमें लिखा है कि जो घाटे में चल रही हैं उसको हम मुनाफे में लाने का काम कर रहे हैं। राज्य की यह नीति का स्टेटमेंट है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप नियोजन करिये नये राजकीय उपक्रमों में और उनको मुनाफे में लाइये। पर यदि आपकी यह नीति सिर्फ प्रशासनिक तरीके से लिख दी गयी है और राज्य की नीति का यह अभिन्न अंग नहीं है, तो माननीय ट्यूरिज्म मंत्रीजी बैठी हैं, ट्यूरिज्म की इकाइयां बिक रही हैं क्योंकि वे घाटे में हैं। दो-तीन साल से जो घाटे में चल रही हैं उन इकाइयों को बेचने का आर.टी.डी.सी. ने और ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट्स ने फैसला किया है। आप भी जो राजकीय इकाइयां घाटे में हैं और उबर नहीं सकती, उनको बेचने का काम करें, उनके परीक्षण

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का काम करें चाहे वो डीडवाना में हों, चाहे पचपदरा में हों। राजस्थान के लोगों को उत्पादन के तौर पर जो साधन दिया जा सकता है लवण क्षेत्र में वो निश्चित रूप से वहां के गांववासियों को, उसके पड़ौस के गांववासियों को, उसकी तहसील के गांववासियों को देने का काम करें और जो इण्डस्ट्रीज चल नहीं सकतीं और अपना भी उसमें विनियोजन नहीं कर सकते उन इंडस्ट्रीज को बेचने का काम करें। मैं समझता हूं आज हमारी राजकीय वूलन मिल पड़ी है बीकानेर में, आप क्यों नहीं बेच रहे हैं? चूरू की वूलन मिल के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैरा लिखा महालेखाकार ने चूरू में जो उद्योग था और जो बेचा गया उसमें 2 करोड़ 67 लाख का घोटाला ए.जी. ने डिसाइफर किया है, अंकित किया है। ऐसा नहीं हो कि इस राजकीय वूलन मिल और दूसरे राजकीय उपक्रमों को बेचने में ऐसे ही घोटाले फिर हो जाएं। बहुत सावधानी से आपको बेचना है, भारतवर्ष के टेण्डर करने हैं। जहां जरूरत हो आल इण्डिया आल वर्ल्ड के भी टेण्डर करने हैं कोई बड़ी चीज हो तो। इसलिए सोडियम सल्फाइट प्लांट का तो खास तौर से जिक्र मैंने बजट में भी किया था, शायद आपने सुना है कि 27 लाख के टेण्डर कब के आये पड़े हैं। उसके पहले करोड़ों के आये वो तो दीमक खा गयी, करोड़ों के मंजूर नहीं हुए और कोई 27 लाख के टेण्डर सोडियम सल्फाइट के मंजूर करने की तैयारी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि इसमें पचासों लाख का घोटाला है। आप नयी निविदाएं मांगें, इन निविदाओं के मांगने पर राज्य को निश्चित रूप से करोड़-दो करोड़ की आमदनी बढ़ेगी। नीतिगत तौर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी उपक्रम बिके उसका परीक्षण आप अपने स्तर पर भी करें। प्रशासनिक अधिकारी भी करें लेकिन आप अपने स्तर पर भी करें और राजकीय उपक्रमों को बेच कर उसकी आमदनी से जो भी राज का कर्जा बढ़ता जा रहा है उसके समायोजन में, उसको चुकाने में उसका उपयोग करें। इस निवेदन के साथ कि आप उद्योगों के माध्यम से वास्तव में अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न कराएंगे और राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह जी। नहीं? माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, आप क्यों पीछे रह रहे हो?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर में रेवासा का क्षेत्र जो हैं उसमें नमक का उद्योग था, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में जो बरसात

(श्री राजेन्द्र पारीक)

काफी ज्यादा आयी है तो जो नमक के प्लाट्स थे वो पूरे के पूरे पानी से भर गये। नतीजा उसका यह निकला कि जितनी भी नमक की यूनिट्स थीं वहां पर वे सारी बरबाद हो गयीं। उनमें आर.एफ.सी. का भी पैसा है, लम्बे समय से आर.एफ.सी. और व्यापारी लोग जो हैं उनके बीच में चल रहा है। व्यापारियों की तो स्थिति यह है कि उनके पास में आज की तारीख में देने को तो कुछ है नहीं। यदि विभाग चाहे तो वह जमीन है उसको अपने पोजीशन में ले कर उसकी बिक्री करे, जो कुछ भी करे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का भी इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बार-बार उनके पास भी मैसेज पहुंच रहे हैं, जो कुछ भी आर.एफ.सी. का पैसा है उसका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, उसका यदि कोई समय रहते निस्तारण हो जाए तो एक ओर वे व्यापारी जो इस कर्जे से दबे जा रहे हैं उनको भी मुक्ति मिलेगी और एक जो बहुत बड़ा लम्बा प्रकरण चल रहा है उसका भी निस्तारण होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अभी उद्योग की मांग के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई। करीब एक दर्जन माननीय सदस्यों ने राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर अपने विचार रखे। माननीय सदस्यों ने इस मांग को लेकर 59 कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये। राज्य का आर्थिक विकास निश्चित रूप से कृषि के उत्पादन पर और औद्योगिक गतिविधियों के विकास पर निर्भर करता है इसलिए माननीय सदस्यों का चिन्तित होना वाजिब है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये राज्य के औद्योगिक विकास के सन्दर्भ में औद्योगिक वातावरण में सुधार के लिए कि जो स्थापित उद्योग-धन्धे हैं वे पूरी क्षमता से चलें, पूरे उत्पादन पर चलें, उन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष विभाग के आगे के जो कार्यक्रम हैं उनका संचालन किया जाएगा। इसके साथ में मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि इस वर्ष का जो बजट रखा गया है, मैं यह तो नहीं कहता, वो पर्यटन को तो समर्पित है और उद्योग को भी समर्पित है, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास को इस बजट से गति मिलेगी और राज्य में उद्योग-धन्धों की स्थिति में सुधार होगा। जब हम उद्योग की मांग पर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे राज्य में जो भी उद्योग-धन्धे स्थापित हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर विचार करना होगा और उनके सामने

(डा. चन्द्रभान)

जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करना पड़ेगा। उन्हें पूरी क्षमता के साथ चलाने के लिए जरूरत पड़ी तो नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा और शासन की ओर से उनकी मदद करनी पड़ेगी, उन्हें छूट भी देनी पड़ेगी। इसी के साथ राज्य में एक ऐसा माहौल इस क्षेत्र में तैयार हो कि नया निवेश आ सके। नये उद्योग धंधे चाहे वृहत् उद्योग धंधे हों, मध्यम श्रेणी के हों या लघु उद्योग धंधे हों, हस्तशिल्प से सम्बन्धित या खादी ग्रामोद्योग से सम्बन्धित उद्योग धंधे हों, उनमें निवेश हो और वह पनपे। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम निवेश की चर्चा कर रहे हैं तो मैं तो बदलते हुए परिवेश में यह भी कहना चाहूंगा कि यह निवेश केवल औद्योगिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहे, बल्कि अन्य क्षेत्र में भी हो जो मैन्यूफैक्चर से नहीं जुड़े हों, सामाजिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, जिसके विकास की राज्य में बड़ी विपुल सम्भावनाएं हैं और जिसके माध्यम से माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की कि लाखों की संख्या में हमारे युवा साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

अभी माननीय सदस्यों ने जो कार्यरत उद्योग धंधे हैं उनके बारे में अपनी चिंता प्रकट की। यह बात सही है कि रिसेशन के चलते, लिबरलाइजेशन के चलते, नई इकानामिक पालिसीज के चलते, डब्ल्यू. टी.ओ. के समझौतों के चलते और ग्लोबलाइजेशन के चलते निश्चित रूप से उद्योग और उसमें विशेष रूप से जो लघु उद्योग धंधे हैं उनके सामने दिक्कत पैदा हुई है और एक कड़ी चुनौती का सामना हमें करना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो रुग्ण उद्योगों की अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की, निश्चित रूप से इनकी संख्या बढ़ रही है। जो माननीय सदस्यों ने कहा और हमारे विभाग की ओर से जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार कुल मिलाकर राजस्थान में करीब 22 हजार छोटी-बड़ी-मंझौली औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हैं, और एक तरह से कहूंगा कि बन्द हैं। इनका प्रतिशत है करीब साढ़े नौ। लेकिन लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य अभी थोड़ी ज्यादा ही चिंता प्रकट कर रहे थे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि उद्योग और व्यापार नहीं अब दुनिया ही इतनी छोटी हो गई है कि जो घटनाएं देश में और दुनिया के अन्य देशों में घटती हैं उनका असर हमारे प्रदेश के ऊपर भी पड़ता है। यह जो रिसेशन है यह केवल हमारे राज्य में नहीं, यह पूरे देश में है और विश्व में है। मैं यह भी आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, और मैं यह कहकर कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हूं या आत्म संतुष्टि के लिए बात नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सिकनैस की जो रेट है वह भी नौ और साढ़े नौ प्रतिशत है। राजस्थान प्रदेश में जहां तक

(डा. चन्द्रभान)

एम्प्लायमेंट जनरेशन की बात आपने इस सैक्टर में कही, आपने कुल मिलाकर कहा कि इसमें आठ और साढ़े आठ लाख लोगों को रोजगार है। लेकिन मेरे को जो अधिकारियों ने जानकारी दी है, यह बात सही है कि इन आंकड़ों को हम और ज्यादा अपडेट करेंगे लेकिन कुल-मिलाकर साढ़े दस लाख लोगों को आज भी इस क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। छोटी इकाइयां होती हैं उनमें इंवैस्टमेंट कम होता है, खादी ग्रामोद्योग में कम होता है उनमें रोजगार ज्यादा मिलता है और जो बड़ी इकाइयां होती हैं उनमें रोजगार कम मिलता है। जहां तक औद्योगिक विकास की दर का सवाल है, केन्द्र में भी अभी थोड़े दिनों पहले बजट प्रस्तुत किया गया था और हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की दर घट रही है। अब तो नेशनल लेवल पर शायद 2.35 रह गई, हमारी तो उससे भी कम है, हमारी तो करीब 2 प्रतिशत है। मुझे यह स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जो स्थिति है यह पूरे देशभर में है, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। यह स्थिति हमेशा रहेगी, यह भी कोई जरूरी नहीं है।

अभी कई माननीय सदस्य जो प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, बार-बार 1990 से 98 की बात कर रहे थे कि उस समय औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ। जो रजिस्टर्ड इकाइयां हैं, वह रजिस्ट्रेशन तो अभी भी हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। अभी जो मुझे बताया गया, यह वर्ष औद्योगिक कारोबार की दृष्टि से पूरे देश के लिए चिंता भरा वर्ष है। इसमें भी राज्य में जो इकाइयां रजिस्टर हुई हैं। वे साढ़े आठ हजार के करीब हैं और उनमें करीब साढ़े बावन हजार लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन मैं यह निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि जिस 1990 से 1996-98 की आप बात कर रहे हो उसमें देश का औद्योगिक वातावरण क्या था? क्या देशभर मे उस समय मंदी थी? आप याद करो, वह जमाना पी.वी. नरसिंह राव और मनमोहन सिंहजी का था और उस समय पूरे देश का कारोबार आगे बढ़ा। औद्योगिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत हुआ। उसके बाद जो स्थिति पिछले तीन-साढ़े तीन साल से बनी, यहां तो सरकार हमारी है लेकिन केन्द्र में सरकारें बदली हैं। जिस तरह का माहौल बना है, अभी यहां पर लघु उद्योग धंधों की आप बड़ी चिन्ता कर रहे थे और आयल मिल्स की आप बात कर रहे थे, उद्योग मंत्री मैं भी दो साल से हूं और मुझे कई नेशनल लेवल पर जो सेमिनार हुईं उनमें भाग लेने का मौका मिला, मैंने पुरजोर शब्दों में जो हमारी लघु उद्योग मंत्री हैं जो राजस्थान से ही चुनकर जाती हैं, उनके सामने यह सवाल रखा। अभी प्रतिपक्ष के नेता मौजूद नहीं हैं, केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी आये थे उनके सामने इन्होंने भी यह बात कही थी कि पाम आइल के ऊपर थोड़ी व ड्यूटी और बढ़नी चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो रिजर्व आइटम

(डा. चन्द्रभान)

थे उन पर रैस्ट्रिक्शन एक साथ उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? 715 आइटम हैं उन पर एक साथ आपने अचानक रैस्ट्रिक्शन हटा लिये। क्या उसका असर राज्य की एग्रोबेस्ट इण्डस्ट्री पर, राज्य के लघु उद्योग धंधों पर नहीं पड़ेगा? पाम आयल की जो ड्यूटी नहीं बढ़ा रहे हैं इसका असर हमारे राज्य की तेल मिलों पर और तेल से जुड़े हुए उद्योग धंधों पर नहीं पड़ेगा? अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि टैक्सटाइल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उद्योग मंत्री के रूप में नहीं, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं बार-बार केन्द्र सरकार से, केन्द्रीय वित्त मंत्री से, उद्योग मंत्रीजी से, प्रधान मंत्रीजी से आग्रह किया है कि राजस्थान में माइन्स और मिनरल्स का जहां तक सवाल है, उद्योग धंधों के पनपने की बड़ी सम्भावना है। अब मार्बल उद्योग से आम आदमी जुड़ गया है। हमने उनसे कहा कि इसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह समाप्त कीजिए, जब दूसरे पत्थरों में आपने कर रखी है। उन्होंने मार्बल की तो खतम की नहीं बल्कि ग्रेनाइट पर और लगा दी। उसके चलते हमारा जो ग्रेनाइट का धंधा था, उपाध्यक्ष महोदय, वह एक तरह से चौपट हो गया। आप यह मांग करें कि इस पर सैल्स टैक्स कम होना चाहिए तो आपको साथ में यह मांग भी करनी चाहिए कि एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी इन पर से और टैक्सटाइल पर से पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अबकी बार के प्रस्तुत बजट में निश्चित रूप से सिक इण्डस्ट्रीज की सिकनैस को समाप्त करने के लिए, मैं कंसेशन वर्ड का उपयोग न करते हुए, रियायत का उपयोग न करते हुए यह कहना चाहूंगा कि कई निर्णयों की घोषणा की। निश्चित रूप से इससे औद्योगिक जगत से जुड़े हुए जो भी हमारे राज्य के लोग हैं, उद्यमी हैं, उनमें एक नये उत्साह का संचार हुआ है। चाहे रुग्ण इकाइयों को खरीदने का सवाल हो 70-30 के रेशो के सन्दर्भ में, बार-बार उसको यहां रिपीट नहीं करना चाहूंगा, चाहे सैल्स टैक्स एगज्म्पशन की स्कीम का उनको लाभ देने का हो, चाहे प्रोडक्ट मिक्स का सवाल हो या स्टाम्प ड्यूटी का सवाल हो, निश्चित रूप से कई इस तरह के फैसले हुए हैं कि जो इकाइयां सिक हैं उनकी सिकनैस समाप्त होगी, नये लोग हैं, उन इकाइयों को खरीदेंगे और निश्चित रूप से उनको दुबारा चालू किया जा सकेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय मंत्रीजी, रूग्णता खतम होगी तब तो कोई खरीदेगा। वे रुग्ण हैं और दो-तीन साल से बन्द हैं, जो नया खरीददार है उसके लिए तो ठीक है कि 30 प्रतिशत दूसरे विभागों को चला जाएगा और 70 प्रतिशत वह दे देगा। उस रुग्णता का वित्त मंत्रीजी ने तो अपने तरीके से इलाज किया है, लेकिन आपको उद्योग मंत्री के नाते उनकी रुग्णता

(श्री मानिक चन्द सुराना)

को दूर करने के लिए उद्योग विभाग का अलग से पैकेज़ बनाना पड़ेगा। यदि बिक रही हैं तो 70 प्रतिशत तो आपको चला जाएगा और 30 प्रतिशत दूसरे चारों विभागों को चला जाएगा, वह ठीक है। पर रूग्णता रहते हुए उद्योग नहीं बिकेंगे, आप इसको ध्यान करें। रुग्णता के साथ उद्योग नहीं बिकेंगे। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : सुविधा रखिए साहब, यह बड़ी मुश्किल...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको मेडिकल का पता है, आपको इण्डस्ट्रीज का पता नहीं है। (व्यवधान) जब तक बी.आई.एफ.आर. क्लीयर नहीं करेगा तब तक उसकी रूगणता खतम नहीं होगी।

डा. के. सी. चौधरी : सिक इण्डस्ट्रीज बी.आई.एफ.आर. में नहीं जातीं। (व्यवधान) बी.आई.एफ.आर. होती क्या है, पहले यह तो समझ लीजिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको चिकित्सा का पता है...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : पहले यह तो समझ लीजिए कि बी.आई.एफ.आर. होती क्या है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको मेडिकल का पता है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आपको पता है बी.आई.एफ.आर. क्या होती है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इण्डस्ट्री आपके ऊपर से निकल जाती है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : सिकनैस की हम बात...(व्यवधान) बी.आई.एफ.आर. में चले गये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बी.आई.एफ.आर. होती क्या है, आपको पता है क्या? आपको मेडिकल का पता है, बाकी इण्डस्ट्री आपके ऊपर से ही निकल जाती है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता एकदम वाजिब है, जो भी रुग्ण इकाइयां हैं उनको अगर नया इंटरप्रिन्योर खरीदेगा तो वे इकाइयां चलें और उनको उद्योग विभाग की ओर से भी मदद हो। मैं आपके इस सुझाव से सहमत हूं और उद्योग विभाग भी उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कि उनके उद्योग-धन्धे या वे इकाइयां पुन: चल सकें।

मैं उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि आर.एफ.सी. का लोन है या रीको से सम्बन्धित कोई इकाई है तो उनकी जो ऋण की दरें हैं उनको कम किया जा सकता है, व्यावहारिक बनाया जा सकता है, उनके लोन का रिशिड्यूलमेंट हो सकता है। इसके अलावा उनके सामने जो मार्केट सम्बन्धी दूसरी समस्याएं आएंगी उनके बारे में भी निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

(डा. चन्द्रभान)

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र से जो भी योजनाएं बनी हुई हैं जिनका निश्चित रूप से राज्य को लाभ उठाना चाहिए, उन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भी यहां पर चर्चा हुई है। अभी कई माननीय सदस्यों ने आंकड़े देकर कहा कि पी.एम.आर.वाई., प्रधानमंत्री रोजगार योजना है इसमें जो आपके टारगेट थे वे आपने पूरे नहीं किये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो टारगेट हमने अचीव किये हैं वे राष्ट्र में सबसे ऊपर हैं। गत वर्ष हमें 16,000 के टारगेट मिले, हमने साढ़े सोलह हजार पर लोन सैंक्शन किया। यह लोन 31 मार्च तक सैंक्शन होता है, वह लोन हम बैंक वगैरह से डिस्बर्समेंट नहीं कर पाते हैं। कोई नहीं करता किसी राज्य में, साल के अन्त में 31 मार्च को होते हैं। हमारा जो गत वर्ष 2001 का है वह 74 प्रतिशत है, जो देश में हाइएस्ट हैं। हमारे विभाग की ओर से तो पूरी कोशिश होती है, लेकिन जो बैंक हैं वे इसमें आनाकानी करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : 1600 का और जितने का आपने बता दिया, ये टारगेट आपके उस खाते में तो पूरे हो गये, लेकिन बैंक की स्थिति यह है कि आदमी चक्कर काटते-काटते थक हारकर अपने घर बैठ जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता। कृपया आप यह सुनिश्चित करें कि बैंक उनको कम्पलसरी रूप से लोन डिस्बर्स करेगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से भी हम लोगों ने आग्रह किया है। बैंकर्स की एक मीटिंग स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने बुलाई थी और उनसे यह आग्रह किया था कि जब जितनी स्वीकृतियां होती हैं, फिर हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, और केन्द्र सरकार की एक योजना प्रधानमंत्रीजी के नाम पर है तो कम से कम उनको भी उसे लागू करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन फिर भी वे बरतते हैं।

अभी माननीय सदस्य बुनकरों की चिन्ता कर रहे थे। बुनकरों की चिन्ता अपनी जगह वाजिब है। बुनकर गरीब लोग हैं। ज्यादातर अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। उनके कल्याण के लिए राज्य की सरकार तो खैर कृतसंकल्प है, केन्द्र की भी मदद मिलती रही है। गत वर्ष अम्बेडकरजी के नाम से भी एक योजना बनी, दीनदयालजी के नाम से एक योजना बनी और जितनी पुरानी योजनाएं थीं उनको उसमें मर्ज कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो योजना बनी उसमें यह शर्त लगा दी गयी कि इनके लिए कोई भी प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे बैंकेबल होना चाहिए। वह बैंकेबल नहीं होता है तो उस योजना का लाभ हम राज्य के बुनकर भाई हैं उनको नहीं दिला पाते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य में रोजगार की दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

(डा. चन्द्रभान)

हैण्डीक्राफ्ट की हम बात करें, बुनकर की हम बात करें, अब खादी ग्रामोद्योग के बारे में खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्रीजी भी थोड़ी देर बाद में संक्षेप में बात रखेंगे। इससे हमारे राज्य में सबसे ज्यादा लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस दृष्टि से राजस्थान में अच्छा काम हुआ है।

मैं आपको एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि आज हमारे गांव में रहने वाले जो हस्तशिल्पी भाई-बहन हैं, हमारे जो दस्तकार हैं, हमारे यहां पर हुनर की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज भी हमारे यहां का कपड़ा हो या कोई भी हाथ की वस्तु हो, उसकी माँग हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे राज्य के बाहर भी और दुनिया के अन्य देशों में भी बढ़ती जा रही है। केवल उनकी इतनी मदद करनी है कि हम उनकी आर्थिक मदद करें। उनको लोन वगैरह दिलवाएं, उनको ट्रेनिंग दिलवाएं। मार्केट की जो डिमांड है उसके हिसाब से नई-नई डिजाइंस हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जा सके और फिर वे जो प्रोडेक्ट तैयार करते हैं उनको मार्केट उपलब्ध कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने अब की बार 34 जगहों पर उद्योग मेलें और एग्जीविशन लगाये और उसमें जनता का पूरा सहयोग मिला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 7-7, 15-15 दिन तक मेले चले और हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 43 करोड़ रुपए का सामान हस्तशिल्पियों का, छोटे कारीगरों का, दस्तकारों का, लघु उद्योग से जुड़े हुए लोगों का उसके अन्दर बिक सका। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से भी हमने सहयोग मांगा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी है कि राजस्थान में इसी वित्तीय वर्ष में दो अरबन हाट बाजार जयपुर और जोधपुर में हम विकसित करेंगे। दस रूरल हाट बाजार दस जिले हैं उनके अन्दर विकसित करेंगे। ये हाट बाजार बनने से निश्चित रूप से जो लघु उद्यमी हैं, गांव के लोग हैं, आर्टिजंस हैं उन सबको जो अपना सामान वहां तैयार करते हैं उसके विपणन की सुविधा मिलेगी। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि हैण्डीक्राफ्ट, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, बुनकरों को चाहे भारत सरकार बैंकबल योजना के माध्यम से राहत देना चाहती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने खादी ग्रामोद्योग के लिए भारत सरकार का इंतजार नहीं किया, योजना मद में से 9 करोड़ 5 लाख रुपए

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का प्रावधान किया गया, आप क्यों नहीं 10-15 करोड़ रुपए का प्रावधान बुनकरों के लिए करते है? आपका जो बुनकर कारपोरेशन है वह पहले डवलपमेंट का काम भी करता था। वह पहले दोनों ही काम करता था-प्रमोशनल काम करता था, फील्ड में भी काम करता था। सूत उपलब्ध कराता था बुनकरों को। कोई योजना भारत सरकार की खतम भी हो गई है 3 साल पहले। आप अपने राज्य की किसी योजना के द्वारा उस कमी को पूरा करिये। बुनकरों के लिये जिस तरह खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से आपने क्लेम पहले किया, 35 हजार लोगों को रोजगार दिया, उसी तरह इसमें भी 50 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है बशर्ते कि आप 10-15 करोड़ रुपये का प्रावधान योजना मद में बुनकरों के लिये करने का दुबारा चिन्तन करें और प्रावधान कराएं।

डा. के. सी. चौधरी : बुनकर कौनसे, हैण्डलूम वाले या पावरलूम वाले? लोन किन को दे रहे थे आप? हैण्डलूम के बुनकरों को दे रहे हैं या पावरलूम के बुनकरों को दे रहे हैं? क्योंकि जो राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ एक, और राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन दो...

श्री मानिक चन्द सुराना : हमारा मतलब हैण्डलूम से है, पावरलूम से नहीं है, बहुत साफ है।

डा. के. सी. चौधरी : हैण्डलूम से है तो...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, हैण्डलूम ही कहा। हमने पावरलूम नहीं कहा, हैण्डलूम ही कहा है।

डा. के. सी. चौधरी : अपने कितने हैण्डलूम वर्किंग आर्डर में हैं? सब पावरलूम का ही काम कर रहे हैं। वह तो खाली बिलिंग ही होती है हैण्डलूम की तो, साहब। बुनकर संघ में तो सिर्फ बिलिंग होती है, सारा काम तो पावरलूम से होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये आपके यहां कर रहे होंगे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी समझ गये कि हमारा उद्देश्य बुनकर से है, न कि पावरलूम वालों से।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, सारा काम पावरलूम से हो रहा है। हैण्ड़लूम का तो काम ही बन्द हो चुका है। (व्यवधान) आप देख लो गोंद में, बैण्डेज में, हैण्डलूम में, दरियों में, पट्टियों में, सबमें बुनकर संघ का क्या हुआ था। आपसे छिपा नहीं है कुछ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे वहां तो हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 50 हजार बुनकरों को रोजगार की बात यहां उठायी गयी है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार की बात है तो क्यों नहीं मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान देकर किसी विशेष पैकेज की घोषणा करते हैं, ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके और वास्तव में सही अर्थों में उन लोगों के जीवन को उठाने की कार्यवाही हो? उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हों, वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें, उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, इस बारे में सरकार क्या मंशा रखती है? मंत्री महोदय विशेष पैकेज की घोषणा करें ताकि बुनकर को सही अर्थों में, सही मायने में लाभ मिल सके। धन्यवाद।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : मंत्री महोदय, एक मिनट और इंटरप्ट करूंगा आपको। आपने बताया कि सारी केन्द्र प्रवर्तित स्कीम्स अब पण्डित दीनदयालजी उपाध्याय के नाम से हो गयीं, लेकिन राजस्थान हैण्डलूम बोर्ड के अन्दर तो अब तक उस योजना की ए.बी.डी.सी. भी चालू नहीं हुई। न तो अपना जो कम्पोनेंट स्टेट का है उसके लिये अलाट किया गया, न केन्द्र का उसके सम्बन्ध में कम्पोनेंट आया। तो यह लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक महोदय जो बात कह रहे थे वह बात वही हो गयी कि हैण्डलूम बोर्ड तो लगभग बन्द होने की स्थिति में आ गया। सबसे बड़ी चिन्ता की बात आज गांवों में, बुनकरों में और हैण्डलूम के कर्मचारियों में यह है कि राजसिंह निर्वाण समिति नाम की कोई समिति गठित की गयी जिसने राज्य सरकार को यह लिख कर दिया कि यह अनइकोनोमिकल आर्गेनाइजेशन है, इसको बन्द कर दिया जाए। अगर इस तरह के आर्गेनाइजेशन जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लगे हुए हैं, रोजगार के साधन मुहैया करा रहे हैं, अगर राज्य सरकार इस बारे में बन्द करने की बात सोच रही है तो फिर दीनदयालजी उपाध्याय वाली योजनाएं राजस्थान में कैसे लागू होंगी? इस मुद्दे पर भी, मंत्री महोदय, आप जवाब दें।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय की कमी है लेकिन मैं कुछ निवेदन जरूर करना चाहूंगा, नये निवेश के सन्दर्भ में और माननीय सदस्यों ने जो अभी प्रश्न उठाये हैं उस बारे में। एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह दो स्तर पर काम हो रहा है, एक सहकारी संस्था के माध्यम से राज्य का बुनकर संघ बना हुआ है और एक कम्पनी एक्ट के तहत हैण्डलूम कारपोरेशन बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह सदन भी इस राय का होगा कि इन दो संस्थाओं की

(डा. चन्द्रभान)

अलग-अलग जरूरत नहीं है जब एक समान एक्टिविटी है दोनों की और इन दोनों को मर्ज भी किया नहीं जा सकता है, इसमें भी कानूनी दिक्कत है। लेकिन यह जरूर है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हैण्डलूम कारपोरेशन में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी तनखाह 3-4 महीनों की बाकी है, उसको देने का इन्तजाम करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा 400 कर्मचारी थे, हमने डेढ़ सौ से दो सौ को सरप्लस करके हमारी बिजली की कम्पनियों में उनको खपाया। बाकी और भी कई को खपाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि उसको चालू रखें। नहीं चालू रखें तो उसका उपयोग जो है उसको समाप्त नहीं होने देंगे। आज बुनकर संघ अच्छी स्थिति में है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मन्दी का युग है, लेकिन आपको यह जानकर संतुष्टि होनी चाहिए कि आज भी हमारी आर.एफ.सी. अच्छा काम कर रही है, मैं अभी बताउंगा आपको। और रीको अच्छा काम कर रही है, वह प्रोफिट में है। बुनकर संघ और राजसीको हैं ये भी नो प्रोफिट नो लास, कोई 50-60 लाख का ही अन्तर है, खास कोई ज्यादा नहीं है। ये चारों कारपोरेशन अच्छा काम कर रहे हैं। रूडा भी राज्य में अच्छा काम कर रहा है। राज्य से बाहर भी रूडा अच्छा काम कर रहा है। आपने जो यह कहा कि जिस तरह से खादी ग्रामोद्योग के लिए साढ़े नौ करोड़ रुपये, नौ करोड़ रुपये का नवल किशोर शर्मा कमेटी की रिकमंडेशंस को मानते हुए अलग से प्रावधान किया गया है उसी तरह से हैण्डलूम वीवर्स के लिये भी राजस्थान को करना चाहिए, यदि केन्द्र मदद नहीं देता है, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा, सरकार को इसलिये यह कदम उठाना पड़ा कि हमेशा से आपको पता है कि खादी कमीशन बना हुआ है। नेशनल लेवल पर, वह मदद करता था। अब पिछले 4 साल से उसने मदद करना एकदम ही बन्द कर दिया। फिर राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी थी इसीलिये राज्य सरकार ने इस प्रावधान को किया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि वह जब बुनकरों की बात करती है तो फिर बैंकेबल की बात उसको छोड़नी होगी। गरीबों की बात हम जब करते हैं, अम्बेडकरजी के नाम पर, दीनदयालजी के नाम पर हम योजना चलाते हैं और फिर हम बैंकबल की इस तरह की शर्त लगाते हैं तो फिर मैं मानता हूं कि महापुरुषों का नाम इन योजनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको भी दबाव डालना चाहिए, हम भी दबाव डालेंगे। केन्द्र सरकार हमारे दबाव को हो सकता है कि नहीं स्वीकार करे, आपकी भी बात को नहीं माने तो फिर हम वित्त मंत्रीजी से आग्रह करेंगे और निश्चित रूप से बुनकरों का हम पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : बैंकेबल योजनाएं आपके नरसिंह रावजी के टाइम में ही खादी में शुरू हुई थीं, आपको भी ध्यान होगा। नहीं है तो अब कर लीजिए कि ये बैंकेबल योजनाएं खादी और ग्रामोद्योग के सैक्टर में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह रावजी ने लागू की थीं, न कि इस सरकार ने। निश्चित रूप से इसको बदलना चाहिए और वापस उस पुरानी परम्परा पर आना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि सरकार कितनी जागरूक है। आज अभी केन्द्र से एग्ज़िम पालिसी डिक्लेयर हुई है, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे और मैं कहना चाहूंगा कि ज़रूरत है बदलते हुए परिवेश में। हमने भी एक निवेश प्रोत्साहन नीति नयी बनायी है। उद्योग और व्यापार अलग नहीं है। व्यापार नीति भी बनायी है और इसके साथ में निर्यात नीति बनायी है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन नीतियों को जल्दी ही घोषित करेंगे, दिनों में ही करेंगे, जैसे राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने कहा, और उन्हें लागू भी करेंगे। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट के लिये हम बात करें तो आज भी हैण्डीक्राफ्ट्स में राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं है। हैण्डीक्राफ्ट्स में जो एक्सपोर्ट हो रहा है देश से, उसमें हमारे राज्य का योगदान 1996-97 में 4.94 प्रतिशत था। उसके बाद लगातार 1998-99 में 7.29 प्रतिशत रहा, 1999-2000 में 7.43 प्रतिशत रहा, 2000-2001 में 6.18 प्रतिशत रहा। और इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिये जयपुर में सीतापुरा में ई.पी.आई.पी. पार्क है और जोधपुर में भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये ई.पी.आई.पी. बन रहा है। राजस्थान अकेला राज्य है देश में जहां 2 ई.पी.आई.पी. होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, जो माननीय सदस्यों की चिन्ता है वह सबकी चिन्ता है और वह राज्य के विकास से जुड़ी हुई है कि हम अपने उद्योग धन्धों को पूरी क्षमता से चलाएं। उनकी क्षमता का तो उपयोग करें ही, उन्हें कम से कम दिक्कत हो, हर तरह से सरकार का रुख सहयोगी रहना चाहिए। अपनी कार्य प्रणाली में भी सरकार को पूरी तरह से सुधार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ा सवाल है जो मैंने शुरू में निवेदन किया कि राज्य के आर्थिक विकास के लिये औद्योगिक विकास और औद्योगिक निवेश की अहम जरूरत है। हमारी सरकार ने इसको समझा और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गत 3 और साढ़े 3 वर्षों में, मैं कोई बढ़ा दावा नहीं करता कि यहां कोई बहुत बड़ा इंवैस्टमेंट हो गया। अभी आपने कहा कि साढ़े चार हजार करोड़ के, 5 हजार करोड़ के ये तो प्रस्ताव हैं। एम्स की बात आपने कही यह बात आपकी सही है। प्रस्ताव हैं ये, एक्चुअल में इंवैस्टमेंट नहीं हुआ। इंवैस्टमेंट आप जानते हैं एक दिन में होता

(डा. चन्द्रभान)

भी नहीं है, उसमें वक्त लगता है। लेकिन यह भी सही है कि इसी वित्तीय वर्ष में साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का एक्चुअल में इंवैस्टमेंट हुआ है, जो गत वर्ष 464 करोड़ का ही था। मैं मानकर चलता हूं कि ये पांच-साढ़े पांच हजार करोड़ का जिसमें सिंगल विंडो के जरिये भी है और उसके अलावा भी जो प्रस्ताव हैं, इनमें इंवैस्टमेंट आएगा। जब प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहां का वातावरण, सहयोगी वातावरण होगा। सरकार भी सहयोगी रहेंगी और एक वातावरण भी रहेगा तो निश्चित रूप से यह इंवैस्टमेंट भी आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, सरकार...

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, यह जो साढ़े सात सौ करोड़ का इंवैस्टमेंट आ गया, वह आपने इस रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? आप रिपोर्ट में ही लिख देते कि पिछले साल 400 करोड़ आया और अब साढ़े सात सौ करोड़ आया। (व्यवधान) नहीं, नहीं, यह रिपोर्ट भी कम्प्लीट होनी चाहिए, अप-टू-डेट होनी चाहिए। मतलब यह है कि जानकारी उपलब्ध हो।

डा. चन्द्रभान : मैं आपसे सहमत हूं कि हमें अलग-अलग इण्डस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करना चाहिए। आज तो कम्प्यूटराइजेशन का युग है, मैं तो डी.आई. सीज. को सबको कम्प्यूटराइज करने के पक्ष में हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा कि इंवैस्टमेंट की बात कर रहे हैं, यह एक दिन में इंवैस्टमेंट नहीं आ सकता। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार के प्रयासों में कमी नहीं रही है, सरकार ने ईमानदारी के साथ प्रस्ताव किये हैं। मैं केवल पांच मिनट में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यूं ही करते रहो प्रयास। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : पांच मिनट लेना चाहूंगा सदन के, क्योंकि यह जो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वातावरण बनाया जा रहा है, इसको समझना चाहिए। एक बात हमको अब समझनी चाहिए कि यह लिबरेलाइजेशन का युग है। मैं कोई पब्लिक सैक्टर के खिलाफ नहीं हूं। पब्लिक सैक्टर के हम पक्ष में हैं, पब्लिक सैक्टर को हम मजबूत कर रहे हैं। अभी आप डिसइंवैस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस बात को समझा कि पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की पार्टनरशिप को मजबूत करना होगा। इसके लिए हमने ई.डी.बी. का गठन किया। उसमें इण्डस्ट्रियलिस्ट को भी रखा, इकोनोमिस्ट को भी रखा, इस सैक्टर को समझने वाले लोगों को भी रखा। मंत्रिमण्डल के लोग भी रहे, अधिकारी लोग भी रहे और उसके माध्यम से एक प्रयास हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि राजस्थान में जाते हैं तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। उसी के लिए हमने सिंगल विंडो

(डा. चन्द्रभान)

सिस्टम लागू किया। अब आप कहेंगे कि सिंगल विंडो एक्चुअल में सिंगल विंडो नहीं है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजनस रूल्स में उसके लिए परिवर्तन किये गये और...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिंगल विंडो में बिजनस रूल्स में परिवर्तन कितने समय बाद किये? इसका न कोई लेना और न कोई देना।

श्री उपाध्यक्ष : किये तो हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, वह तो उसके साथ ही हो गया। यह मैं आपको कहना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्री महोदय, आपकी एकल खिड़की योजना 14 खिड़की योजना है।

डा. चन्द्रभान : किसने कहा?

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी जो आये हैं उन्होंने ही कहा है कि एकल खिड़की नहीं है, 14 खिड़की हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, वह यह कह रहे थे कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,जब देश में 33 पार्टियों की सरकार चल सकती है तो फिर 14 खिड़की बनाने में कहां दिक्कत है? आप भी कमाल कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सही तर्क दिया है, मान गये। यूं कहो आप।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, हमने जो उद्योग लगाने के लिए सुझाव दिये, अमूल्य सुझाव दिये, मैंने जो उद्योग लगाने के लिए कहा उन उद्योगों का क्या हुआ?

डा. चन्द्रभान : अब अभी आउंगा। अभी आप पर आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं भी उस बैठक में था। उनका यह कहना था कि जब कोई बात होती है तो पुराने अनुभवों के आधार पर लोग बात करते हैं कई बार। उन्होंने कहा कि यह सिंगल विंडो देशभर में है, यह 14 विंडो नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमने बिजनेस रूल्स में परिवर्तन कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि 10 मार्च, 2000 को सिंगल विंडो सिस्टम चालू किया गया, 781 प्रकरण आये। इसके सामने निवेश के जो मामले आये उन 781 में से 759 का फैसला हो गया और 4370 के इंवैस्टमेंट का रास्ता क्लीयर हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इंवैस्टमेंट कितना हुआ, यह बात दीजिए? इससे क्या मतलब है?

डा. चन्द्रभान : इंवैस्टमेंट तो मैंने आपको बता दिया न, 751 करोड़ रुपये का हुआ। यह फिगर भी दे दिया मैंने आपको, टोटल 751 करोड़ रुपये हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टोटल है न 751 तो?

डा. चन्द्रभान : जी, इस वित्तीय वर्ष में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस वित्तीय वर्ष में सिंगल विंडो से थोड़े ही हुआ है अकेले?

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, सबसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, सबसे हुआ है न यह।

डा. चन्द्रभान : लेकिन मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि ये 781 मामले आये हमारे सामने। राज्य सरकार पर यह चार्ज लगता था, कि राज्य की छवि इतनी खराब बना रखी थी कि राजस्थान में कोई सुनवाई नहीं होती। यह छवि सालों साल तक निगेटिव थी उसको हमने पाजिटिव बनाया है। 781 मामले आये उनमें से 759 का समय के ऊपर फैसला कर दिया और उनमें इंवैस्टमेंट आएगा। वे इंवैस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी हो रहा है न यह षड्यंत्रपूर्वक हो रहा है। डालमिया और सिंघानिया ये जितने जो हैं, यह इनके सारे के सारे रिश्तेदार हैं। इनको तो एक मात्र वातावरण यह बनाना है कि राजस्थान में किसी भी तरह इंवैस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये पूरी जी-जान से लगे हुए हैं। गुजरात में इन्होंने जो कुछ कबाड़ा किया, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान में ये रोजमर्रा के जो वातावरण बना रहे हैं, वे आपसे छिपे हुए नहीं हैं। इंवैस्टमेंट आएगा जब राजस्थान का वातावरण बिलकुल से इस बात के लिए तय होगा कि सुरक्षित है, शांत वातावरण है, साम्प्रदायिक सौहार्द है और यहां जो इंवैस्टमेंट होगा उसका रिटर्न मिलेगा। आप तो इनको यह कहिये कि शांत भाव से बैठे रहें और शांति बनाये रखें मुल्क में ताकि इंवैस्टमेंट आ जाए। अपने डालमिया और सिंघानिया को समझाओ कि आपकी यह राष्ट्रभूमि है, यहां आकर इंवैस्टमेंट करो, रिटर्न मिलेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्री महोदय, हमें सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उसको तो बिलकुल नजरअन्दाज करिए और अपनी बात चालू रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करने दीजिए अब, हो गया बहुत।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारबार कहा जा रहा है आई.आर.सी. 2000 को लेकर, मैं माननीय सदस्यों की राय से काफी हद तक सहमत हूं और हमारा मकसद भी नहीं था। हमें बारबार इस बात का कहा गया, पता नहीं

(डा. चन्द्रभान)

उसको आप या तो सुनना नहीं चाहते हैं। हमने कहा कि आई.आर.सी., 2000 का जो मकसद था वह केवल औद्योगिक निवेश के लिए नहीं था, इस बात को आपको समझना चाहिए। आज कोई भी इण्डस्ट्रियलिस्ट कोई भी कमेंट करता है और किसी समाचार पत्र में छप जाता है, उसको आकर आप संदन में दिखा देते हो। आपको इस बात को एप्रिशिएट करना चाहिए कि आई.आर.पी., 2000 के सफल आयोजन से राजस्थान की निगेटिव जो इमेज थी वह समाप्त हो गई और आज राजस्थान की पाजिटिव इमेज बनी है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उनका विश्वास जगा है राजस्थान में और उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई एल.एन. मित्तल की बात नहीं करता, मैं राहुल बजाज की बात नहीं करता, राजस्थान फाउंडेशन में कितने लोग जुड़े हुए हैं। होली के दिन मीटिंग की, होली के दिन कोई आता है? अपने घर छोड़कर होली के दिन आये वे 28 मार्च को। मैं यह कहना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हो, मंत्रीजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम। भोज पर बुलाते हो बड़े लोगों को।

डा. चन्द्रभान : कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने होली नहीं मनाई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और चुनावों में चन्दा लेने के लिए सम्पर्क जोड़ रहे हो। बिना मतलब की बात करते हो। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने भी ऐसा किया था क्या?

डा. चन्द्रभान : ऐसा है कि अब जब इंवैस्टमेंट आ रहा है तो आप उसको चंदे से जोड़ने लग गये। आपके तो जैसे भाव होंगे वैसी ही बात करेंगे आप तो। मैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह साफ कहा था कि गुजरात की घटनाओं के चलते और राज्य में थोड़ा माहौल खराब था इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने होली अबकी बार नहीं मनाई। प्रतिपक्ष के नेता ने भी नहीं मनाई, और भी कई लोगों ने नहीं मनाई। कई लोग उसमें थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने क्यों मनाई?

डा. चन्द्रभान : मैंने भी नहीं मनाई। मैंने तो इसलिए नहीं मनाई क्योंकि मेरे मामाजी का देहान्त हो गया था। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात सही है कि कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट चाहे झुंझुनूं का हो, चाहे सीकर का हो, चूरू का हो या राजस्थान का कहीं का भी हो, वह यहां का रहने वाला है इसलिए इण्डस्ट्री में इंवैस्टमेंट करेगा, यह सम्भव नहीं है। पहले भी सम्भव नहीं था। आज मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रतिस्पर्द्धा के

(डा. चन्द्रभान)

युग में इंवैस्टमेंट वहां जाएगा, आज इतनी बड़ी दौड़ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश और देश के बीच, राज्य और राज्य के बीच और राज्य के अन्दर भी इंवैस्टमेंट को लेकर बड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। उसमें इंवैस्टमेंट वहां जाएगा, उसके चार पैरामीटर्स हैं- एक वहां जाएगा जहां पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक वहां जाएगा जहां पर सरकार का सहयोगी रूख होगा, गुड गवर्नेंस होगी, एक वहां पर जाएगा जहां पर पीस होगी, जहां पर अच्छा ला एण्ड आर्डर होगा जहां पर कोई लेबर अनरेस्ट नहीं होगा और एक जहां पर अच्छा ह्यूमन स्किल होगा। इस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान एक आदर्श राज्य बनता जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इकोनोमिक सर्वे के अनुसार आपको यह कहना चाह रहा हूं कि 1997 में जो सर्वे हुआ उस सर्वे में राजस्थान 18 वें नम्बर पर था और 1999 के अन्त दिसम्बर में जो सर्वे हुआ उसमें राजस्थान छठे स्थान पर था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह किताब आपकी है न, इसके बारे में भी बता दो कि आप कहां जा रहे हो?

डा. चन्द्रभान : मैं आपसे यह कह रहा हूं, आप उस सर्वे को मंगा लीजिए। राजस्थान में एक और बात कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि वक्त की कमी है और बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, आज आपको कहना चाहूंगा कि सरकार का सहयोगी रूख है। आप देखिये, कर्नाटक के मुख्य मंत्री, राजस्थान के मुख्य मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों की चर्चा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि साउथ में निश्चित रूप से इंवैस्टमेंट जा रहा है, लेकिन नार्दर्न स्टेट्स में राजस्थान नम्बर वन पर है। आज फास्ट ग्रोइंग स्टेट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चर्चा नरेन्द्र मोदी की भी है जिसकी काली करतूतों को देखकर हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को जारजार होना पड़ा। एक करतूत उनकी भी है।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वक्त की कमी है, मैं केवल तीन मिनट लूंगा आपके और सदन के। मैं यह कहना चाहूंगा कि बारबार यहां पर कई बातें कही जाती हैं लेकिन किस तरह से राजस्थान की रेटिंग हो रही है, आपको इस बात को समझना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, मैं केवल तीन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं पावर, रोड्स और टेली कम्युनिकेशन। आज पावर सैक्टर रिफार्म्स की प्रशंसा हम करें, कोई नहीं मानेगा। दो दिन तक आपके ऊर्जा मंत्री आये... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ही करो।

डा. चन्द्रभान : दो दिन तक केन्द्र के ऊर्जा मंत्री आये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को मैं भरोसा दिलाता हूं, आपने यह कह दिया कि पावर कट, इस वित्तीय वर्ष में इण्डस्ट्री में कोई पावर कट नहीं लगा और एग्रीकल्चर को भी हमने छह से सात घंटे बिजली दी। जिस तरह से राजस्थान में जनरेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से राजस्थान का ट्रांस्मिशन सिस्टम मजबूत हो रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान 2003 में सैल्फ सफिशिएंट हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से देशभर के उद्यमियों का आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि राजस्थान में इंवैस्टमेंट करें, उन्हें कोई पावर कट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें हम नियमित बिजली देंगे, अच्छी गुणवत्ता की बिजली देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। राजस्थान में सड़कों का जाल बिछ रहा है, राजस्थान में टेली कम्युनिकेशन का जाल बिछ रहा है। आप बता रहे हैं, मैं कोई श्याम टेलीलिंक की बात नहीं करता, आज यहां पर रिलायंस आ रहा है, आज यहां गेल आ रहा है। आज यहां कौन नहीं आ रहा जिसका आप नाम बताइये? सब लोग यहां पर आ रहे हैं।

पानी की व्यवस्था? आज साढ़े तीन साल हो गये, आपका जब कार्यकाल था उसके बाद यहां तीन बार अकाल भी पड़ गया, लेकिन राजस्थान में पानी को लेकर कहीं कोई अभियान आपने सुना? आज शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान आगे जा रहा है। इंवैस्टमेंट की आप बात करते हैं तो 17 इंजीनियरिंग कालेज खुले हैं, एक मेडिकल कालेज खुला है, चार डेन्टल कालेज खुले हैं प्राइवेट सैक्टर में। गवर्नमेंट सैक्टर में गांव-गांव में राजीव गांधी पाठशाला खुली हैं, शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। टैक्नोक्रेट्स मिलेंगे, स्किल्ड लेबर यहां पर मिलेगी। ला एण्ड आर्डर की दृष्टि से आज मैं कह रहा हूं, यहां इण्डस्ट्रियलिस्ट आये थे वे भी कहने लग गये कि गुजरात, महाराष्ट्र में लोग नहीं जाएंगे, अब लोग राजस्थान में आएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप राज्य के हित में सोचिये, भावी पीढ़ी के हित में सोचिये, रोजगार की दृष्टि से सोचिये। हमें औद्योगिक विकास को बढ़ाना है इसलिए छोटे-मोटे मतभेदों को भुला दो। राजस्थान को हमें एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना चाहिये और कह रहे हैं। आज हालात, हो सकते हैं हमारे पक्ष में नहीं हों, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्रयास माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है उन प्रयासों के परिणाम आपको दिखेंगे जब देश में और दुनिया में औद्योगिक मन्दी का वक्त खतम होगा। एक माहौल बनेगा उसमें हर इंवैस्टर राजस्थान में आएगा। मैं आपको

(डा. चन्द्रभान)

कहना चाहूंगा कि आज का जो माहौल है यह माहौल हमेशा नहीं रहने वाला है, इस निराशा के माहौल को हमें तोड़ना चाहिये। राजस्थान की पाजिटिव इमेज है जो हमें बाहर जाकर रखनी चाहिये। छोटे-मोटे जो हमारे मतभेद हैं उनको हमें आगे नहीं लाना चाहिये। हमें नया इंवैस्टमेंट भी लाना है, अपने उद्योग धन्धों को भी पूरी क्षमता से चलाना है, रोजगार के अवसर जुटाने हैं और औद्योगिक विकास करके राज्य का आर्थिक विकास करना है। मैं कहना चाहूंगा, इसी से राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद। और मेरा आपसे आग्रह है कि मांग संख्या-42 उद्योग को आप पारित करवाएं। हमारे खादी ग्रामोद्योग के राज्य मंत्रीजी भी अपने विचार रखेंगे, इनको भी कृपया सुनें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : बहुत अच्छा जवाब दिया, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो गया, अब क्या है? माननीय खादी ग्रामोद्योग मंत्रीजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने जो कहा कि सन् 1999 दिसम्बर के सर्वे में राजस्थान छठे नम्बर पर आ गया और 1997 में...(व्यवधान) 1997 में 18 वें नम्बर पर था। यह कौनसा सर्वे है और कौनसी पुस्तिका में यह आंकड़ा है, एक तो यह बताएं? टेली कम्युनिकेशन राजस्थान में आ गया, सड़कें बन गयीं, तो सड़कें तो पी.एम.जी.वाई. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रही हैं और टेली कम्युनिकेशन भारत सरकार का विभाग है। (व्यवधान) आप छठे और अठारहवें का फर्क बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राजस्थान सरकार बना रही है सारी सड़कों को। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : 100 करोड़ रुपये की सड़क नाबार्ड से...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राजस्थान सरकार बना रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : डा. साहब, एक बात और बता दें। अभी आपने बहुत ही उत्साहपूर्वक...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डा. साहब, इस आफिसर गैलेरी के चक्कर में मत पड़ो और सत्य वचन करो। हमें भी यही दिया करते थे। ये हमें भी यही दिया करते थे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी आपने बहुत उत्साहपूर्वक कहा, यह कहना चाहिये, यह करना चाहिये, यह हमें करना है कि आपको करना है, किसको करना है?

एक माननीय सदस्य : सबको करना है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : सबको मिलकर करना है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, किसको करना है? हमको करना है? अगर आप हमको कह रहे हो तो बात दूसरी है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : सबको मिलकर करना है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सबको मिलकर करना है, सबका आह्वान किया। आप भी सहयोग दीजिये। कदम से कदम मिलाकर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करना है। (व्यवधान) आज प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करना है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिनको करना है वे तो कर नहीं रहे हैं।

श्री हेमन्त कुमार : मिलकर करने के लिये कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप सरकार चला रहे हैं, आपको करना है। किसको करना है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान) देश का साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गालियां दे रहे हैं। खुद घोर साम्प्रदायिक हो और साम्प्रदायिक होकर दूसरों को साम्प्रदायिक कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चन्द्रभानजी, बिराजो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं, इनका जवाब दे दूं मैं। एक सैकण्ड। (व्यवधान) अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि राजस्थान पहले अठारहवें नम्बर पर था 1997 के सर्वे में और उसके बाद यह छठे पर आ गया 1999 दिसम्बर में, जिस संस्था द्वारा यह सर्वे हुआ उसका नाम है आर.एफ.सी. स्टेटमेंट। यह आर.एफ.सी. राजस्थान फाइनेंशल कारपोरेशन नहीं है, फुल नेम भी मैं आपको लिख कर दे दूंगा। लेकिन यह जो सर्वे हुआ, पूरे देश भर में होता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने 25 लाख रुपये दिये सर्वे के लिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आर.एफ.सी. स्टेटमेंट यह कोई राजस्थान की एजेंसी नहीं है, यह देश भर का सर्वे करती है। इसका पूरा नाम भी मैं आपको बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने 25 लाख रुपये दिये होंगे उसको सर्वे करने के लिये।

डा. चन्द्रभान : हमने कोई सर्वे... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : डा. साहब एक बात बता दीजिये...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आहूजाजी, यह आपके समझ की बात नहीं है। आपके समझ के बाहर की बात है, बिराजो आप तो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने 25 लाख रुपये देकर सर्वे करवाया होगा। (व्यवधान) यह आपकी विज्ञापन एजेन्सी होगी। जैसे आपने बोर्ड का बिजली के बारे में सर्वे करवाया। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह जो सर्वे हुआ, यह अन्त में आपको उपलब्ध करा दूंगा। यह बिजनैस टुडे का सर्वे था और उसमें पूरा छपा है। वह मैं मानिक चन्दजी सुराना को पेश कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इन्होंने सर्वे कराया होगा। हमारे सुझावों का क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिजनैस टूडे नाम की पत्रिका ने कोई सर्वे कर दिया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारे बहुमूल्य सुझावों का क्या हुआ, यह बताओ आप?

श्री रामस्वरूप : आपके सुझाव मानकर राजस्थान का भट्ठा बैठाना है क्या? बिराजो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खादी मंत्रीजी। (व्यवधान) कोई एण्ड नहीं है इसका। व्हाट इज द एण्ड? आप पूछते रहो वह जवाब देते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, राजस्थान की 1997 में 18वीं रैंक थी, यही है न? 18वें स्थान पर था...(व्यवधान) एक मिनट। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैं आपको बता दूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य समझे नहीं। मैं इंवैस्टमेंट के पाइंट से नहीं, मैं कह रहा हूं इंवैस्टमेंट के लिये जो पैरामीटर्स होते हैं, चार-एक गवर्नेंस का होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, एक ह्यूमन स्किल का होता है, एक ला एण्ड आर्डर का। इन चार एंगलों से बिजनस टूडे में यह जो सर्वे छपा, यह चार एंगल से 1997 में राजस्थान की रेटिंग थी वह 18वें नम्बर पर थी पूरे देश में। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और उसके बाद? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : और 1999 के दिसम्बर में राजस्थान छठे नम्बर पर आ गया, यह कह करा हूं मैं आपको। यह पुस्तिका मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खादी ग्रामोद्योग मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय हरिसिंहजी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज, हो गया। बहुत हो गया। नहीं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के अन्दर इस तरह के बयान देंगे...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उद्योग मंत्रीजी, हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि राजस्थान छठे नम्बर पर आ जाए। इस सर्वे में 18वें से छठे पर आ जाए, यह हम सबके लिये अत्यधिक प्रसन्नता की बात होगी। आप बिजनैस टूडे के सर्वे पर जो रिलाई कर रहे हैं, वह सही नहीं है। आप इस बात को...(व्यवधान) एक सैकण्ड, यदि यह उपलब्धि हो गयी तो इस आर्थिक समीक्षा में आपने इस उपलब्धि को क्यों नहीं अंकित किया?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें अब। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हम तो छठे नम्बर पर हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नो–नो, आप समझ नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं समझ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप समझ नहीं रहे हैं। सदन को सरप्राइज देना था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं, मैं यह कह रहा हूं, इंवैस्टमेंट की दृष्टि से जो पैरामीटर्स होने चाहिये उन चारों पैरामीटर्स के अनुसार राजस्थान की रेटिंग पहले 18वें नम्बर पर थी, वह छठे पर हो गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना : इस रेटिंग का कोई अर्थ नहीं, डा. साहब। इस रेटिंग का कोई अर्थ नहीं। एक्स्ट्रीम उपलब्धि क्या है अर्थ उसी का है। (व्यवधान) आपको 14 वें, 15 वें, 13 वें नम्बर पर आज बता रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप शुरू कीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग विभाग का बजट भी शामिल है इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। बहुत ही अत्यधिक आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस विभाग के बजट के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बात सर्वविदित है कि ग्रामीण अंचल के गरीब से गरीब व्यक्ति को, दु:खी व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को अगर रोजगार देना है तो वह खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ही दे सकते हैं। राजस्थान में ग्रामीण अंचल समूचे देश में सर्वाधिक है, इस बात को महसूस करते हुए हमारे वित्त मंत्रीजी ने 9 करोड़ 5 लाख रुपये खादी और ग्रामोद्योग के लिए इस वर्ष के बजट में स्वीकार किये हैं, दिये हैं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य इण्डस्ट्रीज के मिनिस्टर रहे हैं, मुझे तो ऐसा...

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं नहीं रहा। मैं वित्त का था।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वित्त में आपने कभी सम्भवतः 9 करोड़ 5 लाख रुपया खादी और ग्रामोद्योग के लिए दिया नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए अनप्रीसिडेंटंड...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं सन् 1978 में था जिसको 24 साल से ऊपर हो गये। (व्यवधान)

(18.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर मैम्बर हो। Please don't let me interrupt you. क्या बात है यह?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और वित्त मंत्रीजी ने अनप्रीसिडेंटेड 9 करोड़ 5 लाख रुपया खादी और ग्रामोद्योग के लिए दिया है, यह बहुत ही सराहना की बात है। इस 9 करोड़ 5 लाख रुपये में जो कार्य होंगे और जो योजनाएं चालू होंगी उसके सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था। 1.85 करोड़ रुपया रुग्ण उद्योगों के लिए। आजकल जो खादी की समस्याएं हैं, खादी के काम हैं, खादी का बिजनैस करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके लिए खादी कमीशन से पैसा नहीं मिलता। उनके पास वर्किंग कैपिटल की अत्यधिक कमी है उसकी वजह से खादी का उत्पादन भी इस साल के अन्दर कुछ गिरा है। उस कमी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार आगे आयी है। यह 1.85 करोड़ रुपया उन खादी और ग्रामोद्योग के रुग्ण उद्योगों के लिए बिना ब्याज के दिया जाएगा। 1.65 करोड़ तो बिना ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा और उसमें 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों को स्वरोजगार के सम्बन्ध में जो योजना है उसमें ढाई करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 20 हजार से कम आबादी वाले ग्राम के क्षेत्रों में ढाई करोड़ रुपये का ऋण बेरोजगारों के लिए दिया जाएगा। इसके तहत 181 लाख रुपये का ऋण और 69 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा। दो लाख तक की यूनिट स्थापित होगी, इस प्रकार से 400 नयी इकाइयां स्थापित की जाएंगी और उसमें 1500 लोगों के लिए रोजगार मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब थी, विशेष कर डाइवोर्सी की स्थिति। परित्यकता महिलाओं के लिए भी राज्य सरकार ने 9.05 करोड़ रुपये के बजट में दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कोई भी महिला दो लाख तक का उद्योग

(श्री हरिसिंह)

स्थापित कर सकती है। इस प्रकार से 250 नवीन उद्योग महिलाओं के, जिनमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, इस वर्ष में नवीन स्थापित होंगे।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, जो नये उद्योग हैं उनके लिए प्रशिक्षण देने के लिए हम एक सांगानेर में और एक पुष्कर में, दो प्रशिक्षण के स्थान बनाये जा रहे हैं और उस पर 2.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस प्रकार से 9.05 करोड़ रुपये का यह प्रावधान कर चार योजनाएं बनायी हैं जिसमें युवकों के लिए प्रशिक्षण होगा, युवकों को वर्किंग कैपिटल दी जाएगी और जो पुरानी रुग्ण इकाइयां हैं उनको खड़ा होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए पैसा दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, अब के हमारे खादी बोर्ड ने पूरे देश के जितने भी खादी बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जितने भी खादी बोर्ड में काम करने वाले लोग हैं उनका एक राष्ट्रीय खादी संगम यहां पर आयोजित किया और उसमें पूरे देश के लोगों ने यहां पर आकर विचार किया कि खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में किस प्रकार से देश में गति देनी चाहिए। इसमें हमारे राजस्थान के जो खादी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वह समन्वय समिति के अध्यक्ष बने हैं और वह इस काम में अब लगे हुए हैं कि किस प्रकार से इसमें और तरक्की की जाए।

इसके अतिरिक्त जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, नवल किशोर शर्मा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। 19.11.2000 को एक सम्मेलन हुआ खादी के अध्यक्षों का, खादी के कार्यकर्ताओं का उसमें नवल किशोरजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, सरकार ने उनको स्वीकार करके यह धनराशि बजट के अन्दर आबंटित की है।

इस समय स्थिति इस प्रकार से है कि हम प्रदर्शनियों के माध्यम से खादी की बिक्री को बढ़ाने के प्रयास करते हैं और 18 स्थानों में राजस्थान में खादी की प्रदर्शनी लगी है। इस समय खादी का जो उत्पादन है वह 25.84 करोड़ रुपये का है फरवरी तक और इसमें जो बिक्री हो रही है वह करीब-करीब बराबर की है, 23.13 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है फरवरी, 2002 तक और हमें उम्मीद है कि इसमें अगले महीने के अन्दर कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी।

श्रीमान्, इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष अभी तक जो रोजगार है खादी के माध्यम से वह 3 करोड़ 40 लाख लोगों को है। जो हमने इस वर्ष नयी इकाइयां स्थापित की हैं...

श्री मानिक चन्द सुराना : यह फिगर आप बोल रहे हैं 3 करोड़ 40 लाख?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 3 लाख 40 हजार। आई एम सारी, 3 लाख 40 हजार है। अभी जो 2078 नवीन इकाइयां इस वर्ष में फरवरी तक स्थापित की गई हैं, इनके माध्यम से 21 हजार लोगों को नया रोजगार मिला है। नयी जो 2078 इकाइयां स्थापित हुई हैं इसमें 51 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि का इंवैस्टमेंट हुआ है। इस प्रकार से हमारा जो लक्ष्य था 400 करोड़ रुपये का उत्पादन करने का, उसके अगेंस्ट में हमने 463 करोड़ रुपये का उत्पादन किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह चार करोड़ है या 463 करोड़ रुपये? यह चार करोड़ है, आप इसको ध्यान से देखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 463 लाख है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 400 करोड़, 4 करोड़ है न कि 463 करोड़ है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कुल उत्पादन है। हां, कुल उत्पादन है।

2078 जो इकाइयां हैं उसमें से यह भी कोशिश की गई है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए अच्छी परसेंटेज मिले। 402 इकाई शिड्यूल्ड कास्ट की हैं, 89 शिड्यूल्ड ट्राइब की हैं, 143 माइनोरिटीज की हैं, 793 ओ.बी.सी. की हैं। इसमें महिलाओं के जो उद्योग हुए हैं वे भी 368 हैं। इस प्रकार से 13.16 करोड़ का इंवैस्टमेंट इन 2078 यूनिट्स में हुआ है।

श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी वर्तमान सरकार गहलोतजी के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है और लोगों ने इसके लिए सराहना भी की है इसलिए इस मांग को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद, जयहिन्द।

मांग संख्या-42 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 82,64,42,000/- (अक्षरे बियासी करोड़ चौसठ लाख बयालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.07 बजे सोमवार; 8 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या–90 का विवरण)

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	आरोप पत्र जारी करने का दिनांक	नियम	लम्बित रहने का कारण
1.	श्री एस.सी. पगोरिया (सेवानिवृत)	1.9.1993	8	राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप से लिये गये निर्णय पर संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की राय अपेक्षित है।
2.	श्री बी. के. मीणा	3.10.2001	8	आदेश दिनांक 12.2.2002 से जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
3.	श्री संजय पुरोहित	21.1.1994	8	श्री राजपुरोहित को एक अन्य प्रकरण में सेवा से बरखास्त करने का दण्ड दिया गया है। अतः इस प्रकरण में निर्णय आस्थगित रखा गया है।
4.	श्री बी. के. मीणा	3.11.1995	8	जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।
5.	श्री जी. एस. नरवानी (सेवानिवृत)	30.1.1995	8	जांच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन परीक्षणाधीन है।
6.	श्री जी. एस. नरवानी (सेवानिवृत)	30.1.1995	8	इसी मामले में आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के कारण आदेश आस्थगित रखे गये हैं।
7.	श्री एस. एन. खण्डेलवाल (सेवानिवृत)	24.2.1995	8	कैट का स्थगन होने के कारण जांच कार्यवाही स्थगित रखी गई है।
8.	श्री एस. एस. त्रिपाठी (सेवानिवृत)	31.5.2001	8	प्राप्त लिखित अभिकथन पर सम्भागीय आयुक्त, कोटा की टिप्पणी पत्र दिनांक 25.2.2002 से चाही गई है।

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य में चिन्हित बाल श्रमिकों का पुनर्वास

94. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की निष्ठा, निगरानी एवं जवाबदेही के अभाव में बाल मजदूरों के पुनर्वास की योजनाएं विफल सिद्ध हो रही है? यदि नहीं, तो वर्ष 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् राज्य सरकार ने कब तक बाल श्रमिकों की पहचान कर ली थी? चयनित बाल श्रमिकों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिलेवार चिन्हित बाल श्रमिकों में से कितनों को किस-किस वर्ष में पुनर्वासित किया गया एवं कितने अधिशेष रहे? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बाल श्रमिकों के माता-पिता को सुनिश्चित रोजगार देने बाबत कब-कब, किस-किस को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.1996 के पश्चात् राज्य में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण करवाकर जून, 1997 तक बाल श्रमिकों की पहचान कर ली गई थी। जिलेवार चिन्हित बाल श्रमिकों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) चिन्हित बाल श्रमिकों को वर्ष 1997-98 में शिक्षा से जोड़कर पुनर्वासित किया गया। जिलेवार पुनर्वासित एवं शेष रहे बाल श्रमिकों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1997 से 2001 की अवधि में बूंदी जिले में 85, सिरोही में 2 एवं उदयपुर में 8 बाल श्रमिकों के माता-पिता को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाया गया। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

को-आपरेटिव डेयरी अलवर में दूध में मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

95. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला अलवर में को-आपरेटिव डेयरी में कोई अनियमितता हुई है?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) क्या यह सही है कि डेयरी में आने वाले दूध में सिंथेटिक दूध भी आ रहा है जिसे डेयरी अधिकारियों ने जांच के दौरान पकड़ा था किन्तु दोषी व्यक्ति को छोड़ दिया गया?

(3) सरकार उक्त दोषी व्यक्तियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। अलवर दुग्ध संघ में समितियों से प्राप्त दूध में अभी तक सिंथेटिक दूध के आने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

(3) जी नहीं। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर (चूरू) में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि पर अवैध निर्माण

96. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर (चूरू) को कितनी सरकारी व निजी खातेदारों की कृषि भूमि सरकार ने किन शर्तों पर कब आबंटित की? क्या गांधी विद्या मंदिर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ले सकती है? यदि हां, तो किस नियम अनुसार?

(2) क्या यह सही है कि गांधी विद्या मंदिर बिना सक्षम अधिकरी से अनुमति लिये भूमि पर दुकानों का निर्माण कर रहा है? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माण किये जाने के संदर्भ में जिला कलक्टर व राज्य सरकार को कितनी लिखित शिकायतें शिष्ट मण्डलों द्वारा की गई और सरकार ने उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवैध दुकानों के निर्माण को नगरपालिका सरदारशहर, तहसीलदार सरदारशहर व सहायक कलक्टर सरदारशहर द्वारा बन्द करवाने के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कार्य बन्द किये जाने के विभिन्न स्तरों पर दिये गये आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या यह सही है कि अवैध दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में जिला कलक्टर चूरू के निर्देश पर सहायक कलक्टर सरदारशहर द्वारा कोई जांच/टिप्पणी की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(5) क्या गांधी विद्या मंदिर की भूमि का उपयोग पूर्व में जलदाय विभाग व विद्युत मण्डल ने अपनी गतिविधियों हेतु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया था तथा जलदाय विभाग व विद्युत मण्डल द्वारा काम में ली गई भूमि के बदले गांधी विद्या मंदिर को मुआवजा दिया गया था? यदि हां, तो कितना व किस नियम अनुसार? क्या मुआवजे में दी गई राशि को वित्त विभाग ने गलत माना था? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर (चूरू) को कुल 3208 बीघा 09 बिस्वा भूमि निम्नप्रकार दी गई थी :–

1. आराजी गैर मकबूजा	420.08	बीघा
2. गवर्नमेंट टेम्परेरी लैण्ड	2249.05	बीघा
3. खातेदारी भूमि	509.04	बीघा
4. आराजी शिकमी (आबादी)	29.12	बीघा
कुल योग	**3208.09**	**बीघा**

जहां तक उद्देश्य का प्रश्न है राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 9.11.1951 से यह प्रतीत होता है कि यह भूमि "सरकार को एक सार्वजनिक कार्य अर्थात् सरदारशहर के गांधी विद्या मंदिर के लिए सार्वजनिक व्यय पर दी है।" यह भूमि सार्वजनिक कार्यों हेतु संस्था को दी गई है। जिसका अन्य उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

(2) गांधी विद्या मंदिर द्वारा उस स्थान पर जहां आवासीय कालोनी का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर कुछ दुकानें बनाई जा रही हैं, इनमें से कुछ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालय में कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है। वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द करा दिया गया है।

(3) इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही के आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां। इन दुकानों के निर्माण के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर सरदारशहर द्वारा की गई रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) आपणी योजना, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भूमि दी गई। आपणी योजना को 92 लाख रुपये में तथा विद्युत मण्डल को 6 लाख रुपये में भूमि दी गई। मुआवजा राशि बाबत वित्त विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की है। किन्तु महालेखाकार अंकेक्षण दल ने तहसील कार्यालय के भू–राजस्व लेखा परीक्षा अवधि 4–98 से 3/2000 तक की लेखा परीक्षा में पैरा–II "अ" में इसे राजस्व हानि बताकर आक्षेप किया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र भादरा के निजी भवनों में चल रहे सरकारी विद्यालय

97. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा शहर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं तथा कहां-कहां पर कार्यरत हैं? उक्त विद्यालयों में गत पांच वर्षों की छात्र संख्या तथा अध्यापकों की संख्या कितनी रही? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में से कुछ विद्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से और किस-किस मकान मालिक को प्रति वर्ष कितना-कितना किराया कब से दिया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालयों में से कुछ विद्यालय कागजी एवं अनार्थिक विद्यालयों की श्रेणी में आते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(4) क्या सरकार उक्त अनार्थिक कागजी विद्यालयों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट "क"

(2) जी हां।

किराये के भवन में चलने वाले विद्यालय	वार्षिक किराया	कब से
1. राज.प्राथ. विद्यालय नं. 7	रु. 14,400	1.4.92
2. राज.प्राथ. विद्यालय नं. 4	रु. 12,900	1.4.92

(3) उक्त विद्यालयों में से राज.प्राथ. विद्यालय नं. 7 अनार्थिक श्रेणी में है।

(4) जी हां। उक्त अनार्थिक विद्यालय को राप्रावि. नं. 4 में विलय के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट "क"

नाम विद्यालय	1996-1997			1997-1998			1998-1999			1999-2000			2000-2001			2001-2002		
	छात्र	कार्यरत अध्यापक		छात्र	कार्यरत अध्यापक		छात्र	कार्यरत अध्यापक		छात्र	कार्यरत अध्यापक		छात्र	कार्यरत अध्यापक		छात्र	कार्यरत अध्यापक	
	सं.	II	III	सं.	II	III	सं.	II	III	सं.	II	III	सं.	II	III	सं.	II	III
1. रा.उ.प्रा.वि., भादरा	156	1	9	165	1	9	162	1	9	203	1	6	76	0	5	180	0	5
2. रा.उ.प्रा.वि., भादरा	89	1	8	48	0	8	55	1	8	92	1	5	31	0	3	125	0	3
3. रा.प्रा.वि. नं. 1	47	0	2	61	0	2	75	0	2	54	0	2	45	0	2	63	0	2
4. रा.प्रा.वि. नं. 2	189	1	6	178	1	6	187	1	6	178	0	4	203	0	4	160	0	4 1उर्दू
5. रा.प्रा.वि. नं. 3	171	0	6	148	0	6	264	0	6	87	0	3	111	0	3	83	0	3
6. रा.प्रा.वि. नं. 4	100	0	2	72	0	2	97	0	2	100	0	3	99	0	3 1उर्दू	104	0	3 1उर्दू
7. रा.प्रा.वि. नं. 7	62	0	2	55	0	2	84	0	2	33	0	2	05	0	2	04	0	2
8. रा.प्रा.वि., बिहारीपुरा	46	0	2	41	0	2	89	0	2	106	0	3	105	0	3	113	0	3
9. रा.प्रा.वि., गणेशपुरा	70	0	2	83	0	2	147	0	2	70	0	2	87	0	1	73	0	1
10. रा.प्रा.वि., शिवपुरा	96	0	2	44	0	2	53	0	2	50	0	2	34	0	2	33	0	2
11. रा.प्रा.वि., गोदावरी	87	0	2	51	0	2	98	0	2	81	0	2	78	0	2	51	0	2

ग्राम सामोद एवं महारकलां (जयपुर) के पर्यटन स्थल

98. **श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं):** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सामोद व महारकला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है?

(2) क्या सामोद स्थित पैलेस पर्यटन नक्शे में विश्व में अपना स्थान रखता है? यदि हां, तो पर्यटन विभाग द्वारा अब तक सामोद ग्राम के विकास के लिए कौनसी योजना स्वीकृत की है?

(3) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सामोद व महारकला के आधुनिकीकरण के लिए कोई राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सामोद के सामोद पैलेस व महारकला के विशाल प्राचीन शिव मन्दिर मालेश्वरजी पर प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं? यदि हां, तो सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भविष्य में क्या करने जा रही है?

उत्तर

(1) सामोद, पर्यटन तथा महारकला, पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है।

(2) जी हां। सामोद स्थित हैरिटेज होटल विदेशी पर्यटकों के लिए विशिष्ट आकर्षण रखती है। सामोद ग्राम हेतु कोई विशेष योजना स्वीकृत नहीं की है हालांकि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है।

(3) जी नहीं। परन्तु सामोद कस्बे में सामोद महल तक सड़क सुधार कार्य प्राथमिकता से कराने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया है।

(4) सामोद में आने वाले पर्यटकों की सूचना, विभाग द्वारा अलग से एकत्रित नहीं की जाती है। गत वर्ष जयपुर में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 6,55,715 व 1,72,950 है, जिसमें से सामोद पैलेस होटल से प्राप्त सूचना के आधार पर गत वर्ष 12269 विदेशी व 955 देशी पर्यटक सामोद आये। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हेतु किये जा रहे विशेष प्रयास निम्नलिखित हैं

1. पर्यटन के क्षेत्र को राज्य में जन उद्योग के रूप में स्थापित व विकसित किये जाने हेतु पर्यटन नीति घोषित की गई है।

2. राज्य में पर्यटन के विकास हेतु योजनाबद्ध व समयबद्ध तरीके से प्रभावी कदम उठाये जाने हेतु राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में की गई है।

3. राज्य आयोजना मद में पर्यटन के क्षेत्र को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है।

वास्तविक व्यय	1999-2000	293.69 लाख रुपये
संशोधित अनुमान	2000-2001	975.00 लाख रुपये
बजट अनुमान	2002-2003	1950.00 लाख रुपये

4. पर्यटकों की राज्य में सुरक्षा, सहयोग व सहायता के लिए नियुक्त पर्यटक सहायता बल को जयपुर के अतिरिक्त उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर (अजमेर) व माउण्टआबू में भी लगाये जाने हेतु व्यवस्था की गई है।

5. प्रदेश के पर्यटक स्थलों व पर्यटक उत्पादों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी विपणन का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, सेमिनार व कांफ्रेंस आदि में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। डब्ल्यू.टी., लन्दन व दुबई उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया है और आई.टी.बी. बर्लिन में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

6. पर्यटन को राज्य को बढ़ावा दिये जाने एवं विभिन्न संगठनों से आवश्यक सहयोग लेने के बहुआयामी प्रयासों की श्रृंखला से विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद्, इण्डियन एयर लाइन्स, भारतीय पर्यटन विकास निगम, गुजरात पर्यटन विकास निगम लि., पाण्डीचेरी ट्यूरिज्म आदि के साथ सहमति पत्र व अनुबन्ध किये गये हैं।

7. स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु भारत के विभिन्न स्थलों पर राजस्थान कालिंग का आयोजन किया जा रहा है। कोयम्बटूर व चैन्नई में राजस्थान कालिंग का आयोजन किया जा चुका है एवं नई दिल्ली, मुम्बई व कोलकाता में राजस्थान कालिंग का आयोजन किया जा रहा है।

8. प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेलों

एवं त्यौहारों के आयोजन के अतिरिक्त इस वर्ष विदेशी पर्यटकों की कमी को दूर करने व स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु ग्रीष्म व शरद समारोह, माउण्टआबू, आदिवासी बेणेश्वर मेला–डूंगरपुर व बांसवाड़ा एवं चन्द्रभागा मेला, झालावाड़ का पुनः आयोजन किया गया है। मेले एवं त्यौहारों के आयोजनों में गुणात्मक रूप से अधिक सुधार लाये जाने के विशेष प्रयास किये गये हैं ताकि अधिकाधिक पर्यटकों को प्रदेश में भ्रमण हेतु आकर्षित किया जा सके।

9. राज्य में पर्यटन उद्योग की स्थापना हेतु पर्यटक इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन व छूट प्रदान करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किये गये हैं। नए मल्टीप्लेक्स सिनेमा हालों के मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) व भूमि एवं भवन कर में कमी की गई है। नए होटलों के पंजीयन शुल्क, भूमि एवं भवन कर शुल्क तथा विलासिता कर में छूट की अवधि, जो पूर्व में 1.4.2000 से 31.12.2001 तक थी, को बढ़ाकर 31.12.2002 तक कर दिया गया है एवं उक्त इकाइयों के कार्यशील होने की तिथि को बढ़ाकर 31.12.2002 तक कर दिया गया है। बोर्डिंग/लॉजिंग इकाइयों, सफारी पार्क, होलीडे रिसोर्ट्स, एम्यूजमेन्ट पार्कस्, कैम्पिंग साइट्स, रोपवेज एवं मोटल्स के भूमि एवं भवन कर, विलासिता कर व स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है।

राजस्थान में नव निर्मित मल्टीप्लेक्स सिनेमा/थियेटरों के मामले में उनके व्यावसायिक प्रदर्शन प्रारम्भ होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक नियमानुसार छूट दी गई है। राजस्थान में फिल्म का 75 प्रतिशत फिल्मांकन करने एवं निर्धारित प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर में प्रथम प्रदर्शन की तिथि से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए शतप्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राजस्थान होटल एवं वासों में विद्यमान "750" रुपये या अधिक के स्थान पर "1000" रुपये या अधिक वाले कमरों पर विलासिता कर का दायित्व प्रतिस्थापित किया गया है।

10. विदेशी पर्यटकों की सुविधा एवं अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन के प्रोत्साहन के फलस्वरूप जयपुर से दुबई सीधी विमान सेवा प्रारम्भ की जा चुकी है।

11. राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा देश के बड़े–बड़े शहरों में आरक्षण सुविधा हेतु मार्केटिंग एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं।

12. राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कुछ इकाइयों की आवास सुविधा पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है।

सरस्वती नदी के जल के दोहन एवं प्रबंधन हेतु अध्ययन दल की रिपोर्ट

99. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भू-जल विभाग केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एवं सुदूर संवेदन केन्द्र के संयुक्त प्रयासों के गहन सर्वेक्षण कर सरस्वती नदी का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई है? यदि हां, तो वैज्ञानिकों व अध्ययन दल की रिपोर्ट, सरस्वती नदी के जल के दौहन एवं जल प्रबन्धन के बारे में बनाई गई, वृहद् योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विस्तृत रिपोर्ट मिलने पर सरस्वती नदी के जल का दोहन बड़े पैमाने पर करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। भू-जल विभाग, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इण्डियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन) (ISRO) एवं सुदूर संवेदन केन्द्र (रिमोट सेन्सिग सेन्टर) के संयुक्त प्रयासों से गहन सर्वेक्षण के अनुसार प्राचीन जल बहाव मार्गों (Ancient Water Cources) का पता चला है।

प्राचीन जल बहाव मार्गों के सर्वेक्षण एवं वेधन (Drilling) का कार्य प्रगति पर है जिसके पूर्ण होने के पश्चात् वैज्ञानिकों एवं अध्ययन दल की रिपोर्ट तैयार की जायेगी। तत्पश्चात् भू-जल के दोहन एवं प्रबन्धन की विस्तृत योजना (Detailed Scheme) तैयार करना सम्भव हो पायेगा।

(2) प्राचीन जल बहाव मार्गों की खोज सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं आकलन का कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात् विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जायेगी। इसके बाद ही जल के बड़े पैमाने पर दोहन की सम्भावना व्यक्त की जा सकेगी।

सवाईमाधोपुर में ट्रोमा यूनिट की स्थापना

100. श्री अशोक (खण्डार) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला सवाईमाधोपुर में दुर्घटनाओं की अधिकता को देखते हुए ट्रोमा यूनिट स्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सवाईमाधोपुर में पृथक् से ट्रोमा यूनिट स्थापित नहीं है परन्तु सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर में दुर्घटनाग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (हड्डी रोग) एवं दो चिकित्सा अधिकारी (हड्डी रोग स्नातकोत्तर) पदस्थापित हैं।

इंदिरा गांधी नहर की सिंचाई क्षमता का पुनरीक्षण

101. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कुल सिंचित क्षेत्र उन्नीस लाख हैक्टेयर भूमि है?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में जो बारह लाख हैक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु खोली गई है उसमें से आठ-नौ लाख हैक्टेयर में ही सिंचाई हो रही है।

(3) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों से नहरों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से सिंचाई में कमी आयी है तथा बारी बन्दी से कृषि उपज नहीं हो रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि यदि बाड़मेर जिले के गडरा तक नहर का पूरा क्षेत्र सिंचाई हेतु खोल दिया गया तो मुख्य स्रोत हरीके बैरोज में इतना पानी उपलब्ध नहीं हो सकता?

(5) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर की सिंचाई क्षमता के पुनरीक्षण का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि परियोजना का कुल सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हैक्टेयर है।

(2) मार्च, 2001 तक परियोजना की 12,97,000 हैक्टेयर भूमि सिंचाई हेतु खोली गई है। इस भूमि में वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 में क्रमशः 9.80 लाख तथा 8.36 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हुई।

(3) जी हां। गत 3 वर्षों से पौंग बांध व भाखड़ा बांध में कम वर्षा के कारण पानी की आवक कम होने के कारण इन्दिरा गांधी नहर के हिस्से का पानी भी कम होने से पानी की उपलब्धि गत वर्षों की तुलना में कम रही, इस कारण सिंचाई में भी कुछ कमी आई है।

यह सही नहीं है कि बारीबन्दी प्रणाली से कृषि उपज नहीं हो रही है। बारीबन्दी से उपलब्ध पानी का वितरण न्यायोचित ढंग से होता है व अधिकतम सीमा तक कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है। (सूची संलग्न है)

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। नहर का निर्माण राजस्थान राज्य को उपलब्ध पानी के हिस्से को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जल आयोग व योजना आयोग की स्वीकृति के अनुरूप ही निर्माण कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

अनुपूरक सूचना

इन्दिरा गांधी नहर का प्रथम चरण आर.डी. 0-00 से आर.डी. 620.00 तक एवं इससे निकलने वाली समस्त नहर प्रणाली है।

द्वितीय चरण में मुख्य नहर की आर.डी. 620 से टेल आर.डी. 1458.500 की मुख्य नहर तथा आर.डी. 620 के नीचे की समस्त वितरण प्रणालियां आती हैं। कंवरसैन लिफ्ट प्रथम चरण में आती है एवं अन्य छह निर्माणाधीन लिफ्ट नहरें द्वितीय चरण में ली गई हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कुल सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हैक्टेयर है जिसमें प्रथम चरण में 5.53 लाख हैक्टेयर (बहाव क्षेत्र में 4.92 लाख व लिफ्ट क्षेत्र में 0.61 लाख हैक्टेयर) तथा द्वितीय चरण में कुल सिंचित क्षेत्र 14.10 लाख हैक्टेयर (बहाव क्षेत्र 8.73 लाख हैक्टेयर व लिफ्ट क्षेत्र में 5.37 लाख हैक्टेयर) है।

मार्च, 2001 तक परियोजना की 12.97 लाख हैक्टेयर क्षेत्र नहर निर्माण द्वारा सिंचाई हेतु खोला जा चुका है तथा सिंचाई क्षमता क्षेत्र 11.40 लाख हैक्टेयर है। जिसमें से वर्ष 1999-2000 में 9.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई तथा वर्ष 2000-2001 में 8.36 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी। पिछले तीन वर्षों से पौंग बांध व भाखड़ा बांध में पानी की आवक कम होने के कारण इन्दिरा गांधी नहर के हिस्से का पानी भी कम मिला। उपलब्ध पानी का वितरण बारीबन्दी प्रणाली से किया जाता है जिससे पानी का न्यायोचित ढंग से वितरण हो सके व अधिकतम सीमा तक कृषि उपज प्राप्त की जा सके।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना हेतु रावी-व्यास नदियों के पानी में से 7.59 एम.ए.एफ. पानी की मात्रा निर्धारित की गई है व उसी अनुरूप 19.63 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाना है जिसमें गडरा रोड तक नहर का क्षेत्र सम्मिलित है। नहर का निर्माण परियोजना हेतु उपलब्ध पानी के हिस्से को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली की स्वीकृति के अनुरूप ही सम्पादित करवाया जा रहा है।

प्रश्न संख्या-102
(स्थगित)

आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हेतु योजनाएं

103. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण तथा उनकी खेती की सरकार की क्या योजना है?

(2) राज्य में कौन-कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों की खेती की सम्भावना है?

(3) उक्त सम्बन्ध में सरकार ने कृषि विभाग से सम्पर्क कर क्या किसानों के हित में कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में चार आयुर्वेद रसायन शालाएं राजकीय क्षेत्र में तथा 409 आयुर्वेद औषध निर्माण शालाएं निजी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त हैं, जिनमें आयुर्वेद औषधियों का निर्माण किया जा रहा है।

1. राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जिले में भूमि आबंटन करा, औषध वनस्पति लगाने का मानस है।
2. राज्य में औषध उपयोगी वनस्पतियों के संरक्षण, सम्वर्द्धन, संग्रहण एवं विपणन कार्य के लिए राज्यादेश दिनांक 9.1.2002 द्वारा मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का गठन किया गया है, जो कि इस सम्बन्ध में अपने सुझाव राज्य सरकार को देगा। औषध उपयोगी वनस्पतियों को उगाने हेतु वर्तमान में आयुर्वेद विभाग अन्तर्गत वनस्पति उद्यान भी स्थापित किये हुए हैं।
3. केन्द्र सरकार-सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी पंजीकृत/संस्थाओं को औषधि उत्पादन में सहायता देने की योजना है।
4. उद्यान विभाग द्वारा भी जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु "औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का विकास" नामक केन्द्रीय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) राज्य में जिन आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों/वनस्पतियों की खेती की सम्भावना है, उनके नामों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड का गठन हाल ही में हुआ है। शीघ्र ही अन्य विभागों से समन्वय किया जायेगा।

परिशिष्ट "क"

उन आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों/वनस्पतियों की सूची जिनकी खेती राज्य में होने की सम्भावना है

क्र.सं.	जिला/क्षेत्र	कृषि योग्य वनस्पतियों का विवरण
1.	अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, दौसा, चित्तौड़गढ़ (प्रतापगढ़ के अलावा) डूंगरपुर, अलवर	गुग्लु, रोहीतक, धृतकुमारी, गुलाब, गिलौय, मूबाकर्णी, पुनर्नवा, गोखरू, शालपर्णी, बैल, गंभारी, कटैरी छोटी, कटैरी बड़ी, अग्निमंथ, शतावरी, कौच, शल्लकी, गुंजा।
2.	करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर	अमलतास, कंचनार, गूलर, एरण्ड, कदम्ब, कपित्थ, चृतकरंग, कदम्ब करंग, मग्रेय खदिर, गंगेरन, ज्योतिष्मति, तुलसी, धातकी, नागबाला, नीम, निर्मली, इसबगौल, नील, पित्तपापड़ा, भृंगराज, रोहिष, कलिहारी बच, विधायरा, सनाय, खस।
3.	रेगिस्तानी प्रदेश (असिंचित) जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, नागौर, जालौर, पाली, जोधपुर	कुश, काश, शार, दर्म, मूंज, प्रसारणी, इन्द्रायण रोहीतक, कटेरी छोटी, अडूसा, गुग्गुलू, एरण्ड, तुलसी, नीम, निगुंडी, बबूल, मुस्तक, रोहिष, सनाय, सेमल, शिरीष, गौखरू, पुननवा, कूमटा, खादिर, विटूखदिर, शमी।
4.	उदयपुर, बांसवाड़ा, आबू, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़), बारां (दरा अभ्यारण्य के आसपास), कोटा (रावतभाटा क्षेत्र), अलवर (सरिस्का के आसपास) जयपुर (आंधी, रामगढ़ के आसपास), राजसमंद	सफेद मूसली, काली मूसली, शालपर्णी, वच, धव, विदारीकन्द, वाराहीकन्द, पीपल छोटी, चित्रक, शतावरी, कांच, विजयसार, हरडै, बहैडा, आंवला, कुटज, स्त्रीकुट्ज, पारस, पीपल, पाटल, श्योनाक, अग्निमंथ, बिल्व, गंभारी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, पृष्णिपर्णी, मुचकुन्द, पुत्रजीवक, शल्लकी, गुंजा, पलाश, लिसाडा, खतमी, इरिमंद, अर्जुन, असगंध, अमलतास, कचनार, गूलर, एरण्ड, कदम्ब, कपित्थ, कम्पिलक, धृतकरंज, कंटक, करंज, कनेर, मुश्कदाना, मकोय, जंगलीकरेला, कृष्णसारिवा, खदिर, गंगरेन, गिलौय, चौपचीनी, ज्योतिष्मति, मामेजवा, दाडिम धातकी, निगुंडी, पित्तपापड़ा, पारिभद्र, बकुल, बला, ब्राह्मी, भल्लातक, भृंगराज, महाबला, महानिम्ब, मुस्तक, माषपर्णी, गौरखमुंडी, रौहिष, कलिहारी।

पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

104. श्री जनार्दन गहलोत (करौली): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने कितने पशु चिकित्सालय खोले? क्या उक्त चिकित्सालयों के भवन के लिए कोई राशि उपलब्ध करवाई गई? यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्यों?

(2) क्या उक्त खोले गये पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के पद भरे गये हैं? यदि हां, तो कितने तथा वर्तमान में कौन-कौन से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 100 पशु चिकित्सालय खोले हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण भवन के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

(2) उक्त खोले गये पशु चिकित्सालयों में 56 स्थानों पर पशु चिकित्सकों के पद भरे गये हैं। पदस्थापन एवं रिक्त स्थानों का विवरण की सूची ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची ''क''

वर्ष 1999-2000 में खोले गये पशु चिकित्सालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सा अधिकारी	
			स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	धौलपुर	खेरली	1	10/1999
2.	झालावाड़	दहीखेडा	1	10/1999
3.	झुंझुनूं	मण्डावरा	1	—
		मेहाडाजाटूवास	1	—
		महरादासी	1	—
		कलारखी	1	—
		हमीनपुर	1	—
4.	बीकानेर	मुरलीपुरा, व्यास कालोनी	1	—
		नोरंगदेसर	1	—

1	2	3	4	5
		बादनू	1	—
5.	बांसवाड़ा	पादेडी	1	10/1999
		मोटागांव	1	10/1999
		कुण्डल	1	—
		रामगढ़	1	10/1999
		खेड़ा	1	—
6.	बाड़मेर	गंगाला	1	7/2000
7.	बूंदी	अरनेठा	1	10/1999
8.	करौली	खरेटा	1	—
		शेरपुर	1	—
		कमालपुरा	1	10/1999
		हाडौती	1	—
		फतेहपुर	1	8/2001
		बालघाट	1	—
9.	सिरोही	भटाणा	1	—
		और	1	—
10.	चित्तौड़गढ़	मण्डेसरा	1	10/1999
11.	हनुमानगढ़	किशनपुरा उत्तराद्धा	1	—
		जसाना	1	—
12.	भीलवाड़ा	गोदूकोटा	1	10/1999
		आमल्दा	1	10/1999
		भोपालगढ़ उर्फ गाडरमाला	1	—
		लाडपुरा	1	10/1999
13.	भरतपुर	इकरन	1	—
		नंगलातुला	1	—
		कोट	1	10/1999
		बरखेडा	1	—
		सरसेना	1	—
		सातरूक	1	—

1	2	3	4	5
14.	पाली	गोदावास	1	10/1999
		अटपड़ा	1	10/1999
15.	श्रीगंगानगर	सरदारगढ़	1	—
16.	राजसमन्द	सारोठ	1	10/1999
		सायो का खेड़ा	1	10/1999
17.	सीकर	थोई	1	—
		अभयपुरा	1	—
		थेथालिया	1	2/2002
		भोजपुर	1	—
		सिरोही	1	—
		पलासर	1	—
18.	उदयपुर	राहेटी	1	10/1999
		ओगणा	1	10/1999
		करणपुर	1	10/1999
		वास	1	10/1999
		डगार	1	10/1999
		बुडेल	1	10/1999
		नवाधरा	1	10/1999
19.	डूंगरपुर	रघुनाथपुरा	1	10/1999
		पिपलादा	1	10/1999
		बड़ौदा	1	10/1999
		जेठाणा	1	10/1999

1	2	3	4	5
		बरबुदानिया	1	10/1999
		करावडा	1	10/1999
		गडाशूमनी	1	—
20.	दौसा	सलेमपुरा	1	—
		गुढ़ाकटला	1	—
21.	चूरू	धीरवास बडा	1	—
		गोलसर	1	—
		कानूता	1	—
		बिल्यूवास रामपुरा	1	9/2001
22.	जयपुर	राडावास	1	—
		महापुरा	1	—
		नायला	1	—
		भोजपुरा कलां	1	—
		बन्धे का बालाजी	1	—
		गुढा सायपुरा	1	—
		नांगलकलां	1	—
		पांचडाला	1	—
23.	जालौर	मोरड़ा	1	10/1999
		थोबाउ	1	7/2000
		मालियों का गोलिया (करावडी)	1	—
		पथमेड़ा	1	8/2000

1	2	3	4	5
24.	जोधपुर	उदयमन्दिर गब्बू खां के चौक	1	—
		लूणी	1	—
		दासनिया	1	10/1999
		हंतुडी	1	10/1999
		रामडावासकलां	1	7/1999
		मलोड़ा	1	12/2000
25.	जैसलमेर	खींया	1	—
26.	नागौर	मण्डुकरा	1	10/1999
		जिलियां	1	—
		पादूकलां	1	10/1999
		भरनावा	1	7/2001
		काठौती	1	9/2001
27.	टोंक	राजमहल	1	—
		घाड़	1	—
		वनस्थली	1	—
28.	अजमेर	ब्रिकचियावास	1	—
29.	अलवर	नारेडाखुर्द	1	—
		बूडीबावल	1	—
		नीमलाका (ग्राम प. पुर)	1	—

''प्रशासन गांवों के संग अभियान'' में व्यय राशि

105. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान हुए यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता व्यय, स्टेशनरी, टैंट व डीजल तेल व्यय पर राज्य सरकार का कितना खर्चा हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान यात्रा व्यय, दैनिक भत्ता व्यय, स्टेशनरी, टैंट व डीजल तेल व्यय पर 1,47,19,399/- रुपये व्यय हुआ है। सूची परिशिष्ट ''अ'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट ''अ''

मद/उपमद	व्यय
यात्रा व्यय (दैनिक भत्ता सहित)	43,01,559
स्टेशनरी व मुद्रण	37,79,143
टैंट	शून्य
डीजल तेल आदि (पैट्रोल आयल लुब्रीकेन्ट्स संधारण)	66,38,697
कुल	1,47,19,399

विधायक विकास योजना मद से विद्युत बिल का भुगतान

106. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्थानीय विधायक विकास योजना कार्यक्रम के तहत विद्युतीकरण एवं पेयजल हेतु राशि व्यय करने का प्रावधान है?

(2) क्या सरकार सार्वजनिक पेयजल वितरण हेतु विद्युत पर खर्च होने वाली राशि का भुगतान विधायक कोष से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्योंकि इस योजना में परिसम्पति सृजन कराने का उद्देश्य है जबकि पेयजल योजना के विद्युत पर होने वाले व्यय के भुगतान से परिसम्पति का निर्माण नहीं होता है।

कला एवं संस्कृति विभाग को स्वीकृत राशि का उपयोग

107. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इस वर्ष में विभाग द्वारा स्वीकृत योजना व्यय को खर्च न कर पाने के

(श्री मदन लाल वर्मा)

कारण उसको दूसरे मदों पर व्यय करने का प्रस्ताव किया जा रहा है? यदि हां, तो स्वीकृत मदों पर राशि क्यों नहीं व्यय की गई? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत कला एवं संस्कृति विभाग को गत वर्ष एवं इस वर्ष में कितनी राशि का प्रावधान उपलब्ध था एवं उक्त में से अब तक कितनी राशि गत वर्ष एवं इस वर्ष में व्यय की गई एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि को व्यय नहीं कर पाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2000-2001 एवं वर्ष 2001-2002 में हैरिटेज प्रोटेक्शन हेतु प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2000-2001	387.50	–
2001-2002	212.50	–

2000-2001 में हैरिटेज प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में बनाई गई योजनाओं में से कुछ योजनाएं गाईड-लाइंस के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण पुन: संशोधित योजनाएं बनाकर S.L.E.C. को प्रेषित कर दी गई हैं। इन योजनाओं के बारे में कई स्तरों पर गहन विचार-विमर्श कर तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत समस्त कार्यवाही पूर्ण कर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा आगामी बैठक में स्वीकृत किया जायेगा।

गंगनहर के सिंचित क्षेत्र में नरमे/ कपास की फसल खराबे की जांच

108. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 3 वर्षों में गंगनहर सिंचित क्षेत्र में कीट प्रकोप से नरमा कपास की कितने एकड़ भूमि पर खड़ी फसल को नुकसान हुआ? संख्या सूची वर्ष व तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में निरन्तर नरमे/कपास की फसल के खराब होने के कारणों की जांच हेतु सरकार द्वारा कृषि वैज्ञानिकों की समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो समिति के सदस्यों एवं उनके द्वारा रिपोर्ट में सुझाये गये प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रीगंगानगर क्षेत्र को बी.टी. कॉटन की पैदावार हेतु उपयुक्त समझता है? यदि हां, तो इसकी उपजाऊ विधि के बारे में विभाग ने अब तक किसानों को क्या-क्या जानकारियां दी एवं इसके बीज की उपलब्धता के बारे में विभाग द्वारा क्या व्यवस्था बनाई है?

उत्तर

(1) गत 3 वर्षों में गंगनहर सिंचित क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में नरमा कपास की खड़ी फसल में कीट प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से कम रहा था जिसको रिकार्ड नहीं किया गया। वर्ष 2001-2002 में नरमा कपास में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की सूचना अनुसार कुल बुवाई क्षेत्र 2,73,896 एकड़ में से 2,51,512 एकड़ क्षेत्र में 81 से 100 प्रतिशत तक नुकसान आंका गया है। तहसीलवार नुकसान का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। समिति के सदस्यों एवं उनके द्वारा रिपोर्ट में सुझाये गये प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) बी. टी. कॉटन की खेती पर भारत सरकार की रोक है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के उपरान्त ही विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट "अ"

नाम तहसील	नरमा बुवाई क्षेत्र (एकड़)	अनुमानित नुकसान क्षेत्र (एकड़)	अनुमानित प्रतिशत नुकसान
1. श्रीगंगानगर	77965	63513	81
2. श्रीकरणपुर	44350	36418	82
3. पदमपुर	43458	43458	100
4. रायसिंहनगर	45463	45463	100
5. अनूपगढ़	62660	62660	100
योग	2,73,896	2,51,512	

परिशिष्ट "ब"

(अ) समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री गोपाल सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) कृषि निदेशालय, जयपुर।
2. डॉ. ए.पी. सिंह, वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक कपास, कृषि अनुसंधान केन्द्र, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर।
3. श्री डी. एल. माथुर, संयुक्त निदेशक कृषि (कपास) श्रीगंगानगर।
4. प्रतिनिधि मुख्य अभियंता, सिंचाई (उत्तर) हनुमानगढ़ जंक्शन।
5. एस.डी.ओ., श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर (प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट)।
6. प्रबंधक निदेशक, सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, श्रीगंगानगर/संयुक्त रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटी, बीकानेर (बीकानेर जिले के लिए)

(ब) समिति के सुझावों की सूची

1. अल्पकालीन अवधि के ऋणों को मध्यकालीन अवधि ऋणों में परिवर्तित किया जावे।
2. प्रभावित किसानों को रबी फसलों के लिए पूर्ण ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जावे।
3. खरीफ 2001 के दौरान कपास की फसल के लिए सिंचाई शुल्क माफ किया जावे।
4. किसानों को वर्तमान रबी फसलों की सिंचाई हेतु पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
5. वर्तमान रबी फसलों के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे।

चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों की पूर्ति

109. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में चिकित्सा कर्मियों (पैरा मेडिकल) के कुल कितने पद हैं? उक्त में से कितने नर्स II ग्रेड व ए.एन.एम. तथा लेब टैक्नीशियन के पद कब से रिक्त हैं? अब इन्हें कब तक भर दिया जावेगा?

(2) क्या उक्त पदों को तदर्थ रूप से भरने की विभाग ने प्रक्रिया प्रारम्भ की थी? यदि हां, तो किस आधार व किन शर्तों पर?

(3) क्या इसमें कोई अनियमितता हुई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या शेष रिक्त पदों को वर्तमान में भरने का विचार है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के तहत और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में चिकित्सा कर्मियों (पैरा मेडिकल) एवं नर्सिंग संवर्ग के कुल 29,855 पद स्वीकृत हैं।

उक्त स्वीकृत पदों में से नर्स श्रेणी, द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
नर्स श्रेणी-द्वितीय	1040
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	578
लैब टैक्नीशियन	47

वर्तमान में कार्मिक एवं वित्त विभाग की रोक होने के कारण इन रिक्त पदों पर नियमित भर्ती नहीं की जा रही है।

(2) जी हां। नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं लैब टैक्नीशियनों के रिक्त पदों को समेकित वेतन से भरने हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) नर्स श्रेणी-2 के पदों को समेकित वेतन से भरने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जांच राज्य सरकार के स्तर पर की जा रही है।

(4) वर्तमान में नई भर्ती पर कार्मिक एवं वित्त विभाग की रोक होने के कारण रिक्त पदों पर नियमित भर्ती नहीं की जा रही है।

वित्त विभाग ने अत्यन्त आवश्यक कार्य हेतु सीमित संख्या में समेकित वेतन पर उक्त पदों पर भर्ती हेतु अनुमति दी थी जिन्हें ले लिया गया है। वित्त विभाग को खाली पदों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति हेतु निवेदन किया गया है और अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट "अ"

नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं लेब टैक्नीशियनों के रिक्त पदों को तदर्थ रूप से भरने की निर्धारित की गई प्रक्रिया का विवरण

नर्स श्रेणी द्वितीय

नर्स श्रेणी द्वितीय के पदों को भरने के लिए सीनियर सैकण्डरी की अंक तालिका का 50 प्रतिशत एवं नर्सिंग कोर्स की अंक तालिका का 50 प्रतिशत अंकों को आधार मानकर चयन किया जायेगा। इस प्रकार से किसी के साथ विरोधाभास की स्थिति नहीं रहेगी मुख्य रूप से शैक्षणिक योग्यता ही चयन का मापदण्ड होगा।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन उनके द्वारा सैकण्डरी परीक्षा में अंक तालिका का प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं महिला स्वास्थ्य कार्य प्रशिक्षण का प्राप्तांकों का प्रतिशत को आधार मानकर चयन किया जावेगा।

लेब टेक्नीशियन

लेब टेक्नीशियन में चयन सैकण्डरी की परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत एवं लेब टैक्नीशियन परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर चयन किया जावेगा।

उक्त पदों में भर्ती राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों को ध्यान में रखकर ही किया जावेगा।

भर्ती के लिए मेल नर्स–2 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए रजिस्ट्रेशन नियोजन कार्यालय एवं राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में तथा लेब टैक्नीशियन के लिए रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

पांचवां वेतन आयोग के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रदत्त चयनित वेतनमान

110. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 10-20 वर्ष के पश्चात् चयनित वेतनमान दिया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किये जाने के पश्चात् अन्य सेवाओं में 9-18-27 वर्ष पश्चात् चयनित वेतनमान दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त अन्तर के क्या कारण हैं। क्या सरकार उक्त अन्तर को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को 10 वर्ष पश्चात् मिलने वाले प्रथम चयनित वेतनमान के पश्चात् वेतन श्रृंखला संख्या-12 में निर्धारित किया जाता है जबकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को प्रथम चयनित वेतनमान के पश्चात् वेतन श्रृंखला संख्या-10 में निर्धारित किया जाता है? यदि हां, तो क्या तृतीय श्रेणी शिक्षकों को प्रथम चयनित वेतनमान के पश्चात् वेतन श्रृंखला 11 निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तृतीय श्रेणी शिक्षक नाम का कोई पद नहीं है। पूर्व में इस नाम से स्वीकृत पद को दिनांक 6.1.1990 से 'अध्यापक' नामित किया गया है। अध्यापक पद का वेतनमान केन्द्र के समान करने के लिए राज्यादेश दिनांक 7.8.1998 से पद का वेतनमान पुनः संशोधित करते समय, 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के स्थान पर केन्द्र सरकार में अध्यापकों के लिए लागू 'वरिष्ठ' एवं 'चयन' वेतनमान भी स्वीकृत किये गये।

(2) जी हां। दिनांक 29.4.1998 को शिक्षक संघों से किए गए समझौते के अनुसरण में दिनांक 1.7.1998 से शिक्षकों के वेतनमान केन्द्र के अधीन शिक्षकों के समान कर 'उच्चतर वेतनमान', 'वरिष्ठ' एवं 'चयन' वेतनमान स्वीकार किये गये। जी नहीं। शिक्षकों को उनकी मांग पर उनसे हुए समझौते के अनुसार केन्द्र के बराबर उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किए गए हैं।

(3) द्वितीय श्रेणी शिक्षक का कोई पद नहीं है। पूर्व में इस नाम से स्वीकृत पद को दिनांक 6.1.1990 से 'वरिष्ठ अध्यापक' नामित किया गया है। वरिष्ठ अध्यापक को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान 6500-10500 (12) तथा वरिष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष की सेवा

(वित्त मंत्री)

पूर्ण करने पर चयन वेतनमान 7500–12000 (12A) देय है। इसी प्रकार अध्यापक को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वरिष्ठ वेतनमान 5000–8000 (10) तथा वरिष्ठ वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान 5500–9000 (11) देय है।

जी नहीं। क्योंकि राज्य के शिक्षकों के वेतनमान एवं एश्योर्ड केरियर प्रोग्रेसन स्कीम के तहत वरिष्ठ एवं चयन वेतनमान शिक्षक संगठनों से हुए समझौते के तहत दिए जा रहे हैं।

माही बांध की बायीं मुख्य नहर मरम्मत में अनियमितता की जांच

111. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गत वर्ष माही बांध की बायीं मुख्य नहर 0 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की मरम्मत के कार्य कराए गए?

(2) क्या उक्त आबंटित राशि मरम्मत हेतु स्वीकृत थी? यदि हां, तो कितनी-कितनी? कार्यानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मरम्मत कार्य में काम में ली जाने वाली निर्माण सामग्री क्यारी से नहीं ली जाकर, क्षेत्रीय निर्माण सामग्री कार्य में ली गई? क्या उक्त घटिया सामग्री काम में लेने से अनियमितता हुई है? क्या सरकार उक्त कार्य की उच्च स्तरीय जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त मरम्मत कार्य स्वीकृत की गई राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट–अ सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। उक्त नहर प्रणाली में प्रयुक्त की गई निर्माण सामग्री की क्वारी निर्धारित नहीं है एवं उसके गुणवत्ता की जांच परियोजना में स्थापित स्वतंत्र गुण नियंत्रण इकाई से परीक्षण/विश्लेषण उपरान्त काम में ली गई है अतः इन कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। अतः इन कार्यों की जांच प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट ''अ''

बायीं मुख्य नहर आर.डी. 0 से 15 किमी. के कार्य का विवरण
वर्ष 2000-2001

1. बायीं मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य आर.डी. 0 से 2 किमी.	स्वीकृत राशि 2.27 लाख
2. बायीं मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य आर.डी. 2 से 4 किमी.	स्वीकृत राशि 1.89 लाख
3. बायीं मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य आर.डी. 4 से 6 किमी.	स्वीकृत राशि 2.10 लाख
4. बायीं मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य आर.डी. 6 से 8 किमी.	स्वीकृत राशि 2.12 लाख
5. बायीं मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य आर.डी. 8 से 10 किमी.	स्वीकृत राशि 2.22 लाख
6. बायीं मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य आर.डी. 10 से 12 किमी.	स्वीकृत राशि 1.51 लाख
7. बायीं मुख्य नहर की मरम्मत का कार्य आर.डी. 12 से 15 किमी.	स्वीकृत राशि 3.30 लाख
8. कैनाल साइफन आर.डी. 10920 मीटर (बायीं मुख्य नहर)	स्वीकृत राशि 2.26 लाख
9. कैनाल साइफन आर.डी. 12585 मीटर (बायीं मुख्य नहर)	स्वीकृत राशि 2.33 लाख
योग	**20.00 लाख**

जिला बारां के विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद

112. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से 12 तक एक जनवरी, 1999 तक कुल शुल्क कितना था? मार्च, 2002 तक कुल शुल्क कितना-कितना है? कक्षा व विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इतना अधिक शुल्क बढ़ाने के क्या कारण रहे? क्या इतना अधिक शुल्क बढ़ाने से गरीब छात्रों पर अनावश्यक भार पड़ा है?

(3) राज्य के विद्यालयों में कुल कितने पद रिक्त हैं? जिला बारां के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद शिक्षकों के कब से रिक्त हैं? विद्यालय व विषयवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से 12 तक कक्षावार विषयवार एक जनवरी, 1999 तक कुल शुल्क का विवरण परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। मार्च, 2002 तक कुल शुल्क का विवरण परिशिष्ट "ख" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) परीक्षा सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाओं पर हो रहे अधिक व्यय को मध्यनजर रखते हुए शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। जिससे आंशिक भार छात्रों पर पड़ा है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा में राज्य में द्वितीय श्रेणी के 1451 एवं तृतीय श्रेणी के 17699 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा में व्याख्याताओं के 3356, वरिष्ठ अध्यापकों के 3956, अध्यापकों के 2639 कुल 9951 पद रिक्त हैं। संस्कृत शिक्षा के विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत विद्यालयों में 518 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा में बारां जिले के अन्तर्गत संचालित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विषयवार एवं विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करने पर एवं पदोन्नतियों पर लगे प्रतिबन्ध हटने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "क"

निर्धारित शुल्क जनवरी, 1999 तक

(राशि रुपयों में)

कक्षा	शिक्षण शुल्क प्रतिमाह	छात्र निधि वार्षिक
1 से 2	—	—
3 से 5	—	20.00
6 से 8	—	50.00
कक्षा 9 से 10		
आयकर नहीं देने वाले	1.50	75.00
30,000/– तक की वार्षिक आय वाले	7.00	75.00
30,000/– व उससे ऊपर की वार्षिक आय वाले	10.00	75.00
समाजोपयोगी	—	30.00
कक्षा 11 से 12		
आयकर नहीं देने वाले	4.00	75.00
30,000/– तक वार्षिक आय वाले	10.00	75.00
30,000/– व उससे ऊपर की वार्षिक आय वाले	12.00	75.00
टंकण/विज्ञान शुल्क	—	15.00

कक्षा 1 से 8 तक किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

कक्षा 1 से 12 तक छात्राओं से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा छात्र निधि शुल्क भी 50 प्रतिशत लिया जायेगा।

परिशिष्ट "ख"

राजकीय विद्यालयों में निर्धारित शुल्क मार्च, 2002 तक

(राशि रुपयों में)

कक्षा	शिक्षण शुल्क प्रतिमाह	छात्र निधि प्रतिमाह
1 से 3	—	—
4 से 5	—	5/- प्रतिमाह केवल छात्रों से
6 से 8	—	10/- प्रतिमाह केवल छात्रों से
कक्षा 9 से 10		
बिना आयकरदाता	15.00	200.00 प्रतिवर्ष
30,000/- तक आयकरदाता	30.00	200.00 प्रतिवर्ष
30,000/- से अधिक आयकरदाता	50.00	200.00 प्रतिवर्ष
समाजोपयोगी	—	50.00 प्रतिवर्ष
कक्षा 11 से 12		
बिना आयकरदाता	30.00	300.00 प्रतिवर्ष
30,000/- तक आयकरदाता	60.00	300.00 प्रतिवर्ष
30,000/- से अधिक आयकरदाता	100.00	300.00 प्रतिवर्ष
टंकण/विज्ञान शुल्क	—	100.00 प्रतिवर्ष
राजकीय निधि कक्षा 9 से 12		
टी.सी. शुल्क	—	10.00
पुनः प्रवेश शुल्क	—	5.00

कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क (जैसे : शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, टी.सी. शुल्क) नहीं लिया जावेगा।

कक्षा 9 से 12 की छात्रायें भी शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगी।

कक्षा 1 से 8 तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समस्त बालिकाओं (छात्राओं को) छात्रनिधि देने में छूट मिलेगी।

यदि कोई दानदाता किसी विद्यालय के कक्षा 8 तक के छात्रों के छात्रनिधि की संगणित सम्पूर्ण वार्षिक राशि दान के रूप में देने को तैयार हो तो उस शाला के किसी भी छात्र से छात्रनिधि नहीं ली जायेगी।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क में पूर्वानुसार मुक्त रखा गया है तथा छात्रनिधि शुल्क में इस श्रेणी के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत छूट दी गई है।

परिशिष्ट "ग"

माวि/उमावि में शिक्षकों के रिक्त पदों की विद्यालय व विषयवार सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या			कब से रिक्त
			व्याख्याता	व.अ.	अध्या.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	उ.मा.वि., शाहबाद	अंग्रेजी	01	–	–	9/2001
		हिन्दी	01	–	–	12/2000
		रा.वि.	01	–	–	9/2001
		सामान्य	–	02	–	10/2001, 10/2001
2.	उ.मा.वि., हरनावदाशाहजी	अंग्रेजी	01	–	–	9/2001
		संस्कृत	01	–	–	11/2001
		रा.वि.	01	–	–	9/2001
3.	उ.मा.वि., अन्ता	अंग्रेजी	01	–	–	7/2001
		हिन्दी	01	–	–	8/2001
4.	उ.मा.वि., बारां	हिन्दी	04	–	–	9/1996, 6/2001 6/2001, 2/2002
		वाणिज्य	01	–	–	12/2001
		गणित	–	01	–	12/2001
5.	उ.मा.वि., छबड़ा	हिन्दी	01	–	–	9/2001
		इतिहास	01	–	–	6/2001
		संस्कृत	01	–	–	6/2001
		चित्रकला	01	–	–	8/1997
		गणित	01	–	–	7/2001
		भूगोल	01	–	–	8/2000
		गणित	–	02	–	3/2001, 6/2001
		अंग्रेजी	–	02	–	11/2000, 3/2001
		सामान्य	–	01	–	1/2001

1	2	3	4	5	6	7
6.	उ.मा.वि., सीसवाली	हिन्दी	01	–	–	9/2001
		संस्कृत	01	–	–	11/2000
			–	–	01	11/2001
7.	उ.मा.वि., कोयला	हिन्दी	01	–	–	9/2001
8.	उ.मा.वि., भंवरगढ़	हिन्दी	02	–	–	9/1997, 10/1998
		राvि	01	–	–	8/2001
		गणित	–	01	–	12/2001
			–	–	02	1/2001, 6/2001
9.	उ.मा.वि., नाहरगढ़	हिन्दी	01	–	–	7/1999
		विज्ञान	–	01	–	10/2001
			–	–	01	5/2001
10.	उ.मा.वि., मोतुर	हिंन्दी	01	–	–	7/1999
		इतिहास	01	–	–	6/2001
		राvि	01	–	–	2/2002
		गणित	–	01	–	10/2001
			–	–	01	6/2001
11.	उ.मा.वि., समरानिया	हिन्दी	02	–	–	10/1998, 6/2001
			–	–	01	7/2001
12.	उ.मा.वि., केलवाड़ा	हिंन्दी	01	–	–	10/1998
		इतिहास	01	–	–	5/2001
			–	–	01	1/2001
13.	उ.मा.वि., कस्बा थाना	हिन्दी	01	–	–	4/2001
		गणित	–	01	–	10/2001
14.	उ.मा.वि., जलवाड़ा	हिन्दी	01	–	–	4/2001
		राvि	01	–	–	9/2001
15.	उ.मा.वि., बोहत	इतिहास	01	–	–	6/2001

1 2	3	4	5	6	7
16. उ.मा.वि., छीपाबड़ोद	इतिहास	01	–	–	9/2001
	गणित	01	–	–	2/2001
17. उ.मा.वि., मांगरोल	संस्कृत	01	–	–	6/2001
	गणित	01	–	–	8/2000
	रसायन	01	–	–	9/2001
18. उ.मा.वि., फतेहपुर		–	–	01	8/2001
19. उ.मा.वि., कवाई		–	–	01	12/2001
20. बा.उ.मा.वि., अटरू	अंग्रेजी	01	–	–	12/2000
	हिन्दी	01	–	–	2/2000
	रावि	01	–	–	9/2001
		–	–	03	1/2000, 1/2000, 10/2001
21. बा.उ.मा.वि., छबड़ा	अंग्रेजी	01	–	–	12/2000
	हिन्दी	02	–	–	2/2001, 2/2001
	गृह विज्ञान	01	–	–	7/1999
	रावि	01	–	–	8/1997
	सामान्य	–	01	–	8/2001
		–	–	04	1/2000 (चार पद)
22. बा.उ.मा.वि., छीपाबड़ोद	अंग्रेजी	01	–	–	9/2001
	हिन्दी	01	–	–	2/2001
	रावि	01	–	–	9/2001
	सामान्य	–	01	–	10/2001
		–	–	02	1/2000 (दो पद)

1	2	3	4	5	6	7
23.	बा.उ.मा.वि., सीसवाली	अंग्रेजी	01	–	–	9/2001
		हिन्दी	01	–	–	12/2001
		रावि	01	–	–	9/2001
			–	–	02	1/2000 (दो पद)
24.	बा.उ.मा.वि., मांगरोल	हिन्दी	01	–	–	6/1996
		रावि	01	–	–	1/2001
			–	–	03	1/2000 (3 पद)
25.	बा.उ.मा.वि., अन्ता	हिन्दी	01	–	–	1/2001
		रावि	01	–	–	2/2001
			–	–	01	1/2001
26.	बा.उ.मा.वि., बारां	गृह विज्ञान	01	–	–	10/2001
		रावि	01	–	–	3/1999
		संगीत	01	–	–	3/1996
27.	बा.मा.वि., शाहबाद	गणित	–	01	–	10/2001
		अंग्रेजी	–	01	–	11/2001
			–	–	01	1/2000
28.	बा.मा.वि., किशनगंज	गणित	–	01	–	10/2001
29.	बा.मा.वि., बारां		–	–	01	1/2000
30.	बा.मा.वि., नाहरगढ़		–	–	02	1/2000, 5/2000
31.	मा.वि., नाटई	विज्ञान	–	01	–	10/2001
32.	मा.वि., ढोलम	विज्ञान	–	01	–	10/2001
33.	मा.वि., कडैयानोहर	विज्ञान	–	01	–	10/2001
34.	मा.वि., कटावर	विज्ञान	–	01	–	10/2001
35.	मा.वि., रीछन्दा	विज्ञान	–	01	–	10/2001

1	2	3	4	5	6	7
36.	मा.वि., बजरंगगढ़	विज्ञान	–	01	–	10/2001
37.	मा.वि., फलिया	विज्ञान	–	01	–	10/2001
38.	मा.वि., कुन्जैड़	विज्ञान	–	01	–	10/2001
			–	–	01	11/2001
39.	मा.वि., भूलोन	विज्ञान	–	01	–	7/1999
40.	मा.वि., कोटड़ी	विज्ञान	–	01	–	10/2001
		सामान्य	–	01	–	10/2001
41.	मा.वि., दीलोदहाथी	विज्ञान	–	01	–	12/2001
			–	–	01	11/2001
42.	मा.वि., बड़गांव	विज्ञान	–	01	–	12/2001
43.	मा.वि., परानियां	गणित	–	01	–	10/2001
44.	मा.वि., भटवाड़ा	गणित	–	01	–	10/2000
45.	मा.वि., स्टे. रोड बारां	गणित	–	01	–	10/2001
		अंग्रेजी	–	01	–	7/2001
		सामान्य	–	01	–	12/2001
46.	मा.वि., भीमगंजवार्ड बारां	गणित	–	01	–	4/2001
		सामान्य	–	01	–	4/2001
			–	–	01	9/2001
47.	मा.वि., अन्ताना	गणित	–	01	–	10/2001
48.	मा.वि., सारवल	गणित	–	01	–	10/2001
		अंग्रेजी	–	01	–	12/2001
49.	मा.वि., गरडा	गणित	–	01	–	10/2001
50.	मा.वि., छीनोद	गणित	–	01	–	10/2001

1	2	3	4	5	6	7
51.	मा.वि., बमनगवां	गणित	–	01	–	10/2001
52.	मा.वि., राजपुर	गणित	–	01	–	10/2001
			–	–	01	6/2001
53.	मा.वि., सीमली	गणित	–	01	–	12/2001
54.	मा.वि., बमौरीघाटा	गणित	–	01	–	12/2001
			–	–	01	7/2001
55.	मा.वि., माथना	गणित	–	01	–	12/2001
56.	मा.वि., बड़वा	गणित	–	01	–	2/2001
57.	मा.वि., बड़ा	गणित	–	01	–	1/2001
			–	–	01	7/2001
58.	मा.वि., पटना	अंग्रेजी	–	01	–	9/2001
59.	मा.वि., रैलावन	अंग्रेजी	–	01	–	10/2001
			–	–	01	7/2001
60.	मा.वि., बड़ौरा	सामान्य	–	01	–	1/2002
			–	–	02	9/2001, 8/2001
61.	मा.वि., बांसथूनी		–	–	01	8/2001
62.	मा.वि., जैपला		–	–	01	6/2001
63.	मा.वि., सकतपुर		–	–	02	7/2001 (दो पद)
64.	मा.वि., चरड़ाना		–	–	01	7/2001
65.	मा.वि., देवरी		–	–	01	1/2002

राज्य में पर्यटन विभाग के संचालित मिडवे/होटलों का निरीक्षण/जांच

113. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कितने मिडवे/होटल/रेस्टोरेंट/मोटल तथा अन्य संस्थान कहां-कहां स्थापित हैं? वर्ष 1995 से फरवरी, 2002 तक हुए प्रत्येक संस्थान का लाभ-हानि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत वर्षों से लाभ में चल रही जो इकाइयां थी वे भी घाटे की ओर अग्रसर हो रही हैं तथा इसका मुख्य कारण इन संस्थान का राजनेताओं के प्रभाव से दुरुपयोग होने के कोई प्रकरण उजागर हुए हैं?

(3) क्या उक्त विभिन्न संस्थानों का कभी आकस्मिक निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा उनकी जांच रिपोर्ट क्या रही? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित मिडवे/होटल रेस्टोरेंट/मोटल की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। वर्ष 1995 से फरवरी, 2002 तक प्रत्येक संस्थान का लाभ-हानि का वर्ष वार विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(2) कुछ लाभ में हुई तथा कुछ घाटे में। राजनेताओं के प्रभाव से दुरुपयोग होने का कोई प्रकरण उजागर नहीं हुआ है।

(3) जी हां। समय-समय पर सर्तकता दल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में किये गये निरीक्षण का सार परिशिष्ट ''स'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फलदार पौधों हेतु ड्रिप पद्धति

114. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फलदार पौधों हेतु ड्रिप पद्धति पर काश्तकारों को छूट दी जाती है?

(2) क्या कृषि फसलें कपास, मिर्च, टमाटर पर भी ड्रिप पद्धति पर छूट देने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सभी उद्यानिकी फलदार पौधों के बगीचों पर ड्रिप पद्धति पर काश्तकारों को छूट दी जाती है।

(2) जी हां। उद्यानिकी फसलें मिर्च, टमाटर इत्यादि पर भी ड्रिप पद्धति पर पौधों के अन्तराल अनुसार छूट देने का

(कृषि मंत्री)

प्रावधान है। परन्तु इसमें कपास कृषि सम्बन्धित फसल पर अनुदान का प्रावधान नहीं है। ड्रिप पद्धति पर लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 26,000/- प्रति हैक्टेयर एवं अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 18,200/- प्रति हैक्टेयर तक अनुदान देने का प्रावधान है। अधिकतम अनुदान क्षेत्र सीमा 4.00 हैक्टेयर तक ही है।

गायनिक आचार्य की पदोन्नति में हुई अनियमितता की जांच

115. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही), **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) एवं **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 7 अगस्त, 2000 को गायनिक आचार्य के पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति, 1998-99 द्वारा तथा 1999-2000 की विभागीय पदोन्नति समिति दिनांक 5 मार्च, 2000 को कतिपय चिकित्सकों की पदोन्नति की गई थी? यदि हां, तो किस-किस की?

(2) क्या उक्त पदोन्नति में पदोन्नत चिकित्सकों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध थीं? यदि हां, तो किस-किस की? पदोन्नति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नति में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में सहआचार्यों ने माननीय चिकित्सा मंत्री को प्रतिवेदन देकर रिव्यू डी.पी.सी. की मांग की थी जिस पर माननीय मंत्री द्वारा रिव्यू डी.पी.सी. के आदेश प्रदान किये थे? यदि हां, तो कब? क्या उक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त रिव्यू डी.पी.सी. करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पदोन्नत उपाचार्य डा. विमला जैन का स्थानान्तरण भी किया गया है? क्या उक्त स्थानान्तरण से उक्त रिव्यू की डी.पी.सी. प्रभावित होगी? यदि हां, तो इसके लिए सरकार की क्या योजना है? क्या उक्त रिव्यू डी.पी.सी. होने से डा. विमला जैन एवं डा. ऊषारानी शर्मा का पदावनत होना निश्चित है? यदि नहीं, तो किस आधार पर?

(5) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 की डी.पी.सी. में जो चयन हुआ है उसमें भी अनियमितता हुई हैं? क्या उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में भी स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को रिव्यू डी.पी.सी.

(श्री संयम लोढ़ा)

करवाने हेतु लिखा है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या सामान्य प्रशासन विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को दो बार डी.पी.सी. करने के लिए लिखा है? यदि हां, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रिव्यू डी.पी.सी. अब तक क्यों नहीं की है?

(7) क्या सरकार पीड़ित/प्रभावित चिकित्सकों के साथ न्याय करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 7.8.2000 को आचार्य, गायनिक के पद हेतु जो डी.पी.सी. आयोजित की गई थी, वह वर्ष 1998-99 की रिक्तियों के लिए नहीं थी, बल्कि वर्ष 1999-2000 की रिक्तियों हेतु थी। इसी प्रकार दिनांक 5.3.2000 को कोई डी.पी.सी. आयोजित नहीं की गई बल्कि दिनांक 5.3.2001 को आचार्य, गायनिक की वर्ष 2000-2001 की रिक्तियों हेतु डी.पी.सी. आयोजित की गई। इन दोनों वर्षों की डी.पी.सी. में चयनित चिकित्सकों की सूची संलग्न है। परिशिष्ट ''अ''

(2) जी हां। पात्रता सूची में आने वाले सभी चिकित्सकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध थे। परन्तु डा. सुनीता कुन्तल की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में स्वीकार करने वाले अधिकारी की टिप्पणी नहीं थी। पदोन्नति आदेश की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट ''ब'' व ''स''

(3) जी हां। डा. (श्रीमती) सुनीता कुन्तल, सह आचार्य, गायनिक ने उक्त पदोन्नति आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रिव्यू डी.पी.सी. करवाये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर माननीय मंत्री महोदय रिव्यू डी.पी.सी. के लिए आदेश दिये। ये आदेश दिनांक 9.4.2001 को प्रदान किये गये। जिसके पश्चात् रिव्यू डी.पी.सी. के प्रस्ताव कार्मिक विभाग की सहमति पश्चात् दिनांक 17.5.2001 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये। आयोग द्वारा सहमति/तिथि निश्चित करने पर रिव्यू डी.पी.सी. की जा सकेगी।

(4) जी हां। डा. (श्रीमती) विमला जैन, आचार्य, गायनिक, मेडिकल कालेज, कोटा का स्थानान्तरण आदेश संख्या प.1 (160)एमई/ग्रुप-1/79 दिनांक 1.2.2002 द्वारा मेडिकल कालेज, जयपुर में रिक्त पद पर किया गया है। उक्त स्थानान्तरण से रिव्यू डी.पी.सी. पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक डा. (श्रीमती) विमला जैन एवं डा. (श्रीमती) उषा रानी शर्मा को पदावनत होने का प्रश्न है, रिव्यू

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

डी.पी.सी. का जो निर्णय होगा तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां। 1999-2000 की डी.पी.सी. में डा. (श्रीमती) कुन्तल की तीन सालों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में स्वीकार करने वाले अधिकारी की टिप्पणी नहीं होते हुए डी.पी.सी. की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को न लिख कर कार्मिक विभाग को पुनरावलोकन के लिए सहमति हेतु भेजा था। कार्मिक विभाग ने मामले का पूर्ण परीक्षण कर अपनी सहमति दी। उसके उपरान्त राजस्थान लोक सेवा आयोग को सहमति तथा डी.पी.सी. की तारीख हेतु लिखा गया।

(6) जी हां। कार्मिक विभाग ने दो बार पुनरावलोकन के लिए सहमति दी है। मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग में लम्बित है। जिसके लिए आयोग को स्मरण-पत्र भेजे गये हैं।

(7) राजस्थान लोक सेवा आयोग से रिव्यू डी.पी.सी. के लिए तिथि प्राप्त होते ही रिव्यू डी.पी.सी. की बैठक आयोजित की जावेगी तथा उसके निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट "अ"

दिनांक 7.8.2000 को वर्ष 1999-2000 को हुई डी.पी.सी. के निर्णयानुसार निम्नांकित चिकित्सकों को पदोन्नति दी गई

1. डा. (श्रीमती) प्रभा सिंघल
2. डा. (श्रीमती) निर्मला पाण्डे
3. डा. (श्रीमती) बीना आचार्य
4. डा. (श्रीमती) विमला जैन

दिनांक 5.3.2001 को वर्ष 2000-2001 को हुई डी.पी.सी. के निर्णयानुसार निम्न चिकित्सकों को पदोन्नति दी गई

1. डा. एम. पी. सिंघल
2. डा. (श्रीमती) विमला कछावा
3. डा. (श्रीमती) ऊषा रानी शर्मा

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.1(46)एमई/ग्रुप–1/98 जयपुर, दिनांक : 15.11.2000

आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुपालन में स्त्री एवं प्रसूती रोग विभाग के निम्नांकित चिकित्सकों को राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेजिएट ब्रांच) रूल्स, 1962 के नियम 24(ए) के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के विरुद्ध आचार्य स्त्री एवं प्रसूती रोग के पद पर पदोन्नति एवं नियुक्ति प्रदान की जाती है। पदोन्नति का आधार उनके नाम से सम्मुख अंकित कर दिया गया है। इनके पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	पदोन्नति का आधार
1.	डा. (श्रीमती) प्रभा सिंघल	प्रोफेसर (आर एण्ड आर) मेडिकल कालेज, अजमेर	वरिष्ठता सह–योग्यता
2.	डा. (श्रीमती) निर्मला पाण्डे	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, अजमेर	वरिष्ठता सह–योग्यता
3.	डा. (श्रीमती) बीना आचार्य	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	योग्यता
4.	डा. (श्रीमती) विमला जैन	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर	योग्यता

आज्ञा से,
ह०/–
(जी. एल. वर्मा)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट "स"

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(45)एमई/ग्रुप-1/98 जयपुर, दिनांक : 28.3.2001

आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा पर राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24(ए) में निहीत प्रावधानुसार निम्नांकित चिकित्सकों को वर्ष 2000-2001 की रिक्तियों के विरुद्ध आचार्य, प्रसूती एवं स्त्री रोग के पदों पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाकर, पदोन्नति पर उनका पदस्थापन इनके नाम से सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन	पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान	चयन का आधार
1.	डा. एम. सी. बंसल	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा	आचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा	योग्यता से
2.	डा. (श्रीमती) विमला कछावा	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, जोधपुर	आचार्य, मेडिकल कालेज, जोधपुर	वरिष्ठता सह-योग्यता
3.	डा. (श्रीमती) ऊषा रानी शर्मा	सह आचार्य, मेडिकल कालेज, अजमेर	आचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर	योग्यता

आज्ञा से,
ह०/-
(जी. एल. वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रश्न संख्या-116

(स्थगित)

रूप बसन्त चेला की चौपान (अलवर) द्वारा अतिक्रमण

117. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मिस्टीमिडोज अथवा रूप बसन्त के नाम से चेला की चौपान की (अलवर) में कोई राजस्व भूमि है? यदि हां, तो क्या उक्त फर्म ने सड़क और खुद की भूमि के बीच की सरकारी भूमि पर पक्की चारदीवारी खींचकर अतिक्रमण कर लिया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में राजस्व अधिकारियों द्वारा ट्रेस पासर के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है?

(2) क्या उक्त बाबत कोई वाद मिस्टीमिडोज ने दायर किया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त बाबत कोई जवाब दावा पेश कर दिया है? दावा व जवाब दावा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मिस्टीमिडोज प्रा. लि., ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली के नाम पर अपनी स्वयं की आराजी क्रय की हुई भूमि है। फर्म ने खुद की भूमि एवं सड़क के बीच की सरकारी भूमि पर पक्की चारदीवारी खींचकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण में समय पर कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत आरोपित अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र दिया जा चुका है।

(2) जी हां। सरकार जरिये तहसीलदार तिजारा द्वारा जवाब दावा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। दावा व जवाब दावा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र बानसूर के विद्यालयों में रिक्त पद

118. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधानसभा क्षेत्र बानसूर में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यरत विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में स्वीकृत पद कम हैं और उक्त में भी बहुत से पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों पर सरकार कब तक अध्यापक नियुक्त कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र बानसूर में 11 राउमावि. तथा 20 रामा वि. संचालित है। सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। डी.पी.सी. पर प्रतिबन्ध हटने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन लगाया हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगी।

परिशिष्ट ''क'

क्र. सं.	रा.मा.वि.	पद	प्रधाना -चार्य	उप. प्रधा.	व्या- ख्याता	वरि. अध्या.	व.शा. शि.	व.पु. अ.	व.प्र. शा.स.	अध्या.	पु. अ.	प्र.शा. स.	का. सहा.	व. लि.	क. लि.	जमा दार	प्र.शा. बा.	च.श्रे. कर्म.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	बानसूर	स्वीकृत	1	1	25	11	1	1	1	3	–	3	1	1	2	1	4	5	61
		रिक्त	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	7
		कब से रिक्त	–	1.02	9. 2000	10.01	–	–	–	–	–	–	1.01	–	–	10.01	–	10.01	
2.	रामपुर	स्वीकृत	1	–	10	6	1	–	–	4	1	–	1	1	1	1	–	2	29
		रिक्त	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	5
		कब से रिक्त	–		2.02	2.02				2000 .01	–					1997	–		
3.	गूंता शाहपुर	स्वीकृत	1	–	6	11	1	1	–	5	1	–	1	1	1	–	–	3	32
		रिक्त	–	–	3	2	1	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	9
		कब से रिक्त	–		7.07 10.00	12. 2000	7.01			7.01	–	2.01	5.00	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	हरसौरा	स्वीकृत	1	–	5	11	1	1	–	2	–	–	1	1	1	–	–	4	28
		रिक्त	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	5
		कब से रिक्त			7.01	7.01					–			8.01	2		–	2.02	
5.	नीमूचाणा	स्वीकृत	1	–	4	6	1	–	–	4	1	–	–	1	1	–	–	3	22
		रिक्त	–		1	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–			–	5
		कब से रिक्त			1.00	3.2000				5.00									
										7.00									
6.	जैनपुरबास	स्वीकृत	1	–	4	6	1	1	–	5	–	–	–	1	1	1	–	2	23
		रिक्त	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	4
		कब से रिक्त				7.00				7.01			3.2000						
7.	बर्डोद	स्वीकृत	1	1	21	12	1	1	–	6	–	3	1	1	2	1	3	6	59
		रिक्त	–	1	3	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–		–	–	8
		कब से रिक्त		11.01	7.00	9.01				7.00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	रिवाली	स्वीकृत	1	–	5	6	1	1	–	3	1	–	–	1	1	–	–	4	24
		रिक्त	–	–	2	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	1	3
		कब से रिक्त			11.97													7.00	
9.	कराना	स्वीकृत	1	–	5	8	1	–	–	6	–	–	–	1	1	–	–	4	27
		रिक्त	–	–	4	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	8
		कब से रिक्त			24.3. 2001	8.01	3.01			7.01								3.01	
10.	दहमी	स्वीकृत	1	–	5	4	1	–	–	3	–	–	–	1	2	–	–	1	16
		रिक्त	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2
		कब से रिक्त			12.00									12.00					
11.	बा. बानसूर	स्वीकृत	1	–	5	6	1	1	–	4	–	–	–	1	1	–	–	4	24
		रिक्त	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	4
		कब से रिक्त	2.02		8.00 7.01					7.01									

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	रा.मा.वि.	पद	प्रधाना-ध्यापक	वरि. अध्या.	अध्यापक	शा. शिक्षक	पुस्त. अध्यक्ष	वरि. लि.	कनि. लि.	च.श्रे. कर्म.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मोठूका	स्वीकृत	1	7	1	1	–	1	1	1	13
		रिक्त	–	–	–	–	–	निलम्बित	–	–	–
		कब से रिक्त	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	खोहरी	स्वीकृत	1	5	1	1	–	1	1	2	12
		रिक्त	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		कब से रिक्त	–	–	–	–	–	2.2002	–	–	–
3.	हमीरपुर	स्वीकृत	1	7	3	1	–	1	1	2	16
		रिक्त	–	1	2	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	7.2001	25.1.2000	–	–	–	–	–	–
4.	भूपसेड़ा	स्वीकृत	1	6	5	1	1	1	1	4	20
		रिक्त	–	–	2	–	–	–	–	1	
		कब से रिक्त	–	–	9.2000, 8.2001	–	–	–	–	31.8.2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	चतरपुरा	स्वीकृत	1	6	4	1	1	1	1	4	19
		रिक्त	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		कब से रिक्त	–	5.12.2002	–	–	–	–	–	31.8.2001	–
6.	बबेड़ी	स्वीकृत	1	5	5	1	1	1	1	2	17
		रिक्त	–	1	4	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	12.2001	3, 7, 9/2001	–	–	–	–	–	–
7.	श्यामपुरा	स्वीकृत	1	5	7	1	–	1	–	3	18
		रिक्त	–	1	3	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	5.7.2001	12.2000, 8.2001	–	–	–	–	–	–
8.	हाजीपुर	स्वीकृत	1	5	4	1	–	1	–	3	15
		रिक्त	–	–	1				–	1	
		कब से रिक्त	–	–	4.7.2000	–	–	–	–	28.8.2001	–
9.	गिरूड़ी	स्वीकृत	1	5	4	1	–	1	1	1	14
		रिक्त	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	–	8.2001	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	रायली	स्वीकृत	1	4	3	1	–	1	1	–	11
		रिक्त	–	1	3	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	7.2001	1.2000, 8.2001	–	–	–	–	–	–
11.	गूंती	स्वीकृत	1	6	4	1	–	1	1	3	17
		रिक्त	–	1	2	–	–	–	–	1	–
		कब से रिक्त	–	10.1.2001	12.2000, 7.2001	–	–	–	–	21.6.2000	–
12.	माचल	स्वीकृत	1	6	3	1	1	1	1	2	16
		रिक्त	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	पहाड़ी	स्वीकृत	1	5	3	1	1	1	1	3	16
		रिक्त	–	–	3	–	–	1	–	1	–
		कब से रिक्त	–	–	6.1999, 7.2001	–	–	3.1996	–	6.1997	–
14.	बूढ़वाल	स्वीकृत	1	5	1	1	–	1	–	2	11
		रिक्त	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	ढिस	स्वीकृत	1	4	4	1	–	1	1	2	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		रिक्त	–	–	3	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	–	3.2001	–	–	–	–	–	–
16.	काकरदोपा	स्वीकृत	1	5	3	1	–	1	1	1	13
		रिक्त	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		कब से रिक्त	–		2.8.2001	–	–	4.7.1999	–	–	–
17.	शेरपुर	स्वीकृत	1	5	3	1	–	1	–	1	12
		रिक्त	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	बालिका रामपुर	स्वीकृत	1	6	1	1	1	1	1	3	15
		रिक्त	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	5.9.2001	9.2001	–	–	–	–	–	–
19.	बालिका हरसोरा	स्वीकृत	1	4	3	1	–	1	–	1	11
		रिक्त	–	1	3	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	4.2001	4.2001	–	–	–	–	–	–
20.	बालिका बर्डोद	स्वीकृत	1	5	7	1	1	1	1	2	19
		रिक्त	–	–	2	–	–	–	–	–	–
		कब से रिक्त	–	–	7.2000, 2.2001	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या–155 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–1) विभाग

क्रमांक : प. 5(1)कार्मिक/क–1/2002 जयपुर, दिनांक : 13.1.2002

आज्ञा

निम्नांकित भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाते हैं

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पद	नवीन पद
1	2	3	4
1.	श्री अनिल वैश्य	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर	शासन प्रमुख सचिव, सिंचाई, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
2.	श्री परमेश चन्द	शासन प्रमुख सचिव, सिंचाई, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर
3.	श्रीमती कुशल सिंह	शासन सचिव, पंचायती राज एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर	शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर
4.	श्रीमती अलका काला	सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	आयुक्त विभागीय जांच (द्वितीय)
5.	श्री बी. पी. आर्य	शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर	शासन सचिव, समाज कल्याण एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
6.	श्री के. एल. मीणा	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू–जल विभाग, राजस्थान, जयपुर	शासन सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर

1	2	3	4
7.	श्री धर्मसिंह सागर	सम्भागीय आयुक्त, जयपुर	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान लघु उद्योग निगम तथा अध्यक्ष, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, जयपुर
8.	श्री अरविन्द मायाराम	शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग एवं महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
9.	श्री राम लुभाया	शासन सचिव, ग्रामीण विकास, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, राजस्थान, जयपुर	शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
10.	श्री उमराव सालोदिया	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान लघु उद्योग निगम तथा अध्यक्ष, राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम, जयपुर	संभागीय आयुक्त, जयपुर
11.	श्री ललित के. पंवार	शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग एवं महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, राजस्थान, जयपुर	शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल सचिवालय, नागरिक उड्डयन एवं चीफ आफ प्रोटोकोल, राजस्थान, जयपुर
12.	श्री ओ.पी. मीणा	शासन सचिव, समाज कल्याण एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर	शासन सचिव, ग्रामीण विकास, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, राजस्थान, जयपुर
13.	श्री एस.एन. थानवी	शासन सचिव, माध्यमिक, उच्च एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य, राजस्थान सेल्स टैक्स बोर्ड, जयपुर

1	2	3	4
14.	श्री श्याम एस. अग्रवाल	शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण व प्रबन्ध निदेशक, रूड़ा तथा आर.एस.पी.सी.एल., जयपुर
15.	श्री जी.एस. संधु	शासन सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर	सेवायें जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर दी जाती है।
16.	श्री रोहित आर. बाण्डन	आयुक्त विभागीय जांच (द्वितीय)	सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर
17.	श्री रामखिलाड़ी मीणा	आदेश की प्रतीक्षा में	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, राजस्थान, जयपुर
18.	श्री विनोद जुत्शी	शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल सचिवालय, नागरिक उड्डयन एवं चीफ आफ़ प्रोटोकोल, राजस्थान, जयपुर	शासन सचिव, माध्यमिक, उच्च एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
19.	श्री एन.सी. गोयल	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	शासन सचिव, पंचायती राज एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
20.	श्री गोविन्द शर्मा	महानिदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर	सेवायें राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम को प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर दी जाती है।

1	2	3	4
21.	श्री बी. एल. आर्य	आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	श्रम आयुक्त एवं निदेशक नियोजन विभाग एवं पदेन शासन विशिष्ठ सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर
22.	श्री एम. के. खन्ना	श्रम आयुक्त एवं निदेशक नियोजन विभाग एवं पदेन शासन विशिष्ठ सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर	सेवायें राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को आवासन आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर दी जाती है।
23.	श्री संजय दीक्षित	निदेशक, डी.पी.ई.पी., लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।
24.	श्री अतुल शर्मा	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	निदेशक, डी.पी.ई.पी., राजस्थान, जयपुर
25.	श्री सी.पी. व्यास	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण व प्रबन्ध निदेशक, रूडा तथा आर.एस.पी.सी.एल., जयपुर	महानिदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर

श्री सी. एस. राजन अपने वर्तमान पद के साथ-साथ शासन सचिव, उद्योग विभाग एवं अध्यक्ष, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम के पद का कार्य भी अतिरिक्त रूप से अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

श्री अतुल शर्मा अपने नवीन पद के कार्य के साथ-साथ निदेशक, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, के पद का कार्य भी अतिरिक्त रूप से अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से

ह०/-

(अशोक सम्पतराम)

शासन सचिव

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-158 की सूची)

सीधी भर्ती में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो स्वयं की योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग के कोटे के एवज में चयनित हुए हैं

क्रसं.	नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	जाति	जिला
1	2	3	4	5	6
			वर्ष 1997		
1.	श्री मानसिंह	श्री रामजीलाल गुर्जर	सिंह भवन, पटेल नगर, जौहड़ा, अलवर	गुर्जर	अलवर
2.	श्री वासुदेव मालावत	श्री करण सिंह मालावत	सुन्दरपुरा, दांतारामगढ़, सीकर	चारण	सीकर
3.	श्री हिम्मत सिंह बारहठ	श्री हरिदेव सिंह बारहठ	ग्राम–बरवाड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर	चारण	उदयपुर
4.	श्री देवाराम सैनी	श्री गुलझारी लाल सैनी	खण्डेला, श्रीमाधोपुर, सीकर	माली	सीकर
5.	श्री नखत दान बारहट	श्री मलदान बारहठ	सोमेसर, शेरगढ़, जोधपुर–342025	चारण	जोधपुर
			वर्ष 1998		
1.	श्री राजेन्द्र रत्नु	श्री चण्डीदान	112, लक्ष्मीनगर, पावटा, जोधपुर	चारण	जोधपुर
			वर्ष 1999		
1.	श्री रामलाल गुर्जर	श्री मीठालाल गुर्जर	गावडी, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर	गुर्जर	सवाई-माधोपुर

1	2	3	4	5	6
2.	श्री आनन्दी लाल वैष्णव	श्री मदन लाल वैष्णव	ग्राम-सांगरिया, वाया-कोठिया, जिला-भीलवाड़ा-311023	बैरागी	भीलवाड़ा
			वर्ष 2000 (कोई नियुक्ति नहीं हुई)		
			वर्ष 2001		
1.	श्री जयसिंह	श्री हरीसिंह	दलपतपुरा, नोहर (हनुमानगढ़) 335523	जाट	हनुमानगढ़
2.	श्री रघुवीर सिंह डागुर	श्री कल्याण सिंह	शेरपुर, हिण्डौन, करौली	जाट	करौली
			वर्ष 2002 (कोई नियुक्ति नहीं हुई)		

परिशिष्ट-2

सीधी भर्ती में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो पिछड़ा वर्ग के कोटे में चयनित हुए हैं

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	जाति	जिला
1	2	3	4	5	6
			वर्ष 1997		
	कुल पद 50		**पिछड़ा वर्ग का कोटा 11**		
1.	श्री औंकार मल	स्व. श्री जीवन राम माली	बसावा, नवलगढ़, झुंझुनूं	माली	झुंझुनूं
2.	श्री राजपाल सिंह यादव	श्री भगवान सिंह	जयपुर	अहीर	जयपुर
3.	श्री सुखवीर सैनी	श्री गोविन्द राम सैनी	बागड़, झुंझुनूं	माली	झुंझुनूं
4.	श्री रामकृष्ण स्वर्णकार	स्व. श्री फूलचन्द स्वर्णकार	11/747, मालवीय नगर, जयपुर-302017	स्वर्ण-कार	जयपुर
5.	श्री जसवंत सिंह	श्री बीरबल सिंह यादव	ग्राम पोस्ट, कोटडा, तहसील-नीमकाथाना, सीकर-332713	अहीर	सीकर
6.	श्री हरफूल सिंह यादव	श्री सूरज दयाल यादव	रेलवे स्टेशन के पास, नई कालोनी, वार्ड नं.-5, श्रीमाधोपुर, सीकर-332715	यादव	सीकर
7.	श्री मगन लाल योगी	स्व. श्री कजोड़नाथ योगी	उदयपुरा, सिकराय, दौसा	योगी (नाथ)	दौसा
8.	श्री अजीत सिंह राजावत	श्री अचल सिंह राजावत	जोरावर निवास, जयपुर रोड, नोखा, बीकानेर-334803	चारण	बीकानेर

1	2	3	4	5	6
9.	श्री अवधेश सिंह	श्री रामकृष्ण सिंह	124, गोविन्द नगर (पूर्व) आमेर रोड, जयपुर-302002	चारण	जयपुर
10.	श्री राकेश शर्मा	श्री बद्रीलाल शर्मा	131/ई/बी, बी.जती. रेलवे कालोनी, सवाईमाधोपुर-322001	खाती (जांगिड़)	सवाई माधोपुर
11.	श्री जगवीर सिंह	श्री गिर्राज प्रसाद	नगला गुठावर, वैर, भरतपुर	गुर्जर	भरतपुर

वर्ष 1998

कुल पद 30 **पिछड़ा वर्ग का कोटा 5**

1.	श्री प्रेमसिंह चारण	श्री गुमान सिंह	बी-417, मालवीय नगर, जयपुर	चारण	जयपुर
2.	श्री राकेश कुमार	श्री रामानन्द यादव	गढ़ के पास, राजीव कालोनी, बहरोड-301701	अहीर	अलवर
3.	श्री भवानी सिंह पालावत	श्री नाथूसिंह पालावत	चारणवास, चौमूं, जयपुर	चारण	जयपुर
4.	श्री दिनेश कुमार जांगिड़	श्री जगदीश प्रसाद जांगिड़	भडौन्दा खुर्द, झुंझुनूं	खाती	झुंझुनूं
5.	श्री बंशीधर कुमावत	श्री दुर्गालाल कुमावत	रैनवाल, फुलेरा, जयपुर	कुमावत	जयपुर

1	2	3	4	5	6
			वर्ष 1999		
	कुल पद 22		**पिछड़ा वर्ग का कोटा 4**		
1.	दीप्ती कछवाहा	श्री ओमप्रकाश कछवाहा	ए–396, मालवीय नगर, जयपुर–302017	माली	जयपुर
2.	श्री गौरव बजाज	श्री हीरालाल बजाज	म.नं. 435/9, शांती सदन, गौतम स्कूल के पास, हाथीभाटा, अजमेर–305001	गुर्जर	अजमेर
3.	श्री अशोक कुमार	श्री अनाराम सुथार	ऊड, सिरोही	सुथार	सिरोही
4.	श्री राजेन्द्र सिंह कविया	श्री जयसिंह	बठोठ, लक्ष्मणगढ़, सीकर–332312	चारण	सीकर
			वर्ष 2000		
			(कोई नियुक्ति नहीं हुई)		
			वर्ष 2001		
	कुल पद 40		**पिछड़ा वर्ग का कोटा 8**		
1.	श्री मुकुट बिहारी जांगिड़	श्री दुर्गालाल जांगिड़	ग्राम–मांगरोल, तहसील–बौंली, सवाईमाधोपुर–322023	खाती (जांगिड़)	सवाई–माधोपुर
2.	श्री कैलाश चन्द यादव	श्री लालूराम यादव	लोहरवाड़ा (स्वामी की ढाणी) पोस्ट खेडी (मिल्क) फुलेरा, जयपुर–303603	अहीर	जयपुर

1	2	3	4	5	6
3.	श्री कालूराम जाट	श्री शिवचन्द जाट	प्रतापपुरा, फागी, जयपुर-303904	जाट	जयपुर
4.	श्री सुभाष महरिया	श्री भगवानाराम महरिया	ए-162, खतूरिया कालोनी, बीकानेर-334003	जाट	बीकानेर
5.	श्री सुनीता चौधरी	श्री गुलाब सिंह चौधरी	एफ-411, अर्जुन भवन, आजाद मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	जाट	जयपुर
6.	श्री छोगाराम देवासी	श्री पीराराम देवासी	जेतु, भीनमाल, जालौर	रेबारी	जालौर
7.	श्वेता फगोडिया	श्री मोहर सिंह फगोडिया	79, वन विहार कालोनी, चूरू-331001	जाट	चूरू
8.	आशु चौधरी	श्री धर्मपाल चौधरी	190, मंगल विहार, स्कीम नं.-5, अलवर-301001	जाट	अलवर

वर्ष 2002

(कोई नियुक्ति नहीं हुई)

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-160 की सूची)

माननीय न्यायालय में ठेका श्रमिकों द्वारा दायर/विचाराधीन याचिकाओं/वादों के याचीगण/वादीगण की सूची

क्र.सं.	याचिका/वाद क्रमांक	याची/वादी
1	2	3
1.	6498/98	मुकेश कुमार पुत्र नाथूराम
2.	4261/99	सचिवालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन मार्फत प्रेसीडेन्ट श्री मानक चन्द पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक
3.	5188/99	1. सुरेन्द्र सिंह/श्याम सिंह राजावत
		2. कालूसिंह/पूनम चन्द गहलोत
		3. मदन लाल/नानगराम सैनी
		4. सुधीर कुमार सैन/रामगोपाल सैन
		5. रमेश चन्द/रामप्रसाद
		6. दिनेश शर्मा/आनन्द बिहारी शर्मा
		7. जय कुमार मीणा/मूलचन्द मीणा
		8. घासीराम/रामचन्द्र मीणा
		9. रामसिंह/लक्ष्मण सिंह
		10. सेलाब कंवर पत्नी श्री जयसिंह
		11. परबत सिंह शेखावत/चान्द शेखावत
		12. राजेन्द्र चौधरी/गोपाल लाल जाट
		13. योगेश सैन/राधेश्याम सैन
		14. कन्हैया लाल सैनी/गोपाल लाल सैनी
		15. रामधन मीणा/केदार प्रसाद मीणा

1	2	3
		16. रामदेव खटीक/कजोड़मल खटीक
		17. श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री हरीश चन्द शर्मा
		18. मीनारानी शर्मा पत्नी श्री श्याम लाल शर्मा
		19. राममनोहर गुप्ता/भैरूंलाल
		20. राजेन्द्र सिंह/मातादीन
		21. पप्पूलाल सैन/प्रहलाद सहाय सैन
		22. ललित कुमार महावर/बाबूलाल
		23. भंवर लाल वर्मा
		24. गजेन्द्र सोलंकी/भंवर सिंह
		25. रामलाल मीणा/मूलराम
		26. विमला पत्नी श्री हनुमान मीणा
		27. गीता पत्नी श्री कालूराम
4.	5211/99	मानसिंह/पूरणमल
3.	717/2000	1. राजेश कुमार शर्मा/जगदीश नारायण शर्मा
		2. रामप्रसाद शर्मा/रामनिवास शर्मा
		3. रणजीत सिंह/सम्पत सिंह
		4. गीता पत्नी श्री जगमाल सिंह चौहान
		5. अनिल सिंह/भौंरीलाल
		6. राजेन्द्र सिंह/फूलसिंह भाटी
		7. श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय
		8. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री रामावतार
		9. सुरेन्द्र सिंह मीणा/बालीलाल मीणा
		10. शिव कुमार/राधेश्याम

1	2	3
		11. रामशरण मीणा/किशोरी लाल मीणा
		12. रामसिंह/गणेश सिंह
		13. श्रीमती आशा भटनागर
		14. राधेश्याम स्वामी/रूपनारायण स्वामी
		15. राजेन्द्र कुमार गौड़/कल्याणमल गौड़
		16. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री बाबूलाल
		17. श्री हुकम चन्द पारीक/दुर्गालाल पारीक
		18. श्रीमती सुमन लखेरा पत्नी श्री विशम्भरदयाल
		19. श्रीमती मीनादेवी पत्नी श्री कैलाश चन्द
		20. दिनेश शर्मा/बनवारी लाल शर्मा
		21. रोहित कुमार सैन/रामावतार पुत्र श्री मोहनलाल
		22. देवकीनन्दन/मांगीलाल वर्मा
		23. अमित सिंह/केशव प्रसाद सिंह
		24. रमेश कुमार उपाध्याय/भंवर लाल उपाध्याय
		25. शाबीर बेग/सुलतान बेग
		26. अरविन्द कुमार/ओमप्रकाश शर्मा
		27. राकेश कुमार/ओम प्रकाश शर्मा
6.	1825/2000	मूलसिंह/चुन्नीलाल
3.	5590/2000	1. मोहन लाल खींची/बद्रीनारायण खींची
		2. राजेन्द्र साह शर्मा/रामनिवास शर्मा
		3. राकेश कोटिया/रमेश चन्द कोटिया
		4. दांताराम धाकड़/गुलाब चन्द धाकड़
		5. मनीष/प्रभुदयाल
		6. रामचरण शर्मा/नन्दलाल शर्मा

परिशिष्ट–6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–161 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित
वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति (जिला)	प्रस्तावित कार्यों की संख्या	
		योजना का नाम	संख्या
1.	सुल्तानपुर (कोटा)	जल क्षेत्र पुनः संरचना	191
		राजस्थान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	23
2.	सांगोद (कोटा)	जल क्षेत्र पुनः संरचना	199
		राजस्थान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	13
3.	झालरापाटन (झालावाड़)	राजस्थान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	2
		योग	428

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–163 की प्रति)

बुक नं. 1022 05

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला दौसा, थाना महवा, वर्ष 2002

   प्र. इ. रि. सं. 71/2002, दिनांक 18.3.2002

2. (i) अधिनियम IPC धाराएं 166, 167 IPC

   (ii) अधिनियम.................................धाराएं.................................

   (iii) अधिनियम.................................धाराएं.................................

   (iv) अन्य अधिनियम एवं धाराएं...

   (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 739, समय 3 PM

   (ब) अपराध के घटने का दिन....................दिनांक................ समय..............

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 18.3.2002, समय 3 PM

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक जरिये डाक

5. घटना स्थल :– तहसील महवा

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : बजानिव पूर्व दिशा ब फासला 1 Km थाने से

   (ब) पता : महवा,

   बीट संख्या.......................... जुरायदेही सं.........................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :

   पुलिस थाना.................................. जिला.................................

6. परिवादी सूचना कर्ता

(अ) नाम श्री भरत लाल मीणा, तहसीलदार महवा।

(ब) पिता/पति का नाम..

(स) जन्म तिथि/वर्ष..

(द) राष्ट्रीयता : भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या.............................. जारी होने की तिथि..........................

जारी होने की जगह..

(र) व्यवसाय : नौकरी

(ल) पता : हाल, तहसीलदार घर महवा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्त का ब्यौरा सम्पूर्ण/विशिष्टियों सहित :– मूल. अज्ञात। अज्ञात लोक सेवक ने रिकार्ड में काट–छांट कर फर्जी रिकार्ड तैयार किया।
(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :..................................
....
....

9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पत्रा लगावें) :–
....
....
....
....

10. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य :..

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) :...

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–
कार्यालय, तहसीलदार, महवा, क्रमांक/LR/2000/998 दिनांक 18.3.2002 श्री थानाधिकारी महवा विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने बाबत विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, दौसा (भू.अभि.) के पत्रांक LR/रिकार्ड 2002/109 दिनांक 9.1.2002 के अनुसार एक प्रार्थना पत्र जनक सिंह S/o धनसिंह गुर्जर निवासी बड़ा गांव ने दिनांक 18.8.2001 को जिला कार्यालय में पेश किया कि उसके रिकार्ड में काटा छांटी की गई जिस पर जिला कार्यालय द्वारा इस कार्यालय का रिकार्ड तलब किया श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के उक्त पत्र में वाद जांच निर्देश प्रदान किए कि ग्राम बड़ा गांव के साविका खसरा नं. 2012 से 2018, 248 से 250, 262 से 265, 104, 328, 770 के सम्बन्ध में सम्वत् 2012 से 2014 में कांट-छांट कर फर्जदारी करने एवं 2015 से 2018 की नकल फर्जी तैयार कर जारी करना प्रतीत होता है एवं सम्वत् 2030 से 2033 में खसरा नम्बर 93 से 95, 121, 141, 152, 309 पर भी कांट-छांट फर्जकारी करना प्रतीत होता है। उक्त रिकार्ड काफी पुराना है तथा कार्यालय में कई कर्मचारी पदस्थापित रहे हैं, अत: रिकार्ड में कांट-छांट की जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है। आवश्यक रिकार्ड पर वक्त जांच कार्यालय से उपलब्ध करवाया जावेगा।

ह०/–
भरत लाल मीणा
18.3.2002
तहसीलदार–महवा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी व खत हिन्दी श्री भरत लाल मीणा, तहसीलदार, तहसील, महवा की कार्यालय, तहसीलदार, महवा से जरिये डाक क्रमांक 998 दिनांक 18.3.2002 को थाना पर प्राप्त हुई जिसकी नकल जिल्द FIR में अमए श अमए की गई मनमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 166, 167 IPC का वकुमे आना पाया जाता है। अत: मु. 71/02 वहका मजकूर

में कायम कर तफतीश सुपुर्द श्री मुकट बिहारी ASI के की गई प्रतियां FIR नियमानुसार जारी की गई एक प्रति नि:शुल्क मुफ्त मुकदमा को दी जावेगी।

प्रमाणित
ह०/–
इंचार्ज
पुलिस थाना–महवा (दौसा)

13. पुलिस कार्यवाही :

उपरोक्त रिपोर्ट क्रम संख्या 2, के आधार पर जो अपराध घटित हुआ, उसे पंजीकृत किया तथा उस अनुसंधान प्रारम्भ किया श्री मुकट बिहारी ASI को अनुसंधान प्रारम्भ करने का निर्देश दिया सम्बन्धित पुलिस थाना महवा, जिला दौसा को (कार्यक्षेत्र आधार पर) स्थानान्तरित किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाई गई जिसने सही होना स्वीकार किया तथा एक प्रति परिवादी/सूचनाकर्ता को नि:शुल्क दी गई।

ह०/–
थानाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम– अजय कुमार
पद– एस.एच.ओ., महवा
नम्बर यदि कोई हो तो–

14. परिवादी सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर

15. न्यायालय को भेजने की तारीख एवं समय :– दिनांक 18.3.2002 एवं 3 PM

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-164 की सूची)

क्र.सं.	नाम जिला	अब तक राज्य में सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई भूमि का विवरण (रकबा एकड़ में)
1	2	3
1.	अजमेर	11,272.47
2.	अलवर	2,734.18
3.	बारां	19,362.00
4.	बांसवाड़ा	1,442.06
5.	बाड़मेर	49,462.76
6.	भरतपुर	544.23
7.	भीलवाड़ा	36,584.81
8.	बीकानेर	44,146.84
9.	बून्दी	20,432.00
10.	चित्तौड़गढ़	8,416.98
11.	चूरू	2,102.00
12.	दौसा	3,954.00
13.	डूंगरपुर	2,073.22
14.	धौलपुर	1,269.14
15.	हनुमानगढ़	8,942.00
16.	श्रीगंगानगर	15,126.00
17.	जयपुर	14,500.00

1	2	3
18.	जैसलमेर	90,453.72
19.	जालौर	34,976.87
20.	झालावाड़	2,398.91
21.	झुंझुनूं	993.00
22.	जोधपुर	29,622.00
23.	कोटा	30,552.00
24.	करौली	4,231.00
25.	नागौर	10,771.71
26.	पाली	30,950.00
27.	राजसमन्द	5,830.50
28.	सवाईमाधोपुर	4,893.00
29.	सीकर	2,251.52
30.	सिरोही	8,788.00
31.	टोंक	14,313.00
32.	उदयपुर	13,954.00
	योग	**5,27,343.92**

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-165 की सूची)

राजस्थान तहसीलदार सेवा में वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित व्यक्ति के नाम, पिता का नाम, स्थाई पता, जाति की सूची

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	जाति
1	2	3	4	5
		वर्ष 1997-98		
1.	श्री मोहन सिंह	श्री श्रीराम सिंह	ग्राम चारण की ढाणी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं	चारण
2.	श्री शंकरलाल सैनी	श्री सुरजन सिंह सैनी	ग्राम चावरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं	माली
3.	श्री योगेश चन्द यादव	श्री लाल सिंह यादव	ग्राम भांकरोली, तहसील किशनगढ़वास, जिला अलवर	अहीर
4.	श्री सत्यवीर यादव	श्री अमर सिंह	ग्राम गण्डाला, तहसील बहरोड़, जिला अलवर	अहीर
		वर्ष 1999-2000		
5.	श्री निरंजन लाल	श्री मधुराम	सी-ए/2, आर.आई. रीजनल रेजीडेंस स्टेशन, पाली, मारवाड़	माली
6.	श्री नानूराम सैनी	श्री मामूराम	ग्राम सुरपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं	माली
7.	श्री शैलेन्द्र स्वामी	श्री बजरंगदास स्वामी	मोती बाई का मंदिर, माणक चौक, जोधपुर	स्वामी

1	2	3	4	5
8.	श्री सुरेश कुमार यादव	श्री गोदाराम यादव	ग्राम कुनेड़, तहसील कोठपूतली, जिला जयपुर	अहीर
9.	श्री वीरेन्द्र सिंह	श्री भीमसिंह यादव	ग्राम माचल, तहसील बहरोड़, जिला अलवर	अहीर
10.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	श्री दुर्गाप्रसाद यादव	28 एवरेस्ट कालोनी, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर	अहीर
11.	श्री मुनीदेव यादव	श्री मेहर चन्द यादव	ग्राम कतीपुर, जिला अलवर	अहीर
12.	श्री जगदीश आर्य	श्री बीरबल यादव	ग्राम मोठूका, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर	अहीर
13.	श्री धीरेन्द्र सिंह	श्री शिवनारायण सिंह	कुम्हेर, भरतपुर	स्वर्णकार
14.	श्री गौरव बजाज	श्री हीरालाल बजाज	435/9, शांति सदन, गौतम स्कूल के पास, हाथी भाटी, अजमेर	गुर्जर
15.	श्री रामलाल गुर्जर	श्री मीठालाल गुर्जर	ग्राम गावड़ी, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर	गुर्जर
16.	श्री रामवतार कुम्हार	श्री सीताराम कुम्हार	ग्राम राजपुरा, तहसील सीकर, जिला सीकर	कुम्हार
17.	श्री विक्रम सिंह देवल	श्री श्रीराम	डी-76, पवन पथ, हनुमाननगर, जयपुर	कुम्हार
18.	श्री जब्बर सिंह	श्री लोंगीदान	ग्राम सरवड़ी (चारणदान), पोस्ट खण्डप, वाया दोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर	चारण

1	2	3	4	5
19.	श्री गोविन्द सिंह	श्री सांवलदान	निमाज, तहसील जैतारण, जिला पाली	चारण
20.	श्रीमती गोती शर्मा	श्री गणेशराम जांगिड़	पाल रोड, सरदारपुरा, जोधपुर	सुथार–II
		वर्ष 2000-2001		
21.	श्री रामजीलाल	श्री नाथूदास	बाडी जोड़ी, शाहपुरा, जयपुर	स्वामी
22.	श्री छगन लाल जोगी	स्व. श्रीराम जोगी	1/50, काला कुआं, हाउसिंग बोर्ड, अलवर	जोगी
23.	श्री प्रहलाद सहाय नागा	श्री रामेश्वर लाल नागा	पोस्ट–आसलपुर, वाया–फुलेरा, जिला–जयपुर	कुमावत
24.	श्री जितेन्द्र सिंह सांदू	श्री गुमान सिंह सांदू	मकान नं. 1, महावीर नगर, ए–2, महामन्दिर, जोधपुर	चारण
		वर्ष 2001-2002		
25.	श्री सत्यप्रकाश	श्री झाबरमल कुस्बा	ग्राम हेतमसर, तहसील झुंझुनूं, वाया झुआ	जाट
26.	श्री सत्यनारायण	श्री इन्द्राजराम	ग्राम बीणदास, तहसील राजगढ़, जिला चूरू	जाट
27.	श्री इन्द्राज सिंह	श्री ईश्वर सिंह	ग्राम बेरी, तहसील सीकर	माली
28.	श्री ब्रह्मलाल जाट	श्री रामकरण जाट	ग्राम सिगावल, तहसील भिनाय, जिला अजमेर	जाट

1	2	3	4	5
29.	कुमारी अनिता झांझरिया	श्री शेरसिंह	बंगला नं. 42, डिगाडी कला, अजमेर रोड, जोधपुर	जाट
30.	कुमारी सरोज ढाका	श्री बिरजी चन्द ढाका	हरिनगर, शास्त्री नगर, जयपुर	जाट
31.	श्री ओमप्रकाश सहारण	श्री दौलतराम	ग्राम बोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़	जाट
32.	श्री राजेश कुमार यादव	श्री एन.एल. यादव	ग्राम सानोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर	अहीर
33.	श्री राजेश मेवाड़ा	श्री गोरधन लाल मेवाड़ा	खत्रियों के मन्दिर के पास, घासमण्डी रोड, जोधपुर	कलाल

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-167 की सूची)

Raj. Imp. of Ceiling on Agri. Holdings Rules, 1973

17. Allotment of vested surplus land—

1. Subject to the provisions contained in sub-rules (2), (3), (4) and rules 18, 19, 20, 20A and 21, the surplus land vested in the State Government under any law relating to the imposition of Ceiling on Agricultural Holdings shall be allotted in accordance with the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1973 in Non-Project Areas in accordance with the rules or statement of conditions issued under the Rajasthan Colonisation Act, 1954, in Project Areas.

2. Seventy-five percent of the surplus land vesting in the State Government after deducting the lands allotted to landless persons as defined in clause (a) of sub-rule (3), if any, shall be reserved for allotment to the landless labourers of the village belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (and to the released bounded labourers and to the beneficiaries of the Integrated Rural Development Programme.)

3. In making allotment of land, the following order of priority shall be observed—

   (a) Persons who are in possession of land transferred to them by persons whose lands have vested in the State under the Act and who are residents of the Village Panchayat in the Jurisdiction of which the land is situated or residents of a Village Panchayat which adjoins such a Village Panchayat in the following order of priority—

   (i) resident of the Village Panchayat in which the land is situated and as amongst them preference will be given to persons who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(ii) resident of the Village Panchayats which adjoin the Village Panchayat in which the land is situted and as amongst them, preference will be given to persons who belonged to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

Provided that such transfers have not been recognised by the Authorised Officer under the Act and such transferes were 16 land-less persons which expression shall have same meaning as assigned the landless agriculturist in the Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for Agricultural purposes) Rules, 1970 framed under the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Prior to the transfer of the afore-mentioned land to them.

Provided a further that such transfers of land are genuine and are not sham, bogus or bonami and are in accordance with law and were not made in favour of any member of the transferor's family.

("Provided also that the total area of land to be allotted to such an eligible transfere is not in excess of the area of land transferred to him prior to 1.1.1972 by a tenant whose ceiling surplus land has vested in the State and the total area of land to be held by such transfere including the land already held by him prior to the acquisition of the transferred land does not exceed the ceiling area applicable to him.")

Explanation—Transfer affected upto 31 December, 1972 only shall be taken into consideration for the purpose of this rule and transfers affected on or after Ist January, 1973 shall not be considered.

(b) Landless labourers of the village belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribes, realased bonded labours nand the beneficiaries of the Integrated Rural Development Programme.)

(c) A landless person who is a non-commisoned member of the Armed Forces or a member of the Border Security Force and who has rendered not less than five years' service as such or who is an ex-serviceman.

Explanation—For purpose of this clause, "ex-serviceman" means any person who has been released from the Armed Forces after having served in any rank other than that of a Commission Officer (including a Junior Commissioned Officer or equivalent rank) in the Indian Armed Forces for at leat five years.

(d) A landless person who does not hold any land, whether in his own name or in the name of any member of his joint family.

(e) Any other landless person/residing in the village in which the vested hand is situated.

(f) A tenant of contiguous plot of land holding landless than the ceiling area applicable to him.

(g) any other landless person and persons identified as refugees and certified to be such by a competent officer designated in this behalf by the State Government and granted Indian Citizenship.

Provided that if there are more than one applicant belonging to same category for the same land the land shall be allotted to the applicant whose applicant on was received first:

Provided further that no allotment of land shall be made so as to result in the allottee getting or holding land in excess of the ceiling area applicable to him.

4. The Collector shall have the power to cancel any allotment made, at any time, under the Rajasthan Tenancy (Fixation of Ceiling on Land) (Government) Rules, 1963 or under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Rules, 1973, or under any other rules so far as the allotment relates to land acquired under laws relating to agricultural ceiling, either suo-moto or on the application of any person, in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation, or has been against rules, or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such persons an opportunity of being heard.

परिशिष्ट "2"

Raj. Imp. of Ceiling on Agri. Holdings Act, 1973

4. Ceiling Areas—

1. In the case of every person not being a family and in the case of every family consisting of five or less than five members (hereinafter referred to as the primary unit of family), the ceiling area applicable to such person or such family shall be in respect of—

(a) land under assured irrigation capable of growing at least two cropes in a year (hereinafter referred to as the 'land under assured irrigation') 18 acres;

(b) land under assured irrigation capable of growing at least on crop in years, 27 acres;

(c) land under orchard existing on 23rd July, 1972; 54 acres;

(d) land not within categories specified in clauses (a) to (c) and falling in semi-fertile zone as described in the Schedule 48 acres;

(e) land not within categories specified in clauses (a) to (d) falling in semi-fertile zone as described in the Schedule, 54 acres;

(f) land not within categories specified in clauses (a) to (e) and falling in hilly zone as described in the Schedule, 54 acres;

(g) land not within categories specified in clauses (a) to (f) and falling in semi-desert zone as described in the Schedule, 125 acres; and

(h) land not within categories specified in clauses (a) to (g) and falling in desert zone as described in the Schedule, 175 acres.

Explanation—Land irrigated by a well shall not be deemed to fall within the categories of land specified in clauses (a) and clause (b) of this sub-section and shall be deemed to fall within the category specified in clause (d) thereof;

Provided that where members of family exceed five, the ceiling area in relation thereto shall be increased by one-fifth for each additional member so, however, that the total ceiling area applicable to such family does not exceed twice the ceiling area applicable to a family consisting to five or less than five members;

Provided further that if the ceiling area applicable to any person or family in accordance with the Section exceeds the ceiling area applicable to such person or family according to the provisions of law repealed by Section 40 in that case the ceiling area applicable to such person or family will be the same as was under the provisions of the said repealed law.

2. A Person may also select land or a separate unit upto the ceiling area of the primary unit for each separate unit;

Provided that where the separate unit also holds any land or share in land the same shall be taken into account for calculeting the ceiling area.

3. The question whether any land is assured of irrigation from Government or private source capable of growing two crops or one crop in a year shall be determined by the Authorised Officer in such manner as may be prescribed.

परिशिष्ट"3"

कार्यालय, कलक्टर, (जागीर), जयपुर

क्रमांक/जागीर/2001/133　　　　जयपुर, दिनांक : 27.8.2001

उप शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप-4) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय : राव किस्तूर चन्द जैन पुत्र उदय लाल भूतपूर्व जागीरदार, ग्राम राधोपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर को भूमि आवंटन बाबत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक एफ. 8(2)राज. 4/2001 दिनांक 2.8.2001

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत जांच नहीं की गयी है एवं प्रार्थी को आबंटित भूमि 97 बीघा 3 बिस्वा भूमि को आबंटीत श्री किस्तूर चन्द जैन भूतपूर्व जागीरदार को जरिये नामान्तरकरण सं. 58 दिनांक 5.4.1961 को खातेदारी व कब्जा दे दिया था। उक्त जागीरदार ने आबंटित खातेदारी की भूमि 97 बीघा 3 बिस्वा को भी विक्रय कर दी है। वर्तमान में उक्त जागीरदार के नाम से ग्राम राधोपुरा में कोई भूमि नहीं है। सीलिंग अधिनियम 1961 से लागू होने के अन्तर्गत प्रार्थी को शेष 42 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आबंटन उक्त अधिनियम के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

भवदीय,
ह०/-
कलक्टर (जागीर),
जयपुर

परिशिष्ट "4"

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित : उप निवेशन आयुक्त,
बीकानेर।

क्रमांक : प.8(5)राज-4/2000 जयपुर, दिनांक : 30.9.2000

विषय : भू.पू. जागीरदारों को नहरी क्षेत्रों में भूमि आरक्षित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत खुदकाश्त भूमि आबंटन में काफी शिकायतें प्राप्त हुई है जिसमें सीलिंग अधिघोषित भूमि का आबंटन जयपुर शहर के आसपास मूल्यवान भूमि का आबंटन, गंग भाखड़ा, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में मूल्यवान भूमि का आबंटन आदि। इससे मुकदमेबाजी बढ़ रही है।

वर्तमान में उपरोक्त 1952 के अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 1000 मामले खुदकाश्त भूमि आबंटन के विचाराधीन बताये गये हैं। धारा 19(1)(iv) अनुसार सिंचाई परियोजना में खुदकाश्त भूमि आबंटित की जा सकती है एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में इस हेतु भूमि उपलब्ध है। इस प्रकार विचाराधीन मामलों में भूमि आबंटन विभिन्न शहरों या गांव में नहीं कर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में द्वितीय चरण में आबंटन करने से समान किस्म की भूमि का आबंटन किया जा सकेगा। यह आबंटन इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में आबंटन नियम, 1975 के अन्तर्गत सामान्य आबंटियों के लिए आरक्षित किया जावेगा।

1. अतः निर्देश दिये जाते हैं कि खुदकाश्त आयुक्त से भूमि मांग की जांच कर खुदकाश्त भूमि उपरोक्त क्षेत्र में आरक्षित की जाये।
2. खुदकाश्त आयुक्त, जागीर अधिनियम के अध्याय-4 के अन्तर्गत धारा 19(1)(iv) की भूमि ही आबंटन करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भूमि का आबंटन नहीं करेंगे।
3. उक्त आरक्षित भूमि का खुदकाश्त हेतु आबंटन नियमानुसार निःशुल्क किया जाये।

उपरोक्त व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र हेतु प्रवृत्त नियमों में भी संशोधन आवश्यक होगा।

भवदीय,
ह०/-
(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट "3"

कार्यालय, कलक्टर, (जागीर), जयपुर

क्रमांक/जागीर/2001/133		जयपुर, दिनांक : 27.8.2001

उप शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप–4) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय : राव किस्तूर चन्द जैन पुत्र उदय लाल भूतपूर्व जागीरदार, ग्राम राधोपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर को भूमि आबंटन बाबत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक एफ. 8(2)राज. 4/2001 दिनांक 2.8.2001

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत जांच नहीं की गयी है एवं प्रार्थी को आबंटित भूमि 97 बीघा 3 बिस्वा भूमि को आबंटीत श्री किस्तूर चन्द जैन भूतपूर्व जागीरदार को जरिये नामान्तरकरण सं. 58 दिनांक 5.4.1961 को खातेदारी व कब्जा दे दिया था। उक्त जागीरदार ने आबंटित खातेदारी की भूमि 97 बीघा 3 बिस्वा को भी विक्रय कर दी है। वर्तमान में उक्त जागीरदार के नाम से ग्राम राधोपुरा में कोई भूमि नहीं है। सीलिंग अधिनियम 1961 से लागू होने के अन्तर्गत प्रार्थी को शेष 42 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आबंटन उक्त अधिनियम के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

भवदीय,
ह०/-
कलक्टर (जागीर),
जयपुर

परिशिष्ट "4"

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित : उप निवेशन आयुक्त,
बीकानेर।

क्रमांक : प.8(5)राज-4/2000 जयपुर, दिनांक : 30.9.2000

विषय : भू.पू. जागीरदारों को नहरी क्षेत्रों में भूमि आरक्षित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत खुदकाश्त भूमि आबंटन में काफी शिकायतें प्राप्त हुई है जिसमें सीलिंग अधिघोषित भूमि का आबंटन जयपुर शहर के आसपास मूल्यवान भूमि का आबंटन, गंग भाखड़ा, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में मूल्यवान भूमि का आबंटन आदि। इससे मुकदमेबाजी बढ़ रही है।

वर्तमान में उपरोक्त 1952 के अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 1000 मामले खुदकाश्त भूमि आबंटन के विचाराधीन बताये गये हैं। धारा 19(1)(iv) अनुसार सिंचाई परियोजना में खुदकाश्त भूमि आबंटित की जा सकती है एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में इस हेतु भूमि उपलब्ध है। इस प्रकार विचाराधीन मामलों में भूमि आबंटन विभिन्न शहरों या गांव में नहीं कर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में द्वितीय चरण में आबंटन करने से समान किस्म की भूमि का आबंटन किया जा सकेगा। यह आबंटन इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में आबंटन नियम, 1975 के अन्तर्गत सामान्य आबंटियों के लिए आरक्षित किया जावेगा।

1. अतः निर्देश दिये जाते हैं कि खुदकाश्त आयुक्त से भूमि मांग की जांच कर खुदकाश्त भूमि उपरोक्त क्षेत्र में आरक्षित की जाये।
2. खुदकाश्त आयुक्त, जागीर अधिनियम के अध्याय-4 के अन्तर्गत धारा 19(1)(iv) की भूमि ही आबंटन करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भूमि का आबंटन नहीं करेंगे।
3. उक्त आरक्षित भूमि का खुदकाश्त हेतु आबंटन नियमानुसार निःशुल्क किया जाये।

उपरोक्त व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र हेतु प्रवृत्त नियमों में भी संशोधन आवश्यक होगा।

भवदीय,
ह०/-
(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-170 का विवरण)

क्र. सं.	नाम अधिकारी (सहायक कृषि अधिकारी)	आरोप पत्र जारी होने की दिनांक	जांच अधिकारी	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	श्री चरण सिंह तत्कालीन अतिरिक्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ़	27.3.2000	–	न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।
2.	श्री पृथ्वीराज ढाका सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय जिला विस्तार अधिकारी, मोहनगढ़	21.7.2000	संयुक्त निदेशक कृषि, श्रीगंगानगर	जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-172 का विवरण)

विगत तीन वर्षों में जिलेवार आइटमवार दिये गये अनुदान का विवरण (रुपये लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	फव्वारा प्रदर्शन			सिंचाई पाइप लाइन			डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम			पौध संरक्षण उपकरण			पौध संरक्षण दवाइयां			जिप्सम			फसल प्रदर्शन		
		1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1.	जयपुर	244.19	143.91	150.86	16.89	2.40	3.903				0.00	2.92	3.06		1.34	1.25	24.93	43.49	50.92	13.14	9.81	2.50
2.	दौसा	107.22	37.48	39.77	12.98	2.99	3.720				0.00	1.27	1.07		0.01	0.64	4.74	6.15	14.27	8.94	2.97	1.27
3.	अजमेर	68.11	14.949	31.47	21.75	8.04	9.633				0.35	0.82	2.01		1.15	1.04	5.66	7.91	11.67	14.70	9.20	2.05
4.	सीकर	250.69	46.8	52.88	6.66	3.15	0.930				0.00	1.80	1.46		0.71	0.59	4.09	5.18	7.74	8.89	9.05	1.38
5.	झुंझुनूं	217.05	37.736	59.76	4.00	0.91	1.042				0.00	1.02	6.92		0.93	0.93	0.16	1.64	4.62	6.50	4.19	2.56
6.	भरतपुर	19.48	4.08	5.91	4.33	2.59	5.525				0.00	1.09	2.32		0.02	1.07	4.11	3.87	14.72	11.09	4.53	1.88
7.	अलवर	33.63	25.426	29.63	1.19	2.33	0.350				0.53	0.93	3.23		0.51	0.81	2.63	1.77	5.50	2.90	2.58	0.84
8.	धौलपुर	154.93	107.03	159.9	5.93	3.89	3.190				0.00	0.93	0.73		0.00	0.03	6.36	10.99	16.62	12.15	5.69	3.75
9.	सवाईमाधोपुर	194.58	42.202	59.87	20.95	15.25	19.509				0.00	1.34	1.68		0.09	0.56	6.20	1.82	6.79	8.79	5.93	1.88
10.	करौली	27.43	5.18	13.06	1.93	1.54	0.000				0.00	4.44	1.19		0.00	0.15	0.00	1.80	5.61	2.32	0.97	1.25
11.	कोटा	18.52	9.46	24.43	6.18	5.24	0.447				0.00	4.69	6.62		1.37	25.13	3.06	2.97	6.08	20.39	2.90	8.56
12.	बून्दी	15.41	7.385	7.31	1.12	1.95	0.400				0.00	0.00	0.28		0.09	1.33	2.76	1.57	4.11	10.33	2.63	2.43
13.	झालावाड़	5.06	9.02	11.37	10.79	4.33	1.495				0.21	1.64	1.74		1.42	9.41	2.96	2.75	5.02	10.00	7.73	8.07
14.	टोंक	67.82	13.74	19.79	5.38	6.43	7.866				0.00	2.24	2.24		0.39	1.04	9.94	9.25	12.14	5.59	5.21	2.82
15.	बारां	0.76	1.05	7.13	5.56	0.00	0.231				0.00	1.04	1.78		1.06	19.24	3.06	2.86	5.18	10.89	5.63	11.86
16.	जोधपुर	157.54	39.775	17.37	8.15	1.87	1.451				0.21	0.55	2.08		0.24	0.49	10.84	11.34	6.05	4.47	4.40	2.02
17.	पाली	8.33	6.25	5.66	9.35	5.01	4.231				0.40	2.05	2.65		0.95	0.91	21.63	31.99	36.89	5.97	6.17	2.67
18.	सिरोही	4.53	3.16	4.65	4.13	3.08	1.435				0.18	0.63	1.68		0.32	0.92	0.81	1.45	3.06	7.38	7.13	1.03
19.	जालौर	142.82	12.705	15.83	6.40	5.17	2.847				0.21	0.73	0.92		0.00	0.22	3.75	1.69	3.55	6.94	6.57	2.22
20.	नागौर	114.42	42.91	46.88	4.98	2.33	0.749				0.44	1.96	6.15		0.76	1.34	7.75	18.07	20.02	16.49	8.39	4.44
21.	बाड़मेर	85.68	14.27	27.9	3.97	2.82	0.000				0.00	0.28	0.75		0.18	0.33	0.84	1.18	0.49	1.85	1.68	1.22
22.	जैसलमेर	11.74	12.24	1.95	0.15	0.00	0.170				0.00	0.64	0.68		0.15	0.00	0.67	0.82	0.45	0.36	0.77	0.49
23.	श्रीगंगानगर	16.3		45.34	0.30	0.28	0.154	6.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.68		1.78	0.88	11.66	39.15	66.49	8.88	5.76	8.09
24.	हनुमानगढ़	24.99	4.27	37.01	1.11	0.35	0.140	6.50	0.00	0.00	0.00	3.36	1.30		2.37	1.87	6.16	14.04	23.82	9.19	4.04	10.33
25.	बीकानेर	45.71	4.93	26.02	0.00	0.00	0.000				0.00	4.29	4.88		2.42	2.21	1.55	3.05	8.56	8.22	2.17	5.06
26.	चूरू	97.34	16.45	9.81	0.30	0.24	0.000				0.00	0.30	0.00		0.31	0.06	1.45	0.48	1.10	1.99	0.88	1.41
27.	भीलवाड़ा	28.23	17.15	26.65	12.44	6.55	3.802				0.57	0.76	1.07		1.12	0.38	6.55	6.71	12.38	8.19	5.93	7.84
28.	चित्तौड़गढ़	321.8	43.05	54.08	71.01	33.31	14.051				0.39	0.83	1.63		1.52	1.34	5.81	7.23	9.06	45.03	24.49	8.17
29.	राजसमन्द	17.42	7.67	7.27	10.87	4.46	0.735				0.00	0.06	0.98		0.05	0.00	1.52	3.81	4.47	9.46	4.34	1.51
30.	उदयपुर	123.32	19.74	18.98	16.92	7.78	18.235				0.00	2.04	1.38		0.15	0.03	2.86	2.58	3.63	21.71	22.17	6.64
31.	बांसवाड़ा	6.42	4.99	6.5	5.98	16.27	17.910				0.36	1.26	1.70		0.50	0.00	0.36	0.20	0.57	28.13	16.97	6.91
32.	डूंगरपुर	47.01	18.9	14.67	12.98	12.99	0.000				0.00	1.48	1.36		0.15	0.00	0.07	0.56	0.00	17.71	11.42	4.33
	योग	**2678.48**	**773.90**	**1039.71**	**294.68**	**163.55**	**124.15**	**12.5**	**0**	**0**	**3.846**	**49.52**	**66.19**	**0**	**22.04**	**74.21**	**164.95**	**248.35**	**371.55**	**348.59**	**212.30**	**127.48**

दिये गये अनुदान का विवरण (रुपये लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	चारा प्रदर्शन			बीज उत्पादन कार्यक्रम			बायो फर्टिलाइजर			सूक्ष्म तत्व एवं कम्पोस्ट प्रदर्शन			कृषि यंत्र			ट्रेक्टर			योग		
		1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1.	जयपुर	1.38	6.57	2.70	0.74	0.40	1.13	2.61	2.43	2.37	0.32	6.05	0.72	3.82	1.21	3.12	21.00	5.70	0.90	362.18	270.47	276.28
2.	दौसा	0.63	0.75	1.14	0.18	0.26	0.10	1.44	1.07	1.29	0.15	0.79	0.25	0.76	2.37	1.38	9.60	3.00	0.90	162.92	66.10	82.16
3.	अजमेर	0.30	0.87	3.88	0.21	0.29	0.21	1.49	0	1.55	0.27	1.06	1.21	2.7	2.84	1.16	3.30	3.30	0.90	156.05	70.42	87.51
4.	सीकर	0.23	0.45	1.21	0.59	0.52	1.79	0.88	3.09	0.96	0.13	0.19	0.33	1.04	2.06	1.2	1.50	1.50	0.60	292.65	85.56	80.18
5.	झुंझुनूं	0.16	0.17	1.78	0.43	0.69	0.69	0.3	0.19	1.03	0.14	0.06	0.35	—	—	—	1.80	1.20	0.60	239.54	52.92	81.15
6.	भरतपुर	1.25	2.57	2.23	0.00	0.33	0.26	1.39	1.31	1.40	0.43	0.70	1.07	1.98	1.64	4.36	10.50	7.20	2.40	63.02	33.49	59.49
7.	धौलपुर	1.18	1.28	1.74	0.41	0.05	0.07	1.14	1.03	2.98	0.49	0.70	3.44	0.72	1.05	0.73	4.80	5.70	3.00	50.97	42.48	47.35
8.	अलवर	0.17	0.40	0.39	0.98	0.34	1.35	0.56	0.56	0.35	0.15	0.02	0.23	0.90	0.87	0.50	9.90	5.10	0.90	207.00	150.50	210.99
9.	सवाईमाधोपुर	1.23	0.54	0.80	1.28	0.20	0.78	1.06	0.61	2.44	0.63	0.46	0.57	—	0.83	1.03	4.50	1.50	0.30	271.49	90.52	120.40
10.	करौली	0.00	0.71	1.42	0.00	0.00	0.31	0	0.13	1.36	0.00	0.02	0.29	—	0.90	0.36		0.60	0.30	35.93	16.11	30.61
11.	कोटा	0.65	0.58	1.28	4.10	0.76	1.34	5.70	3.18	2.43	0.00	0.27	0.10	2.69	2.24	3.19	6.60	2.40	0.90	89.98	36.61	63.03
12.	बून्दी	0.15	0.20	0.25	0.00	0.15	0.08	2.43	2.12	1.87	0.00	1.92	0.11	1.58	3	4.28	2.10	—	—	45.72	23.40	26.12
13.	झालावाड़	0.35	0.47	0.68	0.00	0.31	1.13	2.07	3.15	3.98	0.25	0.08	0.30	3.85	6.98	2.43	8.10	2.10	0.30	57.12	47.18	46.59
14.	टोंक	0.40	0.58	1.78	0.38	0.27	1.53	0.61	1.02	1.31	0.15	1.94	0.57	1.23	4.09	3.35	3.00	2.70	1.80	112.42	61.30	75.41
15.	बारां	0.25	0.61	0.88	0.56	0.22	1.06	1.60	1.73	2.23	0.00	0.29	0.30	1.18	1.03	1.96	3.90	1.80	0.90	42.59	20.71	47.51
16.	जोधपुर	0.45	0.16	7.40	1.19	0.33	0.09	0.11	0.11	0.16	0.00	0.08	0.23	0.35	0.22	0.75	6.00	1.80	0.60	208.08	76.19	52.14
17.	पाली	1.12	0.93	3.62	0.05	0.64	0.15	0.25	0.24	0.44	0.28	1.27	2.93	2.08	1.94	2.45	4.80	3.60	0.60	86.66	97.66	103.24
18.	सिरोही	0.85	1.05	2.21	0.31	0.28	0.15	0.11	0.17	0.29	0.17	0.32	0.27	1.07	0.7	0.59		0.30	0.90	32.55	29.84	21.02
19.	जालौर	0.15	0.78	2.79	0.73	0.29	0.05	0.22	0.22	0.63	0.12	0.18	0.08	—	2.99	2.69	2.40	2.70	2.40	178.76	44.70	41.42
20.	नागौर	0.30	0.61	4.58	0.73	0.71	0.61	0.24	0.18	1.29	0.23	0.33	0.50	0.5	0.48	1.29	6.00	2.40	0.60	175.41	103.61	108.97
21.	बाड़मेर	0.42	1.95	5.21	1.38	0.36	1.13	2.83	3.24	0.93	0.00	0.00	0.01	0.63	0.3	3.96	10.50	3.90	1.50	103.24	30.54	47.97
22.	जैसलमेर	0.80	0.11	1.53	1.24	0.84	0.38	0.12	0.35	0.13	0.00	0.00	0.03	0.04	—	—	0.30	0.30	—	16.79	17.33	7.98
23.	श्रीगंगानगर	1.90	2.67	4.55	0.84	0.00	2.12	0.89	1.24	3.33	0.00	0.86	1.35	5.07	3.16	2.82	12.60	5.10	1.80	74.52	98.89	210.98
24.	हनुमानगढ़	1.83	1.04	6.07	0.99	0.00	2.16	0.94	1.21	3.07	0.00	0.60	1.37	3.41	3.22	2.53	10.50	9.60	1.50	73.46	46.43	124.57
25.	बीकानेर	0.86	1.01	3.10	1.07	0.56	2.90	2.5	0.51	3.90	0.00	0.00	0.05	0.53	0.14	0.46	5.10	1.50	1.20	69.63	18.64	65.72
26.	चूरू	0.65	0.12	2.05	0.27	0.00	0.15	0.05	0.01	0.04	0.05	0.07	0.27	—	—	—	0.60	1.20	0.60	106.65	19.89	19.22
27.	भीलवाड़ा	1.16	0.75	2.40	0.00	0.69	0.15	2.34	1.57	3.77	0.15	0.35	0.49	4.89	6.25	4.3	6.90	3.00	1.50	89.80	64.64	84.09
28.	चित्तौड़गढ़	0.67	1.55	2.26	0.00	0.36	0.43	4.53	2.53	4.09	0.78	1.01	0.87	11.26	5.55	10.24	6.60	3.00	0.90	578.08	182.48	132.27
29.	राजसमन्द	1.07	0.74	1.11	0.00	0.65	0.12	1.55	0.99	1.22	0.08	0.30	0.34	4.43	2.91	3.75	2.10	3.00	0.30	67.69	38.58	26.90
30.	उदयपुर	1.13	2.04	3.49	0.82	0.30	0.55	1.49	1.30	1.47	1.50	0.75	0.91	4.33	7.78	5.81	4.50	3.60	0.90	214.54	97.25	89.87
31.	बांसवाड़ा	0.78	2.69	3.16	1.32	1.14	1.14	1.48	1.72	2.33	1.00	0.75	1.22	16.98	13.51	9.33	0.90			96.53	93.03	75.21
32.	डूंगरपुर	0.81	1.90	5.46	1.05	0.48	0.02	1.15	1.32	1.27	1.22	3.26	2.99	3.65	4.14	3.21	1.50	1.20		115.90	77.74	37.49
	योग	**22.45**	**36.84**	**83.16**	**21.85**	**12.42**	**24.11**	**44.08**	**38.53**	**55.91**	**8.68223**	**24.68629**	**23.747**	**81.67**	**84.40**	**83.23**	**171.90**	**90.00**	**30.00**	**4465.37**	**2205.22**	**2583.84**

		फल एवं सब्जी प्रदर्शन			फल एवं सब्जी उत्पादन			ओषधि एवं सुगंधित फसलों का विकास			फूलों की खेती			कृषि में प्लास्टिक का उपयोग			मसाला विकास कार्यक्रम			फलदार उन्नत पौधों का उत्पादन एवं वितरण		
क्र. सं.	जिले	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1.	जयपुर	9.17	0.19	0.11	0.24	0.88	0.00	0.00	0.00	0.02	3.81	0.00	2.61	44.85	20.39	6.16	5.35	1.60	1.52	0.00	0.00	0.00
2.	दौसा	2.08	0.04	0.04	0.12	0.52	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	1.63	1.55	0.66	0.00	0.00	0.00
3.	अजमेर	3.87	0.12	0.12	0.51	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	4.76	0.64	6.12	2.12	5.44	8.13	9.30	2.51	0.00	0.00	0.00
4.	सीकर	2.17	0.12	0.12	0.24	0.62	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	1.49	0.08	29.92	27.29	5.10	6.49	6.42	2.47	9.19	0.67	0.00
5.	झुंझुनूं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	4.86	6.24	0.00	0.25	0.40	0.00	0.00	0.00
6.	भरतपुर	3.17	0.00	0.00	0.38	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.47	0.00	1.93	2.28	0.77	2.81	2.71	0.51	0.00	0.00	0.00
7.	अलवर	2.03	0.00	0.08	0.15	0.26	0.34	0.00	0.00	0.00	0.75	0.65	0.89	3.02	1.25	0.05	1.69	1.73	1.03	0.00	0.00	0.00
8.	धौलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	सवाईमाधोपुर	3.52	0.00	0.00	0.19	0.42	0.05	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	1.05	0.22	0.22	3.91	3.95	1.39	0.00	0.00	0.00
10.	करौली	0.70	0.00	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.94	0.64	0.23	0.00	0.00	0.00
11.	कोटा	3.67	0.04	0.04	0.63	0.61	0.36	0.00	0.00	0.08	1.03	0.00	0.54	3.59	–0.14	0.31	5.46	3.03	2.31	0.00	0.00	0.00
12.	बून्दी	0.16	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.74	0.00	0.51	0.03	0.00	0.00	0.00
13.	झालावाड़	3.27	0.12	0.07	0.14	0.38	0.17	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5.00	5.85	2.49	6.15	8.18	3.97	0.00	0.00	0.00
14.	टोंक	3.07	0.00	0.08	0.24	0.48	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	5.11	0.00	9.21	7.54	2.70	0.00	0.00	0.00
15.	बारां	3.59	0.00	0.00	0.15	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.69	5.35	8.12	3.45	0.00	0.00	0.00
16.	जोधपुर	3.91	0.12	0.11	0.24	0.24	0.00	1.44	1.21	0.82	0.00	0.00	0.00	11.66	10.89	2.22	5.22	13.85	6.40	0.00	0.00	0.00
17.	पाली	3.60	0.00	0.00	0.15	0.90	0.00	2.13	0.51	1.65	1.05	0.00	0.00	16.65	8.75	3.95	7.05	7.54	2.36	0.00	0.00	0.00
18.	सिरोही	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	3.34	3.20	0.39	0.73	0.70	1.57	0.00	0.00	0.00
19.	जालौर	1.03	0.07	0.07	0.21	0.26	0.00	2.09	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.46	10.58	0.37	5.70	6.42	3.26	0.00	0.00	0.00
20.	नागौर	0.23	0.00	0.00	0.01	0.18	0.00	0.00	0.38	0.55	0.00	0.00	0.00	23.78	19.13	5.29	2.92	4.55	2.50	0.00	0.00	0.00
21.	बाड़मेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.33	0.77	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	3.39	1.76	2.27	0.00	0.00	0.00
22.	जैसलमेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	9.78	4.11	5.05	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	श्रीगंगानगर	2.11	0.00	0.00	0.35	0.52	0.00	0.36	0.00	0.06	0.12	0.00	0.00	1.73	6.52	9.98	1.92	0.36	0.40	0.00	0.00	0.00
24.	हनुमानगढ़	2.02	0.00	0.04	0.15	0.29	0.28	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.67	0.00	1.74	0.62	0.26	0.00	0.00	0.00
25.	बीकानेर	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	24.12	33.47	5.89	0.47	0.48	0.10	0.00	0.00	0.00
26.	चूरू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	23.20	5.43	0.00	0.48	0.08	0.00	0.00	0.00
27.	भीलवाड़ा	3.16	0.00	0.00	0.14	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	3.66	1.54	5.01	6.14	1.65	0.00	0.00	0.00
28.	चित्तौड़गढ़	2.90	0.00	0.08	0.37	0.51	0.08	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	30.13	10.83	3.02	6.89	2.53	4.63	0.00	0.00	0.00
29.	राजसमन्द	0.00	0.00	0.00	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	1.92	1.16	0.25	0.24	0.04	0.13	0.00	0.00	0.00
30.	उदयपुर	3.27	0.00	0.00	0.14	0.51	0.14	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	5.49	13.95	1.06	0.51	0.29	0.31	0.00	0.00	0.00
31.	बांसवाड़ा	2.45	0.00	0.00	0.47	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.36	1.48	0.99	0.48	0.00	0.00	0.00
32.	डूंगरपुर	0.22	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.12	0.00	0.00	0.00
	योग	65.87	0.81	0.94	5.34	11.75	1.73	7.64	2.56	5.88	9.51	7.36	4.76	258.48	222.71	74.92	100.39	103.05	49.71	9.19	0.67	0.00

क्र. सं.	जिले का नाम	फल पौध संरक्षण रसायन			मधुमक्खी पालन			रूट एवं टयूबर कोप्स			शुष्क क्षेत्रों में फलों का समेकित विकास			इनोवेटिव कार्यक्रम			ग्रामीण क्षेत्रों में पोषाहार उद्यानों की स्थापना			कुल योग		
		1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1.	जयपुर	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	2.19	2.55	0.69	0.14	0.00	0.21	0.30	0.00	433.40	296.16	289.26
2.	दौसा	0.14	0.01	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.69	0.88	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	177.98	69.10	84.01
3.	अजमेर	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.03	2.60	0.00	0.00	0.00	0.45	0.35	0.00	180.17	92.10	98.82
4.	सीकर	0.13	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	4.38	0.91	0.00	0.00	0.00	0.22	0.30	0.00	347.05	126.86	88.95
5.	झुंझुनूं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.69	59.28	88.54
6.	भरतपुर	0.30	0.46	0.13	0.00	5.24	5.38	0.75	0.65	0.00	2.87	1.91	1.57	0.00	0.00	0.00	0.23	0.36	0.00	75.94	48.60	67.84
7.	अलवर	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	1.69	2.52	0.00	0.00	0.00	0.16	0.08	0.01	60.99	48.16	52.13
8.	धौलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	150.90	211.04
9.	सवाईमाधोपुर	0.03	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.81	1.73	0.00	0.00	0.00	0.08	0.47	0.00	281.80	97.39	123.88
10.	करौली	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.20	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.79	17.13	31.39
11.	कोटा	0.30	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	1.87	1.24	0.00	0.00	0.00	0.25	0.35	0.00	107.08	42.37	68.05
12.	बून्दी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.88	25.40	28.00
13.	झालावाड़	0.24	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.34	9.70	0.00	0.00	0.00	0.20	0.26	0.00	84.12	75.40	63.16
14.	टोंक	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.71	2.18	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	132.02	76.34	80.48
15.	बारां	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	2.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.20	0.17	0.00	54.44	33.35	54.40
16.	जोधपुर	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.53	0.27	0.00	0.00	0.00	0.55	0.24	0.00	233.11	104.31	61.95
17.	पाली	0.18	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	2.83	2.16	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	121.68	118.27	113.36
18.	सिरोही	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.32	33.74	23.05
19.	जालौर	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	1.39	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	190.64	63.78	47.31
20.	नागौर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.84	128.58	117.32
21.	बाड़मेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	32.63	51.01
22.	जैसलमेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11	21.73	13.23
23.	श्रीगंगानगर	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	1.69	2.71	0.00	0.00	0.00	0.25	0.30	0.00	83.56	108.28	224.13
24.	हनुमानगढ़	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.83	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	79.88	49.20	126.50
25.	बीकानेर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.28	52.60	71.83
26.	चूरू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.93	44.60	25.38
27.	भीलवाड़ा	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.40	1.08	0.00	0.00	0.00	0.11	0.30	0.00	102.18	76.69	88.36
28.	चित्तौड़गढ़	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	2.59	1.90	0.00	0.00	0.00	0.25	0.30	0.15	621.66	199.23	142.26
29.	राजसमन्द	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.58	0.43	0.00	0.00	0.00	0.08	0.06	0.05	71.46	40.46	27.76
30.	उदयपुर	0.20	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.77	0.23	0.00	0.00	0.00	0.17	0.29	0.10	226.31	113.20	91.73
31.	बांसवाड़ा	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	1.00	1.04	0.45	0.00	0.00	0.08	0.25	0.21	105.95	95.56	77.30
32.	डूंगरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	116.12	78.21	37.97
	योग	3.89	1.43	0.48	0.00	5.24	5.38	0.75	0.65	0.00	62.90	52.95	42.19	1.14	0.14	0.00	4.44	5.07	0.57	5007.416	2619.616	2770.404

परिशिष्ट-13

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-173 की सूची)

पुलिस विभाग द्वारा पकड़े गये प्रकरणों में मुलजिम बनाये गये व्यक्तियों के नामों की सूची

क्र.सं.	अभियोग का संक्षिप्त विवरण	मुलजिम का नाम
1.	155/2001 दिनांक 20.8.2001 हल्दी, धनिया व मिर्चो मिलावट	1. श्री नेमीचन्द 2. श्री सुरेश 3. सीताराम 4. श्री रामगोपाल।
2.	156/2001 दिनांक 28.8.2001 मसालों में मिलावट	1. श्री बन्टी
3.	157/2001 दिनांक 20.8.2001 मसालों में मिलावट	1. श्री चोखेलाल
4.	158/2001 दिनांक 20.8.2001 मसालों में मिलावट	1. श्री अशोक
5.	66/2001 दिनांक 30.4.2001 घी में मिलावट	1. श्री अनिल जैन
6.	225/2001 दिनांक 30.8.2001 घी में मिलावट	1. श्री लालचन्द जैन 2. श्री मनोहर 3. श्री सायल सिंह
7.	35/2001 दिनांक 27.2.2001 नकली घी	1. श्री दिनेश सिंघल
8.	133/2001 दिनांक 8.8.2001 नकली घी	1. श्री कैलाश कोटावाला
9.	396/2001 दिनांक 12.8.2001 नकली घी	1. श्री बलदेव 2. श्री तेजप्रकाश 3. श्री सईदकाजी 4. श्री राजेन्द्र
10.	306/2001 दिनांक 21.12.2001 मसालों में मिलावट	1. श्री जयप्रकाश 2. श्री जुगल किशोर 3. श्री कालूराम
11.	276/2001 दिनांक 7.12.2001 नकली घी	1. श्री किशोर कुमार 2. शेर सिंह 3. श्री गणेश 4. श्री बद्री परमार 5. श्री बाबूराम 6. श्री भागीरथ
12.	277/2001 दिनांक 9.12.2001 मसालों में मिलावट	1. श्री मनोज कुमार 2. ललित कुमार
13.	140/2001 दिनांक 22.5.2001	1. श्री मनोज कुमार 2. श्री निर्मल 3. श्री रंजन 4. श्री प्रशान्त 5. श्री सुकेध 6. श्री शिव वर्मन 7. श्री सलीलराम 8. श्री राजू

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-174 की सूची)

जिला पाली की तहसील रायपुर एवं सोजत में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची

तहसील रायपुर

1. कोट किराना
2. बगड़ी
3. कजारिया
4. पचानपुरा
5. कालबखुर्द
6. कालबकला
7. आसन जिलेलाव
8. सबलपुरा
9. कालाकोट
10. बिराढ़िया
11. हाजीवास
12. धुलकोट
13. लिलम्बा
14. बागीवाड़ा (बोगेड़ा)
15. झूठा
16. दीपावास
17. लवाचा
18. मेघदड़ा
19. रामपुरा कला
20. नोख
21. बासनी कविया
22. निम्बेड़ा
23. बासनी दूध वाडिया
24. मोहराकला
25. करमावास मालियान
26. बांसिया
27. रासडिया
28. सुमेल
29. रावणिया
30. सोडपुरा (प्रतापगढ़)
31. मोहरा
32. बुढ़ीवास
33. मैसिया
34. नानणा
35. सेन्दड़ा
36. धोरिया
37. चाग
38. चिताड
39. जमालपुरा
40. मालनी
41. बिराढ़िया खुर्द
42. रेलड़ा
43. सोडपुरा (नानणा)

तहसील सोजत

1. रामसनी बाला
2. खारिया सोडा
3. आलावास
4. रेन्दडी
5. मामावास
6. बिलावास
7. धीनावास
8. झूमेलाव
9. नयागांव
10. चौपड़ा
11. रेपडावास
12. थरासनी
13. रामासनी सादवान
14. मेव
15. रूपावास
16. हिंगावास
17. शिवपुर
18. बिजपुर
19. नई ढाणी
20. चन्दलाई
21. धुरासनी
22. सुरायता
23. मालपुरियाकलां
24. मालपुरिया खुर्द
25. बागावास
26. लापेरा
27. राजोलाकला
28. इन्दिया
29. छितरिया
30. मण्डला
31. बासना
32. बोयल
33. खोखरा
34. पाचुण्डाकला
35. सोडिया
36. खारियानींव
37. करमावास
38. चण्डावल स्टेशन
39. मुरडावा
40. देवली हुल्ला
41. गुडाबिजा
42. खोडिया
43. रायराकलां
44. केलवाद
45. सारंगवास
46. गुडाकलां
47. गुडाचुतरा
48. गुडारामसिंह
49. धुन्धुलाम्बोडी
50. मेसाना
51. सितरवाड़ा

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-185 का विवरण)

माध्यमिक शिक्षा

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जांच की दिनांक
1	2	3	4
शिकायत के आधार पर जांच (प्राथमिक)			
1.	श्री प्रभुदयाल धोलपुरिया	तत्कालीन उप निदेशक एवं समन्वय, जोधपुर वर्तमान में प्राचार्य, रा. स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर	27.11.2000
2.	श्रीमती ऐलिस इलियास	उप निदेशक (मा.) अजमेर	8.8.1997
3.	श्री रामवीर सिंह	उप निदेशक (मा.) जयपुर	(1) 18.10.2001 (2) 11.10.2001
4.	(अ) श्री भागीरथ अग्रवाल	उप निदेशक (मा.) जयपुर वर्तमान उप निदेशक, समाज शिक्षा, बीकानेर	15.5.2000
5.	श्री हरेन्द्र शंकर माथुर	तत्कालीन जि.शि.अ. अलवर वर्तमान उप निदेशक (मा.) जोधपुर	6.11.2001
6.	श्री सोहनलाल दानोदिया	तत्कालीन उप निदेशक (मा.) जोधपुर वर्तमान सेवानिवृत	26.2.2001
सी.सी.ए. (16) के तहत जांच प्रक्रियाधीन के प्रकरण			
1.	श्री प्रकाश चन्द द्विवेदी	तत्कालीन उप निदेशक (मा.) जयपुर, वर्तमान सेवानिवृत	24.9.2001

1	2	3	4
2.	श्री योगेन्द्र सिंह	तत्कालीन उप निदेशक (मा.) चूरू, वर्तमान सेवानिवृत	27.2.2002
3.	श्री भरतसिंह मीणा	तत्कालीन जि.शि.अ. (मा.) करौली, वर्तमान उप निदेशक प्रौढ़ शिक्षा, जयपुर एवं से. निवृत	21.2.2002
4.	श्री नागदेव चौधरी	तत्कालीन जि.शि.अ. (मा.) भरतपुर वर्तमान पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	19.7.2000
सी.सी.ए. (17) के तहत जांच प्रक्रियाधीन के प्रकरण			
1.	श्रीमती नाथीदेवी बाछीवाल	प्राचार्य, डाइट, मसूदा, अजमेर वर्तमान निदेशक इटी सैल	28.10.1999

परिशिष्ट "ख"

शिक्षा निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर जि.शि.अ. एवं इससे उच्च स्तर के प्राथमिक जांच सम्बन्धी सूची

क्र.सं.	अपचारी का नाम	पद व पदस्थापन स्थान	जांच तिथि
1	2	3	4
1.	श्री नन्द किशोर शर्मा	जि.शि.अ. सीकर, (प्रा.शि.)	4.2.2002
2.	श्री मधु सोरेल	जि.शि.अ. (प्रा.शि.), बारां	10.2.1999
3.	श्री के.एन.गोयल	जि.शि.अ. (प्रा.शि.), अजमेर	22.2.2001
4.	श्रीमती यशोदा विजय	जि.शि.अ. (प्रा.शि.), बूंदी	22.1.2002
5.	श्रीमती बृजेश माथुर	जि.शि.अ. (प्रा.शि.) जालौर	23.2.2001
6.	श्री बलवन्त सिंह मेहता	जि.शि.अ. (प्रा.शि.), भीलवाड़ा	19.1.2002
7.	श्री घनश्याम लाल वर्मा	पूर्व जि.शि.अ. (प्रा.शि.), अलवर	1.1.1999
8.	श्रीमती सुदेश भाटिया	जि.शि.अ. (प्रा.शि.), चूरू	16.9.1998
9.	श्री अर्जुन प्रसाद बोहरा	पूर्व जि.शि.अ. (प्रा.शि.), जालौर	26.2.2002
10.	श्री भैरूंलाल चरपोटा	जि.शि.अ. (प्रा.शि.), बांसवाड़ा	4.3.2002
11.	श्रीमती कमलेश लद्ढा	पूर्व जि.शि.अ. (प्रा.शि.), उदयपुर	22.1.2002
12.	श्री मदन लाल वर्मा	पूर्व जि.शि.अ. (प्रा.शि.), बीकानेर	29.9.2001
13.	श्री मदन लाल वर्मा	पूर्व जि.शि.अ. (प्रा.शि.), बाड़मेर	20.11.2001
14.	श्री मधु सोरेल	पूर्व जि.शि.अ. (प्रा.शि.), भरतपुर	30.12.2000
15.	श्रीमती विजय विज	प्रधानाचार्य, डाइट, सीकर	28.2.2002
16.	श्रीमती विजय विज	प्रधानाचार्य, डाइट, सीकर	28.2.2002
	सी. सी. ए. 17 की सूची		
17.	श्री मधु सोरेल	पूर्व जि.शि.अ., प्रा.शि. भरतपुर	15.6.1998
18.	श्री हरिराम महण	जि.शि.अ., प्रा.शि., झुंझुनूं	15.3.2001
19.	श्री चैन सिंह मीणा	पूर्व प्राचार्य, डाइट, करौली	1.1.2002

1	2	3	4
20.	श्रीमती कुसुम सक्सेना	पूर्व जि.शि.अ.प्रा. प्रथम, जयपुर	3.9.2001
21.	श्री भैरूंलाल चरपोटा	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., नागौर	20.2.2002
22.	श्री नाथूलाल वर्मा	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., नागौर	20.2.2002
23.	श्री घीसूसिंह पगारिया	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., करौली	20.2.2002
24.	श्री दामोदर प्रसाद सोमानी	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., नागौर	26.12.2001
25.	श्री मदन लाल वर्मा	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., बीकानेर	25.2.2002
26.	श्रीमती रूकमणी भार्गव	कार्यवाहक प्राचार्य, डाइट, गोनेर	7.3.2002
	सी. सी. ए. नियम-16 के तहत सूची		
27.	श्री रामकिशन मीणा	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., करौली	3.5.2001
28.	श्रीमती मनोरमा शर्मा	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., अजमेर	26.9.2000
29.	श्री गोपाल लाल रावत	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., अलवर	29.6.2000
30.	श्री गोपाल लाल साक्यावाल	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., बीकानेर	19.12.2000
31.	श्रीमती उपेन्द्र कौर सोई	उपनिदेशक, पंचायती राज, जयपुर	
32.	श्री बसन्त चन्द्र जोशी	पूर्व जि.शि.अ. प्रा., बांसवाड़ा	8.1.2001
33.	श्री गणपत राज जैन	उपनिदेशक, प्राशि, जोधपुर	29.12.2001
34.	श्री जे.पी. गुप्ता	पूर्व जि.शि.अ.प्रा., सवाईमाधोपुर	1.3.2002 संयुक्त जांच
35.	श्रीमती गंगादेवी भास्कर	,, ,, ,,	,, ,,
36.	श्री वृद्धिचन्द सामरिया	,, ,, ,,	,, ,,
37.	श्री शिवलाल मीणा	,, ,, ,,	,, ,,

परिशिष्ट "क'

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या–187 की सूची)

Office of the District Project Cordinator, DPEP Sri Ganganagar Block & Headwise Expenditure

Year : Upto Feb. 2002
(Amount in Lacs)

S. No.	Name of Heads	SGNR	Sadul-shahar	Karan-pur	Padam-pur	Raishing Nagar	Anoop-garh	Ghar-sana	Vijay-nagar	Surat-garh	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Civil Works	41.38	37.66	29.94	39.02	51.21	57.13	65.29	56.06	77.06	454.75
2.	Furniture	0.80	0.41	0.46	0.46	0.94	0.75	0.88	0.67	0.68	5.95
3.	Equipment	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	10.25
4.	Vehicle Allowance	0.10	0.06	0.06	0.06	0.12	0.10	0.12	0.09	0.08	0.79
5.	Books	3.86	2.63	2.85	2.80	3.36	3.42	3.54	3.18	3.19	28.83
6.	Consultancy	4.80	2.67	3.21	3.19	5.94	4.36	5.88	4.27	4.26	37.98
7.	Research						0.00	0.00	0.00	0.00	0
8.	Training	15.98	8.41	9.25	9.20	16.82	15.13	17.66	13.45	18.63	119.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Innovation	0.46	0.43		0.32		0.00	0.32	0.18	0.00	1.71
10.	Awarness	2.37	1.25	1.38	1.37	2.50	2.25	2.63	2.00	2.03	17.78
11.	Salaries	48.43	14.13	15.63	15.60	30.06	26.83	31.66	22.65	22.68	227.67
12.	Consumables	7.19	1.38	1.31	1.29	2.86	2.55	2.93	2.19	2.21	23.91
13.	TLM	15.50	8.15	8.96	8.94	16.30	14.62	17.10	18.03	13.07	115.67
14.	Vehicle Maintenance	0.80	0.40	0.46	0.46	0.80	0.76	0.95	0.67	0.67	5.97
15.	Equipment Maintenance	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.81
16.	Honorarium	1.29	0.69	0.76	0.76	1.00	1.20	1.49	1.09	1.07	9.76
	Total	**144.90**	**79.41**	**75.41**	**84.61**	**132.73**	**130.27**	**151.59**	**120.67**	**141.67**	**1061.26**

Sd/-

District Project Cordinator,

DPEP Sri Ganganagar

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी.
म.नं. 5 वार्ड नं. 12 पुरानी आबादी श्री गंगानगर

क्रमांक : जि.प्रा.शि.क./गंगा/बैठक/2001/361   दिनांक 25.7.2001

आदेश

जिला परियोजना के अनुसार परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी आयोजन तथा मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर एक निष्पादक समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे।

1.	जिला कलक्टर	चेयरमैन
2.	ए.डी.एम. (विकास)	वाइस चेयरमैन
3.	ए.सी.ई.ओ.	सदस्य
4.	प्रधानाचार्य डाइट	सदस्य
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.)	सदस्य
6.	उपनिदेशक आई.सी.डी.एस.	सदस्य
7.	सचिव जि.सा.स.शि.अ.	सदस्य
8.	ब्लाक प्रा.शि.अ. (समस्त)	सदस्य
9.	सी.एम.एच.ओ.	सदस्य
10.	एक्स.ई.एन. (पी.डब्ल्यू.डी)	सदस्य
11.	युवा समन्वयक (एन वाई के)	सदस्य
12.	पी.आर.ओ.	सदस्य
13.	पी.डी. (डी.डब्ल्यू.डी.ए.)	सदस्य
14.	श्री जेसाराम सेवानिवृत प्रधानाचार्य, गजसिंहपुर	सदस्य
15.	श्रीमती पुष्पलता शर्मा, प्रधानाचार्य, रा.बा.सी.मा.वि. पदमपुर	सदस्य
16.	श्री राजाराम प्रधानाचार्य, भो.आ.सी.मा.वि., श्री गंगानगर	सदस्य
17.	श्री मंगत यादव जि. मंत्री पंचायती राज शिक्षक संघ गंगानगर	सदस्य
18.	श्री गुरमेल सिंह (अ.ज.ज. एवं पी शिक्षक संघ) गंगानगर	सदस्य
19.	श्रीमती कमलेश चावला (प्र.अ.) एम.बी.एम. एकेडमी गंगानगर	सदस्य
20.	जिला परियोजना समन्वयक डी.पी.ई.पी. श्री गंगानगर	सदस्य सचिव

ह०/-
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
डी.पी.ई.पी. श्रीगंगानगर

परिशिष्ट "ग"

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी., श्रीगंगानगर
वार्ड नं. 12, मकान नं. 5, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : जि.प्रा.शि.का./गंगा/SPL दिनांक 19.3.2002

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, श्रीगंगानगर की शासकीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं:-

1.	श्रीमती सरिता विश्नोई, जिला प्रमुख, जिला परिषद्, श्रीगंगागनर	अध्यक्ष
2.	श्रीमान् जिला कलक्टर महोदया, श्रीगंगानगर	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास), श्रीगंगानगर	सदस्य
4.	श्री रामेश्वर लाल डूडी, सांसद लोक सभा क्षेत्र, बीकानेर	सदस्य
5.	श्री निहालचन्द, सांसद, लोक सभा क्षेत्र, श्रीगंगानगर	सदस्य
6.	श्री हीरालाल इन्दौरा, खनिज राज्य मंत्री, राज. सरकार, जयपुर	सदस्य
7.	श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, सूरतगढ़	सदस्य
8.	श्री राधेश्याम, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, श्रीगंगानगर	सदस्य
9.	श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, श्रीकरणपुर	सदस्य
10.	श्री हरचन्द सिंह, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, पीलीबंगा	सदस्य
11.	श्री के.सी. विश्नोई, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, संगरिया	सदस्य
12.	श्रीमान् सोहनलाल, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, रायसिंहनगर	सदस्य
13.	श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर	सदस्य
14.	श्रीमान् प्रधानाचार्य, डाइट, चूनावढ़	सदस्य
15.	श्रीमती चन्द्रकला इन्दौरा, प्रधान, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर	सदस्य

16.	श्रीमती रघुवीर कौर, प्रधान, पंचायत समिति, अनूपगढ़	सदस्य
17.	श्री गुरमीत सिंह, प्रधान, पंचायत समिति, रायसिंहनगर	सदस्य
18.	श्री मोडूराम, प्रधान, पंचायत समिति, सादुलशहर	सदस्य
19.	श्री महेन्द्र सिंह, प्रधान, पंचायत समिति, पदमपुर	सदस्य
20.	श्री मामराज बुड़िया, प्रधान, पंचायत समिति, सूरतगढ़	सदस्य
21.	श्री युवरेन्द्र सिंह यूरी, प्रधान, पंचायत समिति, श्रीकरणपुर	सदस्य
22.	श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.), श्रीगंगानगर	सदस्य
23.	श्रीमान् उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस., श्रीगंगानगर	सदस्य
24.	श्रीमान् सचिव, जिला साक्षरता समिति, श्रीगंगानगर	सदस्य
25.	श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर	सदस्य
26.	श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता, सा.नि.वि. श्रीगंगानगर	सदस्य
27.	युवा समन्वयक (एन.वाई.के.)	सदस्य
28.	श्रीमान् जन सम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर	सदस्य
29.	पी.डी. (डी.डब्ल्यू.डी.ए.), श्रीगंगानगर	सदस्य
30.	श्रीमान् अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (शिक्षा), श्रीगंगानगर/श्री करणपुर/पदमपुर/सादुल शहर/रायसिंह नगर/सूरतगढ़/अनूपगढ़	सदस्य
31.	श्रीमान् जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर	सदस्य
32.	श्रीमान् सी.डी.पी.ओ., श्रीगंगानगर/श्रीकरणपुर/पदमपुर/सादुलशहर/रायसिंहनगर/सूरतगढ़/अनूपगढ़	सदस्य
33.	श्री जैसाराम, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, गजसिंहपुर	सदस्य

34.	श्रीमती पुष्पलता शर्मा, प्रधानाचार्य, रा.बा.सी.मा.वि., श्रीगंगानगर	सदस्य
35.	श्री राजाराम, प्रधानाचार्य, भोपालवाला उ.मा.वि., श्रीगंगानगर	सदस्य
36.	श्री मंगतूराम यादव, जिला मंत्री, पंचायत राज शिक्षक संघ, श्रीगंगानगर	सदस्य
37.	श्रीमती कमलेश चावला, प्रधानाध्यापक, एम.बी.एम. एकेडमी, श्रीगंगानगर	सदस्य
38.	श्री गुरमेलसिंह (अ.ज.ज. एवं पि. शिक्षक संघ), श्रीगंगानगर	सदस्य
39.	श्री महेन्द्र कुमार, कोर टीम सदस्य, डी.पी.ई.पी., श्रीगंगानगर	सदस्य
40.	श्री हरचन्द गोस्वामी, कोर टीम सदस्य, डी.पी.ई.पी., श्रीगंगानगर	सदस्य
41.	श्रीमान् जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी., श्रीगंगानगर	सदस्य सचिव

ह०/-

जिला परियोजना समन्वयक

डी.पी.ई.पी., श्रीगंगानगर

परिशिष्ट-17

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-193 की सूची)

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्सरंचना परियोजना का संक्षिप्त विवरण

प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्सरंचना परियोजना विश्व बैंक की सहायत अन्तर्गत बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संसाधन के विकास में आने वाली मूलभूत समस्याओं का आकलन कर उन्हें दूर करने तथा बेहतर जल प्रबन्धन की योजना बनाना है। इस कार्यक्रम में काश्तकारों के सिंचाई प्रबन्धन में भागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। परियोजना के तहत वर्तमान में छोटी नहरों (माइनर) के स्तर तक रखरखाव कार्य जल उपभोक्ता संघों को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है, परन्तु हस्तान्तरण से पूर्व जीर्ण-शीर्ण हो चुकी नहर प्रणालियों को सुधारा जाना आवश्यक है। अत: राज्य में वृहद्, मध्यम एवं लघु स्तर की लगभग 91 परियोजनाओं के 6.19 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में नहर प्रणालियों को उनके मूल स्तर तक सुधार करना एवं कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण कराना भी प्रस्तावित है। योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं आगामी वर्ष में वित्तीय संसाधन की उपलब्धतानुसार कार्य प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है।

उपरोक्त परियोजना में धौलपुर जिले के पार्वती बांध, राम सागर बांध एवं उर्मिला सागर बांध की नहरों की पुनर्सरंचना हेतु राज्य सरकार द्वारा 2230.50 लाख रुपये के कार्य निम्नानुसार प्रस्तावित हैं :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि लाख रुपयों में	सिंचन योग्य क्षेत्र हैक्टेयर में
1.	पार्वती बांध	1643.70	25368
2.	राम सागर	390.70	5600
3.	उर्मिला सागर	196.10	2900
	योग	**2230.50**	**33868**

परिशिष्ट "ब"

जिला धौलपुर में प्रस्तावित पक्की नहरों की सूची निम्नप्रकार है

1. पार्वती मुख्य नहर, बसेड़ी ब्रांच, नहचोली, माइनर, बागथर, माइनर, हींगोटा माइनर, पिपरोन माइनर, तुलसीपुरा माइनर, बरई माइनर, घड़ी माइनर, मनरूपपुरा माइनर, सलेमपुर माइनर, लोडपुरा माइनर, पोपसिंह पुरा माइनर, दयोपुरा माइनर, अमरपुरा माइनर, जारगा माइनर, सैपऊ ब्रांच, मालौनी पचार माइनर, मालौनी सब माइनर, बसईनबाब माइनर, नन्दपुरा माइनर, माकरा डिस्ट्रीब्यूटरी, तसीमो माइनर, राजौरा कला माइनर, लुधपुरा माइनर, राजपुर माइनर, चितोरा माइनर, पैकरी माइनर।

2. रामसागर, मुख्य नहर, करेरूआ ब्रांच, सिसम माइनर, मही माइनर, बाद माइनर, राजापुर माइनर, महाराज माइनर, गोहेरा सब माइनर, रूध माइनर, गुमट माइनर, तुलसीवन माइनर, रनपुर माइनर, रोड माइनर, अलीगढ़ सब माइनर, सिंगौरइ माइनर, बटेश्वर माइनर।

3. उर्मिला सागर मुख्य नहर, सांदरा माइनर, रजौरा माइनर, सरानीखेड़ा माइनर, मियांपुरा माइनर, भागीरथपुरा माइनर, सिसम माइनर, चौपड़ा माइनर।

परिशिष्ट–18

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-198 की प्रति)

राजस्थान सरकार
पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

क्रमांक : प. 2(10) शिक्षा-1/प्राशि./2000　　　　जयपुर, दिनांक : 24.6.2000

1. निदेशक,
   माध्यमिक शिक्षा, राज.,
   बीकानेर

2. निदेशक,
   प्रारम्भिक शिक्षा, राज.,
   बीकानेर

3. निदेशक,
   संस्कृत शिक्षा, राज.,
   जयपुर।

विषय : राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश, शिक्षण, छात्रनिधि शुल्क आदि में संशोधन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग द्वारा शुल्क के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 13(32) शिक्षा-1/77 दिनांक 3.5.2000 एवं दिनांक 19.6.2000 अधिक्रमण में कक्षा 1 से 8 तक की शुल्क के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किये जाते हैं :

(1) कक्षा 1 से 8 तक किसी भी प्रकार का शुल्क (जैसे शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, टी.सी. शुल्क) नहीं लिया जावेगा।

(2) कक्षा 4 से 5 के छात्रों से 5/- रुपए प्रतिमाह व कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों से 10/-रुपए प्रतिमाह प्रति छात्र छात्रनिधि (ब्याज फण्ड) की राशि शाला द्वारा ली जावेगी।

(3) कक्षा 1 से 3 तक के छात्रनिधि (ब्याज फण्ड) की भी कोई राशि नहीं ली जायेगी।

(4) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समस्त बालिकाओं (छात्राओं) को छात्रनिधि देने से छूट रहेगी।

(5) छात्रनिधि (ब्याज फण्ड) की राशि का उपयोग स्कूल प्रबन्धक समिति (एस.एम.सी.) द्वारा स्थानीय रूप से शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं हेतु किया जायेगा।

(6) यदि कोई दानदाता किसी विद्यालय के कक्षा 8 तक छात्रों के लिये छात्रनिधि की संगणित सम्पूर्ण वार्षिक राशि का दान के रूप में देने को तैयार हो तो उस शाला के किसी भी छात्र से उस वर्ष छात्रनिधि नहीं ली जायेगी।

(7) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों से 50 प्रतिशत छात्रनिधि की राशि ली जायेगी।

भवदीय
ह०/–
उप शासन सचिव,
प्रारम्भिक शिक्षा

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार
पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग,

क्रमांक : प. 2(10) शिक्षा–1/प्राशि./2000　　　　जयपुर, दिनांक : 4.10.2000

1. निदेशक,
   माध्यमिक शिक्षा,
   राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक,
   प्रारम्भिक शिक्षा,
   राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक,
   संस्कृत शिक्षा,
   राजस्थान, जयपुर।

विषय : राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रनिधि शुल्क में छूट के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : इस विभाग में छुट का समसंख्यक पत्र दिनांक 24/6/2000

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों से छात्रनिधि शुल्क सामान्य वर्ग के छात्रों के सापेक्ष 50% दर से लेने के आदेश जारी किये गये थे। निर्देशानुसार अब राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रों से भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तरह की छात्रनिधि शुल्क सामान्य वर्ग के छात्रों के 50% की दर से लिया जावेगा।

भवदीय
ह०/–
उप शासन सचिव (आयो)
प्रारम्भिक शिक्षा,

परिशिष्ट–19

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–202 की सूची)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधायक महोदय, बांदीकुई की अनुशंसा पर वर्ष 1999–2000 से वर्ष 01–02 तक (माह फरवरी, 2002) तक स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
	वर्ष 1999–2000		
1.	बांदीकुई अस्पताल में 5 के.वी. जनरेटर सैट एवं सेडीकल उपकरण	बांदीकुई	2.00
2.	सम्पर्क सड़क अट्टा सार्वजनिक झाझीरामपुरा	झाझीरामपुरा	0.50
3.	चारदीवारी निर्माण कार्य लीलोज की डूंगरी	लीलोज	0.50
4.	सीसी रोड निर्माण बालाहेड़ा कल्याणखाती के मकान के पास	बालाहेड़ी	0.50
5.	झाझीरामपुरा कुण्ड का प्लेटफार्म एवं फर्श का मरम्मत कार्य	झाझीरामपुरा	2.00
6.	सीसी रोड एण्ड खुर्रा निर्माण बैरवा मौहल्ला पुन्दरपाड़ा	पुन्दरपाड़ा	1.00
7.	सीसी रोड एवं नाली निर्माण बोहरा के मकान से बैरवा मौहल्ला बैजूपाड़ा	बैजूपाड़ा	1.00
8.	सीसी रोड एवं नाली निर्माण मुख्य बाजार से रिंग रोड गुढ़लिया	गुढलिया	0.50
9.	सीसी रोड आयुर्वेद अस्पताल से नले तक बांदीकुई जागीर	बांदीकुई जागीर	1.00

1	2	3	4
10.	सीसी रोड किस्तूर चन्द के मकान से कुम्हारों का मौहल्ला, आभानेरी	आभानेरी	0.78
11.	सीसी रोड नंदेरा डूंगरी, नंदेरा	नंदेरा	0.75
12.	सीसी रोड नेताजी का मौहल्ला से बैजूपाड़ा बडियाल रोड लोटवाड़ा	लोटवाड़ा	1.25
13.	सीसी रोड बैरवा मौहल्ला से हरिजन मौहल्ला, हींगोटा	हींगोटा	0.80
14.	सीसी रोड कृषि उपज मंडी सड़क से स्कूल व पंचायत भवन तक	गोलाड़ा	0.99
15.	बांदीकुई अस्पताल के वार्ड के दरवाजे खिड़कियों के कार्य को पूर्ण करवाना	बांदीकुई	1.75
16.	हैण्ड पम्प निर्माण राधास्वामी सतसंग भवन, बांदीकुई	बांदीकुई	0.40
17.	पानी की टंकी, खेड़ पाइप फिटिंग कार्य सांवलियाजी, करनावर	करनावर	0.30
18.	मजार के समीप पक्का रास्ता निर्माण बसवा राजगढ़ रेलवे क्रासिंग	झाझीरामपुरा	0.51
19.	चारदीवारी निर्माण कार्य पब्लिक बगीची (शमशान) बांदीकुई	बांदीकुई	0.50
20.	चारदीवारी निर्माण कार्य थाने के पीछे कब्रिस्तान, बांदीकुई	बांदीकुई	0.50
21.	चारदीवारी निर्माण कार्य बाग के समीप बड़ियाल खुर्द	बड़ियालखुर्द	0.15
22.	पंचायत समिति, बांदीकुई के क्वाटर्स का मरम्मत कार्य	बांदीकुई	0.12
23.	संस्कृत उ.प्रा.वि.पीचूपाड़ाकलां में कमरा निर्माण कार्य	पीचूपाड़ाकलां	0.90
24.	स्टेज निर्माण मय टीनशैड रा.महाविद्यालय, बांदीकुई	बांदीकुई जागीर	0.50

1	2	3	4
25.	टेक निर्माण एवं सबमर्शिबल पम्प चिंरजीलाल के मकान के पीछे आभानेरी	आभानेरी	1.00
26.	सामुदायिक भवन कुटीश्यालावास में शौचालय, मुत्रालय एवं अन्य नि. कार्य	यालावासकलां	1.00
27.	टेक निर्माण एवं सबमर्शिबल पम्प ढिगारिया	मउखुर्द	1.00
		योग	22.19

वर्ष 2000-2001

1.	सीसी फर्श,बरामदा एवं बैंच निर्माण कार्य श्मशानघाट बांदीकुई	बांदीकुई	3.00
2.	सीसी रोड दुर्लभनाथ मंदिर से धर्मशाला बांदीकुई	बांदीकुई	0.30
3.	सीमेन्ट की बैंच निर्माण बगीची श्मशानघाट, बांदीकुई	बांदीकुई	0.50
4.	सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड नं. 8 हरिजन बस्ती, बांदीकुई	बांदीकुई	2.10
5.	राजकीय अस्पताल बांदीकुई में सीमेन्ट फर्श का निर्माण कार्य	बांदीकुई	0.50
6.	पुस्तकालय में निर्माण कार्य एडीजे कोर्ट बांदीकुई	बांदीकुई	0.59
7.	राजकीय उ.प्रा.वि. प्रतापपुरा में बोरिंग निर्माण एवं सबमर्शिबल पम्प स्थापना	प्रतापपुरा	0.64
8.	नगरपालिका बांदीकुई में प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य	बांदीकुई	5.00
9.	चारदीवारी निर्माण कार्य वार्ड नं. 7 कुम्हारों की बगीची, बांदीकुई	बांदीकुई	0.25
10.	मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी बांदीकुई को सोनोग्राफी उपकरणों के क्रय हेतु	बांदीकुई	4.53

1	2	3	4
11.	पी. एण्ड टी. स्कीम के पानी के टैंक की मरम्मत एवं नाली मरम्मत कार्य बिवाई	बिवाई	0.05
12.	कमरा एवं चारदीवारी निर्माण बैरवा बस्ती वार्ड नं. 8, बांदीकुई	बांदीकुई	0.50
13.	रा.बा.सी.सै. स्कूल में कमरा निर्माण कार्य बांदीकुई	बांदीकुई	1.00
14.	गांधी पार्क में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स मय उपकरण बांदीकुई	बांदीकुई	4.00
15.	बांदीकुई अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन मय कैमरा क्रय करने हेतु	बांदीकुई	6.00
16.	प्राकृतिक जलस्रोत का पुनउद्धार एवं विकास कार्य झाझीरामपुरा	झाझीरामपुरा	5.25
		योग	34.21

वर्ष 2001-2002

1.	माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी निर्माण कार्य ढिगारियाभीम	ढिगारियाभीम	0.25
2.	सीसी रोड अगावली ग्राम में	अगावली	0.61
3.	सीसी रोड गुढाकटला रोड से रेलवे लाइन के पास तक, जागीर बांदीकुई	बांदीकुई जागीर	0.61
4.	सीसी रोड एवं नाली निर्माण पंचायत समिति के पीछे बांदीकुई	बांदीकुई जागीर	7.51
5.	राजकीय महाविद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण कार्य	बांदीकुई जागीर	2.00
6.	सामुदायिक भवन एवं बरामदा निर्माण कार्य कालीमाता मन्दिर, कौलाना	कौलाना	1.00
7.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय धनावड़ में स्टेज मय शैड निर्माण	धनावड़	0.40

1	2	3	4
8.	वन चेतना केन्द्र बांदीकुई का निर्माण कार्य	बांदीकुई जागीर	1.89
9.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय धनावड़ में क्रिकेट पिच निर्माण	धनावड़	0.30
10.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय धनावड़ में शेष चारदीवारी का निर्माण कार्य	धनावड़	0.30
11.	गूलर चौराहे का सौन्दर्यकरण एवं विस्तारकरण कार्य मय शैड निर्माण	बांदीकुई	2.00
12.	ग्रेवल सड़क अस्पताल से सैनी आदर्श विद्या मन्दिर मुरलीपुरा रेलवे फाटक तक	बांदीकुई	1.00
13.	ग्रेवल रोड आभानेरी से श्मशान घाट	आभानेरी	0.75
14.	ग्रेवल रोड बास गुढ़लिया से देलाड़ी लिंक रोड वाया मीतरवाड़ी	गुढ़लिया	2.00
15.	ग्रेवल रोड भांवता से भांवती	भांवता भांवती	0.41
16.	ग्रेवल रोड धनावड़ रोड से ढिगारियाटप्पा	धनावड़	0.15
17.	ग्रेवल रोड झाझीरामपुरा कुण्ड से छीड़ की ढाणी	झाझीरामपुरा	1.00
18.	ग्रेवल रोड काटरवाड़ा से धपावन वाया खेड़ी	काटरवाड़ा	1.07
19.	ग्रेवल रोड काटरवाड़ा से महलूनी	काटरवाड़ा	0.93
20.	ग्रेवल रोड लोटवाड़ा से नांगल	लोटवाड़ा	1.37
21.	ग्रेवल रोड मोड से झूथाहेडाकला	झूथाहेडाकलां	0.78
22.	ग्रेवल रोड मुकरपुरा से कंवरपुरा वाया बैरवाढाणी	मुकरपुरा	0.75
23.	ग्रेवल रोड पातरखेड़ा, करणपुरा रोड से कानेटी	पातरखेड़ा	0.37
24.	ग्रेवल रोड रलावता गौर से चौकीदारों की ढाणी	रलावता	0.25
25.	ग्रेवल रोड रेलवे फाटक झौपड़ी से अनन्तपुरा वाया बासड़ा	झौपड़ी	0.42

1	2	3	4
26.	ग्रेवल रोड एसएच 28 अगावली से रायपुरा	अगावली	0.63
27.	ग्रेवल रोड सोडाला से बासड़ा	सोडाला	0.17
28.	ग्रेवल रोड तिवाड़ी मौहल्ला बंजारा बस्ती, बांदीकुई	बांदीकुई	0.25
29.	अपूर्ण ग्रेवल रोड बालाजी से कोठीन को पूर्ण करवाना	कोठीन	0.26
30.	अपूर्ण ग्रेवल रोड झाझीरामपुरा से अटटा मन्दिर	झाझीरामपुरा	0.46
31.	मेला ग्राउण्ड धपावन सबमर्शिबल पम्पसैट स्थापना कार्य	धपावन	0.60
32.	चारदीवारी निर्माण, भूमि समतलीकरण एवं स्टेज निर्माण कार्य सै. स्कूल, बसवा	बसवा	0.50
33.	सांवलिया मन्दिर में भूमि समतलीकरण, सीमेन्ट फर्श एवं अपूर्ण हाल का पूर्ण कार्य	करनावर	3.15
34.	पंचायत समिति हाल का शेष निर्माण कार्य बांदीकुई	बांदीकुई	0.69
35.	जैन मन्दिर के पास पुराने न्यायालय भवन का मरम्मत कार्य	बांदीकुई	0.75
36.	जेल के पास पुराने टेलीफोन एक्सचेंज भवन का मरम्मत कार्य	बांदीकुई	0.89
37.	झाझीरामपुरा में हैण्ड पम्प में सबमर्शिबल पम्प लगाने का कार्य	झाझीरामपुरा	0.25
		योग	**36.72**

परिशिष्ट "2"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाईमाधोपुर

8 जून, 1999 से फरवरी, 2002 तक विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, गंगापुर सिटी में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	चारदीवारी राज.मा.वि. बामनबड़ौदा	बामनबड़ौदा	बामनबड़ौदा	1999–2000	1.00	पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क ग्राम कमलपुरा से महानन्दपुर तक	महानन्दपुर	महानन्दपुर	1999–2000	1.00	पूर्ण
3.	खुरंजा किशोरपुरा शिवराम से श्रीमन के मकान तक	किशोरपुरा	पावटा	1999–2000	1.00	पूर्ण
4.	सी.सी. रोड रामेश्वर सेठ से मुख्य पुलिया तक	सेवा	ग्रा.प. सेवा	1999–2000	2.00	पूर्ण
5.	मालीन का रास्ता पटाव पिलौदा स्टेशन साइड	वजीरपुर	वजीरपुर	1999–2000	1.00	पूर्ण
6.	उप तहसील भवन मरम्मत वजीरपुर	वजीरपुर	वजीरपुर	1999–2000	1.00	पूर्ण
7.	सामुदायिक भवन नौगांव	नौगांव	नौगांव	1999–2000	1.00	पूर्ण
8.	सी.सी. रोड नवीन से. स्कूल से मालियों की कालोनी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	1.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
9.	सी.सी रोड संजय कालोनी गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	0.41	पूर्ण
10.	लिंक रोड कच्ची बस्ती मुख्य सड़क से नबिया तक	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	0.50	पूर्ण
11.	वार्ड नं. 1 से 35 के मध्य का रास्ता	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	1.00	पूर्ण
12.	आम हथाई का फर्श निर्माण संजय कालोनी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	0.09	पूर्ण
13.	सी.सी रोड बाबू लाल से रमन गौतम के घर तक	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	1.49	पूर्ण
14.	सी.सी. रोड नाले की पुलिया से गोपीनाथ कवि तक	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	1.48	पूर्ण
15.	सी. सी. रोड शिवपुरी बी. सुआलाल के कुएं से मुख्य सड़क ओर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	1.50	पूर्ण
16.	बाउण्ड्रीवाल श्मशान घाट अनु.जन जाति	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	0.80	पूर्ण
17.	सी सी रोड वार्ड 1 से 35 के बीच साबू की हवेली, राजीव कालोनी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	1.00	पूर्ण
18.	सीसी रोड उदई मोड मुख्य सड़क से लाटा हाउस सड़क तक	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	1999–2000	2.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
19.	ग्रेवल सड़क अमरगढ़ ग्राम से बामनबड़ौदा तक	अमरगढ़	अमरगढ़	1999–2000	1.00	पूर्ण
20.	पुलिया निर्माण अमरगढ़ से गढ़वाले रास्ते में नाले पर	अमरगढ़	अमरगढ़	1999–2000	0.50	पूर्ण
				कुल योग	20.77	
21.	रास्ता पटाव कार्य अर्जुन पटेल की बैठक से भैरूंजी तक श्यारोली	श्यारोली	ग्रा. पं. श्यारोली	2000–2001	1.50	पूर्ण
22.	भवन निर्माण जाटवों की थाई से श्यारोली	श्यारोली	ग्रा. पं. श्यारोली	2000–2001	0.50	पूर्ण
23.	सी. सी. रोड दरवाजे के चौक से उच्च मा.वि. तक खण्डीप	खण्डीप	ग्रा. पं. खण्डीप	2000–2001	2.00	पूर्ण
24.	सार्वजनिक कूप निर्माण नबिया की बाढ स्कूल के पास	बाढ कलां	ग्रा. पं. बाढकलां	2000–2001	0.60	पूर्ण
25.	कुआं गहरा व मरम्मत हनुमानजी के पास ग्राम बाढ टटवाड़ा	बाढ टटवाड़ा	ग्रा. पं. नारायणपुर	2000–2001	0.45	पूर्ण
26.	ग्राम बामनबड़ौदा रैगर बस्ती में कूप निर्माण	बामनबड़ौदा	ग्रा. पं. बामन बड़ौदा	2000–2001	0.60	पूर्ण
27.	सार्व. कूप निर्माण प्रभु पटेल के बाड़े के पास आम चौराहा थली	बामनबड़ौदा	ग्रा. पं. बामन बड़ौदा	2000–2001	0.60	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
28.	बैरवा बस्ती कूप पारा निर्माण, महानन्दपुर	महानन्दपुर	ग्रा.पं. महानन्दपुरा	2000–2001	0.25	पूर्ण
29.	कूप निर्माण रैगर बस्ती हबीबपुर	हबीबपुर	ग्रा पं. उमरी	2000–2001	0.60	पूर्ण
30.	पुलिया निर्माण बैरवा बस्ती रामसिंहपुरा	रामसिंहपुरा	ग्रा पं. महानन्दपुरा	2000–2001	0.50	पूर्ण
31.	रास्ता, पटाव बैरवा बस्ती रामसिंहपुरा	रामसिंहपुरा	ग्रा पं. महानन्दपुरा	2000–2001	0.75	पूर्ण
32.	सामुदायिक भवन, किन्दुरी शहीद, रेडायल गुर्जर	रेडायल गुर्जर	ग्रा.पं. रेडायल गुर्जर	2000–2001	1.00	निरस्त
33.	सामुदायिक भवन, जाटव बस्ती, रेडायल तुर्क	रेडायल गुर्जर	ग्रा.पं. रेडायल गुर्जर	2000–2001	0.50	निरस्त
34.	उ.प्रा.वि. भवन निर्माण रेडायल गुर्जर	रेडायल गुर्जर	ग्रा पं. रेडायल गुर्जर	2000–2001	1.00	पूर्ण
35.	तलाई निर्माण कार्य सलेमपुर से चिरोलवाली तलाई के नाम से	सलेमपुर	ग्रा पं. सलेमपुर	2000–2001	1.00	पूर्ण
36.	तालाब पहाड़ वाला की खुदाई व पिचिंग, उमरी	उमरी	ग्रा पं. उमरी	2000–2001	1.50	पूर्ण
37.	कमरा निर्माण मा. विद्या उदईकलां में	उदईकलां	ग्रा पं. उदईकलां	2000–2001	0.50	पूर्ण
38.	सी.सी. रोड बगीची से झूमरा के मकान तक, उदईकलां	उदईकलां	ग्रा पं. उदईकलां	2000–2001	1.75	चालू

1	2	3	4	5	6	7
39.	रोड व नाली मस्जिद चूली की बगीची के सामने	चूली	ग्रा. पं. चूली	2000–2001	1.00	पूर्ण
40.	रोड व नाली चूली की बगीची नई बस्ती	चूली	ग्रा. पं. चूली	2000–2001	1.00	पूर्ण
41.	पुराना कूप मरम्मत सीतारामजी के मन्दिर के पास, तलावड़ा	तलावड़ा	ग्रा. पं. तलावडा	2000–2001	0.30	पूर्ण
42.	कूप निर्माण कड़ी पट्टी, तलावड़ा	तलावड़ा	ग्रा. पं. तलावडा	2000–2001	0.70	पूर्ण
43.	सामुदायिक भवन, ग्राम जाट बड़ौदा	जाट बड़ौदा	ग्रा. पं. खानपुर ब.	2000–2001	2.00	पूर्ण
44.	सीसी रोड जयपुर लिंक रोड, जलोखरा गांव	जलोखरा	ग्रा. पं. बाढकला	2000–2001	1.00	पूर्ण
45.	सामु. भवन बैरवा बस्ती जलोखरा	जलोखरा	ग्रा. पं. बाढकला	2000–2001	1.00	पूर्ण
46.	कमरा निर्माण राज. प्रा. विद्यालय नयापुरा	नयापुरा	ग्रा. पं. शिवाला	2000–2001	1.00	पूर्ण
47.	रास्ता पटाव ग्राम हबीरपुर नयापुरा	नयापुरा	ग्रा. पं. उमरी	2000–2001	0.50	पूर्ण
48.	चार दीवारी निर्माण व भवन मरम्मत प्रा.वि. नारायणपुर	नारायणपुर	ग्रा. पं. नारायणपुर	2000–2001	1.00	पूर्ण
49.	प्रसुति गृह निर्माण ग्राम नोगांव	नोगांव	ग्रा. पं. नोगांव	2000–2001	1.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
50.	सामुदायिक भवन ग्राम नन्दपुरा	नन्दपुरा	ग्रा. पं. कुनकटाकलां	2000–2001	1.00	पूर्ण
51.	ओवर हैड पानी की टंकी, रा.बा.उ.प्रा.वि. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2000–2001	1.10	निरस्त
52.	सी सी. रोड वार्ड नं. 25 चिरंजी से रसीद खां. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2000–2001	0.30	निरस्त
53.	नाला निर्माण शमशान घाट से हीरालाल तिबारे के गेट तक	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2000–2001	0.50	पूर्ण
54.	सड़क अशोक सर्कल से केदार जोशी के मकान तक गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2000–2001	1.00	पूर्ण
55.	सी. सी. रोड गिर्राज के मकान से मारुति विद्या वार्ड नं. 5 गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2000–2001	1.00	पूर्ण
56.	सी.सी. रोड प्रधान भवन के पीछे वाली कालोनी में	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2000–2001	2.00	पूर्ण
57.	WBM रोड उदित नारायण से श्याम लाल गुप्ता, धन्वन्तरि कालोनी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2000–2001	2.22	पूर्ण
58.	रास्ता पटाव वार्ड नं. 29 व 30 के मध्य, गंगापुर सिटी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2000–2001	1.50	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
59.	चारदीवारी निर्माण वार्ड नं. 19 संजय कालोनी, गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर प. गंगापुर	2000–2001	0.56	पूर्ण
60.	आवर हैड रिजवायर RCC क्षमता 25000 ली. प्रा.स्वा. केन्द्र, गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर प. गंगापुर	2000–2001	1.85	चालू
61.	सी.सी रोड वार्ड नं. 13 श्मशान रोड से भेमपाल हलवाई, गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर प. गंगापुर	2000–2001	0.35	पूर्ण
62.	सी.सी रोड वार्ड नं. 13 डी.पी. से लेकर मच्छीपुरा के मकान, गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर प. गंगापुर	2000–2001	0.80	पूर्ण
63.	ग्रेवल सड़क शिवदयाल गुप्ता से विष्णु गुप्ता मण्डरायल वाले तक	नगर पा. गंगापुर	नगर प. गंगापुर	2000–2001	0.25	चालू नहीं
64.	सामुदायिक भवन ग्राम अलीगंज	अलीगंज	ग्रा प. अहमदपुर	2000–2001	2.00	पूर्ण
				कुल योग	**42.53**	
65.	हरिजन कूप मरम्मत एवं गहरा कराई ग्राम श्यारोली	श्यारोली	ग्रा.पं. श्यारोली	2001–2002	0.30	चालू नहीं
66.	सार्वजनिक कूप महावर जाति वार्ड नं. 14 श्यारोली	श्यारोली	ग्रा.पं. श्यारोली	2001–2002	0.25	चालू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
67.	सार्वजनिक कूप माली जाति वार्ड नं. 13 श्यारोली	श्यारोली	ग्रा.पं. श्यारोली	2001–2002	0.25	चालू नहीं
68.	बस स्टैण्ड वाला कूप का पारा ठीक करवाना श्यारोली	श्यारोली	ग्रा.पं. श्यारोली	2001–2002	0.10	चालू नहीं
69.	कूप निर्माण तेली मौहल्ला ग्राम धान्धूपुरा	धान्धूपुरा	ग्रा पं. बामनबडोदा	2001–2002	0.60	चालू नहीं
70.	तेलीयों के कुएं के पास मोरण डलवाना ग्राम श्यारोली	श्यारोली	ग्रा.पं. श्यारोली	2001–2002	0.05	चालू नहीं
71.	तेलियों की मस्जिद से स्कूल की दीवार तक मोरण डलवाना ग्राम श्यारोली	श्यारोली	ग्रा.पं. श्यारोली	2001–2002	0.05	चालू नहीं
72.	सी. सी. रोड आम रास्ता गिर्राज के घर के मरघट, खा. बड़ौदा	खानपुर बड़ौदा	ग्रा. पं. खा. बड़ौदा	2001–2002	1.00	पूर्ण
73.	नया कूप निर्माण ग्राम ढाणी बैरवा, ग्रा.पं. खूंटला	खूंटला	प. समिति गंगापुर	2001–2002	0.40	चालू
74.	रा.मा.वि. खूंटला में भवन निर्माण	खूंटला	ग्रा. पं. खूंटला	2001–2002	1.00	चालू
75.	सार्व. कुआं खुदाई एवं गहरा वार्ड नं. 8 ग्राम बाढ़ टटवाड़ा	बाढ टटवाड़ा	ग्रा. पं. हीरापुर	2001–2002	0.10	चालू
76.	सभा भवन पंचायत भवन के पास बाढकलां	बाढकलां	ग्रा.पं. बाढ़कलां	2001–2002	1.50	चालू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
77.	बाउण्डरी वाल निर्माण 33 केवी सब स्टेशन ग्राम बड़ौली	बड़ौली	ग्रा. पं. बड़ौली	2001-2002	2.00	पूर्ण
78.	सार्वजनिक कूप निर्माण खैरवाला नला बूचालोई	बूचालोई	ग्रा.पं. बूचोलोई	2001-2002	1.50	चालू
79.	जामुन वाली तलाई गहरी कराना, कमालपुर	कमालपुर	ग्रा.पं. महानन्दपुर	2001-2002	0.75	पूर्ण
80.	हैण्ड पम्प निर्माण सदया माली की ढाणी ग्राम कड़ी की झोपड़ी	कडी की झोपड़ी	ग्रा.पं. कुनकटा क.	2001-2002	0.40	चालू नहीं
81.	सी.सी. रोड जाटपाड़ा कुसांय	कुसांय	ग्रा.पं. रायपुर	2001-2002	1.00	चालू नहीं
82.	पानी की टंकी निर्माण सादुलसिंह जी के स्थान के पास ग्राम कुनकुटा	कुनकुटा कलां	ग्रा.पं. कुनकुटा कलां	2001-2002	0.51	चालू
83.	सामुदायिक भवन वार्ड नं. 1 हटीला माली की ढाणी ग्राम कुनकटा	कुनकटा	ग्रा.पं. कुनकटा	2001-2002	1.00	चालू
84.	हैण्ड पम्प निर्माण कुनकटा खुर्द, रैगरों की ढाणी वार्ड नं. 8	कुनकटा	ग्रा.पं. अमरगढ़	2001-2002	0.40	चालू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
85.	सामुदायिक भवन हीरामन के सामने बरामदा निर्माण ग्राम महुकलां	महुकलां	पं. समिति गंगापुर	2001–2002	0.60	चालू नहीं
86.	खण्डा पटाव वार्ड नं.9 नारायण की चक्की से टंकी, महूकलां	महूकलां	ग्रा.पं. महूकलां	2001–2002	2.50	चालू
87.	रा.प्रा.वि. मीना बड़ौदा में भवन निर्माण	मीना बड़ौदा	ग्रा.पं. मीना बड़ौदा	2001–2002	1.00	चालू
88.	सी.सी. रोड बैरवा बस्ती से बाबू के मकान तक	मीना बड़ौदा	ग्रा.पं. मीना बड़ौदा	2001–2002	1.00	चालू
89.	रा.प्रा.विद्यालय से मूडया के घर तक सीमेन्ट रोड ग्राम मोहचाकापुरा	मोहचा का पुरा	ग्रा.पं. मोहचा	2001–2002	1.00	चालू
90.	सी. सी रोड निर्माण श्री गणपतसिंह के मकान से मन्दिर तक ग्राम मच्छीपुरा	मच्छीपुरा	ग्रा.पं. अमरगढ़	2001–2002	0.50	चालू नहीं
91.	रा.उ.प्रा.वि. किशोरपुर में हाल मय बरामदा निर्माण	किशोरपुरा	ग्रा.पं. पावटागद्दी	2001–2002	1.00	चालू नहीं
92.	सामुदायिक भवन निर्माण देवनारायण मन्दिर के पास ग्राम हिंगोटिया	हिंगोटिया	ग्रा.पं. हिंगोटिया	2001–2002	2.00	चालू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
93.	गऊ कुण्ड तालाब खुदाई एवं गहरा कराई ग्राम डिबस्या	डिबस्या	ग्रा.पं. खानपुर बड़ौदा	2001–2002	0.50	पूर्ण
94.	राजपूत नगर डिबस्या रोड से राजपूत धर्मशाला तक ग्रेवल रोड	डिबस्या	ग्रा.पं. खानपुर बड़ौदा	2001–2002	1.00	पूर्ण
95.	हैण्ड पम्प निर्माण वार्ड नं. 6 जिस्या की ढाणी	जिस्सा की ढाणी	ग्रा.पं. नौगांव	2001–2002	0.40	चालू नहीं
96.	पुराना कुआं चौड़ा एवं गहरा कराई ग्राम हबीबपुर गुर्जर बस्ती	हबीबपुर	ग्रा.पं. उमरी	2001–2002	0.60	पूर्ण
97.	नवीन कूप निर्माण पुराना गांव आम रास्ता के पास हबीबपुर	हबीबपुर	ग्रा.पं. उमरी	2001–2002	1.00	चालू
98.	कूप का पारा मरम्मत, गहरा व सफाई कार्य ढाणी हनुमानपुरा ग्राम पं. पीलोदा	हनुमानपुरा ढाणी	पं.स. गंगापुर सिटी	2001–2002	0.30	चालू नहीं
99.	नृसिंह अपूर्ण सामुदायिक भवन को पूर्ण कराना पीलोदा	पीलोदा	पं. समिति गंगापुर	2001–2002	1.57	चालू नहीं
100.	सी.सी. रोड अस्पताल से बस स्टैण्ड तक रायपुर	रायपुर	ग्रा.पं. रायपुर	2001–2002	1.50	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
101.	सामुदायिक भवन ग्राम रेण्डायल तुर्क	रेण्डायल तुर्क	ग्रा.पं. रेण्डायल गु.	2001–2002	0.75	चालू नहीं
102.	किन्दूरी शहीद की छतरी एवं बाउण्डरी वाल निर्माण कार्य ग्राम रेण्डायल गुर्जर	रेण्डायल गुर्जर	पं. समिति गंगापुर	2001–2002	1.52	चालू नहीं
103.	सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम सुन्दरपुर	सुन्दरपुर	ग्रा.पं. शिवाला	2001–2002	1.50	चालू नहीं
104.	बागरियों की कुई निर्माण पुल के पास सेवा	सेवा	पं.स. गंगापुर सिटी	2001–2002	0.10	चालू नही
105.	सार्व.कूप गहरा व पूर्ण बड़वाली ढाणी सलारपुर	सलारपुर	ग्रा.पं. हिंगोटिया	2001–2002	0.50	पूर्ण
106.	कूप निर्माण भोपाओं की ढाणी ग्राम सलारपुर	सलारपुर	ग्रा.पं. हिंगोटिया	2001–2002	0.75	पूर्ण
107.	रा.प्रा.वि. सलेमपुर में 2 कमरे मय बरामदा एवं मरम्मत कार्य	सलेमपुर	ग्रा.पं. सलेमपुर	2001–2002	1.00	चालू नहीं
108.	गऊ कुण्ड खुदाई एवं निर्माण कार्य उजीरघाट राशाला उदईकलां	उदईकलां	ग्रा.पं. उदईकलां	2001–2002	1.50	पूर्ण
109.	सिन्दुरीया तालाब गहरा कराई ग्रा.पं. छोटी उदई	छोटी उदई	ग्रा.पं. उदई कलां	2001–2002	2.50	पूर्ण
110.	नवीन कूप निर्माण रैगरों की बस्ती ग्राम दौलतपुर	दौलतपुरा	पं.सं. गंगापुर सिटी	2001–2002	0.50	चालू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
111.	सी.सी. रोड हिण्डौन रोड से मुनिमों की हवेली तक, वजीरपुर	वजीरपुर	ग्रा.पं. वजीरपुर	2001–2002	2.00	चालू नहीं
112.	झरना कुआं गहराई एवं मरम्मत कार्य (भूडाले का) ग्राम वजीरपुर	वजीरपुर	ग्रा.पं. वजीरपुर	2001–2002	0.30	चालू नहीं
113.	उप स्वास्थ्य केन्द्र के कमरे का निर्माण, चकछावा	चकछावा	ग्राम पं. महूकलां	2001–2002	0.50	चालू
114.	सी.सी. रोड निर्माण मन्दिर के सामने से छगन लाल के मकान तक चूली	चूली	ग्रा.पं. चूली	2001–2002	1.00	चालू नहीं
115.	सामुदायिक भवन जाटव बस्ती, फुलवाड़ा पेपट	फुलवाड़ा पेपट	ग्रा.पं. फुलवाड़ा	2001–2002	1.00	चालू
116.	ग्रेवल रोड गेल आम से बद्री की कोठी तक फुलवाड़ा पेपट	फुलवाड़ा पेपट	ग्रा.पं. फुलवाड़ा	2001–2002	1.00	चालू
117.	सामुदायिक भवन फजीतपुरा	फजीतपुरा	ग्रा.पं. नारा टटवाड़ा	2001–2002	0.75	चालू नहीं
118.	सी.सी. रोड सहकारी गोदाम से मैन बाजार तक ग्राम तलावड़ा	तलावड़ा	ग्रा.पं. तलावड़ा	2001–2002	1.00	चालू नहीं
119.	सी.सी. रोड मुख्य बाजार से मक्खन रोठ के घर तक	तलावड़ा	ग्रा.पं. तलावड़ा	2001–2002	1.00	चालू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
120.	हैण्ड पम्प निर्माण रा.प्रा.वि. जाट बड़ौदा	जाट बड़ौदा	ग्रा.पं. खानपुर ब.	2001–2002	0.40	पूर्ण
121.	हैण्ड पम्प निर्माण बैरवा बस्ती जाट बड़ौदा	जाट बड़ौदा	ग्रा.पं. खानपुर ब.	2001–2002	0.40	पूर्ण
122.	नवीन कूप निर्माण बैरवा बस्ती बरड़िया वाले गंगाजी की कोठी जाट बड़ौदा	जाट बड़ौदा	ग्रा.पं. खानपुर बड़ौदा	2001–2002	0.50	चालू नही
123.	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम जेतपुर	जेतपुर	ग्रा.पं. खेडाबाढ़ रामगढ़	2001–2002	1.00	चालू नहीं
124.	सामुदायिक भवन बैरवा की ढाणी टटवाड़ा	नारायणपुर टटवाड़ा	ग्रा.पं. नारा टटवाड़ा	2001–2002	0.50	चालू नहीं
125.	कूप निर्माण रामधन बारबाड के नीचे नौगांव	नौगांव	नौगांव	2001–2002	0.60	चालू नहीं
126.	सामुदायिक भवन पुराना गांव बैरवाओं की ढाणी नौगांव	नौगांव	ग्रा.पं. नौगांव	2001–2002	1.00	चालू नहीं
127.	कूप की सफाई व गहरा कब्रिस्तान नहरवाला, गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.25	चालू
128.	कूप की सफाई व गहरा वार्ड नं. 27 पुरानी मण्डी, गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.25	चालू

1	2	3	4	5	6	7
129.	तालाब काजी वाला वार्ड नं. 32 गहरा कराई गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	1.00	चालू नहीं
130.	सार्व. कूप गहरा राजीव कालोनी वार्ड नं. 32 गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.25	चालू
131.	सार्व. कूप गहरा काजी कालोनी वार्ड नं. 32 ब्राह्मण वाला कुआं	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.25	चालू नहीं
132.	सार्व. कूप गहरा काजी कालोनी वार्ड नं. 32 पंचायत वाला कुआं	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.25	चालू नहीं
133.	राज. शहरी चिकित्सा, उदईमोड गंगापुर में भवन निर्माण कार्य	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	1.00	चालू
134.	सैनिक नगर गंगापुर सिटी वार्ड नं. 34 में श्री कन्हैया खाती के मकान से रामदयाल शर्मा बामन बड़ौदा वाले के घर तक वाया लक्ष्मण सिंह अध्यापक के घर की तरफ	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.50	चालू
135.	पुराना कूप की गहराई एवं खुदाई उस्मान कालोनी मदरसा के पास गंगापुर सिटी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.15	चालू

1	2	3	4	5	6	7
136.	राज. उच्च प्रा.वि. सालोदा में एक कमरा मय बरामदा गंगापुर सिटी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	1.00	चालू
137.	सी.सी. रोड वार्ड नं. 1 राजीव कालोनी मास्टर कमरूद्दीन से नसरू लुहार तक मस्जिद के पास गंगापुर सिटी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.50	चालू नहीं
138.	सी.सी. रोड खटीक की कोठी से लेकर कब्रिस्तान बेनीवाल तक गंगापुर सिटी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.50	चालू नहीं
139.	सामुदायिक भवन उस्मान कालोनी वार्ड नं. 34, गंगापुर सिटी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	0.75	चालू नहीं
140.	सी. सी. रोड रहमान मस्जिद उस्मान कालोनी वार्ड नं. 34 में सहीदा के मकान तक गंगापुर सिटी	नगर पा. गंगापुर	नगर पा. गंगापुर	2001–2002	1.00	चालू नहीं
141.	अमरगढ़ से गढ़ वाले रास्ते पर ग्रेवल सड़क निर्माण	ग्रा.पं. अमरगढ़	ग्रा.पं. अमरगढ़	2001–2002	0.50	पूर्ण
142.	अमरगढ़ से रोड वाले रास्ते पर खुर्रा निर्माण	ग्रा.पं. अमरगढ़	ग्रा.पं. अमरगढ़	2001–2002	0.50	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
143.	हरचन्दा की ढाणी से मन्दिर वाली ढाणी ग्रेवल सड़क	अमरगढ़	ग्रा. पं. अमरगढ़	2001–2002	0.50	पूर्ण
144.	कुआं निर्माण गुर्जर मौहल्ला ग्राम अमरगढ़	अमरगढ़	ग्रा. पं. अमरगढ़	2001–2002	0.50	चालू
145.	सी.सी. रोड निर्माण अमरगढ़ से गढ़ वाले रास्ते पर अमरगढ़	अमरगढ़	ग्रा. पं. अमरगढ़	2001–2002	0.75	चालू नहीं
146.	सामुदायिक भवन गुवाड़ी	गुवाड़ी	ग्रा. पं. नाराटवाड़ा	2001–2002	0.75	चालू नहीं
147.	सामुदायिक भवन बाढ़ गुवाड़ी	गुवाड़ी	ग्रा. पं. खेड़ाबाढ़–रामगढ़	2001–2002	1.00	चालू नहीं
				कुल योग	65.35	

ह०/–
अति. कलक्टर (विकास)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
सवाईमाधोपुर।

परिशिष्ट-20

परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-204 का विवरण)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बासंवाड़ा

बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1998-99 से पूर्ण कराए गए एनीकटों की सूची

क्र.सं.	नाम एनीकट	पंचायत	पंचायत समिति
1	2	3	4
1.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर छापरा	सुन्द्राव	आनन्दपुरी
2.	एनीकट खुंटी चन्दना	मुन्द्री	,,
3.	एनीकट टामटिया	टामटिया	,,
4.	एनीकट पचौर	कानेला	,,
5.	एनीकट आमलिया आम्बादरा	आमलिया आम्बादरा	,,
6.	एनीकट ओबला	ओबला	,,
7.	एनीकट भलेर भोदर	भलेर भोदर	,,
8.	एनीकट चिकली तेजा	चिकली तेजा	,,
9.	एनीकट राजपुरा	चोरड़ी	,,
10.	एनीकट छाजा	छाजा	,,
11.	एनीकट गमाना डिफोर	बरेठ	,,
12.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नयागांव	खोड़ालीम	बागीदौरा
13.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टाण्डी मोटी	टाण्डी नानी	,,
14.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लाला वाड़ा	खुंटा मछार	,,
15.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तेलिया दईड़ा	करजी	,,
16.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कांकरा डूंगरी	पाटन	,,
17.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बोर डाबरा	लंकाई	,,

1	2	3	4
18.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हरिपुरा	उम्मेदगढ़ी	बागीदौरा
19.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नाल	नाल	”
20.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर छलका तलाई	गांगड़ तलाई	”
21.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अमरपुरा	मोटी टिम्बी	”
22.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जाम्बुड़ी	जाम्बुड़ी	”
23.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर झांझरवांपाड़ा	झांझरवांकलां	”
24.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सालिया	सालिया	”
25.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राम का मुन्ना	राम का मुन्ना	”
26.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उदेला नाला	बखतपुरा	गढ़ी
27.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कोटड़ा बड़ा	कोटड़ा बड़ा	”
28.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डैयाना	सागवाड़िया	”
29.	एनीकट सुजाजी का गड़ा	खोड़न	”
30.	एनीकट सोहन माता मन्दिर के पास	कोटड़ा बड़ा	”
31.	एनीकट बाई का गड़ा	मेतवाला	”
32.	एनीकट लालपुरा	नाहली	”
33.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मुड़ासेल	मुड़ासेल	घाटोल
34.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नवाखेड़ा	गोलियावाड़ा	”
35.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हानगड़ा	सवनिया	”
36.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर फूंटिया डूंगरी	मियासा	”
37.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उपावाना नाला	मुड़ासेल	”
38.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भट्टावाड़ा	सरोदिया	”
39.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उमरजला	जगपुरा	”

1	2	3	4
40.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बोरदा नाला	बोरदा	घाटोल
41.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर खांकरियापाड़ा	कानजी का गड़ा	,,
42.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भमरिया	बड़ाना	,,
43.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जहापुरा	रूपजी का खेड़ा	,,
44.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर चड़ला	चड़ला	,,
45.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर गजरियापाड़ा	रूंजिया	,,
46.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर झाझोर	कण्ठाव	,,
47.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कराना	बिछावाड़ा	,,
48.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जाबुन वाला नाला	बारगा खाटा	,,
49.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर गोमरानाला	डूंगरिया	,,
50.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पाडिया पोल	बांसली खेड़ा	,,
51.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आमडिया	अमरसिंह का गड़ा	,,
52.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर चोरवड़	महुड़ा	कुशलगढ़
53.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर वड़ला की रेल	कोटड़ा	,,
54.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आम्बापाड़ा	झीकली	,,
55.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर खेड़पुर	कुशलापाड़ा	,,
56.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उमरावट	पोटलिया	,,
57.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सरोना	पाटन	,,
58.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उम्बापाड़ा-II	झीकली	,,
59.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सिंगली नाला	सारन	,,
60.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर धोला उमरा	सब्बलपुरा	,,
61.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर घरतारा (बईडाफला)	काकनवानी	,,

1	2	3	4
62.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बिहारीपुरा	बड़वास खुर्द	कुशलगढ़
63.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर छापरी	रामगढ़	,,
64.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भीमगढ़	बड़वास कलन	,,
65.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बावलियापाड़ा	बावलियापाड़ा	,,
66.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पीपलीपाड़ा बड़ा	बड़ी सखां	,,
67.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर चारण की गड़ली	चरकनी	,,
68.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नाथपुरा	मुन्दड़ी	,,
69.	एनीकट कुशलापाड़ा पं.स. के पास	कुशलापाड़ा	,,
70.	एनीकट नानी का खोरापाड़ा	मकनपुरा	पीपलखूंट
71.	एनीकट वाडीपाड़ा	नायंन	,,
72.	एनीकट पीपलीपाड़ा नाला पर	केसरपुरा	,,
73	एनीकट ठेचला	ठेचला	,,
74.	एनीकट ढोलर वाला नाला	पीपलखूंट	,,
75.	एनीकट कुड़ीपाड़ा	जेथलिया	,,
76.	एनीकट भडकलियापाड़ा	बोरी	,,
77.	एनीकट पीपलदा	परथीपुरा	,,
78.	एनीकट राणपुर	डूंगलावानी	,,
79.	एनीकट चुली	सेमलिया	,,
80.	एनीकट हाडियापाड़ा	कटुम्बी	,,
81.	एनीकट गोठड़ा पाड़ा	छायन बड़ी	,,
82.	एनीकट खोरापाड़ा	छोटी सरवन	,,
83.	एनीकट लाम्बीसादड़	हरनाथपुरा	,,

1	2	3	4
84.	एनीकट उम्बापान	मकनपुरा	पीपलखूंट
85.	एनीकट बड़वाला नाला	घोड़ी तेजपुर	,,
86.	एनीकट हेरी	नादिया	,,
87.	एनीकट कांचला खाली	दानपुर	,,
88.	एनीकट गढ़	जहांपुरा	,,
89.	एनीकट भूराकुण्ड	डूंगलावानी	,,
90.	एनीकट खोरापाड़ा	कटुम्बी	,,
91.	एनीकट खेड़ापाड़ा	छोटी सरवन	,,
92.	एनीकट गोठड़ा	नायन	,,
93.	एनीकट लाम्बाड़ाबरा	छरी	,,
94.	एनीकट मालिया	कालीघाटी	,,
95.	एनीकट कुण्डल	मकनपुरा	,,
96.	एनीकट कटारों का खेड़ा बी	सोडलपुर	,,
97.	एनीकट झमलिया	कोटड़ा	,,
98.	एनीकट कोईवाव	छायन बड़ी	,,
99.	एनीकट करमोड़ा	घण्टाली	,,
100.	एनीकट ठेचला	केलामेला	,,
101.	एनीकट सरवना	वागतालाब	,,
102.	एनीकट छोटी हरो	कुपड़ा	,,
103.	एनीकट गागरवां	गागरवां	,,
104.	एनीकट बोरीसेम	केसरपुरा	,,
105.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पाड़ला कटारा	शक्करवाड़ा	सज्जनगढ़
106.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पाड़ला वड़खिया	,,	,,

1	2	3	4
107.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डूंगरीपाड़ा	राठधनराज	सज्जनगढ़
108.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मस्का बड़ा	मस्का बड़ा	"
109.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर गोड़ा	खुन्दली हाला	"
110.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर महुड़िया नाथा	"	"
111.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सादड़िया	हिम्मतगढ़	"
112.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सादड़िया (आमली पाड़ा)	"	"
113.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पातापोर	अन्देश्वर	"
114.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जोगड़ी माता	"	"
115.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर रेंगनिया	बावड़ीपाड़ा	"
116.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ईमली झरन	सातसेरा	"
117.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मुनिया खूंटा	मुनिया खूंटा	"
118.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भण्डारिया नाला	बावडीपाड़ा	"
119.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डूंगरा बड़ा	डूंगरा बड़ा	"
120.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बहेड़ी नाला (महुडी)	टाण्डी बड़ी	"
121.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भूरा कुआं	भूरा कुआं	"
122.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नवागांव	पाली बड़ी	"
123.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सिपल खेड़ा	जीवाखूंटा	"
124.	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इटाला	इटाला	"
125.	एनीकट सुखानिया	महेशपुर	तलवाड़ा
126.	एनीकट वगेरी मईड़ा	नल्दा	"
127.	एनीकट सामापाड़ा	केंसरपुरा	"

1	2	3
128.	एनीकट पा. गणेशी	चाचाकोटा
129.	एनीकट सिंगपुरा	कडेलिया
130.	एनीकट कल्याणपुरा	देवगढ़
131.	एनीकट झुपेल	झुपेल
132.	एनीकट लालपुरा	महेशपुरा
133.	एनीकट केसरपुरा	केसरपुरा
134.	एनीकट भोजिया खुर्द	आम्बापुरा
135.	एनीकट भूरीयापाड़ा	बोरखाबर
136.	एनीकट सकरवट	छापरिया
137.	एनीकट नि. नाल	गणाऊ
138.	एनीकट हिनुमाला	चाचाकोटा
139.	एनीकट लोधा जागीर	देवगढ़
140.	एनीकट खेड़ा खास	खेड़ा
141.	एनीकट महेशपुरा	महेशपुरा
142.	एनीकट धावड़ा धरा	नल्दा
143.	एनीकट डामरवासा	नवागांव
144.	एनीकट कड़ेलिया	कड़ेलिया
145.	एनीकट नवाखेड़ा	वीरपुर
146.	एनीकट चरपोटा	बदरेल
147.	एनीकट भापोर	भापोर
148.	एनीकट पाड़ला	केसरपुरा
149.	एनीकट फतेहपुरा	कुण्डला
150.	एनीकट भमरकड़ा	तेजपुर
151.	एनीकट झरनीया खोरा	झरनीया

राजस्थान विधान
पुस्तकालय, जयपुर
2543